खण्ड-332, अंक-4
बुधवार, 6 वैशाख, शक संवत् 1900
(26 अप्रैल, 1978 ई0)

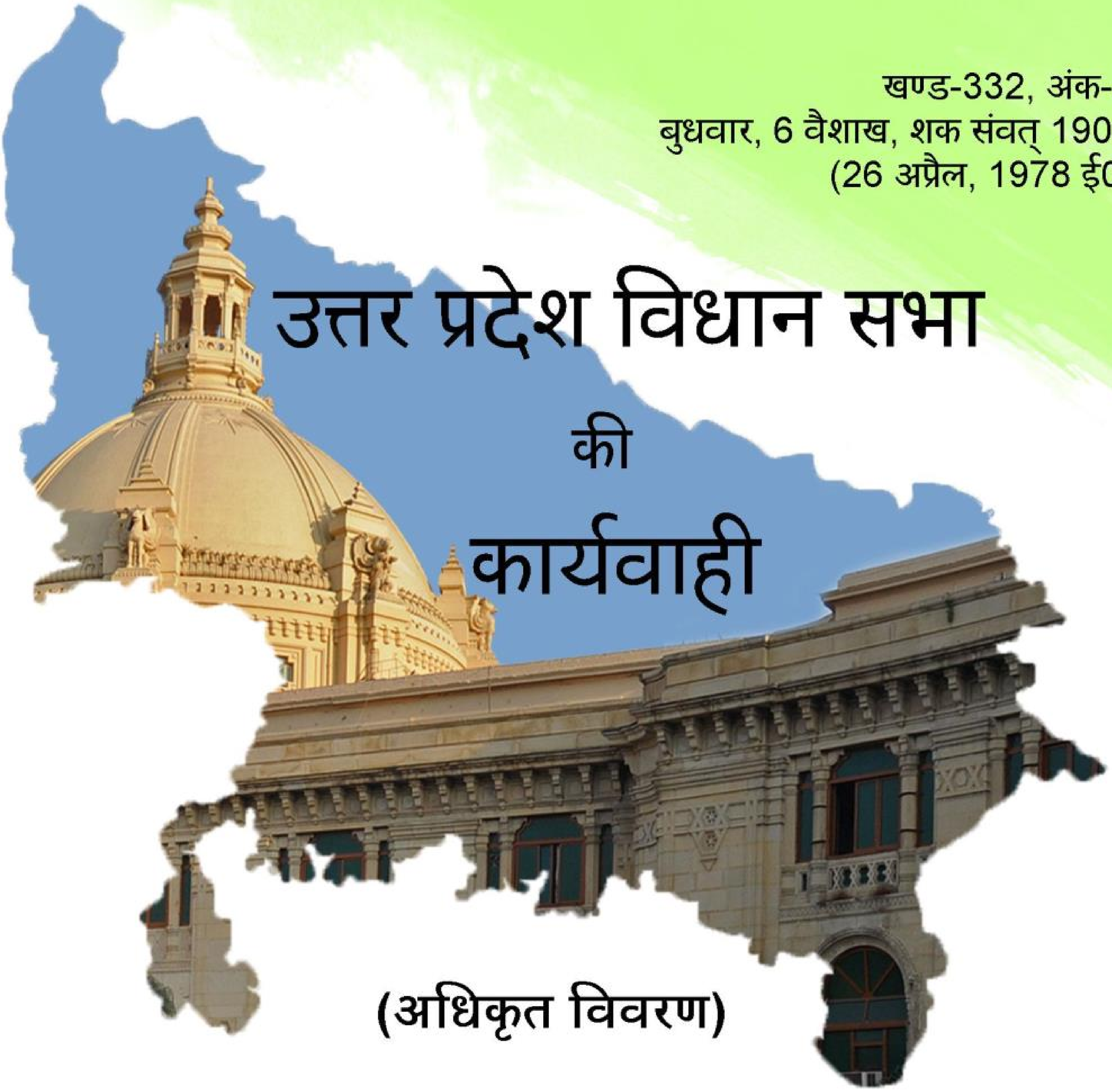

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 332 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४८१-४८४
प्रश्नोत्तर	४८५-५३७
कतिपय विषय	५३८
उपाध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी	५३८-५३९
झांसी-मिर्जापुर प्रादेशिक मार्ग पर बेतवा नदी के नोट घाट पर बने पुल पर लगे टैक्स को समाप्त करने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	५३९
श्री बन्दा प्रसाद, सब-इन्सपेक्टर, थाना आदमपुर, वाराणसी की हिरासत में श्री अब्दुल मतीन की मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	५४०
कालविन इन्टर कालेज, महमूदाबाद, सीतापुर के प्रिंसिपल द्वारा हाई स्कूल एवं इंटर के परीक्षार्थियों को नकल करवाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	५४०-५४१
राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, बहराइच द्वारा किसानों से ऋण की वसूली में कठोरता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	५४१-५४२
जनता इंटर कालेज, गौरा बाजार, डुमरियागंज, बस्ती में केन्द्र व्यवस्थापकों द्वारा नकल करवाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	५४२-५४३
मैनपुरी के काशी डाकू को पकड़े जाने के सम्बन्ध में पुलिस की साजिश तथा उसकी हत्या किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	५४३-५४४
'स्वतन्त्र भारत' समाचार पत्र में "कुंए की खुदाई में राणा बेनी माधव सिंह की तलवार" शीर्षक के अन्तर्गत वीरा पासी को छिपकली चोर प्रकाशित करने से पासी वर्ग में असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	५४४-५४५
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर ..	५४५
उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	५४५
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं	५४५-५४६
२५ अप्रैल, १९७८ को श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के सम्बन्ध में उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा की मांग	५४६-५४८

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राम दत्त जोशी, सदस्य विधान सभा को रोक कर आतंकित करने के सम्बन्ध में कथित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	५४८–५४९
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् अभियन्ता संघ की हड़ताल के सम्बन्ध में आज होने वाले वक्तव्य का स्थगन	५४९–५५०
आजमगढ़ कलेक्टरी के मैदान में हुये तथाकथित लाठी चार्ज पर वक्तव्य	५५०
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	५५१–५५४
१९७८–७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३—मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५—निर्वाचन, अनुदान संख्या १८—सचिवालय, अनुदान संख्या १९—जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २१—पुलिस, अनुदान संख्या २५—अन्य प्रशासनिक सेवायें, अनुदान संख्या ४०—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं तथा अनुदान संख्या ४५—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (स्वीकृत)	५५४–५९५
१९७८–७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ६—वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर, अनुदान संख्या ८—स्टाम्प एवं पंजीकरण, अनुदान संख्या ११—बिक्री-कर तथा अनुदान संख्या १३—अन्य कर और शुल्क (जारी)	५९५–६१०
लगान के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	६१०
१९७८–७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ६—वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर, अनुदान संख्या ८—स्टाम्प, एवं पंजीकरण, अनुदान संख्या ११—बिक्रीकर तथा अनुदान संख्या १३—अन्य कर और शुल्क.... (स्वीकृत)	६१०–६२१
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	६२१–६२२
कलेक्टपुर में छात्रों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	६२२–६२६
परिशिष्ट	६२७–६४३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २६ अप्रैल, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में, ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३०३

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मोहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंगी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्रभान मौर्य, श्री

चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शशक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलवारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृजलाल, श्री
बैचू राम, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री

मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीउल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मजि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बक्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन लाल, श्री
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २६ अप्रैल, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

हिन्दी संस्थान के विरुद्ध श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह का शिकायती-पत्र

**१—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर), श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा), तथा श्री त्रिवेनी सिंह (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक १४ मार्च, १९७८ को श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह तथा अनेक संसद सदस्यों द्वारा सरकार को एक शिकायती-पत्र हिन्दी संस्थान में व्याप्त घोर अनियमितता, अत्याचारों व भ्रष्टाचार और जनता के धन का खुले आम दुरुपयोग के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण)—

जी हां,

जांच की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह तथा अनेक संसद सदस्यों ने जो शिकायती-पत्र भेजा है, उसके आधार पर उनमें शिकायतें क्या हैं ?

श्री काली चरण—

कई संसद सदस्यों के हस्ताक्षर से एक शिकायती-पत्र माननीय मुख्यमंत्री को भेजा गया था, जिसमें मुख्य शिकायतें हैं—

संस्थान के स्थायी कोषाध्यक्ष को हटा कर एक ऐसे व्यक्ति से काम लेना जिसकी शैक्षिक योग्यता इस पद के अनुपयुक्त है । एक कृषि स्नातक की संस्थान में लघु श्रेणी सहायक के पद पर नियुक्ति और ६ माह के अन्दर ही दो प्रोमोशन दे कर संस्थान के अन्य वरिष्ठ कर्मचारी, जो अनुभव के साथ-साथ योग्यता भी रखते हैं, के अधिकारों का हनन । श्री राकेश बंजल की नियुक्ति दैनिक मजदूरी पर करने के उपरान्त सीधे अपर स्केल में अनियमित नियुक्ति करके संस्थान ने पिछले कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों का हनन । संस्थान के निदेशक का जहां अपना घर है, वाराणसी में, अपने निजी काम से जाना और सरकारी यात्रा भत्ता लेना । सरकारी आदेशों के बावजूद एक अवकाश प्राप्त ६० वर्ष के व्यक्ति श्री जोशी से ५०० रु० माह की निश्चित धनराशि दे कर काम लेना । पिछले एक वर्ष से भी अधिक दैनिक मजदूरी पर कार्यरत व्यक्ति की संस्थान में रिक्त चपरासी के पद पर नियुक्ति न कर के प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के निजी व्यक्तियों को नियुक्त करना । निदेशक द्वारा अपने सगे भाई को संस्थान के वाराणसी बिक्री प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना जब कि वह नौकरी में प्रवेश करने की उम्र और शैक्षिक योग्यता दोनों में ही अनुपयुक्त है । पिछले कई वर्षों से संस्थान की

एक शाखा हिन्दी समिति के स्थायी चपरासी द्वारा डुप्लीकेटर मशीन के सहायक का काम लेना और तदर्थ विशेष भत्ता देने के स्थान पर एक नये व्यक्ति का इसी काम के लिए पूरे समय के लिए नियुक्ति करके जनता के धन का दुरुपयोग करना। संस्थान भवन में अतिथि कक्ष बना कर बाहर से आये व्यक्तियों से किराया लेना। समान वेतन में कार्यरत दो व्यक्तियों में से वरिष्ठता का ध्यान न दे कर चन्द दिनों से आये लेखाधिकारी को जो कनिष्ठ हैं, सारे अधिकार दे देना और उपनिदेशक, हिन्दी संस्थान का काम लेना। संस्थान में रिक्त दो पद प्रकाशन अधिकारी और बिक्री अधिकारी के पद पर निर्देशानुसार कार्यरत लोगों का वांछित पद पर प्रमोशन न करना।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच के आदेश कब जारी किये गये, जांच के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त किया गया है और क्या जांच में इस आशय का निर्देश दिया गया है कि निर्धारित अवधि में जांच पूरी करके शासन को भेज दें ?

श्री काली चरण--

शिक्षा सचिव ने अपने एक अर्ध शासकीय पत्र दिनांक २६ मार्च, १९७८ के द्वारा शिक्षा निदेशक को स्वयं जांच करके १५ दिन में आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश किया था। आख्या की प्रतीक्षा की जा रही है। १७ अप्रैल, १९७८ को पुनः स्मरण कराया गया है कि शीघ्र जांच करके शासन को प्रस्तुत करें।

श्री विष्णु प्रताप सिंह--

क्या मंत्री जी जांच की जो रिपोर्ट आयेगी उसको सदन के समक्ष रखेंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, अगर श्रीमन् का आदेश होगा कि प्रत्येक जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाय, तो इसमे ऐतराज नहीं होगा।

श्री राज कुमार शर्मा (जिला-सहारनपुर)--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि हिन्दी संस्थान जिसको सरकार लाखों रुपया अनुदान देती है और जिससे हिन्दी भाषा का भविष्य सम्बन्धित है, उसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या सरकार उसका हिसाब आडिट कराती है या उसके कार्यों का निरीक्षण कराती है ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, सरकार प्रत्येक लेखा जोखा का आडिट कराती है और उसकी देखरेख करती है, यद्यपि वह एक स्वायत्त शासी संस्था है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, तो इस में कर्मचारियों की नियुक्ति का क्या नियम है ?

श्री काली चरण--

संस्थान स्वतः अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करता है।

उप विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत अध्यापक

**२--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि उप विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के कार्यालय में २५ अध्यापक लिपिकों का कार्य कर रहे हैं, जिससे लिपिकों में काफी असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्यों एवं किसके आदेश से ?

श्री काली चरण--

उप विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के कार्यालय में अध्यापकों के भविष्य निधि के लेखे-जोखे के अवशेष कार्य को पूरा करने के लिये २१ अध्यापक लगाये गये थे, जिन्हें मुक्त किये जाने के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी संघ ने मार्च, १९७८ में मांग की थी। इन अध्यापकों को शिक्षा निदेशक के आदेश दिनांक २८ मई, १९७३ में निहित आदेशों के अन्तर्गत इस कार्य पर लगाया गया था और ४ अप्रैल, १९७८ को कार्य मुक्त कर विद्यालयों में भेज दिया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक के आदेश २८ मई, १९७३ के क्या हैं उनको माननीय मन्त्री जी पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, निदेशक का आदेश है, प्रेषक शिक्षा निदेशक, बेसिक उत्तर प्रदेश...

श्री अध्यक्ष--

केवल आदेश का सारांश पढ़ दीजिए। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कालीचरण--

श्रीमन्, शिक्षा निदेशक ने यह आदेश दिए थे कि जिला परिषद् और म्युनिसिपल बोर्ड से अध्यापकों का स्थानान्तरण बेसिक शिक्षा परिषद् में हो। तो इनको भविष्य निधि आदि खातों को नियमित करने के लिए रख लिया गया, चूंकि कार्य इतना बढ़ गया था और उप विद्यालय निरीक्षक के पास इतने कर्मचारी नहीं थे, जिससे वह कार्य पूरा हो सके। अध्यापकों को जी० पी० एफ० के अग्रिम भुगतान समय से मिल सकें तथा पुराने कागजातों को पूरा कराने के लिए इन २१ अध्यापकों को नियुक्त कर लें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी ने सरकुलर पूरा नहीं पढ़ा। उसमें है कि जून, १९७३ के लिए कार्य पर लगाया जाये और यह है ७८। तो मैं जानना चाहता हूं कि इतने दिन जो अध्यापक अनावश्यक रूप से आफिस में पड़े रहे, उससे छात्रों को नुकसान हुआ उसके लिए सरकार को खर्चा करना पड़ा, तो क्या कोई इसके पीछे षडयन्त्र तो नहीं है ?

श्री काली चरण--

इसमें किसी तरह का षड्यन्त्र नहीं है। यह जरूर है कि इतने दिनों तक लगाये रखना उचित नहीं था। चूंकि निर्देश थे, उसके अनुसार काम लिया गया और जब यह मांग आयी, तो उनको हटा दिया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

निदेशक महोदय के निर्देश जो हैं, वह एक महीने के लिए हैं। स्पष्ट कर लीजिए, जून, १९७३ के लिए हैं ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने माना कि यह अनुचित था कि इतने दिनों तक अध्यापकों को रोक रखा गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें किसका उत्तरदायित्व है ?

श्री काली चरण--

इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा कि इतने दिनों तक क्यों रखा। उनका उत्तर आने के बाद जैसा उचित होगा, कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि २५ अध्यापक वहां पर ४-५ वर्ष तक लगे रहे, तो क्या उनके स्थान पर कोई नियुक्ति हुई या सरप्लस स्टाफ था और क्या उन्हें कोई विशेष पारितोषिक दिया जाता था या ये लोग उसी वेतन पर कार्य कर रहे थे ?

श्री काली चरण--

न इनके स्थान पर किसी की नियुक्ति की गयी और न इनको कोई अतिरिक्त परितोषिक दिया जाता था।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार से प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल और बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में अध्यापकों को काम पर लगाया जाता है ? तो क्या वे प्रत्येक जिले को इस प्रकार के निर्देश देंगे कि कोई भी अध्यापक इन कार्यालयों में काम न कर के विद्यार्थियों को पढ़ाने का ही काम करें ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न बहुत ही व्यापक हो गया है। चूंकि यह प्रश्न गोरखपुर से सम्बन्धित है अतः मैं इसको अनुमति नहीं देता हूं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

जिन अध्यापकों को इस कार्य में लगाया गया था क्या भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष रूप से इनको एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन में लगाया गया था ? क्या इसकी भी वे जांच करायेंगे ?

श्री कालीचरण--

जिस भ्रष्टाचार की बात माननीय सदस्य कहते हैं उसके तथ्यात्मक विवरण वे प्रस्तुत कर दें, मैं जांच करा लूंगा ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा शुल्क

**३--श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर) तथा श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल के परीक्षार्थियों से १९७७ में रुपया ८·६० परीक्षा शुल्क लिया गया था, जबकि इसके पूर्व की परीक्षा में मात्र १ रुपया ६० पैसे ही परीक्षा शुल्क लिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी नहीं, रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, १९७७ में संस्थागत परीक्षार्थियों से ८ रु० परीक्षा शुल्क तथा पचास पैसे प्राप्तांक शुल्क लिया गया था ।

वर्ष १९७६ में जूनियर हाई स्कूल परीक्षा को गृह परीक्षा के रूप में संचालित किया गया था। केवल प्रश्न-पत्र मुद्रण हेतु १ रु० प्रति छात्र की दर से लिया गया था । इसके अतिरिक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा १ रु० प्रति छात्र की दर से परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था करने हेतु लिया गया था ।

श्री राज नाथ सिंह--

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं द्वारा आयोजित जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, १९७७ में संस्थागत परीक्षार्थियों से ८ रुपया शुल्क तथा पचास पैसे प्राप्तांक शुल्क लिया गया था । इसके पूर्व जो परीक्षायें होती थीं, उनमें १ रुपया मुद्रण हेतु और १ रुपया परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था करने हेतु लिया जाता था, तो अब इस शुल्क को बढ़ाये जाने का क्या औचित्य था ?

श्री काली चरण--

यह तो साफ स्पष्ट है कि समय-समय पर कागजों के दाम में वृद्धि होती रही है । छपाई में वृद्धि होती रही है । इस लिए इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है ।

श्री राज नाथ सिंह--

राज्य सरकार का कहना था कि जो गरीब और निर्धन छात्र है, उनकी निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायगी, तो इसके अन्तर्गत क्या इस प्रकार के छात्रों को जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, उनकी शिक्षा शुल्क में किसी प्रकार की कमी करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री कालीचरण--

इस प्रकार का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री ईश्वर प्रसाद--

वर्तमान सरकार की जो शिक्षा नीति है क्या जूनियर हाई स्कूल में जो देहाती छात्र पढ़ते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा सरकार देगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस बढ़ाये हुए शुल्क को समाप्त करने के आदेश सरकार तुरन्त देगी ?

श्री काली चरण--

अभी तक भी जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं हो पायी है। दूसरी बात यह है कि गृह परीक्षा से, माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे, चूंकि शिक्षा का स्तर पहले से नीचे गिर रहा था। इसलिए उस गृह परीक्षा को समाप्त करके पुनः सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था की गयी है। सार्वजनिक परीक्षा में निश्चित रूप से कापियां अन्यत्र भेजी जायंगी। रजिस्ट्रार उसके प्रश्न-पत्र बनवायेंगे, छपवायेंगे। इसमें उसकी अपेक्षा व्यवस्था अधिक करनी होगी इसलिए दोनों परीक्षाओं की बराबरी करना सम्भव नहीं है।

श्री राजनाथ सिंह--

अभी यह प्रश्न किया था माननीय सदस्य ने कि वर्तमान परीक्षार्थियों का कितना शुल्क रखा जा रहा है? इसका उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दे चुके हैं, स्पष्ट दे दिया है।

कक्षा आठ तक के छात्रों को फेल न किये जाने संबंधी विचाराधीन योजना

**४--श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)--

क्या शिक्षा मंत्री के समक्ष ऐसी कोई योजना विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत कक्षा आठ तक के किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जायगा? यदि हां, तो इसकी रूप-रेखा क्या होगी और क्या यह योजना शिक्षा स्तर में गिरावट नहीं लाएगी?

श्री कालीचरण--

१०-११ अगस्त, १९७७ को दिल्ली में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के संदर्भ में इस प्रस्ताव पर विचार किया था। विषय अभी केन्द्र सरकार के ही विचाराधीन है तथा राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के निश्चित मत से अवगत होने पर ही विचारोपरान्त निर्णय लिया जायगा।

श्री नरेश चन्द्र--

उत्तर के संदर्भ में। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा का विषय स्टेट लिस्ट में पूर्णरूपेण आता है और राज्य सरकार पूर्ण रूप से इसमें समर्थ है, तो इसमें अब केन्द्र सरकार के निर्णय की क्यों प्रतीक्षा की जा रही है, राज्य सरकार की अपनी राय क्या है?

श्री काली चरण--

राज्य सरकार के निर्णय की स्पष्ट घोषणा कर दी गयी है कि सार्वजनिक परीक्षाएं, कक्षा ८ की ली जायंगी और इस परीक्षा में जिस तरह के परीक्षाफल होंगे वही मान्य होंगे। चूंकि एक विचार यह आया था कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए जो लड़के बीच-बीच में छोड़ करके स्कूल से चले जाते हैं, तो उनकी स्थिति निरक्षर जैसी हो जाती है। उनकी निरक्षरता दूर करने के लिए एक प्रश्न उसमें विचाराधीन रहा है और उसका औचित्य भी यही रहा है। राज्य सरकार की नीति स्पष्ट है और घोषित हो चुकी है और उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस प्रकार से प्रश्न था कि ८वीं कक्षा में किसी को फेल नहीं किया जायगा, क्या सभी परीक्षा पद्धति में बदलाव लाया जायगा और जैसी कि समस्या है कि इम्तहानों के दिनों में लड़के नकल आदि करते हैं, उपद्रव करते हैं, तो क्या परीक्षा पद्धति में बल लाने के लिए शासन विचार करने का प्रयत्न करेगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे संबंधित नहीं है। आपका मूल प्रश्न तो यह था कि क्या ऐसा निर्णय किया गया है कि परीक्षा में कोई फेल नहीं होगा ? इसमें नीति स्पष्ट कर दी कि हमने इसको नहीं माना है, इसलिए नहीं उठता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शहर में जो स्कूल चलते हैं, उनके विद्यार्थियों के होम एग्जामिनेशंस होते हैं और परिणामतः ८०-९० प्रतिशत से ऊपर पास हो जाते हैं, तो साक्षरता की सबसे बड़ी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गांव में भी क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ८वीं क्लास के विद्यार्थियों को जो बोर्ड का सामना करना पड़ता है, अकसर तो जैसी कि सरकार की नीति है कि ज्यादा से ज्यादा लड़के पास हो जायं, तो उनके लिए भी होम एग्जामिनेशन की व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो बतला चुके हैं कि यह निर्णय अब तक का असफल रहा, इसलिए बोर्ड की परीक्षा का फैसला किया है।

श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया)—

मैं जानना चाहता हूं कि जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उसमें परीक्षा लेने की किसी रूपरेखा पर स्पष्टतया विचार हुआ था ? अगर कोई स्कीम सामने आयी थी, तो वह कौन सी थी, क्या उसे बतलायेंगे ?

श्री कालीचरण—

श्री न्, पांडेय जी की बात मैं समझ नहीं पाया कि क्या मतलब है।

श्री राम नरेश पांडेय—

क्या वहां परीक्षा के सम्बन्ध में कोई प्रणाली प्रस्तुत की गयी थी व इस पर विचार हुआ था ?

श्री काली चरण—

परीक्षा के सम्बन्ध में कोई प्रणाली प्रस्तुत नहीं की गयी थी न ही उस पर विचार हुआ था। एक बात तो मैंने बतायी वही थी प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की उसी पर विचार हुआ था।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले के जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज की बन्दी एवं श्री ज्ञानेश्वर मणि का आमरण अनशन

*१—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, महराजगंज, गोरखपुर के विगत दो माह से बन्द होने के कारण छात्रों, अभिभावकों एवं क्षेत्रीय जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है एवं १० दिन के अन्दर पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ न होने की स्थिति में कालेज के छात्र नेता श्री ज्ञानेश्वर मणि ने आमरण अनशन तथा छात्रों ने प्रदर्शन एवं घेराव का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कालीचरण—

सूचना एकत्रित की जा रही है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मंत्री जी इसकी भी सूचना मंगा लेंगे कि प्रबन्धक महोदय विद्यालय के समस्त रेकार्ड्स तथा प्रिन्सिपल के एकाउन्ट्स का पता आदि लेकर भाग गए हैं और उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज है। दूसरा यह कि प्रबन्धक महोदय ने अपने भाई को जो प्रधानाचार्य हैं छुट्टी दे दी है तथा उनकी जगह काम करने के लिए एक ऐसे शिक्षक की नियुक्ति कर दी है, जो वरिष्ठताक्रम के अनुसार १३वें नम्बर पर आते हैं ?

श्री कालीचरण—

सूचनाओं में सारी सूचना मंगा ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

कब तक यह सूचना दे सकेंगे ?

श्री कालीचरण—

एक सप्ताह का समय लग जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जो उत्तर दिया है कि सूचना एकत्र की जा रही है उसके आगे श्रीमन्, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसका क्या अर्थ है ? क्या सूचना एकत्र की जा रही है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बताया है कि एक हफ्ते में आ जायेगी सूचना।

गन्ना उत्पादक महाविद्यालय, बहेड़ी, बरेली की बन्दी

*२—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास डिग्री कालेज, बहेड़ी, जिला बरेली, लगभग एक मास से बन्द है जिससे कि पढ़ाई की क्षति हो

रही है तथा अनुशासन की समस्या उत्पन्न है ? यदि हां, तो क्यों तथा विद्यालय खुलवाने के लिए शासन क्या प्रयास कर रहा है ?

श्री कालीचरण—

गन्ना उत्पादक महाविद्यालय, बहेड़ी छात्रों के दो गुटों के मध्य झगड़ा एवं तनावपूर्ण स्थिति के कारण लगभग एक मास बन्द रहा । दिनांक १५ अप्रैल, १९७८ से महाविद्यालय खुल गया है और शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

३ मार्च, १९७८ को दिन दहाड़े कालेज के प्रधानाचार्य पर कुछ गुंडों ने प्राणघातक हमला किया और उनको बुरी तरह से घायल कर दिया जिसके कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, तो आक्रमणकारी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कालीचरण—

यह सही है कि ३ मार्च, १९७८ को कालेज के प्रधानाचार्य पर कुछ छात्रों तथा कुछ बाहरी तत्वों ने आक्रमण किया और उसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखायी गयी । पुलिस उसकी छानबीन कर रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

३ मार्च को यह घटना हुई और घटनास्थल से २० कदम पर थाना है, तो आज तक किसी भी अपराधी के न पकड़े जाने का क्या कारण है ? इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कालीचरण—

जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि प्राणघातक हमला हुआ, श्रीमन्, इस प्रश्न के बाद एक और प्रार्थना-पत्र मेरे पास आया है, जिसमें उस कालेज में विभिन्न तरह की गुटबन्दी, गोलबन्दी, भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें भी आई हैं, जिनकी मैं जांच करवा रहा हूं । जिस गुटबन्दी में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य के खिलाफ उसमें बातें आई हैं, सारे तथ्य आने के बाद उसमें जांच होगी । जहां तक गिरफ्तारी का प्रश्न है, इसकी चूंकि पुलिस तफतीश कर रही है, इसकी भी जांच कर ली जायगी कि उसमें क्या हो रहा है ।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बाहरी तत्व कौन-कौन थे और जो छात्र थे, जो विद्यालय खुल गया है, तो क्या उनकी पढ़ाई जारी है या उनके खिलाफ विद्यालय की ओर से कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण—

मान्यवर, बाहरी तत्वों का विवरण मंगाने की आवश्यकता पड़ेगी । विद्यालय में चूंकि दो गुटों में बराबर मारपीट होती रही है, अभी जो प्रार्थना-पत्र मिला है, उसमें लिखा है कि अध्यापकों में गुट है और गन्ना सोसायटी में भी गुट है, जिसका प्रतिफल यह हो रहा है कि जिलाधिकारी ने उसमें हस्तक्षेप करके कालेज खोलवा दिया है, पढ़ाई हो रही है । बाकी चीजों की जांच हो रही है ।

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

क्या प्रधानाचार्य जी ने नामजद रिपोर्ट लिखाई है ? यदि हां, तो ऐसे लोगों पर पुलिस ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ? इसी के संदर्भ में मुझे यह भी कहना है कि प्रधानाचार्य ने क्या ऐसी भी कोई रिपोर्ट पुलिस में लिखाई है या शिक्षा मंत्री या मुख्य मंत्री को लिखा है कि उनके ऊपर उन्हीं तत्वों के द्वारा अब भी जान का खतरा है और प्रधानाचार्य की जान की सुरक्षा की कोई व्यवस्था की है, शिक्षा मंत्री जी ने ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, प्रधानाचार्य ही नहीं, प्रत्येक नागरिक के जान की रक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक शासन की होती है और है, उसी में उनकी भी सुरक्षा की व्यवस्था है। जहां तक नामजद रिपोर्ट लिखाने का प्रश्न है, श्रीमन्, इसकी सूचना की आवश्यकता है ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो दो गुट वहां छात्रों के हैं, जिनमें झगड़े के कारण यह स्थिति पैदा हुई, उन गुटबन्दी को रोकने और भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो उसके लिए क्या व्यवस्था आपने की है ?

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, इसमें अधिक सहायता तो माननीय वैद्य जी ही कर सकते हैं, गुटबन्दी को रोकने में अगर गुटबन्दी को करने या कराने में हस्तक्षेप न करें, तो मैं समझता हूं कि गुटबन्दी अपने आप ही बन्द हो जायगी ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की मांगें

*३—श्री राजनाथ सिंह तथा श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या सिंचाई मन्त्री जी को यह जानकारी है कि कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कर्मचारी जो १६ मार्च, १९७८ से संघर्ष के पथ पर हैं, के प्रतिनिधि मण्डल की तत्कालीन सिंचाई मन्त्री श्री महमूद अली खां से दिनांक २ फरवरी, १९७३ को उनकी मांगों के सम्बन्ध में वार्ता हुई थी ? यदि हां, तो तत्कालीन सिंचाई मन्त्री द्वारा क्या आश्वासन प्राप्त हुआ था और उस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ?

सिंचाई उप मंत्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)—

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के लिपिकीय कर्मचारियों की मांगों पर उनके प्रतिनिधि मण्डल तथा तत्कालीन सिंचाई मंत्री जी के बीच २-२-७३ को वार्ता हुई थी और मांगों पर विचार करने हेतु निर्णय लिया गया था । कुछ मांगों के बारे में निर्णय हो चुका है और कुछ के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राजनाथ सिंह—

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लिपिकीय कर्मचारियों की कौन-कौन सी मांगों के बारे में निर्णय लिया जा

चुका है और जो निर्णय लिया जा चुका है, तो उस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, कुल १४ मांगे थी जिसमें से ४ पूरी हो चुकी हैं और उसमें से एक मांग यह है कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के लिपिकीय कर्मचारी का लखनऊ से बाहर स्थानान्तरण काफी नहीं है। दूसरी जो मांग स्वीकार की गयी है वह यह है कि लिपिकों के उत्तम कार्य के लिए पुरस्कार। तीसरी मांग यह है कि कर्मचारियों के बकायों का तत्परता से भुगतान। चौथी यह है कि संयुक्त लिपिकीय संवर्ग का अलगाव।

श्री ईश्वर प्रसाद--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन मांगों पर निर्णय हो चुका है उनको लागू करने में क्या कठिनाई है ? तथा उन शेष मांगों को कब तक पूरा किया जायगा ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, इसमें सबसे मुख्य मांग यह है कि सचिवालय के लिपिकों के समान जो सिंचाई विभाग के कार्यालय के लिपिक हैं उनको वेतन दिया जाय। इस सम्बन्ध में १४-४-७८ को माननीय सिंचाई मंत्री जी से उनके प्रतिनिधि मंडल के लोग मिले थे। हम सिंचाई विभाग की इस बात से सिद्धान्ततः सहमत हैं कि उनको वह वेतन दिया जाय क्योंकि १९३५ तक सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता कार्यालय में लिपिकों का वेतन और सचिवालय के लिपिकों का वेतन समान था। इस संबन्ध में हमने पहले कार्यवाही किया था और अपनी सहमति व्यक्त की थी। लेकिन वेतन आयोग ने स्वीकार नहीं किया था उस आधार पर हम सफल नहीं हुए पुनः हम विचार कर रहे हैं। इस मुख्य मांग के लिए सिद्धान्ततः सहमत हैं और कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, १४ मांगें थी और उसमें से ४ मांगों पर निर्णय लिया जा चुका है। बाकी मांगों पर कार्यवाही की जा रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि उस पर निर्णय हो चुका है या नहीं ? या किस प्रकार की कार्यवाही सरकार कर रही है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, मैंने यह निवेदन किया कि जो मुख्य मांग थी उस संबन्ध में १९७३ में वार्ता हुई थी और इस राय के थे कि उनको वह वेतन दिया जाय। क्योंकि राजस्व परिषद् मुख्यालय का तथा हाईकोर्ट का वेतन सचिवालय के बराबर है। किन्तु वेतन आयोग ने इस बात पर जो आर्गूमेन्ट रखा गया था उसको स्वीकार नहीं किया था इसलिए नामंजूर कर दिया। तो हमारी बातचीत हुई है। हमने कहा है कि आप पुनर्विचार के लिए प्रार्थना-पत्र दीजिये हम उस पर विचार करेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, क्या सरकार इस तरह का कोई आदेश निर्गत करेगी कि उनको सचिवालय और हाईकोर्ट के जो लिपिक हैं उनके मुताबिक उनको तनख्वाह दी जाय ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

श्रीमन् यही तो हम कह रहे हैं हम सिद्धांतः सहमत हैं और कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री ऊदल—

कब तक ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

जो भी समय लग जाय इसके लिए हम समय तो दे नहीं सकते ।

प्रतापगढ़ कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदारों द्वारा शोरगुल एवं नारेबाजी

*४—श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २९ मार्च, १९७८ को प्रतापगढ़ जनपद में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय को वहां के ठेकेदारों ने कुछ असामाजिक तत्वों की साठ-गांठ से घेर लिया था ? क्या अधिशासी अभियन्ताओं ने सूचना देकर पुलिस तथा पी० ए० सी० बुलवाया था ? क्या यह सच है कि वे फर्जी वाउचर पर भुगतान कराना चाहते थे ? क्या इसमें किसी सहायक अधिशासी अभियन्ता का हाथ रहा है ? यदि हां तो आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)—

प्रतापगढ़ जनपद में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में २९-३-७८ को ऐसी कोई घटना नहीं हुई । दिनांक ३०-३-७८ को लगभग ११ बजे ५-६ ठेकेदार उक्त कार्यालय के बरांडे में आये और शोरगुल तथा नारेबाजी करने लगे । अधिशासी अभियन्ता ने कार्यालय में शान्ति बनाये रखने के अभिप्राय से पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के कार्यालय को टेलीफोन किया जिसके फलस्वरूप आधे घन्टे बाद एक सब-इन्सपेक्टर कार्यालय में आये और उन्होंने अधिशासी अभियन्ता को सूचित किया कि उस समय उन्हें बाहर कोई ठेकेदार नहीं मिला । सुरक्षा की दृष्टि से अधिशासी अभियन्ता के अनुरोध पर सब-इन्सपेक्टर ने कार्यालय में दो कान्सटेबिल तैनात कर दिये जो वहां अगले दिन अर्थात् ३१-३-७८ को भी तैनात रहे । अधिशासी अभियन्ता के समक्ष ठेकेदारों द्वारा किसी फर्जी बाउचर के भुगतान का मामला नहीं रखा गया । प्रतापगढ़ जनपद में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में उस समय कोई सहायक अधिशासी अभियन्ता तैनात नहीं थे और न ही इस घटना से किसी अन्य अधिकारी का संबन्ध बताया गया है ।

श्री विद्या शंकर—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ३० मार्च, १९७८ को पुलिस क्यों बुलाई गयी ? मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि ५-६ ठेकेदार आये और वह शोरगुल तथा नारेबाजी किया, तो उनकी क्या मांगे थी ? क्या वह ठेकेदार उस सहायक अभियन्ता के रिश्तेदारों या मित्रों में नहीं थे, जिसके संबन्ध में मैंने प्रश्न किया है ?

श्री धीरेन्द्र सहाय—

मान्यवर, मांगों के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ नहीं कहा । वह तो नारे लगा रहे थे तभी अधिशासी अभियन्ता के चपरासी ने उनको जाकर बताया कि श्री उदय

राज सिंह, श्री राज नारायण सिंह, श्री राम तथा श्री छोटे लाल ठेकेदार नारे लगा रहे हैं, तो अधिशासी अभियन्त, ने कहा कि उनको एक-एक करके बुलाया जाय। इस पर उन्होंने कहा कि हम एक-एक करके नहीं जायेंगे हम सामुहिक रूप से बात करना चाहते हैं।

श्री विद्या शंकर--

मान्यवर, ५-६ ठेकेदार सहायक अभियन्ता के रिश्तेदार थे इसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी के पास उनकी जन्म पत्रियां कैसे हो सकती हैं ?

श्री विद्या शंकर--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस सहायक अभियन्ता के संबन्ध में प्रश्न किया है ५-१०-७७ को वहा के विधायकों ने शिकायती पत्र मंत्री जी को दिया था। दिनाक ८-१०-७७ को वहा के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उस सहायक अभियन्ता के खिलाफ कोई आख्या दिया था और ३०-१-७८ को सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रतापगढ़ आकस्मिक निरीक्षण में गये और उस सहायक अभियन्ता के खिलाफ कोई आख्या दिया ? यदि हा, तो इन प्रश्नों पर मंत्री जी ने क्या कार्यवाही किया ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता है।

श्री विद्या शंकर--

वह ठेकेदार सहायक अभियन्ता के रिश्तेदार हैं, उन्होंने आफिस में जाकर गड़बड़ी मचाई और मंत्री जी ने मुआयना किया, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न भी इससे नहीं पैदा होता है।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं जानना चाहता हूं कि जब अभियन्ता ने सब इंस्पेक्टर को बुलाया और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो क्या अभियन्ता ने कोई एफ० आई० आर० लिखाया था या उनको यों ही बुला लिया ? क्या यह मामला उनकी घूस या कमीशन का तो नहीं था इसलिए झगड़ा हो रहा था ? चूंकि असामाजिक तत्वों की बात मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट नहीं होती है।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, अभी मैंने बताया था कि शोरगुल मच रहा था और ३१ मार्च, का समय था, काम ज्यादा था इसलिए अधिशासी अभियंता जो हैं, उनको जब खबर मिली कि नारे बाजी हो रही है और उनके पास उसी समय एक टेलीफोन आया कि यह लोग मारपीट के इरादे से आये हैं। तो जब यह खबर उनको मिली तब उन्होंने फोन किया पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को और तब इंस्पेक्टर को बुलाया...

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न यह है कि क्या सहायक अभियन्ता ने कोई एफ० आई० आर० दर्ज करायी ठेकेदारों के खिलाफ ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

जी नहीं ।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे जैसा कि उनके उत्तर से भी जाहिर होता है कि वहां के अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और ठेकेदारों में तू-तू, मैं-मैं है, झगड़ा है जिसकी शिकायत विधायक ने भी की है क्या सारे मामले की जांच सरकार करायेगी ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, इसमें सहायक अभियन्ता का जिक्र आया ही नहीं है ।

एक सदस्य--

आया है ।

श्री अध्यक्ष--

अधिशासी अभियन्ता का जिक्र है ।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, इस में जो प्रश्न है उसमें सहायक अधिशासी अभियन्ता का जिक्र है ।

श्री अध्यक्ष--

वह ठीक है । अधिशासी अभियन्ता का है सहायक अभियन्ता का नहीं है ।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

उस पद पर कोई आदमी है ही नहीं ।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

मान्यवर, एक प्रश्न है।

आप यही चाहते हैं कि मैं कहूं और आप न सुनें ?

श्री अध्यक्ष--

आपका जब प्रश्न होगा आप को पर्याप्त अवसर मिलेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मेरा प्रश्न तो सारे उत्तर प्रदेश से और आप से है मान्यवर ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

तारांकित प्रश्न]

भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, श्री अम्मार रिजवी द्वारा कालविन इन्टर कालेज, महमूदाबाद, सीतापुर की जमीन पर कथित भवन निर्माण

*१--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि आपातकाल में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री अम्मार रिजवी ने कालविन इन्टर कालेज, महमूदाबाद जनपद सीतापुर की जमीन खरीद कर भवन निर्माण करवा लिया है ? यदि हां, तो वह धनराशि कितनी तथा किस खाते में जमा है ?

श्री काली चरण--

जी नहीं । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम नरायन वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कालेज के बाहर जो मकान इमरजेन्सी काल में बनवाया था उस मकान का प्रयोग कौन कर रहा है, यह किसकी भूमि है ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, आज जो सम्बन्धित प्रश्न है इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि कालविन कालेज की जमीन खरीद करके भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री अम्मार रिजवी ने अपना मकान उस में बनाया है ।

विद्यालय...

श्री अध्यक्ष--

मकान नहीं । उसमें भवन निर्माण करवाया है कालविन कालेज, सीतापुर जनपद की जमीन जरीद कर...

श्री काली चरण--

श्रीमन्, इस प्रश्न में यह है

श्री श्याम धर मिश्र--

श्रीमन्, उसी की जमीन खरीद कर वही मकान बनायेगा ?

श्री काली चरण--

इस प्रश्न में यह है कि कालविन इन्टर कालेज की जमीन खरीद करके भवन निर्माण करवाया । अपने नातेदारों का, रिश्तेदारों, दूसरों का मकान तो कोई बनाता नहीं अपना ही मकान बनाता है तो प्रश्न पूछा गया है उस का उत्तर नकारात्मक है । वर्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया है, उसके उत्तर में कहना है कि एस० डी० एम० वहां के सर्वाधिकार नियंत्रक थ । उनसे विवरण मांगा । उन्होंने सारी फाइल देखकर बताया कि कोई जमीन न खरीदी गयी न बेची गयी है । जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी यही बतायी । अब माननीय वर्मा जी ने कोई

विशेष स्थिति बताई है कि कालेज के कम्पाउन्ड के बाहर जमीन किसकी है, तो इसके भी आदेश कर दिये गये हैं कि सारे खसरा खतौनी को देखकर बताया जाय कि जो मकान बना हुआ है, वह कालेज की जमीन के भीतर है या बाहर है। जमीन खरीदने और बेचने का जहां तक प्रश्न है इसका उत्तर नकारात्मक ही है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

इसमें कोई और अनुपूरक निकलता नहीं। उत्तर स्पष्ट आ गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

एक प्रश्न सुन लें। मेरी सूचना सही मान कर कि कालेज कम्पाउन्ड में आपातकाल के दौरान एक भवन बनाया गया है क्या माननीय मंत्री जी इस आधार पर इस की जांच करायेंगे कि जो भवन बनाया गया है उस में कितना व्यय हुआ है, किसने निर्माण किया है, कालेज से हुआ है या बाहर से हुआ है?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, मैंने बिना माननीय सदस्य के पूछे यह बताया कि माननीय वर्मा जी ने बताया कि कालेज के कम्पाउन्ड के बाहर मकान बना हुआ है। मैंने बताया कि आदेश दे दिये हैं कि खसरा खतौनी से पता किया जाय कि कालेज की जमीन है अथवा किसी दूसरे की। इस जांच के बाद ही जो तथ्य आयेंगे उस पर कार्यवाही की जायगी।

देवरिया जिले के ग्राम परास खण्ड की प्राइमरी कन्या पाठशाला के भवन निर्माण की मांग

*२--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के देसई ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम परास खंड म प्राइमरी पाठशाला (कन्या) के भवन निर्माण की स्वीकृति वर्ष १९७६ में शासन से हुई थी और अभी तक भवन नहीं बना जबकि भवन के निर्माण की धनराशि का भुगतान हो चुका है? यदि हां, तो सरकार इस घोटाले की जांच कराएगी?

श्री काली चरण--

मार्च, १९७२ में जिला परिषद्, देवरिया के ग्रामीण क्षेत्रों के ११५ भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिये ९,७७,५०० रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था और उनके निर्माण का कार्य केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की को सौंपा गया था। जिला परिषद्, देवरिया ने ११५ स्कूलों की जो सूची दी थी उसमें कन्या प्राइमरी पाठशाला, परास खंड, ब्लाक देसई भी सम्मिलित था। जनपद में भवन निर्माण कार्य शुरू होने पर निर्माण कार्य की लागत बढ़ जाने तथा जनपद के बाढ़ग्रस्त इलाके में स्थित भवनों, जिनमें प्रसंगगत भवन भी सम्मिलित था, के अतिरिक्त व्यय के कारण जब निर्माण किये जाने वाले भवनों की संख्या

कम की गई तब उक्त भवन को भी ६ अन्य भवनों के साथ निर्माण किये जाने वाले भवनों की सूची से निकाल दिया गया और इस प्रकार इस स्कूल का भवन नहीं बनाया गया । इस भवन के निर्माण की धनराशि का भुगतान नहीं हुआ है । अतः कोई जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रुड़की संस्थान से अनुबंध के तहत यह भवन निर्माण करने की स्वीकृति दी गयी थी, उसके आधार क्या थे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, आधार जानने के लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

मान्यवर, मेरी यह निजी जानकारी है और मंत्री जी ने अपने उत्तर में भी कहा है कि ११५ विद्यालय के भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी, जिसका अनुबन्ध रुड़की संस्थान से हुआ था । लागत मूल्य बढ़ जाने से रुड़की संस्थान ने कहा कि ६५ विद्यालय बनायेंगे और उनके कागज तैयार करके बेसिक विभाग को दिये लेकिन मौके पर ४५ विद्यालय के भवन ही बने हैं । क्या यह सही है कि ६५ विद्यालय के भवन बनाने की सूचना रुड़की संस्थान ने दी और उसका पैसा भी ले लिया, लेकिन मौके पर ४५ विद्यालय के भवनों का ही निर्माण हुआ है ? क्या इसकी जांच कराकर तथ्यों को प्रकाश में लायेंगे ?

श्री काली चरण--

रुड़की संस्थान को जो रुपया दिया गया था, वह ७२ भवनों के लिए दिया गया था । जब बाद में आगणन हुआ, तो बाढ़ग्रस्त इलाका हो जाने और लागत बढ़ जाने से उस समय की सरकार से जो बात तय हुई, उसमें केवल ६५ विद्यालय के भवनों की बात कही गयी थी । जिन विद्यालयों को निकाल दिया गया उनमें परासखंड विद्यालय भी है । जितना बनाने के लिए दिया गया था, उतने बनाये । कोई ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे मालूम हो कि गोलमाल हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि ६५ के बजाय मौके पर केवल ४५ हैं । क्या यह सही है ?

श्री काली चरण--

४५ की बात तो नहीं है । अगर उनकी सूचना है, तो जांच करा ली जायगी ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि रुड़की संस्थान से देवरिया या अन्य जनपदों में भवनों का निर्माण कराया गया वे सभी भवन क्षति-ग्रस्त हो गये हैं और पढ़ाई नहीं हो रही है ?

श्री काली चरण--

माननीय सदस्य का यह कथन सही है कि जितने भवन संस्थान के बनाये हुए हैं उनमें से अधिकांश इस लायक नहीं रह गये हैं। जिसमें पढ़ाई हो सके और अब उनसे भवन नहीं बनवाये जाते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

११५ की स्वीकृति हुई लेकिन महंगाई बढ़ने से भवन बने कम, तो ७२ से लेकर ७८ तक ५ वर्ष के दौरान अनुपूरक अनुदान इसलिये स्वीकृत होते हैं उनको पूरा कराया जाय, तो सरकार ने जो स्वीकृत कार्य थे उनको पूरा करने के लिये अनुपूरक अनुदान क्यों नहीं दिया ?

श्री काली चरण--

सरकार ने अनुपूरक अनुदान क्यों नहीं दिये इस प्रश्न का उत्तर संभवतः मैं इसलिये नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसका उत्तर मिश्र जी के पास स्वयं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

चाहे किसी सरकार का कार्यकाल हो उत्तर तो वर्तमान सरकार को ही देना होगा इसलिये शिक्षा मंत्री का ऐसा उत्तर देना ठीक नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह--

मंत्री जी की बड़ी कृपा है कि फाइल से सारी बातें नहीं खोल रहे हैं वर्ना मीसा के जमाने की पोल खुल जायगी।

श्री श्यामधर मिश्र--

पोल खोल दें।

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर माननीय मंत्री दे दें कि पहले जितने स्कूल स्वीकृत हुए महंगाई बढ़ने से जब धन कम पड़ गया, तो फिर अनुपूरक बजट की स्वीकृति क्यों नहीं दी गयी ?

श्री काली चरण--

क्यों नहीं दी गयी, यह पहले की बातें हैं। जैसा ऊदल जी ने कहा फाइल से सारी बात खोल कर बतलाना व उत्तर देना उचित नहीं होगा। यह जरूर है कि इन भवनों के बनाने के लिये यह व्यवस्था की गयी है, जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता जायगा वैसे-वैसे प्राइमरी स्कूल बनाने की व्यवस्था की जायगी।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

क्या मंत्री महोदय देवरिया जनपद के इन स्कूलों के भवनों के निर्माण में जो गोलमाल हुआ है उसकी जांच करायेंगे और ग्राम परासखंड में कन्यापाठशाला के भवन निर्माण का सरकार आश्वासन देगी ?

श्री काली चरण--

जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि ४५ विद्यालय ही बने उनकी जांच करा ली जायगी। जहां तक भवन निर्माण का सवाल है, प्रत्येक वर्ष उसके लिये जिलों

को धन आवंटित होता है और जिलों में प्राथमिकता के आधार पर वह भवन बनाये जाते हैं। जहां तक कन्या पाठशाला के भवन का सवाल है, माननीय सदस्य जिले की समिति से सम्पर्क स्थापित कर लेंगे और उसकी यदि बहुत आवश्यकता होगी, तो वह विचार कर लेगी।

प्रतापगढ़ जिले की सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री रेवती रमण सिंह के कमरे में हुयी बैठक में लिया गया निर्णय

*३--श्री विद्याशंकर--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में दिनांक ९ दिसम्बर, १९७७ को श्री रेवती रमण सिंह के कमरे में कोई बैठक जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ तथा जनपद के लगभग सभी विधायकों की मौजूदगी में हुई ? यदि हां, तो उस बैठक में कितनी सड़कें पास की गयी ? क्या पास शुदा सड़कों पर काम हो रहा है ? यदि हां, तो कितनी सड़कों पर काम हो रहा है ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

जी हां।

बैठक में १७ सड़कें पास की गयीं जिसमें से ५ सड़कों पर कार्य हो रहा है।

श्री विद्याशंकर--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो १७ सड़कें पास की गई हैं उनके क्या नाम हैं और ५ सड़कें जिन पर काम हो रहा है उसकी प्रगति क्या है और उसके क्या नाम हैं ?

श्री अध्यक्ष--

अब समय बहुत थोड़ा है। आपने लम्बा प्रश्न किया है। केवल इतना ही बता दें कि उन सड़कों की क्या प्रगति है ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

श्रीमन्, यह जो पांच सड़कें ली गई हैं, इसमें खाद्यान्न योजना २ में दो सड़कें और खाद्यान्न योजना ३ में तीन सड़कें हैं तथा एक सम्पर्क मार्ग योजना में है। मधुपर-लम्बुआ मार्ग, इसकी लम्बाई १० किलोमीटर है जिसमें से १ किलोमीटर लम्बाई इस योजना में स्वीकृत है। इस पर मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरा बिहार-सकरदहा मार्ग है, इसकी लम्बाई ९ किलोमीटर है जिसमें से ७ किलोमीटर मिट्टी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

योजना नम्बर ३ में मधुपुर-सराय रजई-लम्बुआ मार्ग, इसकी १० किलोमीटर लम्बाई है जिसमें से १ किलोमीटर खाद्यान्न योजना २ में और ९ किलोमीटर इस योजना में है। इस पर ६.५० किलोमीटर पर मिट्टी का कार्य हो चुका है शेष मिट्टी का कार्य प्रगति पर है।

लालगंज-जलेसरगंज मार्ग, इसकी लम्बाई ६ किलोमीटर है जिसमें से २.२५ किलोमीटर मिट्टी का कार्य हो चुका है शेष मिट्टी का कार्य प्रगति पर है।

कुण्डा-बेती मार्ग, इसमें ६ किलोमीटर लम्बी सड़क है जिसमें ३ किलोमीटर स्वीकृत है उस पर मिट्टी का कार्य हो चुका है ।

सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत विश्वनाथगंज-मानधाता मार्ग, जिसकी लम्बाई ५ किलोमीटर है, जिसमें ५ किलोमीटर पर मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है २.५० किलोमीटर इण्टरकोट का और ४.२५ किलोमीटर टोप कोट का कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष कार्य प्रगति पर है ।

श्री विद्याशंकर---

मान्यवर, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ३१ मार्च तक जो रुपया स्वीकृत किया गया था वह जब खर्च नहीं हुआ, तो वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उसकी रकम का तारकोल और सीमेंट खरीद लिया, जिससे वहां की सड़कों की प्रगति रुक गई क्या इसकी वह जांच करायेंगे ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, यह जो सड़कें हैं यह सारी की सारी जो हैं इन पर मिट्टी का कार्य होना था, सिर्फ एक संपर्क मार्ग पर इंटरकोट और टोप कोट होना है, जिसमें ४.२५ किलोमीटर इंटरकोट और ५ किलोमीटर टोप कोट का एकत्रीकरण है । यह कार्य पूरा होना है।

श्री विद्याशंकर---

मान्यवर, मैंने पूछा था वहां के जो इंजीनियर थे, उन्होंने सारा पैसा तारकोल और सीमेंट में खर्च कर दिया, जिसके लिए वह रुपया स्वीकृत था, उसमें खर्च नहीं किया । महज इसलिए कि बजट में रुपया स्वीकृत है और खर्च न होने पर जवाब तलब किया जायेगा ।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, पैसा तो इस पर खर्च कर दिया गया ।

श्री संगम लाल--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मान्धाता--विश्वनाथगंज मार्ग के जो अवर अभियंता और सहायक अभियंता हैं उनका स्थानांतरण हो गया है लेकिन उन्होंने कार्यभार नहीं लिया है जिससे वहां डेढ़ महीने से वहां कार्य रुका हुआ है ।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

ऐसी सूचना तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका स्थानान्तरण हो गया होगा, तो दूसरा आदमी कार्य कर रहा होगा ।

कन्या प्राइमरी पाठशाला, अकबरपुर, जिला बहराइच व अन्य कन्या पाठशालाओं की कथित बन्दी के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*४--श्री कमला प्रसाद वर्मा तथा श्री गजाधर प्रसाद (जिला बहराइच)---

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कन्या प्राइमरी पाठशाला, अकबरपुर व अन्य ४ प्राइमरी पाठशालाएं विकास खण्ड, हरिहरपुर रानी, जनपद बहराइच विगत ढाई वर्षों से केवल कागजों में खुली रहीं और वेतन निकलता रहा तथा मौके पर

बन्द हैं जिसके सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना-पत्र फरवरी, १९७८ में बी० एस० ए० महिला, बहराइच तथा माननीय उप शिक्षा मन्त्री को बहराइच जिले के कई माननीय विधायकों ने दी है ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों की जांच कब और किसने की तथा दोषी पाए गए अध्यापक अथवा अध्यापिकाओं के विरुद्ध कौन-कौन कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी नहीं।

कन्या प्राइमरी पाठशाला, अकबरपुर भवन न होने के कारण मजरा पंचपकरी में संचालित है एवं हरिहरपुर रानी म कोई अन्य कन्या प्राइमरी पाठशाला बन्द नहीं है । कार्यरत अध्यापक एवं सेविका को वेतन दिया जाता रहा है ।

जी हां, एक शिकायती-पत्र माननीय विधायक श्री कमला प्रसाद वर्मा द्वारा प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार जांच कराई गई ।

उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका ने दिनांक १४ मार्च, १९७८ को तथा सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका न दिनांक १ अप्रल, १९७८ को स्थलीय जांच की । विद्यालय के खुले रहने की दशा में किसी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

विद्यावती राठौर हायर सेकेण्डरी स्कूल व शकुन्तला कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला बिजनौर के प्रधानाचार्यों का चुनाव

*५--श्री धर्मराज सिंह (जिला हरदोई)--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विद्यावती राठौर हायर सेकेण्डरी स्कूल, पूर्वी नगला, जिला बदायूं और शकुन्तला हायर सेकेन्डरी स्कूल, चान्दपुर, जिला बिजनौर के प्रधानाध्यापकों का चयन शासनादेश दिनांक २३ नवम्बर, १९७६ के अन्तर्गत रोका गया था और ७ दिसम्बर, १९७६ को शासन ने पुनः चयन के निदेश दे दिए थे ? यदि हां, तो आर० आई० जी० एस० (निदेशक मण्डलीय बालिका विद्यालयों) के कार्यालयों में इस सम्बन्ध में विलम्ब किए जाने का क्या कारण है ? चयन का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री कालीचरण--

जी हां। प्रधानाचार्यों के चयन की कार्यवाही निदेशालय के रेडियोग्राम दिनांक २३-११-७६ द्वारा स्थगित की गयी थी एवं दिनांक १०-१२-७६ को पुनः चयन के निर्देश दिए गए थे ।

विद्यावती राठौर हायर सेकेण्डरी स्कूल, पूर्वी नगला, जिला बदायूं में पूर्व प्रक्रिया के अनुसार चयनित प्रधानाचार्या का प्रकरण शासन को निदेशालय द्वारा सम्बन्धित किया गया है जो शासन के विचारधीन है ।

शकुन्तला कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांदपुर, जिला बिजनौर द्वाराविज्ञापन नई चयन प्रक्रिया के अनुसार किया ज चुका है और आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार चुनाव की कार्यवाही की जा रही है जिसके शीघ्र पूर्ण हो जान की सम्भावना है ।

नोट--नियम २८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ४ क उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

[२६ अप्रैल, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[४थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सीतापुर नगर का बाढ़ से सुरक्षा हेतु विचाराधीन योजना

*३—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगर को बाढ़ से बचाने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना क्या है तथा उसके कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री बलबीर सिंह (सिंचाई मंत्री)—

सीतापुर नगर को बाढ़ से सुरक्षा की योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है। तकनीकी राय तथा शेष औपचारिकताओं के पूर्ण होन के पश्चात यदि आवश्यक हुआ तो योजना कार्यान्वित की जायेगी ।

*४—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[१०वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[१०वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

फैजाबाद, अयोध्या शहर में सरयू नदी के घाटों के जीर्णोद्धार की मांग

*६—रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद के अयोध्या शहर में सरयू नदी के घाटों के जीर्णोद्धार अथवा निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ? यदि नहीं, तो क्या अयोध्या की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए सरकार शीघ्र ही इस दिशा में कोई ठोस कदम उठावेगी और यदि हां, तो कब तक ।

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं, जनपद फैजाबाद के अयोध्या शहर में सरयू नदी के घाटों के जीर्णोद्धार अथवा निर्माण की कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है ।

इन्टर कालेज, मटियाली, जिला पौड़ी-गढ़वाल का प्रान्तीयकरण एवं अध्यापकों के वेतन का भुगतान

*७—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब दिनांक १५ जनवरी, १९७७ को इन्टर कालेज, मटियाली, जिला पौड़ी-गढ़वाल का प्रान्तीयकरण हो गया तब किन

विशेष कारणों से ८ माह व्यतीत होने पर भी इस विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा अध्यापकों को वेतन नहीं दिया गया ? इस देरी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री काली चरण—

जी हां। प्रारम्भ में आवश्यक कागजात अपूर्ण होने तथा उचित माध्यम से न प्राप्त होने के कारण ही प्रसंगगत वेतन भुगतान समय से किया जाना संभव नहीं हो सका जो बाद में निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति पर कर दिया गया। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

*८—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]।

*९—श्री रवीन्द्र सिंह—

[दिनांक ५-४-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ३७ द्वारा उत्तरित।]

*१०—श्री रवीन्द्र सिंह—

[१२-४-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ५५ द्वारा उत्तरित।]

हरदोई, नगरपालिका, संडीला के बेसिक शिक्षा परिषद् के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अवशेष वेतन का भुगतान

*११—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जिला हरदोई की नगर-पालिका, संडीला से बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी (सेविकायें) कर्मचारियों का वेतन आयोग द्वारा नवीनतम वेतनमान १९७२ का एरियर का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके दोषी अधिकारी कौन है, तथा भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

श्री कालीचरण—

जी हां। भुगतान कर दिया गया है। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पडरौना (देवरिया) की भूमि एवं भवन निर्माण की मांग

*१२—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पडरौना (देवरिया) के लिए नए भवन के निर्माण हेतु नगरपालिका, पडरौना ने ३.६७ एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर वर्ष १९७३ में शासन के नाम उसे पंजीकृत कर दिया, किन्तु आज तक उक्त भूमि पर विद्यालय को कब्जा नहीं मिला है तथा विद्यालय एक जीर्ण-शीर्ण भवन में चल रहा है जहां कभी भी भवन के ध्वस्त होने का खतरा है ? यदि हां, तो अधिगृहीत भूमि पर शीघ्र नए भवन का निर्माण कराया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

जी हां। प्रसंगगत भूमि पर विद्यालय का कब्जा है जिस पर विद्यालय के नये भवन के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से आगणन तैयार कराया जा रहा

है । अंगणन प्राप्त होने पर आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने की स्थिति में विद्यालय भवन का निर्माण यथासमय सम्भव हो सकेगा ।

*१३—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री राम सजीवन--

[१२वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

शिवदासपुर–भदोही मार्ग, वाराणसी के मोरवा नदी के पुल निर्माण की मांग

*१४—श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवदासपुर, भदोही मार्ग वाराणसी में मोरवा नदी का पुल बहुत ही पुराना एवं सकरा है ? यदि हां, तो उक्त पुल को बनाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) --

जी हां । धनाभाव के कारण इस पुल को पुनर्निर्माण के लिए स्वीकार करना अभी सम्भव नहीं है ।

शिवदासपुर–भदोही मार्ग, वाराणसी के पक्का कराने की मांग

*१५—श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवदासपुर–भदोही मार्ग, वाराणसी का स्थान बड़हरा से भदोही तक डामर का नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो उक्त हिस्से को कब तक डामर से पक्का कर दिया जाएगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां । इस मार्ग को कब तक पक्का किया जा सकेगा, यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

श्री भागीरथी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुराई बाग, जिला रायबरेली की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध थाने में लिखायी गयी गबन की रिपोर्ट

*१६--श्री देवकुमार (जिला बांदा)--

दिनांक १० दिसम्बर, १९७६ के प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या १७, १८ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बताएगी कि श्री भागीरथी उच्चतर माध्यामिक विद्यालय, मुराई बाग (रायबरेली) की प्रबन्ध समिति को भ्रष्टाचार के आरोप में भंग किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण--

प्रकरण विभाग के विचाराधीन है ।

*१७---श्री देवकुमार--

क्या सरकार यह भी बताएगी कि प्रबन्ध समिति द्वारा गबन की गयी रकम की वसूलयाबी के प्रति अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

थाना डलमऊ में प्रथम सूचना दर्ज कराई जा चुकी है जिसके सम्बन्ध में पुलिस जांच कर रही है ।

गोरखपुर शहर के लीज कन्ट्रैक्ट के अन्तर्गत निर्मित भवनों का आवंटन

*१८—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि आपात स्थिति के दौरान शहर में कितने मकानों का आवंटन जो सरकारी अधिकारियों के लिए लीज-कन्ट्रैक्ट के अनुसार बने थे, किन-किन लोगों के नाम किया गया एवं क्यों ? क्या मंत्री जी इन आवंटनों को निरस्त करने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हरिश्चन्द्र—

गोरखपुर शहर में लीज कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत बने भवनों को प्रश्नगत अवधि में जिन व्यक्तियों को आवंटित किया गया उसका विवरण संलग्न है । आवंटन आदेशों से क्षुब्ध व्यक्ति यदि कोई हो, विधिक कार्यवाही सक्षम न्यायालय में करने को स्वतन्त्र हैं । शासन को इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । अतः आवंटन निरस्त किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६२७ पर)

लखनऊ जिले की किला जलालाबाद झील के नाले का निर्माण

*१९—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि लखनऊ जनपद की किला जलालाबाद झील से जो नाला पानी निकासी के लिए मोहनलाल गंज व सिसेड़ी होते हुए सई नदी में गिराने की योजना थी वह नाला अभी अधूरा पड़ा है जिसके फलस्वरूप आस-पास के गांव की हजारों एकड़ की फसल को हर वर्ष नुकसान हो रहा है ? क्या इस विषय पर चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग को दिनांक १३ अप्रैल, १९७७ को गांव वालों का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, की गयी तो क्यों तथा निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री बलबीर सिंह—

लखनऊ जनपद के अन्तर्गत किला जलालाबाद झील से पानी निकालने हेतु एक नाले का प्रस्ताव मोहनलालगंज व सिसेड़ी होते हुए मदारी खेड़ा तक था । मदारी खेड़ा के बाद प्राकृतिक नाले द्वारा स्वतः पानी सई नदी में पहुंच जाता है । प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत इस नाले की पूर्ण लम्बाई में खोदाई कर दी गई है तथा इसके अन्तर्गत पड़ने वाले १३ पक्के कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं । इस विषय में मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को कृषकों द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक १३-४-७७ में दिया गया था जिसकी छानबीन की गयी क्योंकि योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य पूर्ण हो चुके हैं, अतः ड्रेन खुदवाने के विषय में आगे कार्यवाही नहीं की जानी है ।

गोरखपुर के जे० पी० इन्टर कालेज, कम्पीयरगंज के प्रधानाचार्य को रतनपुरा के विद्यालय के प्रबन्धक पद से हटाए जाने की मांग

*२०--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा संहिता एवं नियमावली में यह स्पष्ट निर्देश है कि मान्यता प्राप्त विद्यालय का प्रधानाचार्य किसी अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था का प्रबन्धक नहीं हो सकता है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि गोरखपुर जनपद में कम्पीयरगंज में स्थित इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य दूसरे मान्यता प्राप्त विद्यालय जो सतपुरा में स्थित है, के प्रबन्धक हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा रतनपुरा स्थित विद्यालय के अध्यक्ष को लिखा गया है कि जे० पी० इन्टर कालेज, कम्पीयरगंज के प्रधानाचार्य को हटा कर नियमानुसार अन्य को प्रबन्धक पद पर चुना जाय ।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम बेलासराय गजा के निवासियों का नलकूप संख्या ५२ की पाइप लाइन से सम्बन्धित शिकायत

*२१--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद जनपद के शमशाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नलकूप संख्या ५२ से सम्बन्धित ग्राम बला सराय गजा के निवासियों ने परगनाधिकारी महोदय से उनके शीतकालीन दौरे के समय यह शिकायत की है कि उक्त नलकूप की नालियां बनने के बाद ही सीमेन्ट कम लगाया गया और उसका ढलान सही न होने के कारण बेकार पड़ी हैं और उक्त नालियों से सिंचाई नहीं हो पा रही है ? क्या इस सम्बन्ध में परगनाधिकारी ने दिनांक १२ जनवरी, १९७८ को अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, फतेहगढ़ को एक पत्र भी भेजा है ? यदि हां, तो अभी कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण है ? जांच कब और किसके द्वारा करवाई गई ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां ।

दिनांक २०-३-७८ को नलकूप संख्या ५२ पर जांच सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, जिलेदार द्वारा सम्मिलित रूप से करायी गयी थी । नलकूप पर नालियों का निर्माण नहीं हुआ है । नलकूप पर पाइप लाइन जमीन के अन्दर बिछाई गई है, जबकि निर्धारित मापदन्ड के अनुसार है जिससे सीमेन्ट की मात्रा ठीक पायी गयी । पाइप लाइन का ढलान सही है और बेकार नहीं पड़ी है क्योंकि पाइप लाइन की टेल तक १३८५ रबी फसल में सिंचाई हुई है ।

*२२--श्री रियासत हुसैन--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

*२३--श्री रियासत हुसैन--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

सीतापुर जिले के काल्विन इन्टर कालेज, महमूदाबाद एवं किसान इंटर कालेज, सरैया के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२४--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काल्विन इन्टर कालेज, महमूदाबाद तथा किसान इन्टर कालेज, सरैया, जनपद सीतापुर के प्रधानचार्यों के खिलाफ वहां की क्षेत्रीय जनता तथा विधायक ने अभियोग पत्र जुलाई, १९७७ से नवम्बर, १९७७ तक दिए थे ? यदि हां, तो उनकी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जिले के ग्राम धोबहा टोला अमहवा से अकबरपुर के बांध का टेस्ट वर्क के अन्तर्गत निर्माण

*२५--श्री विश्वनाथ पांडेय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत तहसील डुमरियागंज में राप्ती के बायें किनारे पर ग्राम धोबहा टोला अमहवा से ग्राम अकबरपुर तक वर्ष १९७७ में एक बांध टेस्ट वर्क के अन्तर्गत ड्रेनेज विभाग की ओर से बनाया गया है ? यदि हां, तो वह कार्य कितने अंश तक हो चुका, कितना धन व्यय किया गया, शेष कार्य के पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां, ग्राम अकबरपुर में ६०० मीटर लम्बाई में एक डिप्रेशन में बांध १९७७ से बाढ़ के दौरान टेस्ट वर्क की धनराशि से बनाया गया है । इस पर १४,९४४ रुपए का कार्य हुआ है । कार्य को इसलिए रोकना पड़ा कि कुछ कृषकों ने आपत्ति की थी । इस स्पिल से मामूली बाढ़ में भी पानी उतर कर आबादी को घेर लेता था । इसको रोकने के लिए कुछ कार्य किया गया था । इस क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित करने की योजना का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।

बस्ती जिले के टिनिच-दुबौलिया मार्ग के सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरण एवं मनोरमा तथा रवई नदी पर पुल निर्माण की मांग

*२६--श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद की टिनिच-दुबौलिया मार्ग जिला परिषद् से सार्वजनिक निर्माण विभाग में हस्तान्तरित होने के आदेश सन् १९७५ में ही शासन ने दे दिया था ? यदि हां, तो अब तक जिला परिषद् बस्ती में सार्वजनिक निर्माण विभाग को क्यों नहीं हस्तान्तरित किया और कब तक हस्तान्तरित कर दिया जायगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

टिनिच-दुबौलिया मार्ग को जिला परिषद् द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने के आदेश दिनांक १ अक्तूबर, १९७४ को दिए गए थे ।

जिला परिषद् का यह मार्ग निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद सुविधानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने के आदेश थे। यह मार्ग अभी निर्माणाधीन है और निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

*२७—श्री ओम प्रकाश—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद का टिनिच-दुबौलिया मार्ग तथा उससे सम्बन्धित मनोरमा एवं रवई नदी के पुलों का निर्माण शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक निर्माण हो जाने की आशा है?

श्री मोहम्मद असूद खां—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कुमारी मेहबूब-उल-निसां, प्रधानाध्यापिका, जूनियर हाई स्कूल, दबकैया, आगरा को स्नातक वेतनक्रम दिए जाने की मांग

*२८—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या (कुमारी) मेहबूब-उल-निसां प्रधानाध्यापिका, जूनियर हाई स्कूल, दबकैया, मालवीयकुंज, आगरा को सन् १९७२ से स्नातक वेतनक्रम में न तो वृद्धियां ही दी गयी हैं और न उन्हें पुनरीक्षित वेतन-क्रम में वेतन निर्धारण नहीं किया गया है? यदि हां, तो वेतन वृद्धि न मिलने तथा नवीन वेतनक्रम में निर्धारण न होने का क्या कारण है तथा इस गड़बड़ी के लिए किसका उत्तरदायित्व है?

श्री काली चरण—

परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापिका को स्नातक वेतनक्रम अनुमन्य नहीं है। इसी कारण न तो उन्हें स्नातक वेतनक्रम में वेतन वृद्धि दी गई न स्नातक वेतनक्रम में उनका वेतन निर्धारण ही किया गया।

परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के पद के लिए वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर निर्धारित वेतनक्रम के सम्बन्ध में कु० मेहबूब-उल-निसां से विकल्प मांगा गया था जो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। वर्णित स्थिति में उनके वेतन निर्धारण के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।

मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के सहायक अभियन्ता की सेवा समाप्ति

*२९—डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद तथा उससे सम्बद्ध योजनाओं के अन्तर्गत आपात स्थिति के दौरान कितने और कौन-कौन से लोगों को नौकरी से हटाया गया अथवा उत्पीड़ित किया गया? ऐसे लोगों को पुनः उनके पद पर रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री काली चरण—

मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद एक स्वशासी संस्था है, जिसके प्रशासन के लिए एक प्रशासकीय परिषद् गठित है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त संस्था तथा उससे सम्बद्ध योजनाओं के अन्तर्गत केवल एक व्यक्ति जो सहायक अभियन्ता थे, की सेवायें, उपरोक्त अवधि में समाप्त की गई थीं । किन्तु उसका आपात स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं था । अतएव उन्हें पुनः सेवा में लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उक्त अवधि में उत्पीड़न की कतिपय शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन पर संस्था की प्रशासकीय परिषद् द्वारा जांच की जा रही है ।

सीतापुर जिले के बकुवा झील के जल निकासी हेतु बांध का निर्माण

*३०—श्री राम नरायण वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर में बांध गलत बनने के कारण अकबा झील का पानी निकलना बन्द हो गया है जिससे कई गांव की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाने की कृपा करेगी ?

श्री बलबीर सिंह—

कथि पूर्णतया तकनीकी तथ्यों के आधार पर सही स्थान पर बनाया गया है । इस प्रोजेक्ट में रेगुलेटर निर्माण का प्राविधान है परन्तु उसे स्थानीय जनता द्वारा तीव्र विरोध के कारण नहीं बनाया जा सका जिससे बकुवा झील का पानी कुछ समय के लिए रुक गया था ।

पुलिस की सहायता से बांध को एक स्थान पर काटकर दिनांक ६ अगस्त, १९७७ को रुका हुआ पानी निकाल दिया गया । जल जमाव के स्थायी निदान हेतु बांध के ९·४५ कि० मी० पर रेगुलेटर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

उद्योग निदेशक द्वारा पम्पिंग सेटों के पुर्जों का निर्धारित रेट कान्ट्रैक्ट और नलकूप विभाग द्वारा रेट कान्ट्रक्ट के आधार पर पुर्जों की खरीद

*३१—श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक २० सितम्बर, १९६८ को श्री रामदयाल, अधीक्षण अभियन्ता, एक्यूपमेन्ट ने उद्योग निदेशक, कानपुर को एक पत्र द्वारा सरकार के इस निर्णय की सूचना दी कि भविष्य में पम्पिंग सेटों के पुर्जे मूल निर्माताओं से ही क्रय किए जावेंगे अतः जोन्सान, ज्योतिगर्नरोब तथा प्रोटोस आदि मुख्य फर्मों द्वारा निर्मित पुर्जों का रेट कांट्रेक्ट निश्चित कर दिया जाय ? यदि हां, तो इन फर्मों के कौन-कौन से पुर्जों का रेट कान्ट्रेक्ट उद्योग निदेशक द्वारा निश्चित किया गया ? क्या मन्त्री जी इन पुर्जों के रेट कान्ट्रेक्ट की अन्तिम संशोधित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां । उद्योग निदेशक द्वारा इन फर्मों द्वारा निर्मित पम्पों के जिन पुर्जों का रेट कान्ट्रेक्ट किया गया उनमें कुछ मुख्य पुर्जों की सूची संलग्नक-१ में है ।

इन पुर्जों में कुछ पुर्जों के रेट कान्ट्रैक्ट की अन्तिम संशोधित सूची, जो उपलब्ध है, उनके नोटिफिकेशन का विवरण संलग्नक–२ में है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६२६ पर)

*३२—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि गत पांच वर्षों में नलकूप विभाग द्वारा कितने रुपयों के पुर्जे उपरोक्त फर्मों से इस प्रकार निर्धारित रेट कान्ट्रैक्ट द्वारा खरीदे गए तथा कितने रुपए के पुर्जे अन्य निर्माताओं से उपरोक्त रेट कान्ट्रैक्ट का उल्लंघन करके खरीदे गए ? इस उल्लंघन के क्या कारण हैं ?

श्री बलबीर सिंह—

उक्त फर्मों ज्योति, प्रोटास से सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित रेट कान्ट्रैक्ट पर वर्ष १९७२–७३ से १९७६–७७ तक १५,८१,८६३.७० रु० की लागत के पुर्जे खरीदे गए। उपरोक्त आंकड़ों में लिफ्ट सिंचाई मंडल, वाराणसी की सूचना सम्मिलित नहीं है क्योंकि उनके अभिलेख सतकता अधिष्ठान में है । उक्त पांच वर्षों में रेट कान्ट्रैक्ट का उल्लंघन करके विभाग ने कोई पम्पों के पुर्जे नहीं खरीदे हैं ? इनमें निम्नलिखित मण्डलों की सूचना उपलब्ध नहीं है :—

१—डाल सिंचाई मण्डल, वाराणसी	अभिलेख सतर्कता अधिष्ठान में है ।
२—नलकूप मण्डल, मेरठ	सूचना एकत्र की जा रही है ।
३—नलकूप मण्डल, लखनऊ	सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रभारी सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग के पदों पर सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति

*३३—श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा प्रभारी सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के पदों पर नियुक्तियां बिना डी–कैटगरी (लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे स्थायी पदों पर नियुक्ति) के सहायक अभियन्ता को उनका कोटा दिए बिना की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं ।

शासनादेश के आधार पर सहायक अभियन्ता से प्रभारी सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु कोई कोटा निर्धारित नहीं है ।

बांदा जिले में केन कैनाल की बबेरू रजबहा क्षेत्र के किसानों पर लगाया गया तावान

*३४—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में केन कैनाल की नहरों के बबेरू रजबहा से सिंचित गांव कोरंम, भदेई अछाह, दपतरा, एकौना, बछौघा, कोरंही, बाधा, पारा, पवई आदि के किसानों पर सन् १९७६ में सिंचाई दर के अलावा चार गुना तावान लगाकर लाखों रुपयों की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मन्त्री जी से ५ दिसम्बर, १९७७ को नेलथू (बांदा) के दौरे के

समय किसानों ने इस सम्बन्ध में शिकायत की थी और उसको खत्म करने की मांग की थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलबीर सिंह--

गांव बछोघा, पारा, पवई को छोड़कर शेष सभी गांव पर सिंचाई कर के अलावा तावान लगाया गया ।

इस सम्बन्ध में जो भी शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं उन पर जांच की जा रही है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*३५--श्री बशीर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उनके विभाग में ऐसे नियमित कर्मचारियों को, जिनकी सेवायें तीन साल या इससे अधिक की हो चुकी हैं, अब तक स्थायी न किए जाने का क्या कारण है तथा क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को स्थायी किए जाने हेतु अविलम्ब आदेश पारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट प्राविधान में अत्यधिक कमी हो जाने के कारण वर्ष १९७४-७५ तथा वर्ष १९७५-७६ में विभाग का कार्यभार बहुत कम हो गया जिसके फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में स्टाफ फालतू हो गया था । अब विभाग का कार्यभार बढ़ रहा है और तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके नियमित कर्मचारियों के स्थायीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

मझगांवा-मगहा-जानीपुर एवं मगहा-गोला मार्ग के निर्माण की मांग

*३६--श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

विधान सभा के प्रथम सत्र १९७८ के पहले बुधवार के लिए उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या १८ के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि मझगांवा से (मगहा) नर होकर जानीपुर तक कोई मार्ग बनवाने का प्रस्ताव स्वीकार करने का कष्ट करेंगे और साथ ही मगहा से गोला थाने को सीधे जोड़ने के लिए प्रस्तावित मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब से काम शुरू होगा और यदि नहीं, तो इन दोनों मार्गों के महत्व और इस क्षेत्र में सड़कों की कमी को देखते हुए क्या इस पर विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

प्रस्तावित मार्गों का निर्माण स्वीकार करना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

विवाह एवं सामाजिक समारोहों हेतु चीनी के आवंटन की मांग

*३७--श्री कल्पनाथ सिंह--

विधान सभा के १९७८ के प्रथम सत्र के प्रथम सोमवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १९७६-७७ की जो २४,५२,३७१ कुन्टल चीनी बची हुई है उसके बावजूद भी

शादी या अन्य सामाजिक समारोहों के लिए स्पेशल परमिट की व्यवस्था इस वर्ष सरकार ने चीनी के अभाव के कारण बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका कारण बताएगी कि चीनी रहते हुए परमिटों के लिए चीनी क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री हरिश चन्द्र--

चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी तथा उसके स्टाक के निस्तारण पर प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। भारत सरकार द्वारा प्रतिमास प्रत्येक प्रदेश के लिए फ्री-सेल तथा लेवी चीनी का कोटा रिलीज किया जाता है। इस कारण चीनी मिलों के पास १९७६-७७ के अवशेष स्टाक का उपयोग प्रदेश सरकार द्वारा विवाहों अथवा अन्य सामाजिक समारोहों के लिए आवंटन हेतु नहीं किया जा सकता।

मुरादाबाद के भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, श्री माजिद अली सिद्दीकी के विरुद्ध फर्जी भुगतान की जांच

*३८--श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, देहरादून (श्री माजिद अली सिद्दीकी) जो १९७१-७२ में मुरादाबाद में थे, के विरुद्ध डबरा-साइफन पर रेत भराई के फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में विभागीय जांच कमेटी ने ५०,००० रुपए का फर्जी भुगतान पाया ? यदि हां, तो क्या यह धन उपरोक्त अधिकारी से वसूल किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाएगी ?

श्री बलबीर सिंह--

जी नहीं।

विभागीय जांच कमेटी द्वारा प्रश्नगत मामले में फर्जी भुगतान नहीं पाया। इस मामले की नये सिरे से जांच के आदेश मुख्य अभियंता को दिए जा रहे हैं।

एन० सी० सी० विभाग में खजांची के कार्य का सम्पादन एवं नियुक्ति

*३९--श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एन० सी० सी० विभाग में निदेशक महोदय ने बिना शासन की पूर्व स्वीकृति या अनुमति से शासनादेश संख्या ए-१-१८४/१०-४(१)-१९६१, दिनांक ३ मार्च, १९६२ में निर्धारित नीति के विरुद्ध सन् १९७५ में अपने आदेश द्वारा विभाग में कार्यरत लेखाकारों को खजांची के कर्तव्यों को भी सौंप दिया ? यदि हां, तो क्यों तथा उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

एन० सी० सी० विभाग में खजांची का कार्य सैनिक अधिकारी स्वयं करते हैं, जो आहरण तथा वितरण अधिकारी होते हैं। लेखाकार केवल उनकी सहायता करते हैं। निदेशक के वर्ष १९७५ के आदेश शासन देश संख्या ए-१-१८४/१०-४(१)-१९६१, दिनांक ३ मार्च, १९६२ में निर्धारित शासन की नीति के विरुद्ध नहीं हैं। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*४०—श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

[८वें बुधवार के लिए स्थगित]

*४१—श्री दशरथ सिंह—

[८वें बुधवार के लिए स्थगित]

बांदा जिले में गुन्ता नाला बांध योजना में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*४२—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में गुन्ता नाला बांध योजना के लिए किसानों की भूमि कितनी और कब-कब अध्याप्त की गई ? क्या उस भूमि का मुवाअजा उन्हें दे दिया गया है ?

श्री बलबीर सिंह—

इस योजना के लिए किसानों की कुल १६७४-७८ एकड़ भूमि दिसम्बर, ७६ से फरवरी, ७७ की अवधि में अध्याप्त की गई है।

जी नहीं ।

गैर सरकारी स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्रवक्ता की नियुक्तियों पर शासन द्वारा लगाया गया कथित प्रतिबन्ध

*४३—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के गैर सरकारी स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद की नयी नियुक्तियों के लिए प्रवक्ता के वर्कलोड (पीरियड) का क्या आधार निर्धारित किया गया है और क्या इन महाविद्यालयों में शासन द्वारा वेतन संदाय प्रणाली लागू होने से पूर्व महाविद्यालय छात्रों की संख्या के आधार पर नयी नियुक्तियां कुलपति की स्वीकृति के पश्चात् किया करते थे, परन्तु अब शासन द्वारा इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री काली चरण—

गैर सरकारी स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद पर नयी नियुक्तियों के लिए वर्कलोड या छात्र संख्या का कोई आधार शासन द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि प्रवक्ता पद पर नियुक्तियां अधिनियम/परिनियमों के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति पर कुलपति के अनुमोदन के पश्चात् की जाती हैं न कि वर्कलोड के आधार पर । शासन द्वारा उक्त संस्थाओं में वेतन संदाय प्रणाली लागू होने पर कुलपति के अनुमोदन के पश्चात् की जाने वाली नयी नियुक्तियों के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ।

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की हड़ताल एवं उनकी समस्यायें सुलझाने का प्रयास

*४४—श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर) —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की हड़ताल वापस हो जाने के बाद सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार

पर उनके प्रतिनिधियों से वार्ता करके उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी नहीं । क्योंकि अध्यापकों के प्रतिनिधियों से पुनः वार्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई ।

*४५--श्री रफी उल्लाह--

[८वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के तदर्थ नियुक्त सहायक अभियन्ताओं का नियमितीकरण

*४६--श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ३ वर्ष से अधिक सेवारत तदर्थ सहायक अभियन्ताओं के नियमितीकरण हेतु अभियन्ता संघ के प्रतिनिधियो को दिनांक ३१ जनवरी, १९७८ तक नियमित करने हेतु उन्होंने आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अब तक नियमित क्यों नहीं किया गया ? सरकार तदर्थ सहायक अभियन्ताओं के नियमितीकरण में अभी कितना समय और लगने की सम्भावना है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तदर्थ नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के नियमितीकरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

लखीमपुर खीरी जिले में एम० काम० की शिक्षा की व्यवस्था की मांग

*४७--श्री नरेश चन्द्र--

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि लखीमपुर खीरी जनपद में एम० काम० की पढ़ाई की कोई व्यवस्था न होने के कारण वहां के छात्रों को सैकड़ों मील दूर बरेली या लखनऊ जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है और केवल सम्पन्न लोग ही अपने लड़के व लड़कियों को पढ़ा पाते हैं ? यदि हां, तो क्या इस कठिनाई को देखते हुए लखीमपुर में भी एम० काम० कक्षायें प्रारम्भ किए जाने का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कक्षायें प्रारम्भ की जायेंगी ?

श्री काली चरण--

अगले शिक्षा सत्र के लिए विचार किया जायेगा ।

खीरी जिले में राजकीय माध्यमिक शिक्षकों की दक्षता रोक का मामला

*४८—श्री नरेश चन्द्र—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय माध्यमिक शिक्षकों की दक्षता रोक के कितने मामले खीरी जनपद के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में पड़े हुये हैं, उनमें कितने तीन वर्ष से अधिक के हैं। ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कालीचरण—

दक्षता रोक का केवल एक मामला एक वर्ष से अधिक की अवधि से लम्बित है।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मामले का निस्तारण करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं की मांगों पर विचारार्थ गठित समिति की रिपोर्ट

*४९—श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अभियन्ता विभागों में अभियन्ताओं की मांगों पर विचार करने हेतु कोई समिति सन् १९७४ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी थी ? यदि हां, तो उस कमेटी की रिपोर्ट की परिधि क्या थी ? शासन को रिपोर्ट कब प्राप्त हुई तथा उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? क्या शासन उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां।

कमेटी को निम्नांकित पहलुओं पर विचार कर अपनी संस्तुति देनी थी :—

(१) सहायक अभियन्ताओं की तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करना तथा भविष्य में ऐसी नियुक्तियों के नियमितीकरण के लिए नीति निर्धारित करना,

(२) अभियन्ताओं को उनकी कैरियर वैल्यू को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध वेतनमान देने के विषय में संस्तुति देना।

उपरोक्त कमेटी के वर्किंग ग्रूप की रिपोर्ट २८ मई, १९७४ को शासन को प्राप्त हुई। रिपोर्ट अभी शासन के विचाराधीन है। इस समय रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना जनहित में उचित न होगा।

शारदा नहर खण्ड, उन्नाव के ठेकेदार, श्री भगवान दीन के बिल का भुगतान

*५०—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह जानकारी है कि खण्ड शारदा सहायक नहर, उन्नाव द्वारा मार्च, १९७६ में मिट्टी की खुदाई हेतु विभिन्न ठेके लिखित तथा मौखिक वर्क आर्डर पर दिए गए थे और ठेकेदार (श्री भगवान दीन) ने १२८७६१४ घन फुट मिट्टी की खुदाई का कार्य सम्पन्न किया था, लेकिन अभी तक उक्त ठेकेदार का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित ठेकेदार ने इस सम्बन्ध में १५ अक्तूबर, १९७६ से नवम्बर, १९७७ तक अनेकों प्रार्थना-पत्र मुख्य मन्त्री, सिंचाई मन्त्री, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, उत्तर प्रदेश, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ आदि को प्रेषित किये ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलबीर सिंह—

शारदा नहर खण्ड, उन्नाव द्वारा मार्च, १९७६ में किसी कार्य का ठेका मौखिक वर्क आर्डर पर नहीं दिया गया। मिट्टी की खुदाई हेतु विभिन्न कार्य लिखित वर्क आर्डर पर ही कराये गये थे। श्री भगवान दीन, ठेकेदार ने १२८७६१४ घनफुट नहीं बल्कि ४,६४३.५६ घन मीटर मिट्टी का कार्य किया था, जिसका भुगतान उन्हें किया जा चुका है।

जी हां।

प्रार्थना-पत्रों पर अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर खण्ड, उन्नाव द्वारा ठेकेदार की उपस्थिति में जांच करायी गयी थी तथा आरोप निराधार पाये गये। ठेकेदार को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था।

पी० सी० एस० (शिक्षा) की पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण

*५१—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० सी० एस० की सम्मिलित परीक्षा जो सन् १९७५ में ली गई थी, जिसका परिणाम पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दिसम्बर, १९७६ में घोषित किया गया था, के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक ८ फरवरी, १९७८ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कालीचरण—

माननीय सदस्य का एक पत्र दिनांक ७ फरवरी, ७८ प्रसंगत प्रकरण में प्राप्त हुआ था। अभ्यर्थियों के आचरण एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन तथा स्वास्थ्य परीक्षा की कार्यवाही तत्परतापूर्वक कराई जा रही है, जिसके उपरान्त ही प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाना सम्भव होगा।

राजकीय बाल भवन संस्थान, शाह मीना रोड, लखनऊ में शिक्षा का स्तर

*५२—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालभवन संस्थान, शाहमीना रोड, लखनऊ में किस स्तर तक की शिक्षा दी जाती है, इसमें इस समय कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और किस-किस स्तर के हैं और भविष्य मे इसके विस्तार की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कालीचरण—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जिला परिषद्, वाराणसी के शिक्षा विभाग के लिपिकों में अनुसूचित जाति का आरक्षण

*५३—श्री बलदेव (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला परिषद्, वाराणसी में २० से अधिक स्थान सहायकों के हैं, जिसमें एक भी हरिजन नियुक्ति नहीं है ?

यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या हरिजनों को आरक्षण के अनुपात में सरकार स्थान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कालीचरण--

जिला परिषद्, वाराणसी के शिक्षा विभाग की इकाई में २० सहायक लिपिकों एवं एक प्रधान लिपिक का पद है जो अब बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन है। इन पदों में से किसी पद पर अनुसूचित जाति का व्यक्ति नियुक्त नहीं है। इन पदों पर नियुक्तियां, एक को छोड़कर, जिला परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व की गई थी। अब सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण के नियम बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में भी लागू कर दिए गए हैं। अतः भविष्य में रिक्तियां होने पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भी नियमानुसार नियुक्त किया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री देव कुमार यादव--

[६ठे गरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बेसिक शिक्षा परिषद्, बांदा के अध्यापकों का स्थानान्तरण एवं ली गयी कथित रिश्वत

२--श्री देवकुमार--

क्या यह सही है कि बांदा जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत अध्यापक के तबादले में उप जिला विद्यालय निरीक्षक एवं प्रति उप-जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा चालू वर्ष में भारी रिश्वतें ली जा रही है जिसकी बाबत शासन को शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण--

शासन को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। फिर भी इस विषय में निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवश्यक जांच कर यथोचित कार्यवाही करें।

माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगें

३--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षक संघ की क्या मांगें हैं और इन पर सरकार ने क्या विचार किया है तथा १७ दिसम्बर, १९७७ तक प्रदेश में कुल कितने अध्यापक गिरफ्तार किए गए हैं ?

श्री काली चरण--

माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगें संलग्नक में अंकित हैं। इनमें से कुछ मांगे स्वीकार कर ली गई हैं, कुछ विचाराधीन हैं और कुछ को स्वीकार करना

सम्भव नहीं है । १७ दिसम्बर, १९७७ तक प्रदेश में कुल ७७०७ अध्यापक गिरफ्तार किये गये थे ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६३२ पर)

ड्रेनेज प्रखंड, बस्ती द्वारा खरीदे गये स्टोन बोल्डर में कमी

४—श्री सुखपाल पान्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खन्ड बस्ती में सन् १९७२-७३, १९७३-७४, १९७४-७५ में कुल कितने स्टोन बोल्डर (पत्थर) विक्रमजोत पर खरीदा गया ? कितना पत्थर नदी में डाला गया तथा कितने पत्थरों की कमी पाई गई और कौन अधिकारी तथा कर्मचारी जिम्मेदार ठहराए गए ? क्या सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिए सोच रही है ?

श्री बलबीर सिंह—

केवल वर्ष १९७३-७४ में ड्रेनेज प्रखंड बस्ती में विक्रमजोत पर १,३२,८७५.८२ घनफुट स्टोन बोल्डर खरीदा गया । इसमें से वर्ष १९७३-७४ तथा १९७४-७५ में १,०३,५२७ घनफुट स्टोन बोल्डर का उपयोग किया गया तथा २९,४३८.८२ घनफुट स्टोन बोल्डर की कमी पायी गयी । इस मामले की जांच अधिशासी अभियंता द्वारा करायी गई थी । जिसके फलस्वरूप श्री अताउल्लाह कुरैशी, सहायक अभियंता तथा श्री सच्चिदानन्द तिवारी, अवर अभियन्ता को दोषी पाया गया । इस मामले में आगे कार्यवाही की जा रही है ।

बिजनौर जिले के ग्राम मिट्ठीपुर में नलकूप का छिद्रण

५—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि जिला बिजनौर, परगना बढ़ापुर, तहसील नगीना, ग्राम मिट्ठीपुर में राजकीय नलकूप का पहला छिद्रण (बोरिंग) असफल होने पर दूसरी बोरिंग मार्च, १९७५-७६ में सफल हो गया है ? यदि हां, तो कब तक इस नलकूप से वहां के काश्तकारों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां ।

काश्तकारों को सिंचाई के लिये पानी मिलने लगा है ।

श्री मुन्ना लाल अग्रवाल, अवकाश प्राप्त प्रवक्ता, महाराज अग्रसेन इन्टर कालेज, आगरा का वेतन

६—श्री श्याम दत्त पालीवाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय के अनुसार तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा एवं उप शिक्षा संचालक आगरा मन्डल, आगरा की संस्तुतियों के पश्चात् भी श्री मुन्ना लाल अग्रवाल अवकाश प्राप्त प्रवक्ता, महाराजा अग्रसेन इन्टर कालेज, आगरा को अभी तक १ अप्रैल, १९६४ से ३१ मार्च, १९७१ तक का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो वेतन प्राप्त न होने का क्या कारण है ?

श्री कालीचरण--

जी हां ।

१ अप्रैल, १९७१ के पूर्व से वेतन दिये जाने का दायित्व शासन पर नियमानुसार नहीं था और न हीं उच्च न्यायालय अथवा उप शिक्षा संचालक, जिला विद्यालय निरीक्षक का कोई आदेश ही शासन के प्रति उपरोक्त वेतन की अदायगी का था । शासन को दिये गये विधिक परामर्श के अनुसार श्री अग्रवाल को शासन द्वारा कोई धनराशि इस सम्बन्ध में देय नहीं है ।

देवरिया जिले में सड़कों का निर्माण

७--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में वर्ष १९७६-७७ में कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकार किया गया था तथा कितनी दूरी तक ये सड़कें बनीं अब शेष कार्य कब तक पूरा होगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जिला देवरिया में वर्ष १९७६-७७ में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये मार्गों के नाम स्वीकृत लम्बाई तथा वर्ष १९७६-७७ के अन्त तक पूरी की गयी लम्बाई संलग्न तालिका में दर्शायी गयी है । शेष कार्य पूरा करने की तिथि इंगित करना सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६३४ पर)

देवरिया जिले के साहबगंज-मुरली-छपरा मार्ग का निर्माण

८--श्री श्रीनारायण--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कप्तानगंज-नौरंगिया मार्ग से सम्बन्धित साहबगंज-मुरली-छपरा बाई-पास का निर्माण कब स्वीकृत हुआ ? कितना काम हो चुका है, उस पर कुल कितना खर्च हुआ ? तथा बाई-पास कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

साहबगंज-मुरली-छपरा मार्ग (लम्बाई ६.३० कि० मी०) में से ३.२२५ कि० मी० लम्बाई में मिट्टी का कार्य टेस्ट वर्क की योजना के अन्तर्गत वर्ष १९७३-७४ में स्वीकृत किया गया था इस पर ६३,९०० रुपये व्यय हुये हैं । यह मार्ग किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कालेज, बस्ती के अध्यापक श्री योगेन्द्र नाथ पान्डेय के वेतन का भुगतान

९--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय (जिला बस्ती)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गनपति प्रसाद पान्डे, ग्राम महुलानी, जिला बस्ती ने मुख्य मन्त्री के यहां प्रार्थना-पत्र दिया है कि बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कालेज, नौगढ़, बस्ती के प्रबन्धक श्री राम शंकर मिश्रा ने उनके लड़के श्री

योगेन्द्रनाथ पान्डे को एक मई, १९७७ को अपने विद्यालय में नियुक्त किया और १६ सितम्बर, १९७७ तक उनसे काम लिया परन्तु उनको वेतन नहीं दिया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कालीचरण--

जी हां ।

नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

लखनऊ-कानपुर रोड पर बारा बिरवा से भोला खेड़ा सड़क के निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र

१०--श्री कृष्णा राय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ-कानपुर रोड पर स्थित बारा बिरवा से (सुभाष नगर) भोला खेड़ा तक जाने वाली सड़क के निर्माण हेतु माह अक्तूबर, १९७७ तथा इसके पूर्व वहां की जनता तथा विधायकों द्वारा कितने आवेदन-पत्र निर्माण हेतु प्राप्त हुये हैं ? उन पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही इस सम्बन्ध में की है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जनवरी, १९७७ से अक्तूबर, १९७७ तक कुल तीन पत्र प्राप्त हुए थे । उनमें प्रस्तावित मार्ग का निर्माण स्वीकार करना संभव नहीं हुआ ।

सिंचाई खंड सुल्तानपुर के अन्तर्गत नहरों का निर्माण

११--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नई नहरों के निर्माण में जिन तकनीकी नियमों का पालन करना आवश्यक है क्या सिंचन खंड, सुल्तानपुर की नई नहरों के निर्माण में उपरोक्त नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां । सिंचाई खंड सुल्तानपुर के अन्तर्गत नई नहरों का निर्माण तकनीकी नियमों का पालन करते हुये यथासम्भव कराया जा रहा है । किसी विशेष नहर के निर्माण में तकनीकी नियमों का पालन न किये जाने का कोई मामला सामने नहीं आया ।

सिसवां बाजार, गोरखपुर में मिट्टी के तेल के थोक विक्रेता की नियुक्ति की मांग

१२--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के सिसवां बाजार के दो थोक मिट्टी तेल विक्रेताओं ने वर्षों से तेल मंगाना बन्द कर दिया है जिससे मिट्टी तेल का अभाव हो रहा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री हरिशचन्द्र—

गोरखपुर के सिसवा बाजार के दो थोक मिट्टी तेल विक्रेताओं ने कई वर्ष से तेल मंगाना बन्द कर दिया है। इस क्षेत्र के फुटकर तेल लाइसेन्सी गोरखपुर व धुधली के थोक विक्रेताओं से तेल प्राप्त करते हैं। मिट्टी के तेल के एजेन्ट की नियुक्ति भारतीय तेल निगम द्वारा की जाती है। जिला पूर्ति अधिकारी गोरखपुर के कार्यालय द्वारा सिसवा बाजार में एक थोक विक्रेता नियुक्त करने की संस्तुति दिसम्बर, १९७७ में की जा चुकी है।

१३—श्री राम नरायन वर्मा तथा श्री दीनानाथ सेवक—

[दवें बुधवार में अतरांकित प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बस्ती जिले में बाढ़ से प्रभावित गांव

१४—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में विगत बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाने से कितने ग्राम प्रभावित हुए और उनमें कितने-कितने का नुकसान हुआ ? क्या सरकार बाढ़ से प्रभावित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलबीर सिंह—

बस्ती जिले में विगत बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण कुल ६६४ ग्राम प्रभावित हुये थे। बाढ़ के कारण उन गावों म लगभग ३.६४ करोड़ की फसल की हानि होन का अनुमान है। गांवों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी सूची तथा प्रत्यक गांव में फसल की हानि का विवरण सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है।

मिर्जापुर, तहसील दुद्धी के अन्तर्गत आपातकाल में व्यापारियों पर चलाया गया मुकदमा

१५—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल में मिर्जापुर जनपद दुद्धी तहसील के कितने व्यापारियों पर खाद्य निरीक्षक एवं परगना अधिकारी द्वारा मुकदमा चलाया गया है ? क्या सरकार इन मुकदमों को वापस करेगी ?

श्री हरिशचन्द्र—

आपातकाल में मिर्जापुर जनपद के दुद्धी तहसील के दस व्यापारियों पर आपूर्ति निरीक्षक द्वारा, दो व्यापारियों पर हाट निरीक्षक द्वारा तथा चार व्यापारियों पर परगना अधिकारी द्वारा अर्थात् कुल १६ व्यापारियों पर मुकदमा कायम किया गया।

उपर्युक्त मुकदमों में से एक मुकदमें में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगायी जा चुकी है। शेष १५ मुकदमों के वापस लेने का सरकार का अभी कोई निर्णय नहीं है।

१६–श्री माधव—

[९वें सोमवार में अतरांकित प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्राथमिक शिक्षक संघ, नगर क्षेत्र, गोरखपुर की मांगें

१७–श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्राथमिक शिक्षक संघ, नगर क्षेत्र, गोरखपुर ने मई, १९७७ में अपनी मांगों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो सरकार ने क्या किया ?

श्री कालीचरण—

जी हां ।

यथा सम्भव नियमानुसार ज्ञापन में उल्लिखित मांगें पूर्ण कर दी गई हैं ।

वाराणसी, कुंडीनाल, ग्राम कनियर में पुल निर्माण की मांग

१८–श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुंडीनाला, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में गांव कनियर के पास एक पुल बनाने हेतु सन् १९७४ की जुलाई में आदेश पूर्व सिंचाई मन्त्री के हुए और मुख्य अभियन्ता ने भी बनाने हेतु आदेश दे दिए हैं ? यदि हां, तो पुल अब तक न बनाने का कारण क्या है ?

श्री बलवीर सिंह—

कुन्डीनाला, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में गांव कनियर के पास पुल बनाने हेतु वर्ष १९७४ में तत्कालीन सिंचाई मन्त्री जी द्वारा कोई आदेश नहीं दिये गये थे; बल्कि माननीय सदस्य के एक पत्र पर तत्कालीन मन्त्री जी ने आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे ।

सिंचाई विभाग द्वारा पुल के निर्माण हेतु एक प्राक्कलन बनाया गया था; जिसे राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था । समिति ने प्रस्ताव पर इस कारण स्वीकृति नहीं दी कि पुल का निर्माण बाढ़ मद के अन्तर्गत नहीं आता । समिति ने सुझाव दिया कि पुल का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत कराया जा सकता है ।

आजमगढ़, के पंचायत चुनाव में नियुक्त अध्यापकों का यात्रा–भत्ते का भुगतान

१९–श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद अन्तर्गत विगत पंचायत के चुनाव में लगाए गए प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का पंचायत भत्ता ब्लाक आजमगढ़ सहित किन–किन ब्लाकों में नहीं दिया गया है, क्या सरकार उसे दिलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कालीचरण—

जनपद आजमगढ़ के विकास क्षेत्र अजमतगढ़, जहानागंज तथा अहरौला के कुछ अध्यापकों को पंचायत चुनाव के यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं हुआ है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा यात्रा–भत्ते के भगतान हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

गोरखपुर जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का स्थानान्तरण एवं शासन का निर्देश

२०—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रारम्भिक पाठशालाओं में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासन ने यह निर्देश दिया है कि स्थानान्तरण में रिक्तियों को भरने के लिए पहले ऐसे लोगों को स्थानान्तरित किया जाए जिन्हें आपात् स्थिति में परिवार नियोजन के सम्बन्ध में दूर स्थानान्तरित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि गोरखपुर जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् में जो स्थानान्तरण विगत माह किया गया है उसमें इस निर्देश की पूर्णतया उपेक्षा की गयी है ? यदि हां, तो इसका दोषी कौन अधिकारी है एवं शासन उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्री कालीचरण—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनता इण्टर कालेज, खुरहंड, बांदा के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र

२१—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्र संघर्ष समिति, जनता इण्टर कालेज, खुरहंड, जिला बांदा द्वारा जनता कालेज खुरहंड, जिला बांदा के प्रधानाचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से सम्बन्धित कोई शिकायती-पत्र दिनांक ३० अगस्त, १९७७ के आस-पास किसी दिन उन्हें मिला ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कालीचरण—

जी हां । शिकायतों की सूची संलग्न है । विभाग द्वारा साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा १६डी की कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६३६ पर)

हमीरपुर जिले में राजघाट बांध व लहचूरा बांध की नहरों से सिंचाई और नहरों में पानी का अभाव

२२—श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजघाट बांध तथा लहचूरा बांध से निकली हुई कितने कि० मी० नहरें हमीरपुर जिले में हैं तथा वे कौन-कौन सी हैं ? इन नहरों से हमीरपुर जिले का कितना रकबा प्रति वर्ष सिंचता है ?

श्री बलबीर सिंह—

राजघाट बांध का अभी निर्माण ही नहीं हुआ है । अतः इससे नहरें निकलने का प्रश्न नहीं उठता । लहचूरा बांध से अवश्य धसान नहर प्रणाली की ६३१·६५

किलोमीटर लम्बी नहरें निकली हैं, जिनसे हमीरपुर जिले का १,०६,०९६ एकड़ क्षेत्र औसतन प्रतिवर्ष सींचा जाता है। धसान नहर तथा इसकी इस्लामपुर ब्रान्च, जलालपुर शाखा तथा मोधा शाखा के अतिरिक्त इन सबकी छोटी-छोटी माइनरें और रजबाहें भी हैं।

२३-श्री ओंकार नाथ--

क्या यह सही है कि हमीरपुर तहसील में राजघाट व लहचूरा बांधों की जितनी भी नहरें हैं वे सभी टेल हैं और वे पर्याप्त पानी नहीं दे पातीं ? कितने कि० मी० का ऐसी नहरें हमीरपुर तहसील में हैं जिनमें दस वर्ष से एक बूंद पानी भी नहीं आया है ?

श्री बलबीर सिंह--

हमीरपुर तहसील में लहचूरा बांध से निकलने वाली धसान नहर प्रणाली से बहुत कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। राजघाट बांध का तो अभी निर्माण ही नहीं हुआ है। अतः उसकी नहरों से सिंचाई होने का प्रश्न नहीं उठता। हमीरपुर तहसील में किसी भी नहर का ऐसा कोई भाग नहीं है जिसमें १० वर्ष से एक बूंद भी पानी न पहुंचा हो।

सनातन धर्म इण्टर कालेज, इटावा के प्रवक्ता, श्री निहाल चन्द्र तनेजा की डी० आई० एस० आर० में निलम्बन

२४-श्री औसान सिंह (जिला इटावा)--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि सनातन धर्म इण्टर कालेज, इटावा के प्रवक्ता (श्री निहाल चन्द्र तनेजा) जिन्हें डी० आई० एस० आर० में २० माह तक फरार रहने के कारण निलम्बित किया गया था पुनः सेवाओं पर ले लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

श्री निहाल चन्द्र तनेजा, प्रवक्ता, सनातन धर्म इन्टर कालेज, इटावा को पुनः सेवा में नहीं लिया गया है।

२५-श्री राम नरायन वर्मा--

[५वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोंडा जिले के विधान सभा क्षेत्र, उतरौला में मधुपुर-मंडास बुजुर्ग मार्ग का निर्माण

२६--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोन्डा के विधान सभा क्षेत्र, उतरौला के निर्माण कार्य हेतु वर्ष १९७४ से १९७७ तक शासन द्वारा कितनी धनराशि अनुदान के रूप में दी गयी तथा उस धनराशि से क्या-क्या कार्य कराया गया ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

इस विधान सभा क्षेत्र में जहां तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा मार्गों के नवनिर्माण का सम्बन्ध है, केवल एक मार्ग मधुपुर मंडास बुजुर्ग का २·८ कि०

मोटर लम्बा भाग स्वीकृत हुआ है। यह मार्ग जिला परिषद् से वर्ष १९७६-७७ में हस्तांतरित किया गया तथा इस मार्ग के लिए वर्ष १९७६-७७ में एक लाख रुपया व्यय हुआ। वर्ष १९७७-७८ में यह मार्ग प्रथम मार्ग लेपन तक पूर्ण किया जा चुका है।

सीनियर बेसिक शिक्षक संघ की मांगें

२७--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ की ओर से गैर सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की मांगों के सम्बन्ध में कोई मांग-पत्र ९ नवम्बर, १९७७ को अथवा उसके आस-पास शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश को मिला ? यदि हां, तो मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन मांगों को पूरा करने के बारे में सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री काली चरण--

जी हां, इनके मांग पत्र समय-समय से प्राप्त होते रहे हैं।

मुख्य मांगों के संबंध में सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६३७ पर)।

२८--श्री नारायण सिंह भैंसोरा--

[५वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बम्बई योजना के अन्तर्गत गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु कथित शासन का आदेश

२९--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाम्बे योजना के तहत १५०० से अधिक आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए अलग-अलग जिलों के लिए सन् १९८१ तक पक्की सड़कों के बनाने लक्ष्य निर्धारित करते समय हर जिले का सर्वेक्षण ब्लाक वाइज कराया गया था अथवा तहसील वाइज तथा इस कार्य के लिए शासन की तरफ से क्या निर्देश जारी किए गए थे और किस वर्ष की जनगणना की संख्या को आधार मानकर यह कार्य किया गया था ? क्या उन निर्देशों का सही पालन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

प्रथम भाग :

बम्बई योजना के तहत १,५०० से अधिक आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का कोई निर्णय नहीं किया गया तथा इस सम्बन्ध में सर्वे किये जाने के आदेश भी शासन से जारी नहीं किये गये।

द्वितीय भाग :

प्रश्न नहीं उठता।

तृतीय भाग :

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइमरी पाठशाला, पिपरौली, गोरखपुर के कथित अध्यापक, श्री वैद्य नाथ मिश्र का निलम्बन

श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि श्री वैद्यनाथ मिश्र, सहायक अध्यापक प्रा० पा० पिपरौली बाजार गोरखपुर, को जून, १९७७ में उप-जिला विद्यालय निरीक्षक ने बहाल किया था ? यदि हां, तो नवम्बर, १९७७ में उन्हें पुनः क्यों निकाल दिया गया ?

श्री काली चरण—

श्री वैद्यनाथ मिश्र नाम का सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला पिपरौली, गोरखपुर में न पहले रहा है और न इस समय तैनात है । अतः उसे बहाल करने या निकालने का प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जिले के गोसाईगंज-शेखाघाट मार्ग व महरुआ बाजार-मिझौड़ा मगोला मार्ग का निर्माण

३१—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में गोसाईगंज शेखाघाट रोड और महरुआ बाजार-मिझौड़ा मगोला रोड को पक्की करवाने के बारे में प्रश्नकर्ता का दिनांक ६ दिसम्बर, १९७७ का पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और इन दोनों सड़कों को पक्की कराने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी नहीं । गोसाईगंज शेखाघाट मार्ग पर ३ कि०मी० में कार्य प्रगति पर है तथा बाकी ७ कि० मी० पर मिट्टी का काम पूरा हो चुका है महरुआ बाजार-मिझौड़ मगोला मार्ग स्वीकृत योजना में नहीं है ।

फैजाबाद जिले में तमसा व अहेर विसुही नदियों पर कतिपय स्थानों पर पक्के पुल निर्माण की मांग

३२—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में मढ़हा (तमसा) अहैर विसुही नदियों पर मिझौड़ा बसोंहरी, नरायनपुर तथा सबरसिंहपुर स्थानों पर पक्का पुल बनाने के बारे में प्रश्नकर्ता का दिनांक ६-१२-७७ का पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और इन पुलों को बनाने का काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां ।

प्रस्तावित पुल सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्गों पर नहीं पड़ते वरन् जिला परिषद् के कच्चे मार्गों पर हैं । इस विभाग द्वारा इन पुलों के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है ।

बस्ती जिले के मोहाना लोटन सड़क पर कूड़ा नदी पर पुल निर्माण

३३—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के मोहाना लोटान सड़क पर कूड़ा नदी का पुल कई वर्षों से अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उसके अब तक पूरा न होने का कारण क्या है और वह पुल कब तक बनकर पूरा हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां। ठेकेदार द्वारा दिनांक १ दिसम्बर, १९७३ तक कार्य पूरा न किये जाने पर दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७७ तक समय बढ़ाया गया। फिर भी ठेकेदार द्वारा कार्य न कर पाने के कारण अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया है। राज्य सेतु निगम से कार्य पूरा कराये जाने का प्रस्ताव है।

बस्ती जिले की बानगंगा नहर की उस्का माइनर से सिंचाई

३४—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताएगी कि बस्ती जिले की बानगंगा नहर की उस्का माइनर में इस वर्ष पानी न मिलने के कारण खरीफ की फसल सूख गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच कराएगी और वहां के किसानों को हर्जाना देगी ?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं।

उन्नाव जिले के माध्यमिक शिक्षकों के अनिवार्य जमा योजना की किस्त का भुगतान

३५—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि अनिवार्य जमा की दूसरी किस्त का भगतान माध्यमिक शिक्षकों को अगस्त, १९७७ तक कर दिय जाने सम्बन्धी कोई सरकारी आदेश किए गए थे ? यदि हां, तो उन्नाव जिले के ऐसे कितने और कौन-कौन से विद्यालय हैं जो उक्त भुगतान पाने से अब तक वंचित हैं ?

श्री काली चरण—

जी हां।

निम्नलिखित ८ विद्यालयों में उक्त भुगतान अब तक नहीं हो सका है :

१—इन्टर कालेज, सगवर, उन्नाव।

२—इन्टर कालेज, कालूखेड़ा, उन्नाव।

३—श्याम कुमारी सेठ उ० मा० विद्यालय, उन्नाव।

४—इन्टर कालेज, ऊगू, उन्नाव।

५—के० एन० पी० एन० इन्टर कालेज, मौरावां, उन्नाव।

६—इन्टर कालेज, भगवन्तनगर, उन्नाव।

७—इन्टर कालेज, मियांगंज, उन्नाव ।

८—डा० जी० नाथ जी० दयाल बालिका, इन्टर कालेज, उन्नाव ।

रिहन्द बांध सिविल खन्ड, पिपरी में आबजर्वर के पद पर नियुक्ति और उनके नगदीकरण अवकाश का निरसन तथा वेतन का भुगतान

३६—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि ओबरा बांध निर्माण मन्डल के अधीन रिहन्द बांध सिविल खंड पिपरी में शासन द्वारा स्वीकृत एवं स्थायी आब्जर्वर के पद पर विगत जुलाई, १९७६ से कोई व्यक्ति कार्यरत रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

प्रश्नगत खन्ड में शासन द्वारा स्वीकृत स्थायी आब्जर्वर के पद पर नियुक्त कर्मचारी जुलाई, १९७६ से जून, १९७७ तक ओबरा में कार्यरत थे और जुलाई, १९७७ से पिपरी में ही कार्यरत हैं ।

३७—श्री ईश्वर प्रसाद—

सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ओबरा बांध निर्माण मण्डल ओबरा के अधीन रिहन्द बांध सिविल खंड पिपरी में कार्य स्थित आब्जर्वर को १९७६ में उनका नकदीकरण एवं उपार्जित अवकाश तथा कार्य-वेतन का भुगतान किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

क्या सिंचाई विभाग के अधीन रिहन्द बांध सिविल खंड, पिपरी में कार्यरत आब्जर्वर को १९७६ में नकदीकरण तथा उपार्जित अवकाश के वेतन का भुगतान नहीं हुआ । क्योंकि उनको स्वीकृत किया गया उपार्जित अवकाश तथा नकदीकरण निरस्त कर दिया गया था । दिनांक १-१-१९७६ से ३१-५-१९७६ तक का कार्य वेतन का भुगतान हुआ था ।

सिंचाई विभाग के आब्जर्वर का वेतन मान

३८—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में अब्जर्वर (ट्रेंड एवं अन-ट्रेंड) का वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

सिंचाई विभाग में आब्जर्वर के पद के लिये दिनांक १-८-७२ से १८५-३-२१५-द्वा० रो०-४-२३५-द० रो०-६-२६५ रु० का वेतनमान निर्धारित है । ट्रन्ड तथा अन्ट्रेड व्यक्तियों के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित नहीं है । उक्त वेतनमान वेतन आयोग (१९७१-७३) द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर निर्धारित किया गया ।

राष्ट्र पिता म्यूनिसिपल इन्टर कालेज, हरदोई के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन

३९—श्री ब्रजबल्लभ (जिला बदायूं) —

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्र पिता म्युनिसिपल इन्टर कालेज, शाहाबाद, जिला हरदोई के शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का

१ अगस्त, १९७२ से नवीन वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप कुल कितना रुपया बकाया है ? क्या नगरपालिका ने सम्बन्धित अनुदान सरकार से प्राप्त कर लिया है ? यदि हां, तो अब तक वेतन वितरण न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री कालीचरण--

रुपये १३५५०.५७ मात्र ।

जी हां । नगरपालिका की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इस अवशेष का भुगतान नहीं हो सका है ।

निलम्बित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बस्ती के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

४०--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निलम्बित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बस्ती के विरुद्ध मिर्जापुर तथा बलिया एवं बस्ती में किस-किस प्रकार की शिकायत भ्रष्टाचार, अनियमितताएं व गबन तथा जालसाजी के कारण सरकार को प्राप्त हुई हैं ? सरकार एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा किस-किस विभाग द्वारा जांच कराई जा रही है ? अभी तक जांच पूरी हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

४१--श्री सुखपाल पाण्डेय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

शारदा कैनाल, सीतापुर कार्यालय के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

४२--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा कैनाल, सीतापुर कार्यालय में तृतीय श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो पांच वर्ष से ऊपर से कार्य कर रहे हैं ? उनका स्थानान्तरण न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री बलबीर सिंह--

शारदा कैनाल, सीतापुर कार्यालय में पांच वर्ष से अधिक कार्यरत तृतीय श्रेणी के कुल १७ कर्मचारी हैं ।

इन १७ कर्मचारियों में से ८ कर्मचारी खंडीय संवर्ग के हैं । खंडीय संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने का नियम नहीं है । शेष ९ कर्मचारी मण्डलीय संवर्ग के हैं, जिनके स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध अथवा सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति पर ही किए जाते हैं । प्रश्नगत कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसी कोई प्रार्थना अथवा संस्तुति नहीं की गई है । अतः इनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठा है ।

४३--श्री वीरेन्द्रपति यादव--

[१३-४-७८ को अतारांकित प्रश्न संख्या १३ द्वारा उत्तरित]

सहायक नियंत्रक बांट तथा माप के पद पर जिला पूर्ति अधिकारी की नियुक्ति

४४—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७६ से सन् १९७७ तक कितने जिला पूर्ति अधिकारी नियन्त्रक बांट तथा माप के पद पर स्थानान्तरित किए गए ? उनमें से कितने के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा रही है ?

श्री हरिशचन्द्र—

प्रश्नगत अवधि में जिला पूर्ति अधिकारी संवर्ग के दो अधिकारी सहायक नियंत्रक, बांट तथा माप वर्ग–१ के पद पर तैनात किये गये ।

उक्त अधिकारियों में से एक अधिकारी के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच की जा रही थी ।

राष्ट्रीय इन्टर कालेज, सुमनगंज, जौनपुर में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति

४५—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय इन्टर कालेज, सुमनगंज, जौनपुर में काफी दिनों से रिक्त प्रधानाचार्य पद पर स्थायी नियुक्ति अब तक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक की जाने की सम्भावना है ?

श्री कालीचरण—

जी हां । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (षष्टम) आदेश, १९७७ के अन्तर्गत उक्त विद्यालय में नियुक्त स्थानापन्न प्रधानाचार्य २०–५–७७ तक कार्यरत रहे । इसके पश्चात् उक्त तदर्थ नियुक्त प्रधानाचार्य ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था । फरवरी, १९७८ में रिट याचिका खारिज होने के पश्चात् प्रबन्धाधिकरण को प्रधानाचार्य पद पर नियमित नियुक्ति शीघ्र करने के आदेश दिये गये हैं ।

जौनपुर जिले के इन्टर कालेजों में रिक्त प्रधानाचार्य के पद

४६—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां ऐक्ट एवं शासनादेश के विरुद्ध प्रधानाचार्य के स्थायी रिक्त पद पर जूनियर अध्यापक प्रधानाचार्य बनाए गए हैं तथा वहां स्थायी नियुक्ति कब तक की जाने की सम्भावना है ?

श्री कलीचरण—

जौनपुर में ८ विद्यालय ऐसे हैं जहां प्रधानाचार्य की रिक्तियों पर नियुक्तियां अभी तक नहीं की गई हैं तथा प्रबन्धाधिकरण द्वारा जूनियर अध्यापकों से प्रधानाचार्य का काम लिया जा रहा है । नियमानुसार नियुक्ति हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

कोल एजेन्ट के कमीशन की दर

४७—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोल एजेंट का कमीशन हाल में ३ रुपया प्रति टन से बढ़ाकर ६ रुपया प्रति टन कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरिशचन्द्र—

जी नहीं । कोल एजेन्ट का कमीशन ३ रु० प्रति टन से बढ़ा कर ६ रुपये प्रति टन नहीं किया गया है ।

दिनांक २६ जुलाई, १९७२ से कमीशन की दरें निम्न प्रकार निर्धारित थीं :—

		रु०	
ब्लैक कोल/स्टीम कोल	..	३	प्रति टन
साफ्ट कोल	..	६	प्रति टन
हार्ड कोल	..	१०	प्रति टन

कोयले का क्रय-विक्रय मीट्रिक प्रणाली में होने के कारण उत्तर प्रदेश कोयला नियंत्रण आदेश, १९७७ में प्रति मीट्रिक टन कमीशन निर्धारित किये जाने का प्राविधान है । इसी के अन्तर्गत व्यवहारिक सरलता के लिये ९ जनवरी, १९७८ से उक्त दरें प्रतिटन के स्थान पर प्रति मीट्रिक टन कर दी गई है ।

पिथौरागढ़ जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के श्री कृष्ण सोराड़ी, स्टोर कीपर का निलम्बन एवं वेतन

४८—श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के पद पर कार्यरत श्री कृष्ण सोराड़ी को उनके ९ वर्षों का विभाग की ओर से शेष धनराशि का भुगतान अनेक प्रार्थना-पत्रों के पश्चात् भी नहीं किया साथ ही उक्त सोराड़ी को निलम्बित कर नियमानुसार वेतन भी नहीं दिया गया इसके साथ ही सन् १९७६ से दिसम्बर, १९७६ तक का सामान्य भत्ता भी नहीं दिया गया जिसके कारण उनकी बीमार पत्नी १ जुलाई, १९७७ को बिना इलाज के मर गयी ? क्या इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने विभाग के उच्च अधिकारियों को तथा माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई प्रार्थना-पत्र जांच हेतु भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

श्री सोराड़ी, स्टोर कीपर से सामान की कमी के कारण रु० ११,२२९·८३ की वसूली जनवरी, १९७५ से ६२ रु० प्रतिमाह की दर से की जा रही थी जो १६-८-७६ से भी सोराड़ी के निलम्बन के कारण बन्द कर दी गई । श्री सोराड़ी के विशेष वेतन पर अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं सीमान्त विशेष वेतन की अवशेष धनराशि ७८९.०५ रु० होती थी जो उक्त वसूली के विरुद्ध समायोजित कर ली गई है । निलम्बन काल का भत्ता नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है किन्तु निलम्बन काल में मुख्यालय से पूर्व स्वीकृति बिना दिनांक ११-३-७७ से ३-४-७७ तक

अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण रोका गया था जो बाद में दिनांक १-८-७७ को अधिशासी अभियंता द्वारा भुगतान कर दिया गया है। श्री सोराड़ी का मुख्यालय २६-७-७५ से २-१-७७ तक टनकपुर (जिला नैनीताल) रहा जो सीमान्त क्षेत्र में नहीं आता। अतः उन्हें इस अवधि का सीमान्त विशेष वेतन देय नहीं है। इनकी पत्नी की कथित मृत्यु से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। श्री सोराड़ी ने उच्चाधिकारियों तथा माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र दिनांक ३-९-७७ को भेजा था। उस पर जांच कराई गई किन्तु कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

फैजाबाद जिले के कतिपय मार्गों का निर्माण

४९—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में बिल्कीपुर-अमीनागंज-खंडासा-कुमारगंज तथा खडमडिया अहरनसुवंश मार्ग निर्माण हेतु कितना धन गत वर्ष स्वीकृत हुआ था, कितना कार्य पूरा हुआ, कितना अधूरा रह गया है और उसे कब तक पूरा कराया जाएगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

(१) जदपद फैजाबाद में मिल्कीपुर-अमानीगंज मार्ग पर गत वर्ष (७६-७७) १.४० लाख रुपये का धन स्वीकृत हुआ था।

(२) वर्ष १९७६-७७ में अमानीगंज-खंडासा मार्ग प्रान्तीय खण्ड फैजाबाद के अन्तर्गत नहीं था।

(३) जनपद फैजाबाद में कुमारगंज-खंडासा मार्ग पर गत वर्ष (७६-७७) १.०७ लाख रुपये का धन स्वीकृत हुआ था।

(४) जनपद फैजाबाद में खंडवारिया-अहरन-सुबरा मार्ग पर गत वर्ष (७६-७७) ०.५० लाख रुपये का धन स्वीकृत हुआ था।

मार्च, १९७७ तक मार्गों की प्रगतिः—

आख्या संलग्न है।

उपरोक्त मार्गों का निर्माण वर्ष १९८० तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। शारदा खण्ड, फैजाबाद, के ठेकेदारों का बिल

५०—श्री मित्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शारदा खंड ३३, फैजाबाद को ठेकेदारों द्वारा कितने बिल वर्ष१९७६-७७ में पेमट के लिए सबमिट किए गए और कितने बिलों का पेमेंट होना बाकी है ?

श्री अलबीर सिंह—

फर्मों के अतिरिक्त ठेकेदारों द्वारा कोई बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ठेकेदारों को भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है।

देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६४० पर।

छितौनी इण्टर कालेज, देवरिया में श्री विजय नारायण मल्ल की प्रवक्ता पद पर नियुक्ति

५१—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छितौनी इण्टर कालेज, छितौनी, देवरिया के श्री विजय नारायण मल्ल को सत्र १९७३-७४ में प्रवक्ता वेतनक्रम नियुक्त कर सत्र १९७४-७५ में एल० टी० वेतनक्रम में पदावनत कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री कालीचरण—

जी नहीं । श्री विजय नारायण मल्ल की सत्र ७३-७४ में प्रवक्ता वेतन क्रम में अस्थायी नियुक्ति केवल ३०-६-७४ तक के लिये हुई थी जो स्वतः समाप्त हो गई । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के शिवपुरा विकास खंड के राजकीय नलकूप

५२—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को जानकारी है कि देवरिया जनपद के शिवपुरा विकास खंड में ८१ ग्राम सभाएं तथा विकास खंड का विस्तृत क्षेत्रफल होते हुए राजकीय नलकूप सम्पूर्ण क्षेत्र में केवल दो हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय नलकूपों की संख्या इस क्षेत्र में बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां ।

इस क्षेत्र में गण्डक परियोजना की नहरों का जाल बिछा हुआ है तथा इन नहरों से ही सिंचाई की जाती है । इस क्षेत्र में जो दो नलकूप पहले से लगे हैं उनसे बहुत कम सिंचाई होती है । गण्डक नहर क्षेत्र में जहां नहरों में पानी कम उपलब्ध है वहां पर सम्बन्धित नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के रीडर्स का वेतनमान

५३—श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में १ जनवरी, १९७३ से नियुक्त रीडर्स को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान नहीं दिए जा रहे हैं ? यदि, हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में १-१-७३ से नियुक्त रीडर्स को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत रु० ७००-१६०० का वेतनमान अनुमन्य है और ३१-१२-७२ की स्थिति के आधार पर उन्हें रु० ७००-१६०० का वेतनमान दिया जा रहा है ।

कतिपय विषय

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

श्रीमन्, यह विद्यालय ढाई वर्ष से बन्द रहा है, अब समय नहीं रहा, इसलिए आप इसे स्थगित कर दीजिए, ताकि सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस किये जा सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

यह सही है, तभी तो कह रहा हूं, स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई नियम नहीं है, आप पुनः इसको दें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

जो रूलिंग कल आपने रिजर्व कर दी थी, उस पर आज बात शुरू होने वाली है, तो इजाजत हो तो मैं शुरू करूं।

श्री अध्यक्ष--

उसे मैं आज नहीं ले रहा हूं, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री आज नहीं हैं। यह अभी स्थगित है।

उपाध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी

श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, उपाध्यक्ष का जो चुनाव टाला गया था, उसमें क्या निर्णय हुआ, इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है। आपसे अनुरोध है कि आप उपाध्यक्ष का चुनाव जल्दी से जल्दी करा लीजिए, ताकि आपको भी सुविधा हो और विधान सभा का कार्य भी ठीक से चलाया जा सके।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

अब यह कार्य अगले सत्र के लिए ही छोड़ा जाय। यह इतने दिनों से टल रहा है, यह तो नलवा का ब्याह हो गया है। आप कई बार इसको स्थगित कर चुके हैं। अब आप इसको अपने किसी फुर्सत के समय में देख.... (व्यवधान) मैं आपकी इजाजत से अपना एक प्रश्न दिखाना चाहता हूं। यह मेरा प्रश्न एक नम्बर पर था किन्तु आपने उसको ५८ नम्बर पर छोड़ दिया है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह अब नहीं उठाया जा सकता है। आपको उपाध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में निर्णय की सूचना बाद में दे दूंगा। यह आप निश्चय समझिए कि उपाध्यक्ष का चुनाव इसी सत्र के समाप्त होने से पहले अवश्य हो जाएगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

७८ में हो जाएगा ?

श्री अध्यक्ष--

हो जाएगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

यह तो आपने पहले भी कहा था कि १७ तारीख को हो जाएगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

जब तक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तब तक क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि सुखपाल पाण्डेय जी को उपाध्यक्ष बना दिया जाए, ताकि आपको भी शान्ति मिले ।

(श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष--

अब कोई प्रश्न नहीं है, आप बैठें ।

झांसी-मिर्जापुर प्रादेशिक मार्ग पर बेतवा नदी के नोंट घाट पर बने पुल पर लगे टैक्स को समाप्त करने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

अध्यक्ष जी, मैं नियम ३०१ के अनुसार माननीय सदन में इस विषय को उठाना चाहता हूं कि झांसी-मिर्जापुर प्रादेशिक मार्ग पर जिला झांसी में बेतवा नदी के नोंट घाट पर भारत सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने सन् १९६२ से १९६४ में ३१ लाख रुपया की लागत से एक पुल बनाया था और पुल की लागत वसूल होने तक उस पर आवागमन पर समस्त वाहनों पर टैक्स लगाया था ।

उक्त टैक्स से सरकार को प्रतिवर्ष लगभग ६ लाख रुपया से अधिक आय है । इस प्रकार १४ वर्षों में लगभग ८५ लाख रुपया वसूल हो चुका है, परन्तु इसे समाप्त न करके १९७७-७८ में टैक्स को दोगुना कर दिया गया है । एक बस पर एक तरफ से १० रुपया लगता है । यह सब टैक्स का भार अप्रत्यक्ष रूप से सवारियों पर ही पड़ता है । इसके कारण उस क्षेत्र के निवासियों में घोर असंतोष व्याप्त है ।

अस्तु मैं इस प्रश्न को सदन में उठा कर सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुल पर टैक्स समाप्त किया जावे और सरकार यह भी बताये कि अभी तक उस टैक्स से कितनी आय हुई है और वसूली आदि पर कितना व्यय किया गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बृन्दा प्रसाद, सब इन्सपेक्टर, थाना आदमपुर, वाराणसी की हिरासत में श्री अब्दुल मतीन की मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लगना

श्री मुश्ताक अहमद (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान बनारस जैसी पवित्र नगरी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं जहां पर पुलिस का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मान्यवर, दिनांक १९-४-१९७८ को थाना आदमपुरा, वाराणसी के सब इंस्पेक्टर श्री बृन्दाप्रसाद ने भारतीय दंड विधान की धारा ३७९ के अन्तर्गत ३ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनमें से एक अभियुक्त अब्दुल मतीन के साथ बर्बरता तथा दानवता का व्यवहार करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया और उसकी लाश को मुहल्ला छोहरा वाराणसी की मस्जिद के कुंए में फेंक दिया गया जब उसकी जानकारी लोगों को हुई तो उक्त सब इंस्पेक्टर श्री बृन्दा प्रसाद ने अपने बचाव में यह कहा कि मैं अभियुक्त को सामान की बरामदगी के लिए ले कर जा रहा था कि रास्ते में मुल्जिम ने कहा कि मैं पेशाब करूंगा। मैंने उसको पेशाब करने की अनुमति दे दी और मुल्जिम मस्जिद के अन्दर पेशाब करने चला गया। मस्जिद के अन्दर जाते ही मुल्जिम ने कुएं में कूद कर अपनी आत्महत्या कर ली।

मान्यवर, बड़ा हास्यास्पद मालूम पड़ता है कि अगर पुलिस अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत कर दे और यदि इसको सही भी मान लिया जाय तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है ?

मान्यवर, अभियुक्त पुलिस की हिरासत में था उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस की थी, अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निबाहने में लापरवाही करती है और यदि उस लापरवाही के फलस्वरूप किसी अभियुक्त की मौत हो जाती है या पुलिस के कथनानुसार अभियुक्त ने आत्महत्या कर ली तो मान्यवर, उसको भी हत्या ही कहा जायेगा, क्योंकि अभियुक्त की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होती है।

मान्यवर, इन सभी बातों को देखते हुए यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि पुलिस के इस नाटकीय बचाव से भी उक्त सब इंस्पेक्टर श्री बृन्दाप्रसाद का छुटकारा नहीं होता है। जब कि हकीकत यह है मान्यवर, कि उक्त अभियुक्त की पुलिस द्वारा हत्या की गयी है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि उक्त सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुल्जिम अब्दुल मतीन की हत्या के लिए भारतीय दंड विधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया जाय और उक्त सब इंस्पेक्टर को हिरासत में तत्काल लिये जाने का आदेश पारित किया जाय, ताकि बनारस के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के अन्तर्गत व्याप्त रोष को समाप्त किया जा सके।

कालविन इण्टर कालेज महमूदाबाद, सीतापुर के प्रिंसपल द्वारा हाई स्कूल एवं इण्टर के परीक्षार्थियों को फेल करवाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रामनारायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कालविन इंटर कालेज, महमूदाबाद जिला सीतापुर में चल रही हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की ओर

आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि प्रधानाचार्य की लापरवाही से तथा सांठगांठ से परीक्षा केन्द्र पर बहुत ही अनियमित रूप से परीक्षार्थियों को नकल धड़ल्ले से करायी जा रही है। परीक्षा केन्द्र के बाहर दिखावा मात्र के लिए पुलिस का कठोर पहरा है। परीक्षार्थियों की देख-रेख के लिए प्रधानाचार्य ने अपने मन माफिक अध्यापकों की ड्युटी लगा रखी है। उन्हीं के सहयोग से उक्त कार्य किया जा रहा है। मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि इसी केन्द्र पर प्रधानाचार्य का एक पुत्र तथा एक लड़की परीक्षा में सम्मिलित हुई है। छात्रों को जो कापियां दी जाती हैं प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रश्न-पत्रों सहित बाहर ले जायी जाती हैं तथा उन पर प्रश्नोत्तर लिख कर कापियां जमा करवा दी जाती हैं। इसका ज्वलन्त प्रमाण स्वरूप मेरे पास एक कापी परीक्षा केन्द्र की इस समय मौजूद है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे सदन में प्रस्तुत कर दें।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के इस गम्भीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए चाहूंगा कि इस पर सरकार तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करे और माननीय सदन को अवगत करायें। एक उत्तर-पुस्तिका मेरे पास उपलब्ध है यदि आज्ञा हो तो उसे सेवा में प्रस्तुत कर दूं। यह कापी प्रधानाचार्य के लड़के के लिए बाहर लिखने के लिये भेजी गयी थी।

श्री अध्यक्ष--

इसको आप जमा करा दीजियेगा।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, बहराइच द्वारा किसानों से ऋण की वसूली में कठोरता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहराइच जिले में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा पीड़ित किसानों से बकाया वसूली में की जा रही गलत भूमि की नीलामी व गिरफ्तारी की ओर सम्मानित सदन व शासन के संज्ञान में लाने की सूचना देता हूं।

जिले में उन्हें राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक व उसकी विभिन्न शाखाओं द्वारा किसानों को कर्ज दिया गया था। इस समय उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा ९५(क) के अन्तर्गत नोटिस दे कर किसानों को जरिये वारन्ट गिरफ्तार किया जा रहा है और किसानों की भूमि की नीलामी की जा रही है। जिससे जनपद के कोने-कोने में त्राहि-त्राहि मची हुई है, किसान भागा घूम रहा है। बहराइच जिले के लगभग ४०० गांव भयंकर ओला वृष्टि से प्रभावित हुए हैं जो शत प्रतिशत रबी की फसल नष्ट हुई है और करोड़ों रुपये का अनाज चौपट हो गया है। कई गांव में भयंकर अग्निकांड से लाखों की सम्पत्ति जलकर राख हो गयी। शासन द्वारा लगान व अन्य बकाया वसूली इन पीड़ित गांव की स्थगित कर दी है। परन्तु भूमि विकास बैंक की जबरिया बकाया वसूली इन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमला प्रसाद वर्मा]

पीड़ित क्षेत्रों में बराबर चल रही है। मैं क्षेत्र में दौरा करने गया तो लोगों ने मुझे घेर लिया और अपनी यह करुण कहानी एवं वेदना परेशानी सुनाई तथ मुझे नोटिस वसूली के कागजात भी दिए। मैंने जिले के अधिकारियों से वसूली व वारंट व कुर्की को कम से कम ओला एवं अग्निकान्ड से पीड़ित क्षेत्रों में स्थगित करने के लिए कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं की, वसूली वारन्ट, कुर्की जारी है।

अस्तु मैं बहराइच जिले में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा बकाया वसूली वारन्ट गिरफ्तारी व भूमि नीलामी में की जा रही "ज्यादती" के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सम्मानित सदन का व शासन का ध्यान राहत देने तथा वसूली स्थगित करने की सूचना देता हूं।

जनता इन्टरकालेज, गौरा बाजार, डुमरियागंज, बस्ती में केन्द्र व्यवस्थापकों द्वारा नकल करवाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान शिक्षा विभाग के उस रेकेट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो कि खुले आम नकल करा कर भारी रकम पैदा कर रहा है। मान्यवर, बस्ती जिले की तहसील डुमरियागंज के जनता इन्टर कालेज व गौराबाजार में मात्र ३०० छात्रों के बैठने की जगह है परन्तु बोर्ड के इस केन्द्र पर लगभग १५०० अभ्यर्थी टेन्ट और शामियानों में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। इनमें लगभग दो सौ लड़कियां नेपाल राज्य की हैं तथा अन्य प्रदेश से भी छात्र परीक्षा देने आये हैं। लखनऊ स्थित कालविन कालेज तथा अन्य कालेजों के बहुत से छात्र परीक्षा प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के भीतर भेज दिए गये हैं। इतनी संख्या में छात्र इसीलिए लाये गये हैं कि उन्हें नकल करायी जा सके। खुले आम धड़ल्ले से नकल हो रही है। सुदूर ग्रामीण अंचल में कालेज होने के नाते निरीक्षण के लिए लोगों का वहां तक पहुंच पाना अत्यन्त कठिन है। उत्तर पुस्तिकायें लेकर अभ्यर्थी कालेज के बाहर चले जाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति उत्तर लिख देते हैं। सैकड़ों बेकार लोग इसे अपना धन्धा बना कर पैसा कमा रहे हैं।

मान्यवर, यदि छात्रों की विभिन्न प्रश्न-पत्रों-की उत्तर-पुस्तिकायें मिला ली जायं तो स्पष्ट हो जायेगा कि अलग-अलग हस्तलिपियों में उत्तर-लिखे गये हैं। दूसरे स्थानों से आये छात्रों के स्थान पर अनधिकृत व्यक्ति उत्तर-पुस्तिकायें लिख रहे हैं। यह सभी काम उक्त विद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग एवं बोर्ड के अधिकारियों की जानकारी में हो रहा है। इससे पूर्व यह जानकारी शिक्षा विभाग को दी जा चुकी है। परन्तु अभी तक किसी ने भी घटना स्थल का निरीक्षण नहीं किया स्थिति अत्यन्त गम्भीर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः उपरोक्त दिए गये सभी तथ्यों की सही-सही जांच करायी जाय और दोषी पाये गये अधिकारी व बोर्ड के कर्मचारी तथा सांठ-गांठ करने वाले अध्यापक व व्यवस्थापकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करायें अन्यथा सरकार की अकथनीय बदनामी होने की पूर्ण आशंका पैदा हो गयी है क्योंकि इस प्रकार की कई घटनायें अन्य जनपदों में भी चल रही हैं, जिसकी सूचना आपको भली भांति दी जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय शिक्षा मंत्री जी, कल मैंने यह निर्देश दिया था जब कि माननीय तोमर ने ध्यान आकर्षित किया था कि कुछ विषयों के पर्चे पहले से ही कुछ प्रकाशकों ने प्रकाशित कर दिए हैं और वह भारी लाभ उठा रहे हैं। इस तरह से मास स्केल पर नकल की जा रही है, इसकी सूचना माननीय सदस्य दे रहे हैं। कल आपने आश्वस्त किया था कि इस सम्बन्ध में तुरन्त व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो क्या आप इस सम्बन्ध में सदन को जानकारी हासिल करायेंगे कि आपने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)---

श्रीमन्, मैं सदन से अनुरोध करना चाहता हूं, जैसा मैंने कल बताया कि एक दस्ते के बारे में २ माननीय सदस्यों ने कहा था, जिससे इस चीज को पकड़ा जा सके। अगर चर्चा कराना चाहते हैं तो मौके पर लोग मिलेंगे नहीं। पकड़ने के लिए यहां से अधिकारियों के दस्ते भेजने की व्यवस्था कर दी गयी है और अधिकारी रवाना हो चुके हैं। तो मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि सको वे अगर बहुत बहस का विषय बनायेंगे तो जो उनकी अपेक्षायें हैं कि दोषी इयक्ति रंगे हाथों पकड़े जायं, वे नहीं मिल पायेंगे।

मैनपुरी के काशी डाकू को पकड़े जाने के सम्बन्ध में पुलिस की साजिश तथा उसकी हत्या किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)---

मान्यवर, मैं आपके द्वारा गृह मंत्री का ध्यान उक्त अविलम्बनीय व लोक महत्व घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जबकि नरैनी के नगला, जिला मनपुरी के दो जवानों श्याम सिंह व नत्थू सिंह ने शिकोहाबाद नगर में दिनांक २८-३-७८ को लगभग ११ बजे दिन में ५-६ जिलों के आतंकवादी काशी डाकू को चोटें पहुंचाकर बहादुरी के साथ गिरफ्तार कर लिया था और लगभग पौन घंटे के बाद घटना स्थल पर आई हुई शिकोहाबाद पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया था। कुख्यात डाकू को मैनपुरी लाया गया और बाद में यह कहकर कि वह अपने गिरोह के अन्य साथियों को पकड़वाना चाहता था, थाना खैगर के जंगल में लाया गया, जहां पुलिस ने उसे उसके साथियों द्वारा हुई तथा कथित मुठभड़ में गोली से मारे जाने के तथ्य को सरकार के पास भेज दिया। इस हत्या की तुलना सरलता से सुन्दर कान्ड से की जा सकती है। ऐसे डाकू को जनहित में अदालत द्वारा मृत्यु का दंड मिलना ही चाहिए था।

[श्री वीरेन्द्र पति यादव--]

पुलिस द्वारा दो ग्रामीणों के साहसी कार्य को छिपा कर उसके श्रेय लेने का प्रयत्न करना और उसे जंगल में ले जाकर गोलियों का शिकार बनाकर भूंज देना ऐसा कुकृत्य है, जो जनता के विश्वास को छीन लेता है, विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों में जब ऐसी दुर्घटनायें मैनपुरी जिले में समय-समय पर घटित हो चुकी हैं। पुलिस द्वारा उसकी हत्या कर देना केवल उन्हीं तीनों सूचनाओं से सिद्ध हो जाती है, जो उन्होंने शासन के तीन रेडियो ग्राम द्वारा घटना के भिन्न समय ४ बजे सायंकाल, १० बजे प्रातः व १० बजे रात्रि किन्हीं कारणों से दिए हैं। ऐसा किया जाना शासन को जानबूझ कर मिथ्या सूचना देना है जो कि शासन के साथ एक धोखाधड़ी है और साथ-साथ उसकी छवि को धूमिल करता है।

स्थानीय पुलिस चूंकि जानती है कि जिले के कुछ विधायक इस गम्भीर घटना को सदन के समक्ष रखेंगे, उसके कुछ थानेदारों ने यह कह कर विधायकों को बदनाम करने के लिए प्रारम्भ कर दिया है कि जिले के विधायकों के साथ उसके सम्बन्ध थे। इस सम्बन्ध में एक आपत्ति पत्र पुलिस कप्तान व जिलाधिकारी को लिखा जा चुका है। मामला अति गम्भीर है, जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त एक मैजिस्ट्रेट द्वारा मैजिस्टीरियल जांच प्रारम्भ की जा चुकी है, लेकिन उक्त जांच में जनता का कोई विश्वास नहीं हो सकता है। केवल न्यायिक अथवा सी० बी० आई० द्वारा ही जांच किसी स्वतंत्र परिणाम पर पहुंच सकती है।

अतः माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध किया जाता है कि मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रारम्भ की गयी जांच को निरस्त करके उक्त मामले की न्यायिक जांच अथवा सी० बी० आई० द्वारा कराई जाने की कृपा की जाये ?

स्वतंत्र भारत समाचार पत्र में "कुए की खुदाई में राणा बेनी माधव सिंह की तलवारें" शीर्षक के अन्तर्गत वीरा पासी को छिपकली चोर प्रकाशित करने से पासी वर्ग में असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सरल बख्श रावत (जिला लखनऊ)--

महोदय, मैं आपका ध्यान स्वतंत्र भारत दैनिक में प्रकाशित सूचना शीर्षक कुएं की खुदाई में राणा बेनी माधव सिंह की तलवारें मिली, की ओर आप तथा सम्मानित सदन का ध्यान इस सुनिश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें पासी जाति के वीर महापुरुष वीर पासी जिनका पासी जाति के इतिहास में विशेष महत्व तथा १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी वीरता का अभूतपूर्व परिचय दिया था, जो कि राणा बेनी माधव सिंह के प्रमुख सलाहकार, साथी एवं विश्वास-पात्र थे, जिनके नाम को कलंकित करने के लिए छिपकली चोर कहा गया है। साथ ही मीरा गोविन्दपुर (बीरा गोविन्दपुर) जो कि बीरा पासी का ही बसाया हुआ है, अतिरंजित ढंग से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जिसके कारण उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली विशाल जन संख्या

---

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाली पासी जाति में क्षोभ एवं रोष व्याप्त है और इस समाचार से पासी जाति के युग पुरुष वीरा पासी तथा सम्पूर्ण जाति का अपमान हुआ है।

अतः मैं आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री अध्यक्ष--

महामहिम राज्यपाल से जो संदेश आया है मैं उसको पढ़कर सुना रहा हूं--

"प्रिय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके पत्र दिनांक २० अप्रैल, १९७८ के लिए जिसे आपने तथा सदन के सचिव ने आकर मुझे भेंट किया, अनुगृहीत हूं। मैंने विधान मंडल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष जो अभिभाषण दिनांक १७ मार्च, १९७८ को दिया उसके प्रति विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान सभा की बैठक में तद्विषयक प्रस्ताव स्वीकृत करके धन्यवाद की जो अभिव्यक्ति की है उसे मैंने परम संतोषपूर्वक प्राप्त किया। उसमें निहित भावना के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं।"

उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५३ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, १९७८, जो विधान सभा द्वारा दिनांक २० अप्रैल, १९७८ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २६ अप्रैल, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

ये ४ सूचनाएं आज विशेषाधिकार की मुझे प्राप्त हुई हैं।

१--श्री अशोक बाजपेयी ने उन्नाव से प्रकाशित हिन्दी दैनिक "रणस्थली" के संपादक एवं श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है।

२--श्री आरिफ मोहम्मद खां ने माननीय नियोजन राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है।

३--श्री रघव राम मिश्र तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है, और

[श्री अध्यक्ष---]

४---श्री सोहन वीर सिंह तोमर ने माननीय नियोजन राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है।

चूंकि इन सूचनाओं का सम्बन्ध माननीय सदस्यों से है और नियम में पहले उनका उत्तर लेना आवश्यक होता है इसलिए मैं उनके पास भेज रहा हूं और उनके उत्तर प्राप्त करने के बाद मैं इस प्रश्न को लूंगा। आवश्यकता पड़ी तो आपको भी इस सम्बन्ध में अवसर दूंगा।

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है यदि कोई सदस्य अपने कथन में किसी सम्मानित सदस्य जो सदन में उपस्थित है उसके सामने कोई उद्धरण या उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और वह सदस्य मौन रहता है अथवा खंडन नहीं कर रहा है, तो उसको उसकी स्वीकृति मानी जायगी ?

श्री अध्यक्ष---

यह आवश्यक नहीं है। उन माननीय सदस्यों को, अगर उनके सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो उनको स्पष्टीकरण करने का अधिकार है। यदि यहां वह स्पष्टीकरण नहीं करते हैं तो उससे यह मानना कि जिस व्यक्ति ने उसको कहा वह सत्य है, ऐसा निष्कर्ष तो नहीं निकाला जा सकता। लेकिन आपने जिस संदर्भ में यह उठाया तो वह तो यहां विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है और नियम में साफ लिखा है कि यदि विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकायत किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध हो तो उसको लिखित कर दी जायगी और उनको अवसर मिलेगा अपनी बात कहने का। चूंकि इसमें आज जितनी भी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाएं हैं वह इसी माननीय सदन के माननीय सदस्यों के खिलाफ हैं इसलिए उनकी प्रति भेज दी गयी है। अगर नहीं भेजी गयी हैं, तो मैं देखूंगा। सब को भेज दिया है। उत्तर आ जाने के बाद उसे देख कर मैं इसे लूंगा।

२५ अप्रैल, १९७८ को श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा की मांग

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने आपसे प्रार्थना की थी कल जो आपने निर्देश दिया था कि प्रश्न में गोपनीयता और जनहित की बात निहित है उस पर माननीय सदस्यों को सुनने के बाद आप निर्णय देंगे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस आदरणीय सदन में नहीं हैं, इसलिये आप उसे बाद में विचार करके लेंगे। इस पर चूंकि अनेक माननीय सदस्य विचार व्यक्त करना चाहते हैं, इसलिये आज आप उनकी बात सुन लें, फिर संसदीय कार्य मंत्री जी को अवसर दे दें, उसके बाद आप अपना निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष---

यह तो सुविधा की दृष्टि से भी लेना होगा। दोनों पक्षों को भी सुनना होगा और सरकार को भी। देखना यह होगा कि क्या इस प्रकार के प्रश्नों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर देने के लिये सरकार बाध्य है या नहीं और सरकार का क्या पक्ष है ? कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने लिख कर मुझे दिया कि वे गोरखपुर जा रहे हैं, इसलिये उनके लौटकर आने के बाद ही इस प्रश्न को लेना उचित होगा । इसलिये मैं आज इसे नहीं ले रहा हूं ।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, जो आपने कहा, ठीक है, लेकिन जैसा कि माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने कहा, इस प्रश्न पर अधिकांश माननीय सदस्य अपनी अभिरुचि रखते हैं, अगर एक दिन ही दिया जायेगा तो सारा दिन व्यतीत होने के बाद भी सभी माननीय सदस्य अपना पक्ष उपस्थित नहीं कर सकेंगे । इसलिये इसको आज भी चलन दिया जाये, कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपना पक्ष उपस्थित कर देंगे । उनको आप सुन लें कल ।

श्री अध्यक्ष—

इसको आज मैं नहीं ले रहा हूं । आज बजट के दो विभागों के अनुदान हैं, उनपर भी काफी समय लगेगा ।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मैंने और माननीय तोमर जी ने विशेषाधिकार की सूचना श्रीमन्, दी थी लिखित रूप से । विशेषाधिकार की अवहेलना सदन के समक्ष हुई थी और इसकी सूचना कल ही मैंने दे दी थी । मैं यह समझता था कि आज आप इस पर जरूर विचार करेंगे । इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है । मान्यवर, जिस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री यह जानते हुये भी कि आपने कल यह निर्देश दिया था कि आप इसे आज लेंगे, इस आदरणीय सदन के प्रति और आपके प्रति तथा आपके द्वारा निर्देश दिये जाने के बाद, सदन के चलते रहते, उनका किसी दूसरी जगह चले जाना एक गम्भीर बात है । मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, अन्य मंत्रीगण यहां हैं, वे उत्तर दे सकते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी खुद सदन में तशरीफ रखते हैं । कोई भी अन्य मंत्री उनका पक्ष उपस्थित कर सकते हैं । इसलिये इसे आज ले लें ।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न उपस्थित किया है वह पहले वाले से जुड़ा हुआ है और दोनों को एक ही साथ लेना चाहिये । माननीय तोमर जी का भी तो माननीय नियोजन राज्य मंत्री जी के विरुद्ध इसी का है कि उन्होंने उत्तर नहीं दिया । हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या सरकार इस तरह का उत्तर दे सकती है या नहीं । यह भी देखना होगा कि इससे विशेषाधिकार भंग का प्रश्न बनता है या नहीं । आपके विशेषाधिकार के दोनों प्रश्नों को एक साथ लिया जायगा । चूंकि मैंने उसको स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब इस पर विवाद नहीं ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, आज अखबार में निकला है, जिससे ऐसा मालूम होता है कि सदन के अधिकतर सदस्य अवांछनीय तत्व हैं या हिस्ट्रीशीटर हैं और सरकार ने भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सोहनवीर सिंह तोमर]

इसीलिए इस सूचना को कैंसिल करने के लिए रोक लिया, उत्तर नहीं दिया। अगर सारे प्रदेश के लोग अखबारों में उस सूचना को पढ़ेंगे तो उन्हें यह आभास होगा कि सदन के अधिकतर सदस्य अवांछनीय तत्वों में से हैं, इस लिए सरकार ने सूचना छिपाने के लिए उत्तर नहीं दिया। तो इस तरह से मान्यवर, हमारे मंत्री जी पर भी आक्षेप हैं कि वह एक मुकदमे में खुद मुलजिम हैं, इसलिए उत्तर नहीं दे रहे हैं। हम पर तो आक्षेप इसलिए होता है कि इनमें से अधिकतर लोग हिस्ट्रीशीटर हैं। इसलिए मैं चाहता हूं शीघ्रातिशीघ्र इसका निस्तारण हो जाय, जिससे हमारा भी मुंह उज्ज्वल हो जाय और मंत्री जी का भी मुंह उज्ज्वल हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप जानते हैं, एक कहावत है कि जो आखिर में हंसता है, वही सबसे अधिक सुखी होता है। तो इसलिए अगर यह विषय जब आ गया और अखबारों से तमाम प्रदेशों को भी सूचित हो गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो कोई न कोई निकलेगा ही और विधान सभा के सदस्य इतने सस्ते भी नहीं हैं और इतनी हल्की खाल के भी नहीं हैं कि कोई भी बात समाचार पत्रों में निकल जाय और वह उन पर चिपक जाय। ऐसा खतरा नहीं है ऐसा नहीं है कि इसको स्थगित किया जा रहा है।

श्री राम दत्त जोशी, सदस्य विधान सभा को रोक कर आतंकित करने के सम्बन्ध में कथित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, एक जानकारी चाहता था आप से। माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन इस आदरणीय सदन में सम्मानित सदस्य राम दत्त जोशी का तार पढ़ा गया था, उस दिन जो इस आदरणीय सदन में चर्चा हो रही थी, उसके अन्तर्गत आपने स्वयं यह बात कही थी कि उसमें आदरणीय सदन की अवमानना का भी प्रश्न निहित है, जिन लोगों ने जोशी जी को रोक कर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, उन्होंने इस माननीय सदन की अवमाना की है, और उस मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर देंगे। जोशी जी आ गये, उनसे वार्ता भी हो चुकी है, तो मान्यवर, उस विशेषाधिकार के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री अध्यक्ष--

आप तो नियम के पंडित हैं, राजेन्द्र कुमार जी। श्री जोशी को चाहिए या आप उनको परामर्श देते कि वह मुझको लिखित विशेषाधिकार की सूचना देते, तो अवश्य मैं विचार करता। मैंने उस रोज प्रागदर्शन में यह कहा था कि यदि किसी सदस्य को अपने भाषण के लिए आतंकित किया जाता है, तो वह सदस्य अपना कर्त्तव्य निर्भीकतापूर्वक वहन नहीं कर सकता है। श्री राम दत्त जोशी ने यहां पर अपना कर्त्तव्य पालन किया और जिसे वह अपनी दृष्टि से सत्य समझते थे, सदन में उसको रखा। उस भाषण के लिए उनको अपमानित करना, उनको धमकी देना उन पर प्रहार करना, यह अवश्य ही उनके कर्त्तव्य पालन में, सदन के कार्य पालन करने में रुकावट डालना है, जो निःसंदेह विशेषाधिकार की अवहेलना है। तो मैंने

यह कहा था कि अगर मेरे पास उन व्यक्तियों की सूचना आयेगी, जिन्होंने श्री राम दत्त जोशी को आतंकित किया और धमकाया कि ऐसा कर दिया जायगा, जिसके लिए उन्होंने कहा कि राख हो ही नहीं सकती, उनको प्रत्यक्ष दिखला दिया जायेगा। तो अगर जोशी जी या और कोई भी सदस्य मुझको लिखकर देंगे, तो मैं अवश्य विचार करूंगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् अभियन्ता संघ की हड़ताल के सम्बन्ध में आज होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

आइटम नं० ६, इस पर विद्युत मन्त्री जी ने आज अनुरोध किया है कि वह अन्यत्र व्यस्त हैं, कल को वक्तव्य देंगे। साथ ही साथ मैंने इस बात का निर्देश दे दिया है कि विद्युत संकट को लेकर बहुत से माननीय सदस्य चिंतित हैं, उन्होंने आज मुझे कई नियम ५१ की सूचनायें दी हैं। उन सबको भी माननीय विद्युत् मन्त्री के पास इस निर्देश के साथ भेज दिया गया है कि कल अपने वक्तव्य में इनका भी समावेश कर लें।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, १७ मार्च को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो उत्पात हुआ था, उस पर आपने आदेश दिया था कि एक महीने बाद उस पर कार्यवाही की जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि एक महीना पूरा हुआ है कि नहीं ? यदि पूरा हुआ है तो क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न उठा था, ३० अप्रैल तक जांच समिति ने समय ले रखा है। उसके बाद में इस प्रश्न को देखा जायेगा।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद) —

मान्यवर, मैंने एक नोटिस नियम ५१ में दिया था। आज विद्युत् मन्त्री वक्तव्य देने वाले थे। जो हड़ताल होने वाली है परसों से तो उसके पूर्व ही संकट आ चुका है और कई सौ मेगावाट बिजली कम हो गयी है। इस हड़ताल के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है पश्चिमी जिलों के किसानों को अनाज निकालने में, जो गहाई करते हैं, उनको बिजली नहीं मिलती है, इस कारण ध्यान आकर्षित किया था। आपने फरमाया कि चूंकि वक्तव्य है, उसी वक्तव्य में ले लेंगे। आज वक्तव्य हो नहीं रहा है। तो काफी गम्भीर संकट आया हुआ है अगर वक्तव्य होता तो कुछ पता चलता।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न उपस्थित किया है, उसमें लाभ तब हो सकता है, जब आज वक्तव्य हो आज नियम ५१ के प्रश्नों को साढ़े चार बजे ही ले सकते थे और साढ़े चार बजे मंत्री जी कहते कि वक्तव्य के लिए समय चाहता हूं तो मैंने पहले ही निर्देश दे दिया कि कल प्रश्नों के बाद में जब वक्तव्य दें तो जो सूचना आपने दी है, उस पर भी तैयार होकर आयें।

श्री नेमसिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैं इसी विषय में निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझसे इंजीनियर मिले थे। मैंने बातचीत की थी। लेकिन वक्तव्य से सारा पक्ष सामने नहीं आयेगा। तो इसमें चर्चा की बात है। इतने महत्वपूर्ण मसले पर समय अवश्य देने की कृपा करें, जिससे चर्चा हो सके।

श्री अध्यक्ष—

चर्चा के लिए समय निर्धारण कार्य मन्त्रणा समिति में तय होता है। मैंने कहा, इसको कल देख लेंगे।

आजमगढ़ कलेक्टरी के मैदान में हुए तथाकथित लाठी चार्ज पर वक्तव्य

पर्वतीय विकास उप मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

मान्यवर, ९ तथा १० अप्रैल, १९७८ को मुख्य मन्त्री ने आजमगढ़ जिले का दौरा किया तथा विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रमों में भाग लिया। कुछ राजनैतिक दल पहले से ही इनके आगमन पर विरोध प्रकट करके कार्यक्रमों में बाधा डालने की तैयारी किए हुए थे। उन्होंने ९-४-७८ को मुबारकपुर क्षेत्र में तमसा नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास सभा में मुख्य मन्त्री के भाषण के दौरान नारेबाजी आदि के द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया। मुख्य मन्त्री जब इसी तारीख की शाम को साढ़े सात बजे रेलवे ग्राउन्ड में भाषण देने लगे, तो २५-३० व्यक्तियों ने प्रदर्शन किया तथा नारे लगा कर भाषण में व्यवधान पैदा किया। बड़ी मुश्किल से इन लोगों को वहां से समझा-बुझाकर हटाया जा सका।

दिनांक १०-४-७८ को १० बजे दिन में मेहतापार्क, आजमगढ़ में आम सभा में लगभग २५-३० व्यक्तियों ने छात्र संघ के अध्यक्ष तथा स्टूडेन्ट फेडरेशन के सक्रिय कार्यकर्त्ता के नेतृत्व में नारे लगाये तथा कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न की। उपस्थित पुलिस के प्रयासों के बावजूद शान्तन रहने पर उन्हें सभास्थल से बाहर किया गया। पुनः सभा में घुसने की चेष्टा करते हुए पुलिस द्वारा रोकने पर प्रदर्शनकारियों ने उत्तेजित होकर पुलिस पर पथराव किया, जिसमें वहां उपस्थित पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक तथा ५ अन्य पुलिस कान्स्टेबुलों को चोटें आयीं। पुलिस अधीक्षक के सिर पर गम्भीर चोट के कारण उन्हें एम्बुलेन्स से उपचार हेतु सदर अस्पताल पहुंचाया गया।

पथराव आदि के सम्बन्ध में एक अपराध धारा १४७/३२३/३३६/३३७/३५३/३३२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ। डाक्टरी रिपोर्ट से पुलिस अधीक्षक के सिर पर गम्भीर चोट होने पर उक्त मुकदमें में धारा ३०७ और जोड़ दी गयी। १३ छात्र मौके पर तथा ८ अन्य व्यक्ति जो विवेचना के दौरान प्रकाश में आए, बाद में बन्दी बनाये गये। ८ प्रदर्शनकारियों को जेल भेजा गया तथा एक अन्य को जमानत पर छोड़ा गया। प्रदर्शनकारियों की ओर से प्रस्तुत प्रत्यावेदन के आधार पर एक क्रास केस बनाम अज्ञात पी० ए० सी० जवान दर्ज किया गया जो विवेचनाधीन है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

श्री श्याम धर मिश्र ने लखनऊ शहर में दिनांक ११ अप्रैल, १९७८ से बस कर्मचारियों की आंशिक हड़ताल के कारण कई रास्तों पर सरकारी बसों के न चलने से छात्रों को अत्यधिक परेशानी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

सामान्य प्रशासन पर विवाद चल रहा है, उसमें इस पर बहस की जा सकती है, इसलिए हमने इसको अस्वीकृत किया ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, हर चीज सामान्य प्रशासन में ढकेल देंगे, तो कैसे काम होगा ? बस में चलना सामान्य प्रशासन में कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष--

यदि मैं कार्य-स्थगन की इजाजत भी देता हूं तो भी इस प्रश्न को ४ बजे के बाद लिया जा सकता है और ४ से बजे पहले मतदान हो जायेगा । आपने अनुरोध मुझसे किया है, इसलिए आपको आजबोलने के लिए अवसर मिलेगा ।

दूसरा श्री देव बहादुर सिंह ने दिया है कि दिनांक २२ व २३ अप्रैल, १९७८ को रात को वाराणसी की पुलिस द्वारा श्री लल्लू सिंह को उनके घर से बाहर ले जाकर गोली से मारे जाने के कारण घोर असन्तोष है । इसको मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है और मैं मुख्य मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में निर्देश दे रहा हूं कि वाराणसी की इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं, इसलिए इस पर वक्तव्य दें ।

तीसरा श्री मोहन सिंह का काम रोको प्रस्ताव है कि दिनांक २८ अप्रैल, १९७८ को केन्द्रीय उद्योग मन्त्री, श्री जार्ज फर्नान्डीज का लार (जनपद देवरिया) जाने का कार्यक्रम, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विकास की सम्भावनाओं पर चर्चा होनी थी, राज्य सरकार की उपेक्षा पूर्ण व्यवहार के कारण रद्द होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्षोभ है ।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

मान्यवर, हमारे पास केन्द्रीय उद्योग मन्त्री, श्री जार्ज फर्नाडीज के सचिव, श्री रवि नायक, द्वारा प्रसारित कार्यक्रम है, जिसमें लिखा है कि दिल्ली से २८ मार्च को चलकर गोरखपुर पहुंचकर वहां से लार जायेंगे । वहां से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो उद्योगों की स्थापना होने वाली है और जो औद्योगिक जिले को घोषित किया है, उसके सम्पूर्ण विकास का कंसेप्ट है, उसके सम्बन्ध में चर्चा करेंगे । लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मन्त्रियों का हमारे अफसरशाही पर असर नहीं रहा है । सचिव, उद्योग टेलेक्स से श्री जार्ज फर्नान्डीज का कार्यक्रम स्थगित करवा रहे हैं । केन्द्रीय सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मुख्य मन्त्री के अनुरोध पर धन देने को तैयार है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को औद्योगिक जिला घोषित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय योजना तैयार है, लेकिन यहां की अफसरशाही की लापरवाही की वजह से उद्योगों का काम ठप है । मुझको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह---]

अफसोस है कि जो विकास काम होना चाहिए, वह हमारे अधिकारियों की लापरवाही से रुका हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर अपनी ओर से घोषित किये और जितने भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर ने हैं, वे मजाक का कारण बने हैं ...

श्री अध्यक्ष---

अब यह मोहन सिंह जी ...

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में खत्म करना चाहता हूं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सदन के अन्दर अपने अधिकार का उपयोग करने का, अपनी बात कहने का अवसर होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेण्टर आज मजाक बने हुये हैं। आप हम लोगों की ओर से, हमारा अनुरोध है, माननीय उद्योग मन्त्री जी को यह हिदायत दें कि इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की समस्याओं के बारे में केन्द्रीय सरकार की जो योजना है, उसके सम्बन्ध में वे तत्काल वक्तव्य दें और दूसरा सवाल यह है कि एक मन्त्री का कार्यक्रम एक सचिव लगातार रोके, जिसकी वजह से सारे उद्योग कार्यक्रम यहां ठप्प पड़े हुये हैं, मैं इस पर चाहूंगा कि कुछ कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्ष---

इसके सम्बन्ध में ...

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है ...

एक सदस्य---

(बीच में बोलते हुए) हमारे पूर्वी जिले की जो विकास का कार्यक्रम है, जो योजना बन रही है, इस पर वक्तव्य होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष---

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री देव बहादुर जी, इसको मैं अस्वीकृत कर रहा हूं।

(श्री आरिफ मोहम्मद खां के खड़े होने पर)।

आरिफ जी आप बैठिये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

आप सुन तो लीजिए। एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप नियम बताइये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां---

व्यवस्था का प्रश्न जिस नियम के अन्तर्गत उठाया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं । इस समय इजाजत नहीं दूंगा । आप अपना स्थान ग्रहण करें । आप समय नष्ट करते हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

आप सुन तो लीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

मैं कहता हूं जब तक आप नहीं बतायेंगे कि किस नियम के मुताबिक, मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री श्याम धर मिश्र—

नियम तो आप बतायेंगे, हम बिचारे क्या जानें नियम ।

श्री अध्यक्ष—

आप जानते हैं । इस प्रकार अनावश्यक व्यवस्था के नाम पर खड़ा होना...

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मैं आपकी बात मानूंगा । मैं एक बात कहना चाहता था । माननीय मोहन सिंह जी का प्रस्ताव काम रोको प्रस्ताव है या ऐसी सूचना थी, जिसमें आप से यह कहा गया कि आप हिदायत दें सरकार को कि वह काम करे । इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

यही तो । अगर आप सुनें तो । उन्होंने काम रोको की शक्ल में दिया है और यह कहा है कि इस प्रश्न पर बहस करने के लिए काम रोका जाय । लोग खड़े हो गए । मैं कहता हूं, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि कार्य-स्थगित किया जाय । मैं अस्वीकार करता हूं और माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि उद्योग मन्त्री जी देखें कि केन्द्र के मन्त्रियों के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में इस प्रकार से हस्तक्षेप न किया जाय । मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट हो गया है ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

किस नियम के मुताबिक मैं ऐसे इजाजत नहीं दूंगा । आप बैठें ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

कोई बात ...

श्री अध्यक्ष—

नियम बताइये । कैसे खड़े हैं ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मैं बताना चाहता हूं संसदीय प्रणाली...

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का कोई प्रश्न मेरे सामने नहीं है। आप बैठें।

श्री अजीत सिंह सेठी--

आप सुन लीजिए। मैं नियम बताऊंगा...

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था नहीं। किस नियम के मुताबिक ?

(श्री सेठी के पुनः कुछ कहने पर--शोर)

मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री अजीत सिंह सेठी--

संसदीय प्रणाली की व्यवस्था...

श्री अध्यक्ष--

आपसे मैंने कहा कि आप कौन सी व्यवस्था पर खड़े हैं ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मैं कह रहा हूं कि संसदीय प्रणाली में जो इस वक्त यह प्रस्ताव काम रोको का है, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने स्वीकार नहीं किया, इस प्रश्न को।

श्री अजीत सिंह सेठी--

स्वीकार किया या नहीं ...

श्री अध्यक्ष--

अब इसमें विवाद नहीं होगा। अब सामान्य बजट पर चर्चा जारी होगी।

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ३--मन्त्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवायें, अनुदान संख्या ४०--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनायें तथा अनुदान संख्या ४५--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (क्रमागत)*

श्री गौरी शंकर भैय्या (जिला बलिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सामान्य बजट पर बोलने का मुझे जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, दो दिनों से इस बजट पर चर्चा चल रही है। माननीय सदस्यों ने, विरोध पक्ष के लोगों ने अपने

*२५ अप्रैल, १९७८ की कार्यवाही से।

अपने विचार व्यक्त किए हैं । मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । कुछ बातें प्रशासन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के परिवेश में और बलिया जनपद के परिवेश में कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, बार-बार कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई अवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है, लेकिन मन्त्रि मन्डल के सदस्य उठ कर कह देते हैं कि उतनी बिगड़ी हुई स्थिति नहीं है, जितना कि अतिरंजित चर्चायें उसके बारे में की जाती हैं । गांवों और शहरों में आज जो स्थिति है, वह असहनीय है । अभी हाल में माननीय मन्त्री जी के घर में बम विस्फोट हुआ, मैं माननीय स्वायत्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उसकी जो जांच हुई, उसकी रिपोर्ट आज तक सदन के पटल पर नहीं रखी गई और फिर भी कहा जाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था अपनी जगह पर सही है । साल भर के अन्दर जो घटनाएं हुईं उनको देखें । शम्भू नाथ चौधरी की अटैची जब वह बलिया जा रहे थे, लखनऊ स्टेशन पर छीन ली गयी और पुलिस आज तक कोई कार्यवाही करने में सफल नहीं हुई । माननीय रवीन्द्र सिंह पर होने वाली घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आये दिन इनके ऊपर गोरखपुर में खतरा बना हुआ है । इन पर गोली चलती है, घिराव होता है । बार-बार सरकार का और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन आज भी इनके जीवन को सुरक्षित रखने की गारन्टी न तो स्थानीय प्रशासन दे पाया और न उत्तर प्रदेश शासन ही दे पाया है ।

अब मैं पन्त नगर गोलीकान्ड की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । उस दिन जब इस पर चर्चा थी तो मैं चाहता था कि बोलने का मौका दिया जाय, लेकिन यह कह कर कि वे लोग जो वहां गए थे और देखकर आये हैं, उनको मौका दिया गया और बाकी को मौका नहीं दिया गया । वहां २०८ राउन्ड गोली चलाने की बात की जाती है और फिर भी बहुत ही अदा के साथ सरकार की ओर से कह दिया जाता है कि मात्र १२ या २० आदमी मरे थे । जहां ६ हजार की भीड़ जा रही हो और २०८ राउन्ड गोली चलायी जाय फिर भी १२ या २० आदमी मरे समझ में नहीं आता अखबारों में निकला कि सैकड़ों मारे गये और सैकड़ों घायल हुए तो कहा जाता है अखबार वाले अतिरंजित बात कहते हैं और समाज के वातावरण को गन्दा करते हैं लेकिन निरन्तर जो सूचनाएं पन्तनगर से मिल रही हैं उनको कोई भी सभ्य प्रशासन स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा । मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि चूंकि जांच हो रही है तो उन लोगों को जो दोषी हैं अविलम्ब वहां से सस्पेंड करके या छुट्टी पर दूसरी जगह भेज दिया जाना चाहिए । एक अफवाह बड़े जोर से यह चल रही है कि जिन वाइस चान्सलर के कारण इतना बड़ा कांड हुआ उनको दोबारा वी० सी० बनाने की कोशिश की जा रही है या यहां निदेशक कृषि में ले आने की बात चल रही है । अगर ऐसा है तो कोई भी माननीय सदस्य इसकी निन्दा करने में नहीं चूकेगा ।

[श्री गौरी शंकर भार्या—]

अब दूसरी बात लें ए० पी० पी० का मामला इस प्रदेश में बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। एमरजेन्सी के पहले यह कहा गया था कि ए० पी० पी० पुलिस के नियंत्रण से अलग कर दिये जायेंगे लेकिन जब एमरजेन्सी आयी तो पुलिस के अन्दर ले लिये गये और स्वच्छ न्याय की बात कही जा सकती थी, उसको धूमिल कर दिया गया। पुलिस जो कुकर्म करती थी डी० आई० आर० और मीसा में ए० पी० पी० जिले में उन लोगों के सलाहकार बन जाते थे। मैं अनुरोध करूंगा कि० ए० पी० पी० को पुलिस से अलग किया जाय और उसको न्याय सचिव के अंडर कर दीजिये या अलग निदेशालय बना दिया जाय ताकि लोगों को न्याय अच्छी तरह से मिल सके।

अब मैं पुलिस की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। डी० आई० जी० से ले कर दरोगा तक भ्रष्टाचार में उलझे हुए हैं जनता का ध्यान उनकी मौज मस्ती की तरफ भी जाता है। कहा यह जाता है कि पूरा विभाग भ्रष्टाचार के अन्दर लिप्त हो गया है। भ्रष्टाचार को हटाने के लिये भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग खोला जाता है तो वह विभाग स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। जिस विभाग को भ्रष्टाचार हटाने की जिम्मेदारी प्रदेश में दी गयी है, उससे भ्रष्टाचार निश्चित रूप से दूर होने वाला नहीं है। एक कहानी याद आ गयी। एक लड़का सड़क पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। गांव वालों ने उसे पकड़ा। उसको ले कर वह उसके पिता के पास गये और कहा देखो तुम्हारा लड़का सड़क पर पेशाब कर रहा है। गांव वालों ने देखा कि उसका बाप चारपाई पर खड़ा हो कर पेशाब कर रहा था। वह उसको पकड़ कर मुखिया के पास ले गये तो देखा कि गांव का मुखिया छत पर खड़ा हो कर पेशाब कर रहा था। इसी तरह छोटे कर्मचारी को पकड़ने के लिये जब पुलिस का अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो वह भी घूस लेने लगता है। पुलिस को ठीक करने के लिये जब इंटिलिजेंस के लोगों को लगाया जाता है तो वह भी घूस लेने लगते हैं। एंटिकरप्शन के लोगों को लगाया जाता है तो वह भी घूस लेने लगते हैं और इस तरह यह प्रक्रिया आगे से चलती है और पीछे तक चलती रहती है। मेरा अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाय और जनमानस में ऐसी प्रेरणा पैदा की जाय ताकि भ्रष्टाचार में कमी की जा सके। करोड़ों रुपये का सामान्य प्रशासन हेतु अनुदान पेश किया गया है। देव बहादुर जी जिस समय बोल रहे थे तो उनका कहना था कि शासन को इतना रुपया नहीं देना चाहिये। यह सरकार न भी रहेगी तो भी शासन चलता रहेगा। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि जैसा शासन आपने चलाया है उसके बारे में मुझे नहीं कहना है। लेकिन एक बात मुझे अवश्य कहनी है कि जनता पार्टी के शासन में यह बात बार-बार कही जाती है कि कर्मचारी नियंत्रण पर रखा जाय। मुख्य मंत्री को सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिये, आखिर किस बात का डर उनको लगता है? इतना बड़ा बहुमत उनके साथ है, कोई क्रान्ति कारी कदम उनको उठाना चाहिये और यह बहुमत उनका समर्थन करेगा।

एक बात मैं बलिया जनपद की कहूंगा। टोंस नदी पर पिपराघाट पुल है। कई हजार रुपये की लूट रोज उस पर होती है। बनारस का जो पी० डब्ल्यु० डी० का बड़ा इंजीनियर है, उसकी बीबी जाती है तो कई हजार का समान गाड़ी में रख कर ले जाती है और जो आदमी रुपया देता है उसकी नियुक्ति वहां की जाती है। इसकी जांच की जानी चाहिये।

एक अन्तिम निवेदन यह है कि सर्वे, चकबन्दी के दौरान जमीन में काफी गोलमाल हो गया है और दोनों विभाग काफी फायदा उठा रहा है। माननीय मंत्री से अनुरोध

भी किया गया था कि जो दोनों के अधिकारी है उसको स्थानान्तरित कर दिया जाय, जो बेईमान अधिकारी हैं उनको हमारी जनपद में नियुक्त न किया जाय ताकि जनता को वास्तविक रूप से राहत मिल सके। एक बात में पुलिस के सिपाहियों के बारे में कहन चाहता हूं। पुलिस के कुत्ते पर जितना व्यय होता है पुलिस के सिपाही पर उतना व्यय नहीं होता। पुलिस के घोड़ों पर जितना व्यय होता है पुलिस के सिपाहियों पर उतना व्यय नहीं होता है। डी० आई० जी० के बंगले के रख-रखाव पर जितना व्यय होता है उतना सिपाही के खाने और रहने पर व्यय नहीं होता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का स्वागत करता हूं होमगार्ड और पहरेदारों की तनख्वाह बढ़ा दी है। इसी प्रकार सिपाहियों की तनख्वाह और रहन-सहन को सुधारने के लिए प्रयत्न करेंगे। इन शब्दों के साथ, जो आपने समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि सामान्य प्रशासन की मांगों पर अपने विचार रखने का आपने मुझे मौका दिया बड़े गौरव की बात है कि प्रदेश और देश में जनता पार्टी ने फिर से लोक तंत्र की पुनर्स्थापना की। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन लोकतंत्र के सामने आज फिर से खतरा विद्यमान हो गया है उसकी तरफ में ध्यान दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं। मान्यवर, जिस दिन कांग्रेस का विभाजन हुआ था उसी दिन इंदिरा कांग्रेस के लोगों ने देश और प्रदेश में खून की नदियां बहाने का नारा दिया था। उसके कुछ दिन बाद में माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था मैंने कहा था कि यह इंदिरा कांग्रेस की राजनीति की मजबूरी है कि वह इस प्रदेश में अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए लूट खसोट, तोड़-फोड़ और असामाजिक कार्यों तथा असंवैधानिक हरकतों को बढ़ावा देंगे। मान्यवर, आज देश व प्रदेश के अंदर यह साजिश कई स्तरों पर चलाई जा रही है। शाह कमीशन में जो जांच चल रही है, जिन अदालतों में मुकदमें विचाराधीन है उन अदालतों के अंदर यूथ कांग्रेस [× ×] दिन रात हरकतें कर रहे हैं। इस तरह से इन संस्थाओं पर से जन जीवन का विश्वास समाप्त करने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

विजय राज जी यह जो आपने इंदिरा गांधी के गुंडे शब्द का प्रयोग किया इसको प्रयोग न कीजिये मैं इसको प्रोसीडिंग से निकाल रहा हूं।

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री विजय राज सिंह--

मान्यवर, इसी साजिश का दूसरा हिस्सा इस माननीय सदन की सभी मान्य परम्पराओं को तोड़ने और भंग करने के लिए चलाया जा रहा है। १७ मार्च को जिस रोज पहली बार एक हरिजन राज्यपाल ने इस सदन को संबोधित किया था उस रोज जो हरकतें की गई वह इस सदन की गरिमा को तोड़ने की साजिश थी। इस तरह से प्रदेश के अंदर यह भावना फैलाई जा रही है कि इन संस्थाओं का लोकतंत्र में कोई अस्तित्व नहीं होता है। तीसरी साजिश जो चल रही है वह रेलों के अंदर तोड़-फोड़ और पटरियों को उखाड़े जाने की तथा यात्रियों को लूटने की है और सार्वजनिक संस्थानों को क्षति पहुंचाने की है।

श्रीमन्, लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश का एक हिस्सा जातीय युद्ध का नारा है। इंदिरा कांग्रेस के लोग रोज अनवरत रूप से जातीय युद्ध का नारा दे रहे हैं। जिससे प्रदेश के अंदर आज यह स्थिति खड़ी हो गई है। यह एक भयंकर स्थिति है। मान्यवर, जब रूस के अंदर पहली समाजवादी सरकार बनी थी और कैरेन्स वहां के प्रधान मंत्री थे वह लोकतंत्रिक समाजवाद में विश्वास करते थे। उसका फायदा वहां के कम्युनिस्टों ने उठाया और वहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं को अन्दर व बाहर से समाप्त कर दिया था। आज यह प्रश्न हमारे देश और प्रदेश के सामने भी खड़ा हो गया है। प्रश्न यह है क्या उन लोगों को यह खुली छूट हम दे सकते हैं जिनका इन संस्थाओं में यकीन नहीं है। जिनका लोकतांत्रिक जिंदगी के अंदर कोई यकीन नहीं है। इनसानी आजादी और इनसानी हैसियत को हासिल करने के लिए हमारे पुरखों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। बहुत से लोग फांसी के तख्तों पर झूल गये। बहुत से नौजवानों ने गोलियां खाई, बहुत से लोगों ने अनकही यातनाएं झेली तब यह आजादी हासिल की यही आजादी हाल ही में हम से कुछ समय के लिए छीन ली गई थी। उसको फिर हासिल करने में लोकनायक जय प्रकाश जी जिंदगी और मौत के बीच कर दिये गये। इस आजादी को हासिल करने में केरल में राजन ने रोलर को अपने सीने पर तौला तो बरेली में कुछ नौजवानों ने हंस कर नाखून खिचवाये। बहुत लोग गोलियों के शिकार हुए। नसबंदी के नाम पर इस देश में क्या-क्या जुल्म ढाये गये? इस देश के अन्दर एक राजनीतिक दल एक परिवार की तानाशाही की स्थापना करने में सफल हुआ था। यह बात सोचने की है कि क्या उनको यह छूट दी जा सकती है। मैं आज इस सदन के माध्यम से इस सरकार से मांग करता हूं कि जब तक इन्दिरा कांग्रेस के लोग लोकतन्त्र में अपनी आस्था नहीं व्यक्त करते हैं और अपने आचरण से यह साबित नहीं करते हैं कि लोकतन्त्र में उनका पूर्ण विश्वास है, तब तक राजनीतिक गतिविधियों के नाम पर लोकतन्त्र को समाप्त करने की जो इनकी साजिस चल रही है, उस पर पूरी रोक लगाई जानी चाहिए। उनके सारे कारनामों पर हमें निगरानी रखनी होगी, यदि लोकतन्त्र को बचाना है तो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों की समस्या को लेकर बहुत से लोगों ने इस सवाल को यहां पर उठाया और उछाला है। इन्दिरा कांग्रेस के लोग और उनके अनुयायी खासतौर से झूठे आंसू रोते रहे हैं और ३० साल में बराबर यही करते रहे हैं। हमारे देश के राजनैतिक जीवन में हरिजन पिछले ३० साल से एक लावारिस हसीना की जिन्दगी गुजारता रहा है। हर राजनीतिज्ञ की आंख उसके कोमल जिस्म पर रही है, लेकिन उनके मन और प्राण पर किसी की दृष्टि नहीं गई है। समाज का यह महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग-"हरिजन" हिन्दू समाज की तमाम कुंठाओं और जुल्मों को सहते हुए भी हमारे देश में हिन्दू धर्म का अंग बना रहा है। आज जो लोग उनके खिलाफ नफरत फला रहे हैं,

उनको हरिजनों का बड़ा एहसानमंद होना चाहिए। आज जब जनता सरकार उनको उनका वास्तविक हक, उनका वाजिब हिस्सा देने की कोशिश कर रही है तो स्वार्थी लोग, समाज के शत्रु उसके विरोध में तरह-तरह से जातीय युद्ध का नारा लगा रहे हैं और समाज में विषाक्त वातावरण बना रहे हैं। यह हरिजनों और पिछड़ों के साथ जातीय युद्ध का नारा लगा रहे हैं, जिनको ५ हजार साल से पशु की जिन्दगी बसर करने के लिए विवश कर रहे हैं। लेकिन अब फर्क यह हो गया है कि ये लोग अब और अधिक पिसने को तैयार नहीं हैं। सेहरा जी को मालूम होना चाहिए कि अब यह लोग आप लोगों की ताजपोशी में घायदान का काम करने को तैयार नहीं हैं। अब यह काम होने वाला नहीं है। आपकी हकीकत अब उनके सामने आ गई है और उन्हें अधिक दिन तक भ्रम और धोखे में डाले रहना आपके लिए या किसी के लिए भी सम्भव नहीं होगा।

तीसरी बात में १८ साल के नवयुवकों को मताधिकार दिए जाने के बारे में कहना चाहता हूं। एक १८ साल का नवयुवक इस देश की फौज में भरती होकर परमवीर-चक्र जीत सकता है, १८ साल का नवयुवक पुलिस में भरती होकर किसी भयंकर डकैत से लड़ते-लड़ते समाज के लिए और कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की बलि दे सकता है, लाखों-करोड़ों का व्यापार-रोजगार कर सकता है और लाखों करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का बैनामा कर सकता है और १८ साल के नवजवान की शादी हो गई हो तो वह बाप भी बन सकता है, लेकिन १८ साल के नौजवान में इतनी समझ हम मानने को तैयार नहीं हैं कि वह अपने हिसाब से वोट पर ठप्पा लगा सकता है। मैं अपने दल के सभी सदस्यों से मांग करता हूं कि हम अपने विगत की ओर देखें, अपनी कथनी और वायदे को देखें। जनता पार्टी में शामिल हम चाहे जिस विंग के हो हमारे सभी के युवा संगठनों ने मांग की थी और उसे हमने बल दिया था, समर्थन किया था और स्वीकार किया था कि जब हम सत्ता में आयेंगे, १८ साल के नवयुवकों को वोट का अधिकार देंगे। किन्तु अब आपके सामने कौन सी मजबूरी है कि आप इस प्रश्न को अभी तक तय नहीं कर पाए हैं।

अन्त में मैं एक बात अपने मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको क्रान्तिकारी पृष्ठभूमि में यहां का नेतृत्व मिला है, गांवों के लोगों ने, पिछड़े और सताये लोगों ने आप पर अपना अटूट विश्वास किया है वे आपके पीछे अपना सीना लगाए खड़े हैं, इसलिए आप हमेशा मुरझाए मन और मुरदा दिल से फसला न किया करें। आप जो जनहित में निर्णय लें, उसे दृढ़ता से कार्यान्वित करें, बहुमत और अधिकांश जनता आपके साथ है। आपने १५ प्रतिशत के आरक्षण का जो निर्णय किया है, जो ऐलान किया है, वह बहुत थोड़ा है, उसको बढ़ाइये। आप तो डाक्टर राम मनोहर लोहिया के शिष्य रहे हैं, इसलिए आप इसे उनके स्वप्न-६० सैकड़ा तक पहुंचाइये।

यह जो जनता पार्टी की सरकार आई है, वह यहां पर गांवों के मामूली आदमी के प्रबल बल की, किसानों और मजदूरों तथा अन्य निम्नवर्गीय लोगों की

[श्री विजय राज सिंह---]

लाई हुई है। इस पार्टी की सरकार की स्थापना करने में, मुझे कहना नहीं चाहिए, बुद्धिजीवियों का कोई हाथ नहीं रहा है। इस वर्ग के ज्यादातर लोग इन्दिरा गांधी का नारा लगा रहे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि जनता के अपर बहुमत से राजनीतिक दिशा ही बदल गई है, तो यह लोग इस धारा में शामिल हो गये। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि आप इनके द्वारा दिखाए मार्ग पर न चलें, इनके साथ-साथ न बहें। इस सड़े समाज की धारा को मोड़कर जिस नई धारा का निर्माण हुआ है, जो ऐतिहासिक घटना है आप उस धारा को मजबूत बनाने का पुनीत कार्य करें। अगर आप पीछे की ओर चलेंगे, पुरानी धारा पर चलेंगे तो नौजवान ताकतें आपसे परहेज करेंगी।

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट (जिला इटावा)---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का समय दिया. . . .

श्री अध्यक्ष---

आपको ५ ही मिनट में समाप्त करना है, यह ध्यान रहे।

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट---

ये तो आपका स्नेह विशेष रूप में मुझ पर रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि समय में ही समाप्त कर दूं।

मान्यवर, हमारे दूसरे सम्मानित सदस्यों ने कहा कि हमें सरकारी तन्त्र या शासनतन्त्र के साथ सहयोग करना चाहिए और उनकी उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिनका जिक्र हमारे इस माननीय सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने किया है। लेकिन मेरा निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्री जी से कि शासनतन्त्र को कुछ चीजों की ओर देखना पड़ेगा, कि यह वही ब्यूरोक्रेसी है जो अंग्रेजों के जमाने में थी और आज उसी प्रकार की परिपाटी चली आ रही है। आई० सी० एस० अधिकारियों में से कलेक्टर ह्यूम और मार्श का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। हम उनको किस्से कहानी की तरह याद करते हैं।

आज के आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारी चतुर्वर्णीय व्यवस्था में विभाजित हैं। आई० ए० एस० अधिकारी अपने को बीस बिसुआ का ब्राह्मण मानता है और पी० सी० एस० अधिकारी को १५ बिसुआ वाला मानता है। जो डाइरेक्ट आई० ए० एस० में बैठ कर आता है वह २० बिसुआ वाला अधिकारी १५ बिसुआ वाले पी० सी० एस० अधिकारी से बात करने में अपनी हेठी समझता है। वह अधिकारी जो हमेशा अकेले बैठ कर पढ़ाई-लिखाई करता है, अकेले ही बैठ कर चिट द्वारा मिलकर बड़ी खूबसूरती से काम करने की उसकी प्रवृत्ति है। अंग्रेजी शासन में सात समुंदर पार से आने वाले अधिकारी काम करते थे, इस लिए उनमें अन्तर था, यहां के अधिकारियों से। लेकिन आज किसी आई०ए०एस० और पी० सी० एस० अधिकारी से बात करें, चाहे वह इस प्रदेश के हों या देश में कहीं और, उनमें इस तरह की कटुता है। न उनके अन्दर समाज सेवा की भावना है और न प्रशासन में काम करने की। यह तन्त्र इतना ज्यादा माहिर है कि कोई सरकार की योजना हो, वह जानता है कि किस खूबसूरती से, उसमें विलम्ब किया जाय जिसको आई० सी० एस० खेरा कहा करते थे अनड्यु कम्प्लायंस द्वारा वह उसमें विलम्ब कर देता है। यहां पर एक जिलाधीश या कप्तान की

बीबी चाहे हजारों रुपये का तोहफा ले लें तो वह शिष्टाचार है। लेकिन एक कांस्टेबिल की बीबी अगर २० किलो आटा अपनी लड़की की शादी में ले लें तो वह भ्रष्टाचार है। विजिलेन्स में एक से एक बेईमान अधिकारी हैं। जिस अधिकारी को दंड देना होता है, उसको बिजिलेंस में भेज दिया जाता है। उस विजिलेंस के अधिकारी पर जिम्मेदारी होती है कि वह दूसरों की बेईमानी पकड़े। विजिलेंस में जब ईमानदार आदमियों को ला कर रखेंगे तभी वह बेईमानी को पकड़ सकेंगे लेकिन ऐसा नहीं किया जाता यह एक मखौल की बात है। इतने बड़े-बड़े कारपोरेशन जहां लाखों रुपये का गोलमाल है। लेकिन कोई विजिलेंस द्वारा नहीं पकड़ा गया। इटावा में एक मुवक्किल ने एक चपरासी को एक रुपया शुकराना दिया जैसे ही वह एक रुपया शुकराना दिया जाता है तो वेजिलेंस का अधिकारी उसको पकड़ लेता है। इससे ज्यादा मखौल की क्या बात हो सकती है ?

कहा गया है उत्तम खेती, मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। जो लोग सर्विस में आते हैं, वह चाकरी की प्रवृत्ति ले कर आते हैं। अपने मन में सारी बातें रखते हैं। उनको अधिकार नहीं है कि अपनी बात कह सकें। नीचे के कर्मचारी को यदि उनका बास कह दे कि नीम के पेड़ में आम लगे हैं, तो वह कह देगा कि नीम के पेड़ में आम लगे हैं। क्या यही है प्रशासन की निष्पक्षता है कि एक आई० ए० एस० अधिकारी चार साल के बाद कलेक्टर हो जाता है लेकिन एक पी० सी० एस० का अधिकारी जो २८ वर्ष पुरानी सर्विस का हो, जिसके बाल सफेद हो जाते हैं, उसे जिला अधिकारी के पद पर काम करने का मौका नहीं मिलता है। वह पी० सी० एस० का अधिकारी प्रोमोशन नहीं पाता नायब तहसीलदार १५ साल में तहसीलदार हो जाय तो बहुत बड़ी बात है। बी० डी० ओ० हो कर जो आता है वह बी० डी० ओ० ही रह जाता है। जो नीचे के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके लिए एक सी नीति होनी चाहिए। आई० ए० एस० बनने के बाद १६ वर्ष की सर्विस का छोकड़ा जिसमें परिपक्वता भी नहीं है वह कमिश्नर बन जाता है और दूसरे अपनी उम्र बिता देते हैं उनको किसी दूसरे पद पर प्रमोशन नहीं मिलता। इन प्रशासनिक विषमताओं के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों में असंतोष है जिसका निराकरण किया जाना चाहिये।

मान्यवर, मैं अन्त में २-३ बातें माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। आपने घोषणा की है कि मितव्ययिता बरती जायगी। मैं इस मितव्ययिता का कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। शायद यह भी इनकी मितव्ययिता है कि प्रत्येक मंत्री के पास दो-दो निजी सचिव हैं, और उनसे भी काम नहीं चलता है तो उनके ऊपर पी० आर० ओ० रखा है इन पी० आर० ओ० पर २२ हजार रुपया प्रतिमास का खर्चा हो रहा है। यह मितव्ययिता की बहुत अच्छी मिसाल है। दूसरी चीज यह है कि आपने कैबिनेट का डिसीजन लिया है कि कोई भी रिटायर्ड कर्मचारी सेवा में नहीं रखा जायेगा। गन्ना मंत्री जी ने अपना पी० आर० ओ० एक रिटायर्ड कर्मचारी को रखा है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें। आप का समय समाप्त हो गया।

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट--

मैं बहुत जल्दी ही समाप्त करता हूं पी०ए०सी० कान्ड के समय केवल एक आई०जी० था और अब ४ आई०जी० कर दिये गये हैं और २९ डी०आई०जी० कर दिए गये हैं। एक अधिकारी पर कम से कम २ हजार रुपये प्रतिमास का खर्चा अधिक हो गया है। आप देखें कि एक इन्सपेक्टर को मोटर साइकिल का भत्ता ६ रुपया मिलता है लेकिन डी० आई० जी० और एस० पी० को कार एलाउन्स और डिप्टी एस० पी० को जीप एलाउन्स दिया जाता है लेकिन वर्किंग क्लास को कुछ नहीं दिया जाता है। डिप्टी एस० पी० को मेन्टीनेन्स के लिए रुपया दिया जाता है। लेकिन सब इन्सपेक्टर को और कानिस्टेबिल को जो २४ घन्टे ड्रेस पहन कर काम करते हैं उसको एक पैसा भी नहीं दिया जाता है। (लाल बत्ती जलने पर) अब मैं समाप्त कर रहा हूं। इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि ए० पी० पी० जो हैं पता नहीं है कि वह किसके अन्डर में हैं डी० एम० के अन्डर में हैं या एस० पी० के या किसी अन्य व्यक्ति के अन्डर में हैं? अगर उनसे निष्पक्षता से काम लेना है तो मैं कहता हूं कि उनको हाई कोर्ट के अन्डर कर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

आप अब समाप्त कीजिए।

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट--

मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं। मेडिकल विभाग के बारे में भी कहना चाहता हूं, जो सी० एम० ओ० होता है उसका ज्वाइंट डाइरेक्टर के पद पर प्रमोशन होता है। लेकिन सी० एम० ओ० नहीं चाहता है। सी० एम० ओ० इलाहाबाद है वह ज्वाइन्ट डायरेक्टर हो सकते थे लेकिन उन्होंने अपने प्रमोशन को टलवा दिया जब तक कि उनका नम्बर एडीशनल डायरेक्टर के लिए ड्यू न हो जाये। डा० जोशी हैं उन्होंने क्या किया कि वह ज्वाइन्ट डायरेक्टर नहीं हुए और सीधे एडीशनल डायरेक्टर हो गये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन सारी चीजों को देखें। हरिजन उत्पीड़न बहुत हो रहा है। इसके लिए पुलिस की व्यवस्था ठीक की जाये। अगर यह उत्पीड़न समाप्त नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में चिनगारी फैलेगी जिसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे अन्त में मैं दबे मन से इस बजट का समर्थन करता हूं इन शब्दों के साथ कि--

न पूछो क्या गुजरती है दिले खुद्दार पर अक्सर,
जब किसी नामे हरबां को मेहरबां कहना ही पड़ता है।
हमारे सामने जिसने बहारे अंजुमन लूटी,
उसी को अब करोगे अंजुमन कहना ही पड़ता है।
यह दुनिया है यहां हर काम होता है करीने से,
यहां पत्थर को भी लाले गिरां कहना ही पड़ता है।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, सामान्य प्रशासन एक ऐसा विषय है और इतना व्यापक है कि किसी माने में इस पर जो ढाई दिन की चर्चा के लिए समय दिया गया है वह पर्याप्त नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। किसी भी माने में ४-५ दिन की पूरी चर्चा होनी चाहिए। अगर सही माने में प्रशासन हो तो समाज की सेवा हो सकती है ....।

(इस समय १ बज कर २१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधे श्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

आज चारों तरफ से विशेषतौर से उस ओर से बराबर यह दुहाई दी जा रही है कि ३० वर्ष के कांग्रेस शासन में यह हुआ वह हुआ। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि अब ३० वर्ष के शासन का जमाना बीत गया। आप नयी क्रान्ति का जमाना ला कर पैदा हुए हैं, उस नयी क्रान्ति की दिशा में आप सोचें कि सामान्य प्रशासन की ओर से क्या क्रान्ति करनी है। आप उस जमाने की तुलना कर रहे हैं। अगर किसी ने तुलनात्मक गल्ती न की होती ? तो उसकी हार क्यों होती। कांग्रेस ने साल डेढ़ साल से गल्ती की तो उसके आगे आ गयी। आप कांग्रेस की गल्तियों का मुकाबला अपनी गल्तियों से करना चाहते हैं। जितनी गल्तियां कांग्रेस शासन ने ३० वर्ष में की थीं उतनी गल्तियां जनता पार्टी की एक साल मे निकल जायेंगीं। आपके सामने एक अवसर आया है। अगर आप प्रदेश का सामान्य प्रशासन ठीक कर लेंगे तो सचमुच प्रदेश की बड़ी सेवा होगी क्यों आप भूल जाते हैं कि एक जमाना यह था कि अभी साल भर पहले इस लोक सभा के चुनाव में शून्य कांग्रेस आई ८५ जनता पार्टी आई और एसेम्बली में आप के दल के ३५१ आये थे, विरोध में ७० आये और हम लोगों के दल में ४६ आये थे। यह स्थिति १० महीने पहले थी लेकिन जो स्थिति आज आयी है, केवल एक साल मे, आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखें कि जनता आपको आने वाले जमाने में बदलेगी। आज आप क्या गल्तियां कर रहे हैं, आप के खिलाफ आज देहातों में लोग-एक हवा आई है आज देहातों से यह कहने लगे हैं कि कांग्रेस ही अच्छी थी। जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ नारा लगा था, उनकी पार्टी हारी थी और वे स्वयं भी हारी थीं..

श्री अधिष्ठाता--

आप नाम न लें नाम की प्रथा बड़ी गलत होती है ?

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

वर्ष १९७७ में इंदिरा जी हारीं और उसके बाद जितने चुनाव हुए उनमें क्या हुआ ?

श्री अधिष्ठाता--

नेम सिंह जी आप बैठिये ?

श्री श्याम धर मिश्र--

जिस देश में प्रधान मंत्री का दल हारा, प्रधान मंत्री स्वयं हारी यह एक बड़ी भारी क्रान्ति की बात है। आप सुनते नहीं हैं, कुछ ऐसे होता है, क्या हम

[श्री श्याम धर मिश्र--]

बहरे हैं, अंधे हैं। वह इस लिए होता है क्योंकि जनता पार्टी शासन करने योग्य नहीं है। वह विकल्प के रूप में नहीं है। अब आप जीत कर आये हैं, कांग्रेस तो ३० वर्ष तक शासन में रही लेकिन अगर आप १० वर्ष भी रहे तो बहुत बड़ी बात होगी, मैं तो चाहता हूं कि आप रहें लेकिन आप सामान्य प्रशासन को ठीक करें।

एक सदस्य--

आप ब्राह्मण हैं।

श्री श्याम धर मिश्र--

हां, मैं ब्राह्मण हूं और उसका मुझे फख्र है। मैं अपनी जाति को कैसे बदल दूंगा ?

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के खड़े हो कर कुछ कहने पर)

मुझे फख्र है कि मैं ब्राह्मण हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

इसमें फख्र की क्या बात है ?

श्री अधिष्ठाता--

गौरी शंकर जी आप बैठिये जो वे कह रहे हैं आप उसका जबाब दे सकते हैं।

श्री श्याम धर मिश्र--

मुझे कोई प्रायश्चित नहीं है। (व्यवधान)

मान्यवर, इनको आप बैठाइये ?

मैं भगवान की वजह से जन्मा हूं, उनकी वजह से नहीं जन्मा हूं। मैं कह रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स वरसेस टेक्नोक्रैट्स एक समस्या है। आज ४ कैटेगरीज हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। उसमें भी, मैं कहना चाहता हूं कि सभी कटेगरी की एक समानता होनी चाहिए। जैसे कि आई० ए० एस०, पी०सी० एस० होते हैं, एक फर्स्ट क्लास की कटेगरी, सेकेन्ड क्लास की, थर्ड की फोर्थ की। उसी तरह से टेक्नोक्रैट्स हैं उनकी हो। ऐग्रीकल्चर की हो, मेडिकल की हो, इंजीनियर्स की हो। वेतन मान सब का एक होना चाहिए। फोर्थ क्लास का हो तो उसका भी उसी तरह से होना चाहिए। यह कहना कि कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ तो आपके जमाने में होना चाहिए, आपके जमाने में भी नहीं हो रहा है। आपको करना चाहिए।

सतर्कता विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उसमें वही लोग भेज दिये जाते हैं पुलिस के जो ज्यादा गड़बड़ लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं। वहां तो अच्छे-अच्छे लोग भेज जाने चाहिये। एक लोक आयुक्त विभाग कायम किया है। हम जानना चाहते हैं कि कितने मुकदमे दायर हुए ? वहां १ हजार रुपये की जो कैद लगाई है,

मेरा निवेदन है कि इसको वापस लीजिये। सौ पचास रुपया अधिक से अधिक करना है तो लगाइये। एक हजार के प्रतिबन्ध से कोई गरीब आदमी नहीं जाता है। हमारे ऊपर, आप पर या किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगावें और एक हजार रुपया जमा करें, यह किसके लिए संभव है ? इस पर भी विचार करें।

साथ ही साथ में यह कहना चाहता हूं कि यहां बोर्ड आफ रेवेन्यू है एस्टीमेट्स कमेटी है। आप जानते हैं कि यहां एस्टीमेट्स कमेटी में ४ वर्ष पहले से यह तय किया है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू, राजस्व परिषद् को भंग कर दिया जाय। उसके बहुत से कारण हैं। आज तक उस पर विचार सरकार ने नहीं किया। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया और इस सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या कारण है, क्यों यह भंग नहीं किया जा रहा है ? हम लोगों की राय से और एस्टीमेट्स कमेटी की राय से यह राजस्व परिषद् गैर जरूरी संस्था बन गयी है, इसका काम न्यायालयों को दिया जा सकता है, इस पर विचार किया जाय।

फिर जो सांप्रदायिक दंगे हुए उनकी जांच में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

(व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि सांप्रदायिकता के दंगे हुए। उस पर मुख्य मंत्री ने न्यायिक जांच की आज्ञा दी, लेकिन वाराणसी या और जगह ६-६ महीने हो गये अभी शुरुआत भी नहीं की गई। कहीं सचिव नहीं, कहीं और लोग नहीं। आखिर क्यों विलम्ब हो रहा है ? आपने कहा कि एक दो महीने में हो जायगा। उत्तर दिये भी एक महीना हो गया आखिर वजह क्या है कि शुरू नहीं हो रहा है ?

एक बात और तबादले के संबंध में। मंत्रियों ने अपने यहां लिख दिया है कि तबादले के लिए मेरे यहां कोई न आये। शब्द क्या हैं, ठीक मालूम नहीं, लेकिन कुछ लिखा हुआ है पटिट्यों पर।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

आपकी ही नकल है। उन्होंने भी लिख दिया है।

श्री श्याम धर मिश्र--

ये हमारी गलत नकल ही करें या कुछ अच्छी नकल भी करेंगे ? अच्छी नकल करना इनको आता ही नहीं है। अच्छा विद्यार्थी ही अच्छी नकल भी करता है। रद्दी विद्यार्थी नकल करके भी पास नहीं होता। रद्दी विद्यार्थी की श्रेणी में हैं ये नकल करना भी नहीं आता। तो लिख खाली दिये हैं। होता क्या है कि जो नया माप-दंड है, पुस्तिका में लिखा है कि तबादला ३ से ५ वर्ष में होगा। जरा बताएं, कोई विभाग ले लें, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हेल्थ विभाग ले लें, शिक्षा ले लें बतायें कि ३ से ५ वर्ष के नियम का कहां पालन हो रहा है ? क्या यह सही नहीं है कि मंत्रियों के कहने से तबादला ३ वर्ष के अन्दर वाले भी हो रहे हैं और ५ वर्ष के ऊपर

[श्री श्याम धर मिश्र—]

वाले भी रुके हुए हैं ? क्या यह सह नहीं है ? पहले होता था इसलिए हो रहा है, ऐसा मत कहिये । हमारी गलतियों की नकल मत कीजिये अच्छाइयों की नकल कीजिये । अंग्रेजी का एक वाक्य है मैं हिन्दी में कह रहा हूं । जनता पार्टी केवल कांग्रेस की बुराइयों की नकल है, अच्छाइयां इनको मिली नहीं । मंत्री लोगों को तबादलों में दिलचस्पी नहीं लेना चाहिये, नीति संबंधी मामलों में ही उनकी दिलचस्पी होना चाहिये । आज नीति संबंधी मामलों को देखते हैं सचिव लोग, और तबादले आदि में लगे रहते हैं यह मंत्री लोग । इसकी भी लोक आयुक्त को जांच करनी चाहिये कि कितने ट्रान्सफर्स मंत्रियों ने अपने कार्यकाल में किये । यह भी भ्रष्टाचार है और किसी दिन इसकी भी जांच होगी तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या-क्या किया । इसलिये आप गलत विद्यार्थी मत बनिये । सही विद्यार्थी बनिये । सही चीज की नकल कीजिये । जनता, कांग्रेस और जनता पार्टी दोनों को समझती है । जनता समझती है कि कौन किस दिशा में जा रहा है । कांग्रेस ने जब गलती की तो हम इधर आ गये, आप जो गलती कर रहे हैं जनता उसे समझ रही है । माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े होकर कड़े शब्दों में कहेंगे "अराजकता को दबा दिया जायेगा," "अराजकता फैलाने वालों को कुचल दिया जायेगा" आदि आदि पर किसी को आज तक कुचला नहीं है इन्होंने । बिजली की हड़ताल क्या हम करा रहे हैं ? अन्य हड़तालें क्या हम करा रहे हैं ? यह आपकी अयोग्यता करा रही है ।

अंत में एक और निवेदन मैं विधायक निवासों के बारे में कहना चाहूंगा । वहां की हालत बड़ी दर्दनाक है । बड़ी खराब है । माननीय मुख्य मंत्री जी उसमें रुचि लें । आप और प्रान्तों के विधायक निवासों को देखें । वहां एक एक कमरे और बनने चाहिये, टेलीफोन की सुविधा होना चाहिये तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिये । इसे सभी माननीय सदस्य महसूस करते हैं ।

श्री नेम सिंह चौहान—

अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के बजट में प्रस्तुत अनुदानों के समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो मांगें रखी हैं उनकी धनराशि और अधिक होना चाहिये थी । तभी मुझे प्रसन्नता होगी । मान्यवर, समाज में कोई भी व्यवस्था होती है तो उसके मनोवैज्ञानिक दो आधार होते हैं-एक तो भय और दूसरी भावना ।

जिस देश में लगातार पिछले इन तीस वर्षों में भावना का हनन किया जाता रहा हो और अच्छे लोगों को सामने न आने दिया गया हो और एक भय का वातावरण कुछ दिनों तक बनाया गया हो और उस भय से एक भयंकर रावण निकला जो भय रूपी था । उसके वध के लिए राम ने कोशिश की है ।

श्री श्याम धर मिश्र—

वह रावण हो कर आ गये ।

श्री नेम सिंह चौहान—

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कंस के पाप से कृष्ण का जन्म हुआ, हृणाकश्यप के पाप से प्रहलाद ने जन्म लिया । इसी प्रकार कांग्रेस के जितने पाप थे, उनके दमन और शमन के लिये जनता पार्टी ने जन्म लिया । अभी मैंने यह पढ़ा, इन दिनों में बहुत कुछ निगाह गयी है माननीय मुख्य मंत्री जी की । लोक

संख्या ३--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या--५ निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवायें, अनुदान संख्या ४०--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं तथा अनुदान संख्या ४५--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

आयुक्त की नियुक्ति की पिछले एक लम्बे अर्से से यह मांग चल रही थी, लेकिन पिछले शासन ने साहस नहीं किया कि किसी तरह से उनकी कमजोरी सामने न आ जाय, लोक आयुक्त की नियुक्ति करने से कतराते रहे, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं उनके लिए स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यह जो सामान्य प्रशासन की बात है, इसको करने के लिए, इसकी व्यवस्था करने के लिए हमने देश में जो साधन अपनाए हैं, परीक्षा के मानदन्ड अपनाए हैं वह उपयुक्त नहीं इसलिए समस्या यह सामने आती है भूल नौकरशाही करती है, दन्ड मंत्री जी को मिलता है इसमें सुधार जरूरी है। यह एक ऐसी चीज है, जो जरूरी है, हालांकि जिस पार्लियामेंट की हमने कापी की वह ब्रिटेन में यह कहा जाता है कि किंग कैन डू नो रांग, राजा कोई भूल नहीं करता। क्योंकि सारा उत्तरदायित्व मन्त्री का होता है।

श्री अधिष्ठाता--

अंग्रेजी न बोलें आप।

श्री नेम सिंह चौहान--

मुहावरा है मान्यवर, लेकिन वहां पर जो शासन तंत्र चलाने के लिए व्यवस्था है, वह यह है कि वहां के लोग इतने जागरुक हैं कि किसी के लिए ऐसा मौका नहीं दे पाते। लेकिन हमारे यहां बात उलटी हो गयी क्योंकि विदेशों में भिन्न स्थिति है। जापान में जहां न्यायालय में जाकर आपने कोई अपराध को स्वीकार कर लेता है कि मुझसे यह भूल हुई, जुर्माना कर दिया जाय और वह सहर्ष स्वीकार कर लेता है। लेकिन यहां भावना की बात कहते हैं, सत्य को कहने के लिए १०० बार कतराते हैं। इन सारी चीजों को पिछले तीस सालों में पनपाया गया, और यह अपराध छुपाने की भावना प्रौढ़ हुई है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी जो आज हमें मिली है, तो उसका रूप, उसको सुधारने में समय जरूर लगेगा। मेरे एक मित्र पुलिस में हैं, वह एक दिन कह रहे थे कांस्टेबिल इज डिफिकल्ट हार्स टु राइड। मैं कहता हूं ब्यूरोक्रेसी इज ए डिफीकल्ट हार्स टु राइड। यह ब्यूरोक्रेसी जो है बड़ा ही बेढब घोड़ा है सवारी करने के लिए। तो इसके चलने के लिए लोगों में योग्यता, दक्षता होनी चाहिए। बर्नार्ड शाह ने जहां व्यवस्था रखी कि जो शासन में लोग आवें व्यवस्था संभाले उनमें गुण चाहिये, उनके लिए उदारता, दूरदृष्टि, संयम, विवेक चाहिये। उनमें समस्या को सुलझाने के लिए शक्ति चाहिए। यही मैं कहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी को समझने के लिए सारे मंत्रियों को मानदन्ड आने चाहिये। हमारी व्यवस्था में थाने की संख्या है, वह जन संख्या के हिसाब से बहुत कम है। उनकी जो हालत है सारे प्रदेश में, तहसील और थानों में शोचनीय है। अभी हमारे विधायक माननीय मिश्रा जी जिक्र कर रहे थे कि हमारे विधायक निवास हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। तो मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा कि आदरणीय सदन के माननीय सदस्य जिला और तहसील मुख्यालयों पर जाकर देखें कि थाने व तहसीलों की क्या स्थिति है? वहां रहने की स्थिति क्या और सारी चीजों की

[श्री नेम सिंह चौहान--]

स्थिति क्या है ? मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इसमें निश्चित रूप से सुधार करें ।

मैं एक उदाहरण दूंगा । आज भी पुलिस का कांस्टेबिल, गांवों में कोई वारदात हो जाती है, कोई मारा जाता है तो उसकी लाश को लाने के लिए जितन पैसे उसको मिलते हैं शायद उतने पैसे में कोई खाली रिक्शा या तांगा मुख्यालय तक नहीं जायगा । दूसरी तरफ उनमें तमाम कमियां हैं पुलिस के सिपाहियों, सब इंसपेक्टरों ने बसों में फ्री चलने का अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है जो कि हर जगह देखा जा सकता है । इससे व्यवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ी है कि प्राइवेट आपरेटर्स खराब से खराब बसें चला रहे हैं । आवासीय व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से लम्बी चौड़ी कोठियों में चली आ रही है । एस० पी० कलेक्टर आदि जहां रहते हैं वह पचासों एकड़ जमीन है । बहुत सी जगह पड़ी हुई है । हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लगाया था उपज बढ़ाने के लिये । इन जमीनों में जो उपज होती है उसमें घपला किया जाता है । पिछले प्रशासन ने इसको बन्द करने के लिये कुछ व्यवस्था की थी । लेकिन आज भी लम्बा चौड़ा घपला होता है और लाखों की कमाई होती है । इस पर ध्यान दिया जाय ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी है, कुछ सुझाव देना चाहता हूं । न्यायालयों का नाम नहीं लिया जा सकता है फिर भी वहां जो भ्रष्टाचार है उसको सभी जानते हैं । सामान्य आदमी को न्याय मिल सके इसलिये इस तरफ ध्यान दिया जाय । हमारे माननीय सेहरा जी ने कुछ आरोप लगाये थे व्यवस्था के बारे में, मन्त्रियों के बारे में । तो वह भी अपनी जन्म कुंडली उठाकर देख लें । उनके खिलाफ आगरा में कितने केसेज रजिस्टर्ड हैं और पुलिस जिनके पीछे जांच कर रही है । तो वह अपने शब्दों में केसेज का वर्णन कर दें । छीना झपटी लूटपाट, गबन और अव्यवस्था फैलाने और मारपीट करने में, एक लम्बी सूची मेरे पास है । अध्यक्ष महोदय की अनुमति नहीं है, नहीं तो रखता । इसी सदन में कल भी एक बात आयी थी कि सदन में कितने ऐसे सदस्य हैं, हिस्ट्रीशीटर उनकी जानकारी दी जाय । लेकिन शायद हमारे मुख्य मन्त्री जी विशेष उदार हैं, जानकारी नहीं देनी चाही होगी । तो सामान्य प्रशासन की व्यवस्था के लिये यह जानकारी जरूरी है । इसके ऊपर ध्यान देना चाहिये व्यवस्था अच्छी की जा सके इसके लिये आपको कड़ाई से कार्य करना चाहिये । नियुक्तियों का जहां तक सवाल है, कांग्रेसी शासन में जो लोग किसी तरह से उनके व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये काम नहीं करते थे उनको छांट-छांट कर ऐसी जगहों पर डाल दिया जाय जहां कोई प्रशासन का अच्छा काम नहीं कर सकते ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री नेमसिंह चौहान--

सी० आई० डी० विजिलेंस से सम्बन्धित अभी एक प्रश्न आया था । तो इन चीजों को देखें और इनको बदला जाय । मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहता हूं जहां पर चोरियां डकैतियां होती हैं तो तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये । अलीगढ़ में एक शिकायत है, महानिरीक्षक पुलिस भी गये लेकिन कार्यवाही नहीं की गयी । मान्यवर, जो छोटे लोग, दो रुपये लेने वाले लोग जल्दी पकड़ लिये जाते हैं,

सतर्कता आयोग द्वारा लेकिन क्या बड़ अधिकारी ऐसा नहीं करते ? न्यायालयों से भी ऐसे तमाम लोग बच जाते हैं। नागमणि जैसे बहुत से लोग बच गये। मैं समझता हूं इन पर पूरी शक्ति के साथ पूरी सामर्थ्य के साथ चोट करना चाहिये। ऐसे भ्रष्ट नौकरशाहों के ऊपर जिससे अच्छी व्यवस्था हो सके।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री नेमसिंह चौहान--

रेलों में चोरियां, डकैतियां बढ़ रही है इस तरफ ध्यान देना चाहिये। हमें याद है इमरजेन्सी में जब हमको पकड़कर ले जाया गया तो डिप्टी एस० पी० रो रहे थे और कह रहे थे कि इतना पिछले शासन ने हमको डिमोर-लाइज कर दिया है कि हमें नहीं मालूम कि आपके खिलाफ क्या चार्जेज हैं। जो मुकदमें चलाये गये उसमें अधिकारियों को डिमोरलाइज किया गया है। इसलिये इन चीजों को देखना चाहिये और अधिकारियों से कहना चाहिये कि वह अच्छा काम करें और जो डकैतों को छोड़ दिया गया है उनको अन्दर करना चाहिये।

मान्यवर, अभी आरक्षण की बात कही गयी। रामास्वामी नामकर ने तामिलनाडु में नारा दिया था कि इस संविधान को हम जलायेंगे और ब्राह्मणों की हत्या करेंगे तो पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि ऐसे आदमियों को कुचल दिया जायेगा। जो समाज में साम्प्रदायिकता फैलाता है उसको कुचल दिया जाना चाहिय। लेकिन आज हम सामान्य प्रशासन में यह नहीं कर पा रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि जातिप्रथा पर आरक्षण की बात करना ठीक नहीं है। सामान्य प्रशासन की दृष्टि से यह बीमारी बढ़ेगी। यह जरूर है कि जरूरतमंद लोगों को सुविधायें दी जायं लेकिन जातिवाद से इसमें अव्यवस्था फैलेगी। इसलिये प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि छोटे लोगों को सुविधायें रखें जिससे व्यवस्था अच्छी हो सके।

श्री अधिष्ठाता--

बोलने वाले अधिक हैं इसलिये अब आप लोग ५ मिनट बोलें तो अच्छा होगा।

*श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने पंत नगर विश्वविद्यालय में जो कदम उठाये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं मैं २-३ बातों की तरफ मान्यवर, मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां जो गोली चली तो उससे मरने वालों की सूचना जो है वह सदन को दे दें कि कितने लोगों को गोली कमर के नीचे लगी है और कितने लोगों को कमर के ऊपर लगी है। यदि यह नीति बन जाती कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णा राय--]

जो पुलिस वाले पुरानी नीति चला रहे हैं कि कोई जुलूस जा रहा है तो कोई पत्थर फेंक दे तो वह उस पर गोली चला दें। इसलिये इस पर एक नीति बन जानी चाहिये कि किस हालत में गोली चलायें। यदि इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे तो दिन पर दिन गोली चलती जायेंगी और जनता सरकार को बदनाम करेगी। गोली उस हालत में चलनी चाहिये जब कोई हथियारबन्द सरकार में कलेक्टर या अन्य किसी को मारने के लिये हो तो गोली चलनी चाहिये न कि पत्थर चले तो लाठी चलायें। वे पत्थर चलायें तो वे पीठ पर गोली चलायें भागते हुये लोगों पर गोली चलायें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आप पुराने बड़े लोगों के, गुरुओं के चेले हैं, उनकी समाजवादी नीति पर विचार करें।

दूसरी बात पुराने तरीके से हर थाने में २०-२५ पुलिस लगी हुई है। गांवों में पुलिस क्या रक्षा करेगी। मैं सुझाव दूंगा कि तीन रुपये में जो चौकीदार रखा गया है उसे कम से कम सिपाही की आधी तनख्वाह दे दी जाय वह दिन भर अपने खेत में काम करेगा और रात में पहरा देगा गांव में घूम-घूम कर। उसे एक बन्दूक भी दे दी जाय जो गांव सभा के सुपुर्द रहे। देखिये डकैती तो कोई हो ही नहीं सकती। चोरी नहीं हो सकती अगर वह बन्दूक लेकर गांव में घूमता रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने शासन में इसे भी जोड़ें।

एक बात यह कि होम गार्ड सिपाहियों की भर्ती आप कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि इन्हीं गांव के नौजवानों को भर्ती किया जाय, उनको ट्रेनिंग दी जाय, कुछ खाने-पीने को दिया जाय ताकि वे गांव की सुरक्षा कर सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता---

संक्षिप्त करिये।

श्री कृष्णा राय---

दो तीन बातें तो कह रहा हूं। एक बात अपने उन साथियों से कहना चाहता हूं। भूतपूर्व सरकार का नाम लेते हैं। वह एक खानदान, एक परिवार का राज्य था। वह एक परिवार का राज्य खत्म हो गया है। उनके दिमाग में इसका बहुत असर पड़ा है क्योंकि बहुत दिनों तक एक ही परिवार का राज्य रहा है। वह तो खुश था खून की नदियां बहाने में। वह तो यही चाहते हैं कि हमारे साथी वैसा ही काम करें जैसा उन्होंने किया जो भूतपूर्व सरकार ने इंदिरा गांधी ने किया है। वे चाहते हैं कि हम परेशान हो जायं उनकी तरह काम करके और वह कहें कि जो इमरजेन्सी लगायी थी वह ठीक लगाई थी।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करिये।

श्री कृष्णा राय--

अच्छा, मैं आपका आभारी हूं।

*श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)--

अधिष्ठाता महोदय, जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने उपस्थित किया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं। बड़ी खुशी की बात यह है कि विरोधी पक्ष में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं कि हर तरफ गोलियां चल रही हैं, प्रशासन ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है। इतना आज वह बोलने लगे। जनता पार्टी को क्या उपलब्धियां हुई, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन इतनी उपलब्धि जरूर हुई कि चन्द महीनों पहले जो लोग गूंगे बहरे बने बैठे थे वह आज बोलने लगे। जब हम सत्याग्रह करते थे, कचहरियों में जाते थे, भारत माता की जय बोलते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह रिपोर्ट हो सके। लेकिन आज वह लोग खुल्लमखुल्ला सरकार की आलोचना करते हैं, गोलियों की बात करते हैं तो यह एक उपलब्धि है जिसको उन्हें महसूस करनी चाहिये कि उनको यह सब कहने का मौका मिला।

पिछली सरकार क्या थी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। महान् दार्शनिक कंफ्युसश का एक प्रसंग उस सम्बन्ध में काफी होगा। एक बार वह जंगल के रास्ते जा रहे थे। जंगल में उन्होंने देखा कि एक औरत रो रही है। उन्होंने अपने शिष्य को उस औरत के पास पता लगाने के लिए भेजा कि वह क्यों रो रही है। शिष्य जाता है और उस औरत से पूछता है कि बहिन तुम क्यों रो रही हो। उस औरत ने कहा कि एक शेर ने उसके पति और बच्चे को खा लिया। कंफ्युशश को जब शिष्य ने यह बताया तो उन्होंने उस औरत से कहा कि बगल में नगर है, वहां क्यों नहीं चली जाती। इस पर उसने कहा कि बगल में सरकार है इसलिए वह वहां नहीं जाती। हजारों साल पहले यह बात कही गयी कि एक सरकार इतनी रद्दी हो कि एक औरत जंगल में रहना पसन्द करे जहां उसके पति को और बच्चे को शेर खा जाय। यही बात पिछली सरकार के बारे में कही जा सकती है। प्रशासन में कैसे सुधार हो इसके लिए एक सुझाव देना चाहता हूं। रोजाना घटनाएं होती हैं। ये घटनायें एक बारगी नहीं हो जाती। उसका एक चक्र चलता है। पहले कुछ मांगें पेश की जाती हैं, समझौता होता है, फिर घटना हो जाती है। गोली चलती है, लाशें गिरती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि घटना शुरू होने के पहले जो लोग दोषी हों और घटना के बाद जो दोषी हों उनको किसी प्रकार भी बख्शा न जाय तो इस तरह की घटनाएं खत्म होंगी। अगर उनको बख्शा जाता रहा तो यह घटनाएं खत्म न होंगी।

दूसरी बात यह है कि आजकल सेक्रेटेरिएट के किसी भी कमरे में चले जायं। बड़ी चर्चा है कि हम लोग १८ साल से काम कर रहे हैं और जो लोग पांच साल से काम कर रहे हैं वे आगे चले जाते हैं। कैसे काम होगा। सामान्य प्रशासन में सेक्रेटरिएट भी आता है। मैं मुख्य मन्त्री जी से मांग करूंगा कि जो लोग १८ साल से काम कर रहे हैं और जब-जब तरक्की का मौका आता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह--]

है तो उनको तरक्की मिलनी चाहिए न कि पांच साल से काम करने वाले व्यक्ति को ।

आजकल स्कूलों में बड़ी अव्यवस्था है । वहां यूनियन की वजह से तमाम अराजकता फैली हुई है। मेरा यह सुझाव है कि यूनियन में हर क्लास के फर्स्ट क्लास विद्यार्थी को ले लिया जाय । वही विद्यार्थी अपने में से प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी चुन लें । वे विद्यार्थी जिनका पढ़ना काम नहीं है, केवल यूनियन का इलेक्शन लड़ने के लिए कालेज में बने रहते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं उनको रोकना जरूरी है ।

श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा)--

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं । मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सामान्य प्रशासन तथा पुलिस मांगों के समर्थन में बोलने को खड़ा हुआ हूं । मेरा ऐसा क्षेत्र है जिसकी समस्याएं कहने के लिए मुझे कुछ अधिक समय चाहिये । चूंकि अधिक बोलने का समय नहीं है, इसलिए मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं ।

मैं यह चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन में अगर थानेदार और प्रशासन में हाकिम परगना को ईमानदारी से नियुक्त कर दिया जाय तो कोई भी शिकायत नहीं आयेगी और रामराज्य स्थापित किया जा सकता है लेकिन मैं देख रहा हूं कि थाने में दरोगा उसी लाइन पर चल रहा है जैसा पहले चला करता था । अखबारों में मैंने पढ़ा दंडवते जी ने कहा कि रेल की पटरियां पुरानी हैं और इंजिन नया है इसलिये दुर्घटनाएं हो रही हैं । मैं मानता हूं कि प्रशासन बदल गया है । इंजिन बदला है और जनता गाड़ी उस पर चल रही है लेकिन पटरियां टूटी हैं इसलिए ये दुर्घटनाएं हो रही हैं । यह प्रशासन ३० वर्ष से चला आ रहा है जो अंग्रेजों की देन है, उसमें हमें आमूल चूल परिवर्तन करना होगा वरना यह दैनिक घटनाएं रोज होती रहेंगी । कल मैंने सदन में पढ़ा था मेरे क्षेत्र में काशी अलवर गैंग का तीसरा कुख्यात डाकू सुलतान ने एक गांव में आग लगा दी । ५० घर जल गये । पिता तथा एक मात्र पुत्र की हत्या कर दी । मैं घटना-स्थल पर पहुंचा, कितना दर्दनाक दृश्य था कि देखा नहीं जाता था । दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में हम लोग केवल अखबार में पढ़ लेते हैं कि फलां व्यक्ति मर गया । जहां खून पड़ा होता है, लाशें पड़ीं होती हैं वहां का दृश्य बड़ा दर्दनाक होता है ।

मैं इस सम्बन्ध में पुलिस की व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं । वहां पर जो इंस्पेक्टर था उसे पता लगा कि यह दुर्घटना हो गयी है तो तुरन्त उड़ गया और रवानगी लिखवा दी । छोटा दरोगा वहां पर पहुंचा । बहुत भयंकर यह गिरोह है और मैं बराबर सूचना दे रहा था कि यह मेरे क्षेत्र में है । डी० आई० जी० आगरा में रहते हैं । मैंने मुख्य मंत्री को सुझाव दिया था कि अलीगंज एक सेन्टर है जहां बदमाश पैदा होते हैं वहां पर डी० आई० जी० या एस० पी० का हेडक्वार्टर बनाइये । चाहे इसके लिये अलग डेक्वायट गैंग की व्यवस्था करनी पड़े लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गयी । इसके अलावा थानों में एफ० आई० आर० जो लिखाई जाती है मैं दावे से कहता हूं कि आज भी बगैर पैसा लिये वह नहीं लिखी जाती है । इसकी कुछ न कुछ व्यवस्था की जाय और सरकार चाहे तो उस पर टैक्स या फीस भी लगा दिया जाय लेकिन कोई ५, १० रुपये तक तो दे देगा लेकिन १०० रुपये

कहां से लाये। पुलिस के दो विभाग होने चाहिए। एक प्रशासनिक, दूसरा इंवेस्टिगेशन का। एक ही दरोगा प्रशासन में रहता है और वही इंवेस्टिगेशन भी करता है। पैसे के जोर से इवेस्टिगेशन इधर से उधर कर दिया जाता है, उसके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। एल० आई० यू० को एस० पी० के अंडर से हटा दिया जाय और स्वतंत्र यूनिट बना दी जाय उसको मजबूत बनाया जाय ताकि स्वतंत्र राय कर्मचारी उस जांच विभाग को दे सके कि अमुक गांव में हत्या हुई है, फलां-फलां हत्यारे हैं। एक बात यह कहनी है कि पहिले कहीं कोई कत्ल की हुई लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए २० रु० मिलते थे आज तक वही मिल रहे हैं जो ५० साल पहले मिलते थे। मेरी मांग है कि पोस्ट मार्टम कराने की व्यवस्था तहसील हेडक्वार्टर पर होनी चाहिए और लाश को ले जाने तथा फूंकने के लिए १०० रुपया दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)--

जनाबेआला, नक्कारखाने में तूती की आवाज कौन सुनेगा ? मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वक्त बहुत कम है ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर सबसे पहले एक सवाल से ही अपनी तकरीर शुरू करती हूं और वह यह है कि म जनाब मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूं कि इस बजट में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में आपने औरतों के लिए क्या प्रबंध किया है। इसमें मने नहीं देखा कि कोई खास चीज औरतों के हित के लिए रखी गई है या कोई प्रोग्राम बनाया गया है। जनता पार्टी की जीत जो हमारे यहां हुई, और जगह भी हुई उसमें ज्यादातर औरतों ने जनता पार्टी को वोट दिया और जिताया क्योंकि इमरजेंसी के समय में जो ज्यादतियां हुई थीं उसमें सबसे बड़ी तकलीफ औरतों को पहुंची थी। क्योंकि औरतें पिछली सरकार से नाराज थीं और आपको वोट दिया। लेकिन मैंने देखा कि कोई खास प्रबंध कोई खास इंतजाम औरतों के लिए, उनको तरक्की देने के लिए नहीं है। हालांकि औरतें पिछड़ा हुआ वर्ग हैं। गांवों में जो औरतें पिछड़ी हुई हैं उनके लिए क्या किया गया है, यह मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूं ?

जनाबेआला, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस जोश-खरोश और विश्वास के साथ जनता ने जनता पार्टी को वोट दिया। उन्होंने बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर इनको वोट दिया था, मैं खुद जब गांवों में घूमी तो देखा कि कितना जोश लोगों में जनता पार्टी के लिए है और आज ८, ९ महीने में वह जोश खत्म होता नजर आ रहा है। कल राज्य मंत्री जी ने कहा कि कोई इस तरह के क्राइम नहीं हो रहे हैं और अपराधों की संख्या नहीं बढ़ रही है। मगर मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वजह है कि पिछले ९, १० महीने पहले जो जोश और खरोश था, जितनी उम्मीद थी वह दूध के उबाल की तरह क्यों हटती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पब्लिक का रुझान जनता पार्टी से हटता जा रहा है। इसकी क्या वजह है ? जनता को इसकी जरूरत नहीं है कि कौन गवर्नमेन्ट उनके ऊपर

[श्रीमती कुदसिया बेगम--]

हुकूमत करे। गरीबों को इस बात की उम्मीद होती है कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया है वह हमारे लिए ज्यादा आराम देगी और जो तकलीफें हैं उनको दूर करेगी। इमरजेंसी के जमाने में जो तकलीफें लोगों को थीं उनको दूर करने के लिए जनता पार्टी को जनता ने वोट दिया। लेकिन आज क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो अच्छी मिल सके। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहती हूं कि जितनी पुलिस विभाग में तरक्की हो रही है, जितनी ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधायें मुहैय्या की जा रही हैं, हमारे यहां उतने ही क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। यह कहना जरूरी है कि बहुत से डाकू आज पकड़े जा रहे हैं, बहुत से गैंग के लोग मारे जा रहे हैं उसमें से बहुत से हमारे जिले से ताल्लुक रखते हैं। मैंने तो आज तक यह नहीं देखा कि क्राइम में कमी आई हो और लोगों की जिन्दगी सुरक्षित हो सकी हो। इसमें कोई शक नहीं कि साइंस तरक्की कर रही है और देखा गया है कि तरक्कीयाफ्ता मुल्कों में क्राइम ज्यादा है। जो तरक्कीयाफ्ता मुल्क हैं उनमें क्राइम ज्यादा होते हैं।

(इस समय २ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

लेकिन इसके लिए साइंटिफिक तरीका अपनाया जाता है। हमारे यहां भी इसके लिए क्राइम रिसर्च विंग हो। जिस तरह से साइंस की तरक्की होती चली जा रही है उसी तरीके से क्राइम रिसर्च में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए।

आज हमारे सूबे में ज्यादा मारधाड़ हो रही है। तमाम जो जिंदगी के लोग हैं उनमें बेचैनी फैली हुई है। इसमें कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को आराम हम पहुंचा सकें और लोगों के जानमाल और इज्जत की हिफाजत हो सके। इस तरफ आज कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। दिन-दहाड़े चोरियां हो रही हैं, औरतों के जेवर नोचे जाते हैं। यह सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि लोगों को डर नहीं रह गया है। हमारे प्रदेश में ज्यादा गड़बड़ियां हो रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अपराधों की संख्या में तरक्की हो रही है। आपने जो वायदे जनता से किए हैं उनको अभी तक पूरा नहीं किया है। अभी श्यामधर जी ने कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ३० साल रही और अगर ऐसा ही रहा तो आप १० साल भी रह जायं तो बहुत बड़ी बात है। मैं समझती हूं कि पब्लिक ने इरादा कर लिया है कि ५ साल बाद जनता पार्टी को बदल देना चाहिए। इसलिए जो आपने वायदे किए हैं, जो आप पब्लिक को फायदा पहुंचाना चाहते हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए।

आज इंसान किसी भी तरह से जिंदगी को सुरक्षित नहीं समझता है। किसी तरह से जिंदगी महफूज नहीं है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इंतजाम करना सरकार का फर्ज है। आज मकानात की बड़ी कमी है, उसको भी आपको ठीक करना है। आज गरीब आदमी के सिर पर झोपड़ी और अच्छी कीमत पर खाने का सामान और कपड़ा मिलना सबसे बड़ी जरूरत है। मैं समझती हूं कि इस चीज को बार-बार दोहराने से आपको एतराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह ऐसी चीजें हैं...

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

मैं एक मिनट में खत्म करती हूं। २० मई, १९७७ को पुलिस विभाग ने क्राइम ब्रान्च इंटलीजश विंग ने एक कम्युनिकेशन निकाला कि हम वेतन बढ़ा रहे हैं, विशेष भत्ता बढ़ाया जा रहा है पुलिस अधिकारियों का। लेकिन इसमें यह है कि जिन पुलिस अधिकारियों के पास चपरासी हैं, उनको भत्ता नहीं मिलेगा। तो मेरे समझ में यह बात नहीं आती है। यह दोनों बात एक जगह पर कसे मौजूद हैं, यह मेरे समझ में नहीं आता है। इसलिए इसमें एक शर्त को रखा जाए या दूसरी को रखा जाय लेकिन दोनों को रखना मुनासिब नहीं होगा। चपरासी पर ज्यादा खर्च हो जाता है, इसके लिए उसे रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वह न भी रहे, लेकिन भत्ता मिले और वह अच्छा काम कर सके, तो मेरी समझ में बेहतर होगा। चपरासी न मिले तो कोई बात नहीं है। पुलिस में इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। कई शिकायतें मेरे जिले की ओर से मुख्य मंत्री और दूसरे अधिकारियों को मिली हैं, लेकिन उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है। इन अल्फाज के साथ मैं उम्मीद करती हूं कि शासन में जो तमाम खराबियां हैं, खास कर पुलिस विभाग में, उनको अवश्य दूर करने की सरकार कोशिश करेगी।

श्री बाबू बदरे--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने...

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं, आपने बहुत कम समय रखा है, कम से कम कुछ तो कहने का हमें अवसर मिले।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठिए।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

आपने कल कहा था कि आपको कल समय मिलेगा...

श्री अध्यक्ष--

आप हर अनुदान पर बोलते हैं, बोलना चाहते हैं, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री बाबू बदरे--

तो मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी के अनुदानों का समर्थन करता हूं। अभी हमारी हमशीरा (बहिन) कह रही थीं कि महिलाओं के साथ कुछ ख्याल नहीं किया

[श्री बाबू बदरे--]

जाता है। मैं उनका अदब के साथ जवाब देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता ने महिलाओं के साथ इतनी हमदर्दी किया, इतना ख्याल किया कि इस देश की प्रधान मंत्री एक महिला को उसने बना दिया, लेकिन जब उन्होंने नसबन्दी पर ज्यादा जोर देना शुरू किया तो हिन्दुस्तान की जनता ने उनको नीचे उतार कर फेंक दिया। इतना ख्याल होने पर भी उनको इस तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि जनता पार्टी की प्रतिष्ठा घटी है, जनता अब उसके साथ नहीं रही है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह बताएं कि किस मुकाम पर जनता पार्टी घटी है। अभी जो बीच में चुनाव हुए हैं, क्या आप समझते हैं कि उनमें जनता पार्टी घटी है? इसके पहले भी जनता पार्टी की ताकत थी, कांग्रेस के खिलाफ ताकत थी और अब वह बराबर बढ़ रही है। जब हमारी ताकत थी कांग्रेस के खिलाफ और जनता की आंधी चल रही थी, उस समय के लोक सभा के हुए चुनाव में आप देखें आन्ध्र और कर्नाटक आदि राज्यों में हमारी क्या पोजीशन आई थी? लेकिन अब जब विधान सभा के चुनाव वहां पर हुए तो हमारी क्या पोजीशन हो गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां हम नहीं थे, वहां हम घुसे हैं, हमने अपने पैर मजबूती से जमाए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बीच के चुनाव आयेंगे, उसका नतीजा आएगा, उसके बाद अगर आपको कुछ अक्सरियत हासिल हो तो आप यह बात यहां कहिएगा।

जहां तक घटनाओं की चर्चा है। घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन आज हमारे प्रदेश में घटनाएं घटाई जा रही हैं इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री को तवज्जह दिलाना चाहता हूं, ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखिए जो घटना घटाते हैं। कोई भी प्रदर्शन होता है तो उसके साथ नौजवान मनचले कांग्रेसियों को आगे लगा देते हैं और इस तरह की स्थिति वहां पर बिगाड़ देते हैं कि पुलिस वालों को खामखा लाठी या गोली चलानी पड़ती है। जहां तक गोली चलाने का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में एक पालिसी निर्धारित करनी पड़ेगी। यह नहीं कि जब चाहा गोली चला दिया और गोली छाती पर लगे। पैरों पर गोली लगे। जो छाती पर गोली मारने की बात है उसको आप देखें। माननीय मुख्य मंत्री जी, इससे यह सरकार कलंकित और बदनाम हो जायेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग ज्यादातर कहा करते हैं कि यह सरकार नहीं चलेगी। आज सरकार टूट रही है, कल सरकार टूट रही है। मैं उनको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। सरकार जैसे बनी है, वैसे टूटेगी। जैसे आप उधर आये हैं, उधर हम जायेंगे। लेकिन आपके पास कौन सा चिराग अलउद्दीन है जो आप सरकार या माननीय मुख्य मंत्री को हटा देंगे?

(व्यवधान)

जब दूसरी सरकार आयेगी तब मालूम होगा। इस सरकार में बैठे हुए लोग बाहर खड़े होकर सरकार की आलोचना करते हैं, आपके पास जाकर चाय पीकर सरकार की आलोचना करते हैं, उसमें मंत्रि-परिषद् के सदस्य शरीक हैं। लेकिन यह अन्दाजा लगाइये कि आपका वह साथ देने आते हैं या आपके पास आपको कमजोर करने के लिए आते हैं।

जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है उसमें कड़ाई से सुधार करना पड़ेगा। अगर पुलिस में जातीयता का प्रभाव बढ़ाया जायगा, तो जातीयता का प्रभाव ही है

जिसकी वजह से देश की यह हालत हुई है। मेरिट पर लोगों का सेलेक्शन कीजिए। उत्तर प्रदेश में अच्छे से अच्छे अफसर पड़े हैं। सिनेमाओं में पुलिस की ड्यूटी लगती है। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। हर एक सिनेमा में चार सिपाही, एक हेड कांस्टेबिल और एक सब इंस्पेक्टर रखने की प्रथा चला दीजिए। उनकी तनख्वाह उन्हीं सिनेमा मालिकों से दिलवाइए। जिस इलाके में दो-तीन सिनेमा हैं, वहां पर भीड़ लग जाती है। इलाके में चाहे कोई लूटे, मारे, पुलिस मौके पर नहीं मिलती है। पुलिस के अफसरान जा कर पेट्रोलिंग में देखें कि वह गए हैं या नहीं इंतजाम करने।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बाबू बदरे--

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री इस तरफ ध्यान दें। कानपुर के अन्दर जो फील्ड में काम करने वाले अच्छे अफसर थे, जैसे सुरेन्द्रपाल शर्मा, इंस्पेक्टर, जिनकी वजह से क्राइम रुका हुआ था, जिनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा था, उन्होंने आई० जी० से कहकर उसको हटवा दिया। एस० एस० पी० माथुर फील्ड में अच्छा काम करने वाले थे षड़यन्त्र करने वाले लोगों ने उनकी आई० जी० से शिकायत की उन्होंने अपने यहां बुला लिया। जो फील्ड में अच्छा काम करने वाले हैं उनकी अगर आप कद्र नहीं करेंगे तो जो षडयन्त्र जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए बना है ऐसे लोगों को मौका मिलेगा कि षडयन्त्र कराएं। उनको कुचलने की तैयारी कीजिए। इन शब्दों के साथ एक शेर से खत्म करता हूं--दामन से जरा दाग वह माजी के मिटा लें, वह लोग जो सदन में बहुत बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

देखिए, अब अनुदान पर मतदान होने वाला है। मैं कटौती के प्रस्तावक श्री गुलाब सेहरा को बुला रहा हूं।

श्री फजलुर्रहमान अंसारी (जिला बहराइच)--

मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला, मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

इस पर अनंत काल तक विवाद नहीं चल सकता है। अब समय नहीं है। श्री गुलाब सेहरा।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

कम से कम इतना तो ध्यान रखा करें कि हम लोग सुबह से बोलना चाहते हैं। इस पर बोलना बहुत आवश्यक है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है।

बाबा राम अधार यादव—

आधा घंटे का समय बढ़ा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं। आप बैठिए।

श्री फजलुर्रहमान अंसारी—

यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार से जिद करना अनुचित है। सी० पी० आई० के एक सदस्य बोल चुके हैं। निर्दलीय ४ व्यक्ति और कांग्रेस के दो व्यक्ति बोल चुके हैं। कोई समय का विभाजन तो होना चाहिए। मैं आपको मना कर रहा हूं। अब आप बैठ जाइए।

बाबा राम अधार यादव—

मुझे बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आप माननीय मुख्य मंत्री जी को नहीं सुनना चाहते हैं। यह मैंने नहीं देखा कि सत्तारूढ़ दल के लोग ऐसा व्यवहार करें और मुख्य मंत्री को न सुनना चाहें। आज ३ बजे यह समाप्त होना है उसके बाद २ घन्टे का समय माननीय संसदीय वित्त मंत्री जी को दिया है। या तो आप ऐसा नियम बनायें कि आप १० बजे नाम भेज दें और उनकी लाटरी निकल जाये। मैं कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के दो आदमी हैं एक आदमी को समय मिल चुका है। कल श्री जयराम बोल चुके हैं। आप लोगों को समय अधिक दिया जाता है फिर भी आप लोग बार-बार जिद करते हैं। अब इस पर मतदान कराना है।

बाबा राम अधार यादव—

मैं नहीं बोलूंगा लेकिन मेरी बात सुन लें। सदन की जो परम्परा है, कोई आधा घन्टे तक बोलता है और कोई २० मिनट बोलता है और किसी को कुछ भी मौका नहीं मिलता है। हमलोग भी चुनकर आते हैं। जो लिस्ट दी जाती है उससे नहीं बोलवाया जाता है। एक नजर होनी चाहिए किसी को १५ मिनट मिलते हैं और किसी को कुछ भी समय नहीं मिलता है।

श्री फजलुर्रहमान अंसारी--

मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री फजलुर्रहमान अंसारी कम्युनिस्ट दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्य को प्रताड़ना देता हूं कि अगर अध्यक्ष की रूलिंग के खिलाफ ऐसा करेंगे तो यह सदन का अपमान है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उनका यह व्यवहार अत्यन्त नियम के खिलाफ है । यह बार-बार जिद करना चाहते हैं, कल एक व्यक्ति बोला है । क्या हर व्यक्ति बोलेंगे । बाबा राम अधार यादव को सूचित करना चाहता हूं कि प्रत्येक सदस्य का समय १० मिनट निश्चित है । जो सदस्य कटौती प्रस्ताव पेश करते हैं उनको ४५ मिनट, मुख्य मन्त्री जी के लिए, यद्यपि उन्होंने आधे घंटे का ही समय लिया, कोई समय निर्धारित नहीं है । नियमों के अनुसार मंत्रियों को २५ मिनट का समय और विरोधी पक्ष के नेताओं को १५-२० मिनट का समय, बाकी सदस्यों के लिए १० मिनट का समय निर्धारित किया था लेकिन चूंकि आज समय कम था इसलिए ५ मिनट का ही समय दिया गया । मैंने यह भी प्रयास किया कि जिन माननीय सदस्यों ने बजट पर सामान्य चर्चा में या महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन पर धन्यवाद के प्रस्ताव में नहीं बोले उनको समय दूं । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी कहूंगा कि वे अपने सचेतकों द्वारा इस बात का प्रयास करें कि वे ही सदस्य, जो हर अनुदान पर बोलना चाहते हैं, उनके नाम सूची में न भेजें । वे अपने सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करें और जिनको अवसर नहीं मिला है उनके नाम भेजें, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए । आज जिनको अवसर नहीं मिला, वे सदन में नहीं बोले, आइन्दा जो मदें आयेंगीं, मैं प्रत्येक दल के सचेतक से और विशेष रूप से जनता पार्टी के सचेतक से कहूंगा कि जो सदस्य बोलना चाहते हैं, यह सचेतकों का काम है, उनकी सूची दें । यह आवश्यक नहीं है कि दफतर में आकर नाम लिखायें । वे मन्डल वार सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करें और जो बोलना चाहते हैं उनको अवसर दिलायें और साथ-साथ उनको तैयार भी करायें । मैं यह देखता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अवसर नहीं मिलता है तो समय की भी कठिनाई है । मैं तो चाहता था कि सारे दिन इस बजट पर बहस चलती लेकिन दूसरी मदें भी लेनी हैं और फिर विशेषाधिकार की सूचनायें भी आ जाती हैं, और दूसरे विषय भी आ जाते हैं जिससे सदन का काफी समय कम हो जाता है । अब चूंकि इस पर मतदान भी होना है तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग बिल्कुल नहीं बोले हैं, वे दूसरे अनुदानों पर बोलें, उनको मैं प्राथमिकता दूंगा ।

(श्री रमा शंकर कौशिक के खड़े होने और कुछ कहने पर)

[श्री अध्यक्ष--]

माननीय कौशिक जी मेरे बोलने के बाद यह आवश्यक नहीं है कि आप हर बात पर स्पष्टीकरण लें । आप सचेतक होकर स्वयं कोई मदद नहीं करते हैं और बार-बार कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, आप एक निवेदन सुन तो लीजिए ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाइये । मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं । आप बैठ जाइये । मैं नहीं समझता यह क्या आपका अनुशासन है । आप बैठ जायें मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो सदन में ग्रान्ट्स रखीं उन पर मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा जिस पर इस पक्ष के और उस पक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए। उन विचारों को मैंने सुना और उनमें कहीं-कहीं पर ऐसी बातें उठायी गयीं जो बड़ी ही विवादास्पद हैं, मैं उन्हीं का उल्लेख करूंगा । कानून व्यवस्था के बारे में कई माननीय सदस्यों ने इस बात को उठाया कि १९७४ में जो अपराधों के आंकड़े थे वे १९७८ में कम हुए लेकिन इसके साथ-साथ मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि यह बात उनकी समझ में नहीं आती कि हमारे जिलों में जो अपराध बढ़ रहे हैं वे क्यों बढ़ रहे हैं ।

मान्यवर, आंकड़ों की बात कही गयी लेकिन अपने जिलों की बात जब कही गयी तो कहा गया कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और हमारे जिलों के लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । मैं उनका नाम नहीं लूंगा । दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कानून व्यवस्था के बारे में है वह यह है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि हम सजग हैं और सचेत हैं और आंकड़े भी देते रहे हैं । आंकड़ों का बड़ा जंजाल है मेरी प्रार्थना है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी उनमें न पड़ें तो ज्यादा अच्छा हो। क्योंकि एक कहावत है, "हिसाब ज्यों का त्यों , कुनबा डूबा क्यों ?" एक साहब अपने परिवार के साथ नदी के किनारे गये और नाव पर चढ़ने को तैयार नहीं हुए कि हम पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं, वकील भी हैं, हम ऐसे ही नाव के पैसे नहीं देंगे । हां पहले अपने सदस्यों की लम्बाई नाप लेंगे और पानी की गहराई नाप लेंगे । और उसके बाद जब उन्होंने नदी की गहराई देख ली और अपने सदस्यों को नापा तो वह गहराई से औसत ऊपर निकला । तो वे बगैर नाव के आगे बढ़े और पूरे परिवार को नदी में डाल दिया । बीच में जाकर सारा परिवार डूब गया जैसे तैसे हाथ लगाकर किनारे पहुंच गये और कहने लगे कि "हमारे आंकड़े तो सही थे, हिसाब सही था, मगर हिसाब ज्यों का त्यों फिर कुनबा डूबा क्यों ?" एक साहब ने चलते-चलते कहा कि श्रीमन्, आपका नाप गलत था इसलिए कुनबा डूब गया । तो मैं निवेदन करूंगा कि कुनबा डुबाने वाले अपने आंकड़े कतई मत लें ।

एक बात यह मैं कहना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने बड़े जोर-शोर से एक आरोप लगाया कि जितनी अराजकता, गुंडागर्दी या गोली-कांड हो रहा है, जितना लाठी-चार्ज हो रहा है इसमें कांग्रेस (आई०) का हाथ है ।

(एक आवाज सही है।) कितनी हंसी की बात है और कितने निम्न-स्तर की बात है कि गोली हम चला रहे हैं, लाठी हम चला रहे हैं और कह यह रहे हैं। श्रीमन्, मैं आपको बताऊं कि उन लोगों की पीड़ा को उस वेदना को समझें जिनके लोग पंतनगर में गोलीकांड में मरे उन परिवारों को उन लोगों की लाशें भी नहीं दी गयीं कि वे दाह संस्कार भी कर सकें। यह है इस सरकार के कारनामें। जो गोली मारने के बाद भी लाश को उसके घर वालों को न दे सकें, उससे ज्यादा शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती है।

कानपुर के स्वदेशी मिल का गोली कांड हुआ। यह डाक्यूमेंट मैं सदन के पटल पर रखता हूं। ६-१२-७७ को वह गोलीकांड हुआ था उसमें आंकड़े बताये गये कि १२ व्यक्ति मरे। लेकिन इसके बाद जो एफ० आई० आर० दर्ज हुई है वह १६७ व्यक्तियों की हुई है, कानपुर के। उनके नाम, पते, उनके घर के पते ला हैं। पिछले महीने तक भी अपना वेतन लेने वे स्वदेशी मिल में नहीं आये और अपनी साइकिलें लेने भी नहीं आये। तो ये १६७ व्यक्ति इस शासन के गोली कांड से मर गये। उनकी लाशों को बाहर फेंक दिया गया। वे १६७ व्यक्ति लापता हैं। इनकी लिस्ट आपके समक्ष पेश करता हूं।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) प्रामाणिकता है। एफ० आई० आर० दर्ज हुई है। एक-एक व्यक्ति के घर वालों ने एफ० आई० आर० दर्ज की है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा हमारी संख्या तो बहुत कम है, अगर हमारी आलोचना नहीं सुनना चाहते तो वक्त देना बेकार है।

तो यह आंकड़ों की बात है। यह है शांति व्यवस्था की ओर आपके नये कदम आंकड़ों के बारे में कहा गया कि आंकड़े सही ह लेकिन मेरा दावा है कि इसमें जो आंकड़े दिये हुए हैं। इस पत्रिका में वह, भी देखिये। २१ अप्रैल, १९७८ को विधान परिषद् में ८ महीनों के दिये हैं मन्त्री महोदय ने, दोनों म फर्क है। मैं यह नहीं कहता कि कानूनी व्यवस्था कैसी है। मैं अपनी कोई विचारधारा नहीं रखना चाहता। मैं उन लोगों की बात कहूंगा जो मुख्य मन्त्री के बहुत हितैषी रहे हैं और जिन्होंने निधौली कलां चुनाव में उनके लिए जो जान लगा दिया। ताज्जुब है कि आप सुरक्षित शासन की बात कहते हैं। यह अखबार का कहना है कि श्री फरनांडिस की कानपुर में जेब कटी-केन्द्रीय मन्त्री का। यह सुरक्षा की बात है। पिछले मंगलवार को श्री फरनांडिस कानपुर आये तो १२० रुपया उनकी जेब में थे। एक मन्त्री के पीछे भी गाड़ी होती है, पूरा घेराव होता है और आप ताज्जुब करेंगे कि उनकी जेब कट गयी।

श्रीमन्, कानपुर की घटना है, थाना छावनी में मालखाने में से २ लाख रुपये की चोरी हो गयी। पुलिस के घर में से। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। यह अखबारों का समाचार है। जेब कटी और माल चोरी गया पुलिस मालखाने से। यह "रविवार" एक मैगजीन है इसके पृष्ठ २३ पर श्री उदयन शर्मा का लेख है जो माननीय मुख्य मन्त्री के बड़े समर्थक रहे हैं और निधौली कलां में उनके चुनाव में उनका समर्थन करते रहे हैं, उन्होंने उसमें लिखा है "....रामनरेश

[श्री गुलाब सेहरा—]

जी, कानून और व्यवस्था का आपका दावा झूठा है"...यह हेडिंग है। आगे लिखा है "...क्योंकि राज्य के मुख्य मन्त्री श्री रामनरेश यादव लगातार यह साबित करने का लड़खड़ाता प्रयास कर रहे हैं कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था की समस्या ही नहीं है...।"

श्री अध्यक्ष—

आपके ५ मिनट ही शेष हैं। १० मिनट हो चुके हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

बजट पर ४० लोग बोले हैं उसका उत्तर देना है।

श्री अध्यक्ष—

आपने किसी के तर्क का उत्तर नहीं दिया, नई बात कह रहे हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

नहीं श्रीमन्, जो बातें प्रशासन के बारे में की गयी हैं उन्हीं का उत्तर दे रहा हूं। एक यह अमर उजाला पेपर की कटिंग है मेरे पास। इसमें केन्द्रीय गृह मन्त्री साहब के दामाद श्री गुरुदत्त सोलंकी साहब का लेख छपा है इसमें उन्होंने कहा है कि "आम जनता म असुरक्षा की भावना तथा मौजूदा सरकार में विश्वास का पूर्ण अभाव इतनी गहरायी तक व्याप्त हो चुका है कि शासन द्वारा दिये गये वक्तव्य, जिनका हेरफेर का अर्थ होता है, कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था आदि की समस्या ही नहीं है सरासर झूठ और जानबूझकर जनता को बहकाने का प्रयत्न मात्र लगता है...।" माननीय सत्यदेव त्रिपाठी ने मान्यवर, एक आरोप लगाया कि डा० अम्बेदकर की प्रतिमा लगाने के बारे में चन्दे आदि के घपले का। ....(व्यवधान) (शोर)।

पर्वतीय विकास उप मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

५० हजार रुपये तो सरकार ने दिये, मगर वहां तो खुर्दबीन तक से देखने पर भी कुछ नजर नहीं आया।...(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

मैं श्रीमन्, माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि वे ३० जून, १९७७ से आज तक इनकी सम्पत्ति का ब्योरा क्या है यही देख लें। पर्वतीय विकास मन्त्री हैं लेकिन जब दिल्ली जाते हैं तो गाजियाबाद जरूर जाते हैं (व्यवधान) (शोर) माननीय भगवती सिंह जी के बारे में एक पैम्फलेट आपके पास आय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

ऐसा तो नहीं है कि यह सब आपके मशविरे से ही होता हो।

(हंसी)

श्री गुलाब सेहरा—

हमारी सुरक्षा की गारेन्टी श्रीमन्, आपके ऊपर है, जब आप ही कमेन्ट करेंगे, तब क्या होगा?

श्री अध्यक्ष--

मैं तो आपकी दाद दे रहा हूं ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

श्रीमन्, मेरे पर जो आक्षेप लगाये हैं उनका उत्तर देने का मुझे अवसर दें । (व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा--

इन्दिरा गांधी के जुलूस में जो लोग शामिल थे उनको डकैती में फंसा दिया. . . . (व्यवधान)

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मुझे स्पष्टीकरण का माननीय, अवसर दें ।

श्री अध्यक्ष--

सेहरा जी अपना भाषण समाप्त कर लें, उसके बाद आपको अवसर मिलेगा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, तो मैं यह कह रहा था. . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष जी । कोई भी माननीय सदस्य अखबार की कतरनों के आधार पर अपना भाषण नहीं दे सकता । जानकारी अपनी लेकर उद्धरण तो दिया जा सकता है, लेकिन अखबार की कटिंग को लेकर भाषण नहीं दिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

आप रुकिये । समाचार पत्रों में बहुत से समाचार प्रकाशित होते हैं । उनके उद्धरणों को यहां पर देना कोई गलत नहीं है, लेकिन वह एक मात्र प्रामाणिक कोई साक्षी नहीं माना जा सकता है, उनका प्रतिवाद किया जा सकता है । लेकिन रोजाना माननीय सदस्य शून्य प्रहर, नियम ५१, नियम ५६ में यह जो सूचनाएं देते हैं, आप तो सबसे ज्यादा इसमें देते हैं, वह सब समाचार पत्रों के आधार पर देते हैं । अगर मैंने यह व्यवस्था कर दी कि समाचार पत्रों के आधार पर कोई यहां पर सूचना नहीं दी जा सकती, तो आप समझिये कि शून्य प्रहर भी समाप्त हो जायगा और नियम ५१ भी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह तो उसी की कतरन पढ़ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैंने जो भी बात कही अपने कटौती के प्रस्ताव में कही । मैं चाहता हूं उसे आप देखिये, सत्य हो, उस पर जरूर कुछ न कुछ ऐक्शन करें । माननीय मुख्य मन्त्री जी गलत परम्परा डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे दो केस में मालूम है, इनके मन्त्रि परिषद् के लोग जो क्रिमिनल केस में थे, एक तो क्रिमिनल केस वापस ले लिया, मैं जानता हूं जून, ७६ में सहकारिता मन्त्री के विरुद्ध दफा २५ का केस था, उसे मुख्य मन्त्री ने वापस ले लिया । दूसरा केस लक्ष्मण सिंह जी के बारे में था, उसमें सी० बी० आई० की इन्क्वायरी भी हो गयी । यह केस देहरादून की अदालत में चल रहा है । उसमें मुख्य मन्त्री जी ने कुछ नहीं किया । मैं कहता हूं कि आप तो भ्रष्टाचार मिटाने का वादा कर आये हैं । आप इस सिलसिले में व्यक्तिगत रंजिश की बात न सोचें । आप जो समग्रक्रांति की बात करके आये हैं, उसी संदर्भ में आपसे मैं बात करता हूं । इस विवाद में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि नौसिखिया लोग हैं, हम भी मानते हैं लेकिन बात यह है कि भ्रष्ट नहीं होना चाहिए । मैं मुख्य मन्त्री जी की ईमानदारी की तारीफ करता हूं, श्रीमन् । इतना बड़ा प्रदेश है, अब आजमगढ़ से आकर माननीय मुख्य मन्त्री जी इसमें फंस गये । जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में स्कूटर न चलाया हो, उसे लेलैंड ट्रक दे दिया जाय, तो वह एक्सीडेंट नहीं करेगा ? सम्भल जायगा, पंतनगर, नैनीताल जायगा एक्सीडेंट करेगा तो श्रीमन्, एक्सीडेंट तो करेगा, तो मैं यह कहता हूं कि इक्सपीरियंस की जहां पर बात है, तो श्रीमन्, एक्सीडेंट तो अवश्य ही होता है, और वही बात जनता पार्टी में हुई । तो जब आप इतना बड़ा प्रदेश नये लोगों के हाथ में दे देंगे, तो एक्सीडेंट होगा ही ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिए सेहरा जी । आप अपने निर्णय पर अमल कीजिए ।

श्री गुलाब सेहरा--

हमें दो-चार मिनट और दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

यहां के सदस्य लोग सभी ज्ञानवान हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

कई विधायकों ने कहा कि विधायकों की कोई इज्जत नहीं है । वह मन्त्री के कमरे में घुसने के लिए एक-एक घंटे तक खड़े रहते हैं । इस सम्बन्ध में लक्ष्मी नारायण विधायक हैं उन्होंने कहा, ओझा जी ने कहा कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि ग्रेजुएट से नीचे मन्त्रि मण्डल में नहीं लिये जायंगे तो एक साहब नेपाल गये और जाली डिग्री ले आये । महात्मा गांधी की बातें करते हैं। ऐसे लोगों को मन्त्री बना दिया गया तो कैसे काम चलेगा । हमने नहीं कहा है ओझा जी ने कहा, जनता पार्टी के सदस्यों ने कहा है। गलत है तो उनका आप पक्ष क्यों ले रहे हैं, श्रीमन्, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। कुछ लोग मुद्रा संचय में बहुत बिजी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। जो हम सही सुझाव देते हैं उनको पूरा करें। वैसे एक बात कहनी है जनता पार्टी की स्थिति इस वक्त ऐसी हो गयी है, अब लोग कह रहे हैं कि देखा तो कुछ मामला बना

नहीं । आज जनता का विचार बदल रहा है । करनाल के चुनाव में हम २ लाख ६० हजार से हारे थे और अब १३ हजार से हारे । तो मेरा कहना है, मेरे एक मित्र हैं मेरी गली में रहते हैं, मुसलमान हैं । तो उन्होंने एक शेर अर्ज किया जनता पार्टी के लिए :--

बड़े दिलचस्प वादे थे, बड़े रंगीन धोखे थे,
गुलों की आड़ में जिंदगी शोले उठा लाई ।

तो शोलों को भुगत रहे हैं । तो मेरा कहना है कि इसको देखें और जो गलत लोग हैं उनको मंत्रिपरिषद् से अलग करें । चाहे आप कुछ दिन रहें लेकिन भ्रष्ट लोगों को जरूर अलग करें यही मेरा निवेदन है ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

पिछली बार के भाषण में श्रीमान् को मेरी अंग्रेजी से नफरत थी । आज उन्होंने सब गलत तथ्यों को सदन के सामने प्रस्तुत किया है । श्रीमन्, मैं अपनी संपत्ति की घोषणा मुख्य मन्त्री को और सबको कर चुका हूं । और इसको रद्दन की कार्यवाही में आ जाना चाहिये । क्योंकि झूठ के आधार पर खड़े गुलाब सेहरा साहब के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है ।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर इधर दो दिनों से लगातार चर्चा होती रही है और विशेष रूप से विपक्ष में बैठे हुये लोगों ने और उनमें से विशेषरूप से गुलाब सेहरा जी ने जिस प्रकार से नाटकीय ढंग से (हंसी) तथ्यों को तोड़ मरोड़कर गलत ढंग से रखने का प्रयास किया, शायद वह स्वयं जानते हैं कि वह मन से नहीं बोल रहे थे बल्कि केवल दिखाने के लिये बोल रहे थे ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

और भी सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे और कुछ सुझाव दिये । मैं समझता था कि इस अवसर पर कुछ अच्छे ठोस रचनात्मक सुझाव आयेंगे जिन पर चाहे पुलिस प्रशासन हो या अन्य कोई प्रशासन हो, उस दिशा में कुछ कदम बढ़ाने के लिये बल मिलता । लेकिन इस तरह का कोई ठोस रचनात्मक सुझाव विपक्ष की तरफ से नहीं आया । वास्तव में विपक्ष को अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करनी होती है । इस संदर्भ में अपनी भूमिका का विपक्ष ने निर्वाह नहीं किया है जो लोकतन्त्र की एक आधार शिला होती है । इसके बावजूद भी जिस प्रकार से सारे प्रश्नों पर, प्रशासन के सम्बन्ध में, पुलिस और शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्मानित सदस्यों के जो विचार आये हैं, उनकी भावनाओं को देखते हुये, विचारों को देखते हुये, उस दिशा में मैं अपनी ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं, इसलिये कि जनता पार्टी लोकतन्त्र में विश्वास रखती है, सारे सुझाओं पर सम्यक् दृष्टिकोण अपनाते हुये उनका स्वागत करता हूं और इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि इस दिशा में कदम उठाये जायेंगे ।

[श्री राम नरेश यादव--]

एक बात अवश्य है कि उधर बैठे लोगों को अहसास होना चाहिये कि जो मार्च, १९७७ में एक अहिंसात्मक क्रांति आयी और जिसके फलस्वरूप जो लोक शक्ति जगी और उसके पश्चात् जो जनता पार्टी विकल्प के रूप में बनी और उसकी आंधी जो चली तो पूरे उत्तरी भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया। वह आंधी यहां से दक्षिण में पहुंची और जनता पार्टी की स्थिति वहां भी सुदृढ़ होती जा रही है। यदि उधर बठे लोग इस प्रकार कहते हैं कि जो जनता पार्टी विकल्प में बनी उसका दिन प्रति दिन ह्रास होता जा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी नीतियों और सिद्धान्तों पर चल रही है। उसको देखते हुये कोई ताकत नहीं है कि जो जनता पार्टी की ताकत को आगे बढ़ने से रोक सके। एक बात जरूर है कि नापने वाले लोग जो गलत ढंग से नापते थे और जिस तरह की चर्चा सेहरा जी ने किया, उधर बैठे वह लोग हैं। इधर बैठे लोग कभी भी उस तरह की गलतियों को दोहराने वाले नहीं हैं, उनका रास्ता साफ है। उसमें मैं साफ कह देना चाहता हूं कि जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है और राजनीति में भ्रष्टाचार की समाप्ति की बात करती है और उस दिशा में कदम भी उठाती है। वही बात हम प्रशासन में लाना चाहते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसे पहले इंगित किया था वास्तव में प्रशासन में, जो भ्रष्टाचार है, जिसका श्रेय बढ़ाने का उधर के लोगों को है इससे वह इंकार नहीं कर सकते हैं, उसकी समाप्ति करने की दिशा में कदम उठाना है और उठाये गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उधर बैठे लोग, जो सत्ता में नहीं हैं, जरूर इस बात की चर्चा करेंगे कि प्रशासन में ढिलाई और भ्रष्टाचार है। लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ आपने बढ़ाई थी। उस गंदे पानी को बहाने का जनता पार्टी प्रयास कर रही है और स्वच्छ जल को उस गंगा में प्रवाहित करने का प्रयास जनता पार्टी करेगी।

मान्यवर, एक ओर जहां हम यह कहते हैं वही हमने करके भी दिखाया है। राजनीतिक जीवन में और प्रशासन में रहने के नाते, सरकार में रहने के नाते जो आरोप आते थे, जो सत्ता में रहे हैं, उनको इस बात का साहस नहीं हुआ कि अपने मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिये कोई वैधानिक कार्यवाही करते। लेकिन जनता पार्टी को बधाई देना चाहिए, उधर के लोगों को, कि हमने किस तरह साहसपूर्ण कदम उठाया और लोक आयुक्त की नियुक्ति किया।

मान्यवर, कुछ मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की चर्चा जिसकी तरफ श्री सेहरा जी ने संकेत किया है। तो मैं उसमें कहना चाहता हूं कि जब लोक आयुक्त को आपके सामने चुनौती के रूप में रख दिया है, तो यदि आप में साहस है तो उस बात को लोक आयुक्त के सामने रखें, जो चर्चा करते हैं, ताकि उनका मामला हमेशा के लिये समाप्त हो जाय और सार्वजनिक जीवन में जो कीचड उछाला जाता है वह समाप्त हो हम उस चुनौती का मुकाबला करने के लिये तैयार हैं।

मान्यवर, एक बात और इस सम्बन्ध में कही गयी कि प्रशासन में ढिलाई आ गयी है और स्थानान्तरण के बारे में चर्चा बहुत की गयी। मैं कहना चाहता हूं कि बोलने के पहले कम से कम जो तथ्य हैं उनके बारे में सही जानकारी रखनी चाहिये। यदि सही जानकारी नहीं है तो उनको अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिये। हमारे शासन की स्पष्ट नीति है...

गुलाब सेहरा साहब ने संकेत किया था कि स्थानान्तरण के आदेश कर दिये गये हैं और उसके बावजूद भी कुछ स्थानान्तरण हो गये हैं और उन्होंने कुछ नाम की चर्चा भी की है। मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं जिन नामों के

सम्बन्ध में आपने चर्चा की है वे नाम अगर देखेंगे तो हमारी नीति के आधार पर हुये हैं और सदन को बिल्कुल विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि पहले सत्ता पर बैठे हुये जो लोग थे उन्होंने सत्ता पर बने रहने के लिए, सरकारी अधिकारियों पर अंकुश लगाये रखने के लिए, उनका आभार प्रदर्शित करने के लिए, कृतज्ञता का ज्ञापन देने के लिए, उनकी सेवा काल में ५-६ साल का विस्तार किया था। जनता पार्टी सरकार ने प्रदेश के नवयुवकों की बेकारी की समस्या को ध्यान में रखते हुये इस प्रकार का जो सेवा-विस्तार दिया गया था उनको खत्म किया (तालियां) और इसलिए खत्म किया कि हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश में जो नौजवान हर शिक्षा के क्षेत्र से निकल कर सेवावृत्ति की भावना लेकर आये और दर-दर ठोकर खानी पड़ें। हम बेकारी की समस्या को हल करना चाहते हैं। इस संदर्भ में कुछ नाम लिये गये हैं। जी०सी० चतुर्वेदी जो वित्त सचिव थे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उस समय जो हमारे वित्त सचिव श्री बी० बी० टन्डन थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था वे रिटायर कर दिये गये थे। इसलिये केवल अंतरिम काल के लिए जी० सी० चतुर्वेदी को वित्त सचिव के पद पर रखा गया था। ऐसा नहीं कि उनका स्थानान्तरण कर दिया गया उस पद पर। इस तरह का नहीं था बल्कि अंतरिम काल के लिये उनसे काम देखने के लिए कहा गया। वे खाद्य का भी कार्य देख रहे थे और जैसे ही वित्त सचिव की नियुक्ति हो गयी वे फिर से अपने खाद्य सचिव का कार्य देखने लगे।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

यह जी० सी० चतुर्वेदी हैं।

श्री राम नरेश यादव--

जी० सी० चतुर्वेदी। आपने एक और चर्चा की जे० पी० पाण्डे की सेवा में वृद्धि के बारे में। यह बिल्कुल निराधार है। निराधार इसलिए की जो हमारे श्रम ट्राइब्यूनल हैं उनमें इस बात की व्यवस्था पहले से ही है और हमने भी उसी व्यवस्था को रखा है कि जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं, सेवा वृद्धि का मामला नहीं, अनुभवी लोग हैं, जो श्रम के मामलों का निस्तारण ठीक से कर सकें, उनकी पुनर्नियुक्ति ऐसे स्थानों पर की जाय। हमने ऐसे ही किया है। इसलिए सेवा विस्तार का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। केवल पुनर्नियुक्ति का मामला था इसलिए उनको उस स्थान पर रखा गया। मैं चैलेन्ज देता हूं उधर के बैठे हुये लोगों को कि एक भी ऐसा मामला हमारे प्रशासन म नहीं मिलेगा जिस में किसी भी अधिकारी का सेवा विस्तार सेवा निवृत्ति के समय के बाद किया गया हो। इसलिए इस संदर्भ में जो आप का प्रश्न आया है बिल्कुल निराधार हो जाता है।

एक बात की चर्चा और रह गयी है। जिस समय उधर बैठे हुये लोग सत्ता में रहे तो सेवाओं को, जन सेवाओं को महत्व देना चाहिए था, उनकी सेवा नियमावली बननी चाहिये थी लेकिन आज भी बीस वर्षों के बाद, जब कि, कुछ

[श्री रामनरेश यादव—]

बिनों को छोड़ कर, एक परिवार सत्ता में हावी रहा है, ३४२ सेवा नियमावली नही बनायी जानी चाहिए थी । इस दिशा में शासन में आने के बाद जनता पार्टी सरकार ने अनुभव किया कि हमारे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनकी सेवा नियमावली होनी चाहिए जिसकी तरफ बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से पिछले दिनों देखा गया था । हम लोगों ने इस बात का अनुभव किया और सेवा नियमावली बनाने की तरफ ध्यान दिया और मैं यह बता देना चाहता हूं कि १८२ नियमावली सेवा की इस सम्बन्ध में बन कर तैयार हो चुकी हैं । परीक्षण करने के बाद । जो सेवा नियमावली बची हैं वे बनने जा रही हैं और शीघ्र ही वह बन जायेगी हम समझते हैं कि जब सारी प्रशासन की आधारशिला, उन पर निर्भर है सरकार की नीतियों, निर्देश और निष्कर्षों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उन पर है तो उनकी महत्ता को समझते हुये हम प्रशासन में रहने वाले जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी है उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते जिस तरह की उपेक्षा पिछले ३० वर्षों में उनकी होती रही है । इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि स्वच्छ प्रशासन देने के सम्बन्ध में भी हमने कदम उठाये हैं । हमारे एक सम्मानित सदस्य ने एक पेशकार को एक रुपया घूस लेते हुए पकड़े जाने की बात कही और कहा कि बड़े अधिकारियों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है । इसे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक आपने ३० सालों में बढ़ाया है उसको अल्प अवधि में समाप्त नहीं किया जा सकता । लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कि जनता पार्टी सरकार जो जनता की आकांक्षाओं के बल पर आयी है उसने इस अल्प अवधि में उस दिशा में क्या कदम उठाएं और जो कदम उठाए वही इस बात का द्योतक होगा कि इस सचमुच में हम समाज और राजनीति में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं । पेशकार ही नहीं, छोटे कर्मचारी ही नहीं बहुत से अधिकारी, अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट जज, सेल्स टक्स अफिसर, हरिजन कल्याण अधिकारी, इंजीनियर और भी बहुत से अधिकारी पकड़े गये हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रशासन से भ्रष्टाचार दिन पर दिन कम होता जाय । अल्प अवधि में इस तरह के कदम हमने उठाये हैं ।

एक बात की चर्चा सम्मानित मिश्रजी ने की कि लोक आयुक्त के सामने एक हजार रुपया जमा करने के बाद कौन साधारण नागरिक जायगा । उसके पास तो एक हजार रुपया होगा नहीं । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वह केवल इस-लिए रखा है कि समाज में रहने वाले लोगों की हालत हम आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा भी सम्भव है कि राजनीतिक लोगों के खिलाफ गलत शिकायतें या आरोप केवल उन पर लांछन लगाने के लिए या उनको बदनाम करने के लिए न आने पावें, उससे बच सकें इस बात के लिए वह प्राविधान रखा गया है । लेकिन लोक आयुक्त के अधिकार में यह बात दी गयी है कि उस एक हजार रुपये की धनराशि में से जितना चाहे कम कर सकते हैं और किसी के आवेदन को स्वीकार कर सकते हैं । यह उनके अधिकार क्षेत्र में है । एक बात, जिसकी ओर मैंने पिछली बार भी संकेत किया था, कहना चाहता हूं कि इस थोड़ी सी अवधि में हमने ३०८ ट्रेप डाले और उसमें जो लोग पकड़े गये वह इस बात का सबूत है कि जनता पार्टी लोकतंत्र के रास्ते पर चलते हुए समाज और राजनीति से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहती है ।

एक बात की और कही गयी और वह थी पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था और पूरे प्रदेश की स्थिति । उसके बारे में अधिक कुछ न कहकर केवल कुछ सवालों

का उत्तर देना चाहूंगा जो कि उस सम्बन्ध में उठाये गये हैं। हमारे कुछ सम्मानित सदस्यों ने कुछ घटनाओं की ओर संकेत किया। शतरुद्र प्रकाश जी ने वाराणसी के बारे में, शारदा प्रसाद जायसवाल ने गोरखपुर के बारे में, रियासत हुसैन और अन्य कुछ सदस्यों ने बुलन्दशहर के बारे में घटनाओं का जिक्र किया था। एक बात कहना चाहूंगा। शासन ने अगर कहीं पर ऐसे अपराधों की जानकारी के पश्चात्, प्रथम सूचना थाने में दर्ज होने पर या किसी अधिकारी की जानकारी में आने के बाद भी अगर लापरवाही दिखायी गयी होती तो उनको इस बात का कहने का अधिकार था और उनके कथन में बल होता कि शासन ने जानबूझकर अधिकारियों के कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए कार्यवाही नहीं की। चाहे गोरखपुर, बुलन्दशहर या वाराणसी का मामला रहा हो इन सारे मामलों में तत्काल शासन की ओर से कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध करने का प्रयास किया गया है। गिरफ्तारियां की गयीं। ३७६ व ३९५ के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया बुलन्दशहर में और मुकदमा कायम करने के बाद उस इन्स्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया जो बाद में जमानत पर छूटा। इसी तरह से बनारस में जिस तरह की घटना हुई तुरन्त कार्यवाही की गयी और जिसके प्रति सन्देह था उसके खिलाफ भी कार्यवाही की। इसी तरह गोरखपुर की बात आई कि वहां पर पी० ए० सी० के लोगों ने गोली चलाई। उनको निलम्बित कर दिया गया। मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि कहीं भी शासन को किसी दुर्घटना की जानकारी होने के पश्चात्, प्रथम सूचना अंकित होने के पश्चात् ढिलाई नहीं बरती गयी। तो यह लांछन शासन पर लगाना कि पर्दा डालने का प्रयास किया गया है सही नहीं है, पर्दा डालने का कोई प्रयास कभी नहीं किया गया बल्कि उसकी जानकारी तथा तफतीश करने का प्रयास किया गया और शान्ति व्यवस्था को कायम रखने के लिये हर मुमकिन कदम उठाये गये।

जहां तक लाठी गोली की चर्चा की गयी, जिसका जिक्र गुलाब सेहरा जी ने बहुत मनोरंजक ढंग से सदन में किया, उनको मैं बतला देना चाहता हूं चाहे पंतनगर का मामला हो अथवा लखनऊ का या अन्य किसी स्थान का, एक बात जरूर उनको याद रखना चाहिये कि जनता पार्टी का विश्वास कभी भी हिंसा में नहीं रहा है और न इस बात में रहा है कि किसी भी प्रकार अराजकता की स्थिति पैदा होने दी जाय। लेकिन इतना अवश्य है कि शासन के हट जाने के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी या भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने जिस प्रकार अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया है उनके उन सारे प्रयासों को चलने नहीं दिया जायगा। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि इस प्रकार की अराजकता पैदा करने वाली स्थिति को बनारस में, गोरखपुर में, बाराबंकी तथा आगरा में पैदा करने का प्रयास किया गया, लखनऊ तथा अन्य स्थानों में पैदा करने का प्रयास किया गया जो सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है और फिर उधर से लोकतंत्र की दुहाई भी दी जाती है। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा तब लोकतंत्र कहां चला गया था तब आपने मीसा लगा कर, आपात् स्थिति घोषित करके लोगों की जबान पर ताला

[श्री राम नरेश यादव]

लगा दिया था। आज वह इस तरह की अराजकता का वातावरण देश व प्रदेश में पैदा करने के लिये हिंसा का वातावरण पैदा करना चाहती हैं और उनके पुत्र संजय ने भी यही किया है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं चाहे कोई भी हो अगर किसी ने इस तरह की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया तो एक हद तक तो शासन में रहने वाले लोग, वरिष्ठ अधिकारी अथवा पी० ए० सी० के जवान उसको बर्दाश्त करेंगे लेकिन आपको अपने को संभाले रहना होगा लेकिन अगर आप अपने को संभालने को तैयार नहीं होते और सदन में जिस तरह का वातावरण पैदा किया था, फिर सड़क पर बाहर जा कर पैदा किया था तो ऐसी स्थिति आने पर हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं रह जाता सिवाय इसके कि ऐसे लोगों से निपटने के लिये कोई रास्ता निकाला जाय और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर कड़ाई से पेश आया जाय।

एक बात जरूर है। चाहे पंत नगर का मामला हो अथवा कहीं का मामला हो इतिहास कभी इस बात को नहीं भूल सकता, न प्रदेश की जनता ही भूल सकती है कि मुजफ्फरनगर में २५ आदमियों को गोलियों से भून दिया गया, सुल्तानपुर में भी यही किया गया लेकिन आप में हिम्मत नहीं थी कि आप न्यायिक जांच कराने का फैसला करते। लेकिन जनता पार्टी की सरकार इस बात में विश्वास रखती है कि अगर कहीं पर भी जरा संदेह दिखाई पड़ता है और जनता आवाज उठाती है कि न्यायिक जांच होनी चाहिये तो उसकी घोषणा करती है। पंत नगर में सबसे पहले जाकर न्यायिक जांच कराने की घोषणा की। जनता सरकार जनतंत्र में विश्वास रखती है।

एक बहुत जरूरी बात और है। हरिजनों का बहुत नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि हरिजनों पर काफी ज्यादतियां हुई हैं। मैं यह बात कह देना चाहता हूं कि जो आज उधर बैठे हुए हैं हरिजनों के नाम पर जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं उन्ही के आंकड़े बताते हैं कि आपकी रिजीम में, आपके शासन काल में काफी ज्यादतियां हुई हैं लेकिन उस समय आपकी जबान नहीं खुली, हिम्मत नहीं हुई यह कहने की कि हरिजनों पर ज्यादतियां हो रही हैं। मैं इमरजेंसी की चर्चा नहीं करना चाहता हूं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े हैं वह बताते हैं कि आज उनकी संख्या में कमी आई है वह एजेंसी वही है जो आपके जमाने में थी। जो क्राईम विभिन्न श्रेणी में दर्ज हुए उनकी संख्या इस प्रकार है—वर्ष १९७३ में ३९१८, १९७४ में ६१५४, १९७६ में ६००२ १९७७ में ५५३१, सन् १९७८ में मार्च तक १२४०, १९७७ में ५५३१ और १९७४ में ६१५४, तो यह सन् १९७४ में हमारी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जिसके जमाने में घनघोर अपराध हो रहे थे। आपको सोचना चाहिए कि यह आंकड़े आपके द्वारा बनाए गए हैं और जो वास्तविक हैं, इसलिए आप ऐसी बातें कहने से बाज आएं..... (व्यवधान)

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। आप बहुत चर्चा किया करते हैं कि प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। तो आप हरिजन अपराधों के पंजीकृत अपराधों के मामलों में दूसरे प्रदेश से तुलनात्मक विवेचन करें, तो यह चीज भी आपको स्पष्ट हो जायगी कि यह आपके समय में कितने अधिक थे और अब स्थिति में कितना सुधार हुआ है। बिहार में सन् १९७४ में २५८ पंजीकृत मामले हुए, १९७५ में २६४, १९७६ में ६२१ और १९७७ में ४२१, आप अपने उत्तर प्रदेश में उस समय की दशा को देखें, १९७४

में ५७९१ मामले पंजीकृत हुए, १९७५ में ४६५६, १९७६ में २४४७ और १९७७ ४९७४। तो यह आपके समय के आंकड़े सन् १९७४ के हैं--५७९१, जो स्थिति की भयंकरता को बताते हैं। यह आंकड़े कहीं इस चीज को नहीं बताते हैं कि जब से प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार आई है, अपराध बढ़े हैं, यह बताती है कि तब से कहीं भी अपराध नहीं बढ़े हैं, जिनको आप बताते हैं कि बढ़े हैं।

श्री गुलाब सेहरा--

१९७४ में तो आप उत्पात करा रहे थे, उस समय के भारी आंकड़े हैं।

श्री राम नरेश यादव--

उस समय भी हरिजनों पर अत्याचार करने की बात थी, तो हमने लोक नायक जय प्रकाश नारायण के आवाहन पर उनके नेतृत्व में, उनके दिखाए मार्ग पर चलकर अहिंसक क्रांति के द्वारा जनता को जगाने का प्रयास किया था। उस समय भी हरिजनों के मामले आपके हाथ में थे और आपके ही हाथों उन पर अत्याचार हो रहे थे। सन् १९७८ की ओर भी आप देखेंगे तो आप पायेंगे कि इस साल भी हस्तक्षेपीय अपराधों की संख्या में काफी कमी आई है। अब आप २ जनवरी से ३१ मार्च तक के वर्ष वार आंकड़े देखें, १९७८ में कुल हस्तक्षेपीय अपराध ५२०९२ हुए, जबकि सन् १९७७ में ४२१०९, १९७६ में ५३२४५, १९७५ में ६५१६० और १९७४ में ५७९७० इनकी कुल संख्या है। यह आंकड़े भी इस बात को बताते हैं कि जिस तरह की चर्चा आप बहुत करते हैं और अन्य सूत्रों से भी होती है, उस तरह से आंराधों में वृद्धि नहीं हुई है। जनता पार्टी की सरकार आने से इसमें कमी हुई है। अवश्य कमी हुई है हम नहीं चाहते कि जिस तरह से कमी हुई है वही कमी रहे। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में जनता बिलकुल सुरक्षित रहे, कहीं भी बिलकुल भी कोई अशान्ति का वातावरण दिखाई न पड़े। जिस तरह का आक्रोश विद्यार्थियों और दूसरे लोगों में आपात स्थिति के बाद उबला है, उसको देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शान्ति व्यवस्था का मामला हो या हरिजनों से सम्बन्धित मामला हो इन प्रश्नों की आड़ में, पिछले ३० वर्षों के शासन ने समाज पर जो काली छाप छोड़ी थी, उसी का आज यह दुखद परिणाम हम सबको दिखाई पड़ रहा है। लोकतन्त्र के आधार पर जो आघात हुए, उसके बाद हम जो आजादी को वापस लाए, उसके अन्दर ही अब यह सारी चीजें प्रस्फुटित हो रही हैं। आप आने वाले दिनों में लाख प्रयास करेंगे कि कहीं पर जनता पार्टी की सरकार शान्तपूर्ण ढंग से काम न कर सके, लेकिन अब जिस लोक शक्ति का अभ्युदय हुआ है और जो जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति और विकास की दिशा में अग्रसर हो रही है, उसके सामने आप कहीं ठहर नहीं सकेंगे। आप कहीं भी उसको बरगला कर अपने काले कारनामों में और जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने में कतई सफल नहीं हो सकेंगे। इन ६ महीनों में आप दो दलों में टूटे हैं, आगे आने वाले दिनों में और टूटकर चकनाचूर हो जायेंगे। केवल जनता पार्टी की सरकार और उसकी नीतियां ही हैं, जो हर मामले पर गम्भीरता से विचार करते हुए, घोषणा पत्र

[श्री राम नरेश यादव]

के वायदों को असली जामा पहनाते हुए प्रगति की दिशा में निरन्तर आगे की ओर कदम बढ़ाती चली जा रही हैं। इन शब्दों के साथ में पुनः सभी साथियों, जिन्होंने सदन में विचार रखे हैं, उनकी भावनाओं का स्वागत करता हूं और स्वागत करते हुए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी रचनात्मक सुझाव मिले हैं, उन पर गम्भीरता से हम विचार करेंगे और कदम उठाने का भी प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ, जो कटौती का प्रस्ताव आया है, मैं निवेदन करूंगा कि कटौती का प्रस्ताव वापस लें क्योंकि प्रदेश के हित में है, जनहित में है, लोकहित में है और हम और आप सब लोग प्रदेश के हित की चर्चा करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

श्री सेहरा, आप वापस लेते हैं या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा--

मुझे एक प्रश्न पूछने की आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष--

आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

श्री गुलाब सेहरा--

मुझे एक प्रश्न पूछना है। माननीय मुख्य मंत्री ने निवेदन किया कि आपातकाल के दौरान मुजफ्फरनगर में गोली कांड हुआ। उसमें लोग मरे। उसका दुख मुझे भी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने आपातकाल में लोगों ने जो कुछ किया, आपने पूरी कार्यवाही की लेकिन मुजफ्फरनगर के डी० एम० पर इसलिए कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि आपकी बिरादरी का था और माता प्रसाद जो हरिजन था उसको आपने निलम्बन का दंड दे दिया, इसलिए कि वह हरिजन है ?

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठिए। माननीय मुख्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

हम सब लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, विधि का राज्य चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकतन्त्र की जो मान्यतायें हैं उनसे अलग जाकर और जो लोग पहले सत्ता में रह चुके हैं, उन लोगों का जो रास्ता था उस पर हम नहीं चलना चाहते हैं। न ऐसी कोई गलत परम्परा कायम करना चाहते हैं। शाह कमीशन के सामने मामला विचाराधीन है। ज्यों ही उसका निर्णय हो जायगा, कोई भी अधिकारी हो, किसी भी वर्ग या जाति का हो बख्शा नहीं जायेगा। जो भी कानून की गिरफ्त में आयेगा, कार्यवाही होगी।

श्री गुलाब सेहरा--

कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। इसलिए कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३ सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३--मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४८,९६,६०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५--निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६३,४५,८०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--सचिवालय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १८--सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,३६,५२,९०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,२१,२८,६०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१--पुलिस के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २१--पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६२,४७,६५,१०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,०७,६३,८०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनायें के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४०--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,१६,०३,३०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४५--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५९,०४,८०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ६--वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर, अनुदान संख्या ८--स्टाम्प एवं पंजीकरण, अनुदान संख्या ११--बिक्री-कर तथा अनुदान संख्या १३--अन्य कर और शुल्क

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६--वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,१२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८--स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,४०,६५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११—बिक्री-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,५८,८२,४०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १३—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४५,६४,४०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, जून, १९७७ में इस प्रदेश के अन्दर सत्ता का परिवर्तन हुआ। उस समय प्रदेश में बिक्री-कर की स्थिति बड़ी विचित्र थी। देश के दूसरे प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में बिक्री-कर की दरें कहीं अधिक ऊंची थीं और उसके बावजूद प्रति व्यक्ति कर का भार केवल २१ रुपए प्रति वर्ष पड़ता था। यह भार देश में जो पिछड़े प्रदेश हैं जैसे जम्मू कश्मीर, बिहार, आसाम और उड़ीसा, उनसे कुछ ही अधिक था परन्तु महाराष्ट्र, केरला, तामिलनाडु आदि प्रदेशों से बहुत कम था। महाराष्ट्र के अन्दर प्रति व्यक्ति बिक्री-कर का भार ७९ रुपए, पंजाब में ६० रुपए, हरियाणा में ५१ रुपए और तामिलनाडु जैसे छोटे प्रदेश में ५० रुपए, पश्चिमी बंगाल में ३६ रुपए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति था। इसकी विवेचना करने पर पता चला कि यह जो प्रति व्यक्ति भार कम है, इसका कारण यह रहा कि प्रदेश में औद्योगिक और व्यावसायिक उन्नति नाम मात्र हुई है। जनता पार्टी के सत्ता में आने के साथ प्रदेश के अन्दर कुटीर उद्योग हस्त कला कर्मियों के द्वारा और व्यवसायियों की ओर से प्रत्यावेदन आने आरम्भ हो गए कि पिछले कुछ वर्षों से उनके साथ कुछ ज्यादती हुयी है। जिसके कारण उन उद्योगों और व्यापारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसलिए यह सरकार बिक्री-कर की नीति के बारे में पुनः विचार करके एक नयी नीति प्रारम्भ करें, अपनाएं। देखा यह गया कि पिछले वर्षों में जून, १९७७ के पहले, शासन को धन की आवश्यकता जब भी हुई तो बिक्री-कर की दर में वृद्धि कर दी गई और सामान्य कर की दरों में वृद्धि करके शासन की आवश्यकता की पूर्ति की गयी। जनता पार्टी की सरकार ने देखा कि यह उचित नीति नहीं है। उसने उद्योग और व्यापार की समस्यायों का सही हल निकालने के लिए एक संकल्प लिया, इसीलिए इस समस्या के ऊपर नए सिरे से गम्भीरतापूर्वक विचार हमने शुरू किया। माननीय सदस्यों को विदित है कि जनता पार्टी के संविधान में यह घोषणा की गयी थी कि हम बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगायेंगे। यह ठीक है कि आज भी केन्द्र और प्रदेश के स्तर पर इस प्रश्न पर विचार हो रहा है। यकायक बिक्री-कर जो प्रदेश की आय का प्रमुख श्रोत है उसको समाप्त कर देना किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है। इसलिए निश्चय किया गया कि जब तक बिक्री-कर की समाप्ति के बारे में कोई अन्तिम निर्णय केन्द्र अथवा राज्य की सरकार के द्वारा नहीं हो जाता जब तक इस आय, के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक बिक्री-कर की नीति में प्रणालियों में अधिनियम और नियमों में सरलीकरण करें।

इस प्रदेश के २०–२५ हजार व्यापारियों ने अलग से एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में छोटी–बड़ी सभाओं के रूप में, मुझसे और मेरे अधिकारियों से भी बात की और उन बातों का निचोड़ यह रहा कि इस प्रदेश का व्यापारी कर देने से नहीं घबराता। प्रश्न इस बात का है कि बिक्री–कर की जटिलता और उसमें जो व्यवहारिक कठिनाइयां होती हैं उनको कैसे दूर किया जाय। इस बिक्री–कर के नाम के साथ एक प्रकार से जो कलंक लग गया है उसको दूर करने का व्यापारी वर्ग मांग करता है और साथ ही आश्वासन देता है कि वह शासन को अपना पूरा योगदान कर के रूप में देना चाहेगा।

उसकी कठिनाइयों को हमने समझने का प्रयास किया। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किया। हमने निश्चय किया कि जब तक बिक्री कर की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक श्रीमती शकुन्तला नायर, राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक सरलीकरण समिति का गठन किया, जिसकी संस्तुतियों के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से मैं बात रखूंगा।

नयी बिक्री–कर की नीति जो जनता पार्टी की सरकार ने अपनाई, उसे हमने एक नाम दिया कि वह स्पर्धात्मक, प्रोत्साहात्मक, प्रभावात्मक, परिशोधात्मक बिक्री–कर नीति रहेगी जिससे राजस्व की हानि न हो, लेकिन प्रदेश में उद्योग और व्यवसाय को गतिशीलता मिले, उनमें प्रगति हो और साथ ही साथ यह भी ध्यान दिया कि बिक्री–कर की प्रक्रिया जब तक बिक्री–कर कानून रहता है, उसमें सुधार हो और इस उद्देश्य से सरलीकरण समिति ने बिक्री–कर की दरों के बारे में अध्ययन किया। कहीं हमने छूट दिया, कहीं दर घटाने का प्रयास किया। १ अक्तूबर, १९७७ को एक विज्ञप्ति के द्वारा इस प्रदेश के अन्दर १०–११ मदों पर बिक्री–कर की दरें कम कीं। उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ा। जिन वस्तुओं पर बिक्री–कर अधिक होने के कारण बिक्री कम होती थी और बिक्री–कर की वसूली भी कम होती थी, उन वस्तुओं की कीमतें गिरीं और साथ ही साथ बिक्री–कर में भी वृद्धि हुई। उदाहरणार्थ जुलाई, १९७७ से सितम्बर, १९७७ तक इस प्रदेश में कुल मोटर के टायरों की जो बिक्री केवल २२,७४८ थी वह अक्तूबर से लेकर दिसम्बर, १९७७ तक कर के घटने के कारण वह बढ़कर के ३५,४८८ हो गयी। यह बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है।

मैं दो औद्योगिक प्रतिष्ठानों का उदाहरण दूंगा। मोटर के टायर ट्यूब्स की बिक्री डनलप इंडिया कम्पनी द्वारा जुलाई से सितम्बर, १९७७ की अवधि में ३१,९७,००० रुपए की थी। यह उस समय थी जबकि टायर के ऊपर १२ प्रतिशत का कर भार और एक प्रतिशत अधिभार लगाकर १३ प्रतिशत कर लगता था। उस १२ प्रतिशत को हमने कम करके ९ प्रतिशत कर दिया तो आपको सम्मानित सदस्यों को सुनकर ताज्जुब होगा कि डनलप इंडिया कम्पनी की बिक्री २८३ लाख हो गयी जबकि पहले ४१,४७,००० थी। इसी प्रकार प्रीमियर मोटर टायर्स लि० वालों की बिक्री जब टैक्स की दर १२ प्रतिशत थी तब ३ लाख ४८ हजार के करीब थी, टैक्स की दर घटाने के बाद उनकी बिक्री १८ लाख ३० हजार पर पहुंच गयी। इसका प्रभाव अन्ततोगत्वा यह हुआ कि हमारी बिक्रीकर की आय में भी काफी वृद्धि हुई। मिल्क पाउडर के भी दाम कम होने से उसकी बिक्री पर भी प्रभाव पड़ा। छोटे–छोटे उद्योग वालों को भी राहत पहुंचायी गयी। ऊन के दाम भी कम होने से कालीन उद्योग वालों को

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी]

काफी लाभ हुआ । माननीय मिश्रा जी जानते होंगे, कालीन बुनकरों को इससे राहत हुई है । कालीन उद्योग को भी लाभ हुआ है । इस प्रदेश के अन्दर उद्योग और व्यापार को प्रगतिशील बनाने के लिए बिक्रीकर की नीति में और परिवर्तन की आवश्यकता है । फिरोजाबाद के कांच उद्योग के बारे में भी हमने निर्णय लिया है, पहली अक्तूबर, १९७७ से कांच के सामान पर भी बिक्रीकर की दरों में जो परिवर्तन किया है उससे भी कांच उद्योग को लाभ पहुंचा है ।

इसके अलावा असंगठित उद्योग धंधों को, चाहे छोटे-छोटे ताला उद्योग हों या गांव-गांव में साइकिल के कैरियर पर हड्डी इकट्ठी करने वाले हों, तथा और छोट उद्योग करने वाले हों, उनको भी राहत देने के लिए हमने कदम उठाए हैं । बिक्रीकर अधिनियम की धारा ३ को समाप्त कर देने से उनको काफी लाभ हुआ है । उनके सामने जो अवरोध आ जाया करते थे वे दूर हो गये हैं । उससे भी प्रदेश में उद्योग की दिशा में नयी प्रगति होगी ।

मान्यवर, हमारी नयी नीति के परिणाम स्वरूप इस वर्ष ३१ मार्च, १९७८ तक करीब ढाई करोड़ रुपये की बिक्रीकर में वृद्धि हुई है । यह वृद्धि इस सत्य के बावजूद हुई है कि उत्तर प्रदेश में पिछले १० महीनों में जगह-जगह हड़तालें हुई हैं, औद्योगिक संस्थान बन्द रहे हैं । स्कूटर इंडिया लि०, हिन्डालको, इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज आदि कई संस्थान ऐसे हैं जिनसे हमें काफी आय होती है । वहां हड़ताल होने के कारण हमारी आय में बहुत कमी हुई है। इस सबके बावजूद भी हमारी आय में वृद्धि ही हुई है ।

हमारे प्रदेश के अन्दर करीब २ लाख २० हजार रजिस्टर्ड व्यापारी हैं । इनमें १ लाख १४ हजार ४६८ ऐसे व्यापारी हैं जिन पर कर देने की जिम्मेदारी ढाई हजार रुपये प्रति वर्ष से कम की है । बिक्रीकर सरलीकरण समिति ने यह सुझाव दिया है कि आयकर की नीति के आधार पर कुछ ऐसी व्यवस्था बनायी जाय कि जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें बिक्री-कर कार्यालयों में भाग दौड़ न करना पड़े और उसकी गुंजाइश कम हो । इसके अन्तर्गत हमने एक स्वतः कर निर्धारण योजना चलायी है । इससे लगभग १ लाख १४ हजार ४६८ व्यापारी लाभान्वित होंगे । इन लोगों के करीब २ लाख ४२ हजार से ऊपर वाद थे, पहली जनवरी, १९७८ से ३१ मार्च, १९७८ तक, इन तीन महीनों में ८२ हजार वादों का निस्तारण हो गया । यह इसी योजना की सफलता है । इसी के परिणामस्वरूप वादों की संख्या काफी घट गयी है जो वाद स्वतः कर निर्धारण योजना के अन्दर आयेंगे ऐसी आशा की जाती है कि यह सब ३० जून, १९७८ तक निस्तारित किये जा सकेंगे । यह एक ओर जहां शासन के द्वारा लागू स्वतः कर निर्धारण की योजना का फल है मैं सदन को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यह विशेषकर उन उच्च अधिकारियों की लगन का परिणाम है कि इतने कम समय के अन्दर बड़ी ईमानदारी के साथ इस योजना को लागू करके कुछ कर दिखाने का काम किया है । इस स्वतः कर निर्धारण का एक और लाभ होगा । इससे अपीलों की संख्या में कमी आयेगी । विभागीय अधिकारियों को बड़े-बड़े मामलों में ध्यान देने के लिए अधिक समय उपलब्ध होगा । छोटे व्यापारियों में एक नये विश्वास की भावना जन्म लेगी । एक नया उत्साह पैदा होगा ।

सरलीकरण के बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं । एक सरलीकरण समिति का गठन माननीया श्रीमती शकुन्तला नायर की अध्यक्षता में हुआ था ।

इस समिति ने बहुत ही कम समय के अन्दर अपनी अंतिम रिपोर्ट दी । १ नवम्बर, १९७७ को यह जो संस्तुति की गयी थी सरलीकरण समिति के द्वारा इसको काफी अध्ययन के बाद किया गया था । इस समिति ने बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य बहुत ही कम समय में किया । शासन द्वारा इस संस्तुति का परीक्षण हुआ । यह संस्तुतियां मुख्यतः ८७ मदों में बांटी गयी थीं, जिनमें से एक संस्तुति ऐसी थी, जिसमें कर की दरों के बारे में घटाने अथवा बढ़ाने का सुझाव दिया था । ८६ बिक्री कर की प्रक्रिया के बारे में अधिनियम और नियमों के बारे में थीं । आज आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इन ८७ संस्तुतियों में शासन ने ६० संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है । इसको स्वीकार करने के लिए जो आवश्यक कार्यवाही हो रही है, मैं इसका भी विवरण दूंगा । परन्तु उसके पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि ५१ संस्तुतियों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है, ५ को आंशिक रूप से कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया है, ६ संस्तुतियों को सिद्धान्ततः स्वीकार किया है। इन सिद्धान्ततः स्वीकृति संस्तुतियों में एक यह भी है कि कर की दर का निर्धारण इस प्रकार से किया जाय कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि अगल–बगल के जो प्रदेश हैं, उसमें किस प्रकार से है, उसके अनुरूप हम अपने करों को निर्धारित करें ।

कुछ ऐसे उद्योग–धंधे हैं जिनके बारे में हिसाब–किताब रखने में कठिनाई होती है । उदाहरण के लिए हलवाई वाले, सर्राफा वाले जो लोग हैं, उनको हिसाब–किताब रखने में कठिनाई होती है । उसे मैंने सिद्धान्ततः स्वीकार किया है कि इस प्रकार के व्यवसाय करने वाले व्यक्ति एक प्रकार से समाधान शुल्क देने के लिए, बिक्री कर देने के लिए तैयार हो जायं, तो हम उनके बिक्री कर को समाधान शुल्क देने के लिए प्रयास करेंगे । जो बिक्री कर सरलीकरण की संस्तुतियां हैं, वह अभी शासन के विचाराधीन हैं । उसके करों के बारे में शासन शीघ्र ही निर्णय लेगा । ये दो प्रकार की हैं । कुछ ऐसी हैं जिनको लागू करने के लिए हमें अधिनियम और नियमों में संशोधन करना पड़ेगा । दूसरे प्रकार की वह है, जो प्रशासकीय आदेशों के द्वारा लागू की जाएंगी । एक जो ऐसी हैं जिनमें अधि–नियम और नियमों की आवश्यकता है, उनमें से कुछ लागू की जा चुकी हैं । ६ दिन पहले इसी सदन में एक विधेयक पास किया गया था, उसमें बिक्री कर की सीमा २५ हजार से ५० हजार करने के लिए किया गया था, धारा ३ (ई) की समाप्ति के बारे में था । मैं इस समय केवल उनका जिक्र करना चाहता हूं कि जिन संस्तुतियों के बारे में विभागीय स्तर पर विचार हो चुका है और विधेयक बनाने की कार्यवाही चालू है । मैं प्रयास यह करूंगा कि यह विधेयक जहां तक हो सके कि सदन के इसी सत्र में प्रस्तुत कर दिया जाय । लेकिन यदि किसी कारण से कोई देर हुई तो माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह अगले सत्र तक प्रतीक्षा कर लें ।

यह जो संशोधन किए गए हैं उसमें एक संशोधन इस बात का भी है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर एक बिक्रीकर न्यायाधिकरण, सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाय । इसको शासन ने स्वीकार कर लिया है और इस सम्बन्ध में, विधेयक में शीघ्र प्राविधान किया जायगा । दूसरा संशोधन इस सम्बन्ध में है कि जो मामले अपील से वापस भेज दिये जाते थे और इसके लिए बिक्रीकर अधिकारियों के पास व्यापारी दौड़ भाग करता था तो इससे व्यापारियों को कठिनाई होती थी

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--]

क्योंकि उनको बिक्री कर अधिकारियों के पास पुनः दौड़ना पड़ता था तो अब निर्णय लिया गया है कि एक वर्ष के अन्दर यह वाद निस्तारण कर दिये जायेंगे। तीसरा संशोधन यह किया गया है कि जो व्यापारी समय के अन्दर अपना पंजीकरण नहीं कराते थे तो ४८ सौ रुपये प्रतिवर्ष का दण्ड देते थे। पंजीकरण फीस केवल ५० रुपये थी लेकिन दण्ड ४८ सौ रुपये प्रति वर्ष था तो बड़ी विषमता इसमें नजर आई। यद्यपि पंजीकरण का शुल्क बढ़ाकर ५० रुपये से ७५ रुपये कर दिया गया है और नवीनीकरण का शुल्क २५ रुपये से ५० रुपये कर दिया गया है, लेकिन दण्ड की जो राशि थी वह बहुत थी। तो निर्णय किया गया कि यदि कोई व्यापारी समय से अपना पंजीकरण नहीं करा सके तो अधिकतम दण्ड ५०० रुपये इसमें निर्धारित कर दिए गए हैं।

मान्यवर, साथ ही साथ एक शिकायत और भी थी कि प्रदेश के अन्दर उद्योग और व्यापार से सम्बन्धित व्यक्तियों से यदि शासन को रुपया पाना होता था तो उस पर १८ से २४ प्रतिशत तक व्यापारी या उद्योगपतियों को ब्याज देना पड़ता था और यदि शासन को व्यापारी को रुपया वापस करना होता था तो १२ प्रतिशत की दर से उनको ब्याज दिया जाता था। यद्यपि रुपये का मूल्य समान है। तो अब यह किया गया है कि शासन भी व्यापारियों को १८ प्रतिशत सूद देगा। मान्यवर, इसके साथ ही साथ यह देखा गया है कि व्यापारियों को कुछ मामलों में बड़ी छूट दे दी गयी थी। उदाहरण के लिए पुनरीक्षण करने के लिए १ वर्ष का समय था। तो निर्णय किया गया कि इसमें समय को कम किया जाय। जिससे व्यापारी कुछ तत्परता दिखाये। यदि किसी आदेश से वह क्षुब्ध हैं तो तुरन्त न्यायालय या सम्बन्धित अधिकारी के पास उनको प्रतिवेदन करना चाहिए। इसलिए यह संस्तुति स्वीकार की गयी है कि पुनरीक्षण की अवधि १ साल के बजाय ६ महीने कर दी जाय।

मान्यवर, बकायों की वसूली के लिए प्रदेश के ११ जिलों में व्यवस्था थी कि वहां पर बिक्री कर अधिकारी वसूली करते थे। बाकी ४५ जिलों में वसूली वहां के जिलाधिकारी के द्वारा होती है। तो इसमें तालमेल नहीं बैठ पाता था। वसूली प्रमाण-पत्र आदि की कार्यवाही और लेखा-जोखा ठीक से नहीं हो पाता था और पर्याप्त समय लग जाता था। इस सम्बन्ध में सरलीकरण समिति का संशोधन स्वीकार किया गया है और अब प्रदेश के अन्दर बिक्री कर की वसूली बिक्रीकर अधिकारियों के द्वारा ही की जायगी। कभी-कभी यह कठिनाई होती थी कि किसी आदेश में स्पष्ट गलती होती थी लेकिन उपायुक्त बिक्री-कर या अन्य अधिकारी को उसको ठीक करने का स्वयंभी अधिकार नहीं था। तो इस तरह से अभिलेखों के दुरुस्त करने में दिक्कत होती थी। तो इस प्रकार का अधिकार देने की संस्तुति शासन ने स्वीकार कर ली है और उपायुक्त बिक्री कर तथा अन्य अधिकारी अभिलेखों में जो गलती हो सामने स्वयं दुरुस्त कर सकेंगे।

मान्यवर, धारा ३५ बिक्रीकर की है जिसके अन्दर यदि व्यापारी किसी विषय में भ्रम में पड़ जाता है कि किस विन्दु पर किस दर से कर देय है तो इसके स्पष्टीकरण के लिए ५० रुपये देकर बिक्री कर आयुक्त से एक स्पष्टीकरण देना पड़ता है जो कर की दर के बारे में स्पष्टीकरण लेना चाहते हैं तो वह कर देने की इच्छा से चाहते हैं। इसलिए धारा ३५ में ऐसे प्रार्थना-पत्रों में जिसमें व्यापारी यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि किस विन्दु पर और किस दर से कर लगेगा उसमें ५० रुपया का शुल्क अब देय नहीं होगा।

मान्यवर, अभी तक नियम थे कि कर निर्धारण की एक तारीख तक फार्म प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा उसके बाद उस पर कर निर्धारण हो जाएगा। मान्यवर, अब उस सीमा को बढ़ाकर हमने ३० दिन कर दिया है। यह भी प्रस्तावित विधेयक में किया है कि ३ महीने की आवश्यकता के लिए, जितने कर निर्धारण फार्मों की आवश्यकता व्यापारी को होती है, वह एक साथ दे दिए जायेंगे इसी प्रकार रिफन्ड वाउचर द्वारा बैंक द्वारा सीधे भुगतान की व्यवस्था करने का प्रयास हमने किया है।

मान्यवर, अभी तक बिना फार्म के उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ५० रुपये तक की चीज ले आ सकता था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश से मिला है। किसी माननीय सदस्य को दिल्ली में एक जोड़ी जूते खरीदने की आवश्यकता हुई तो उस पर बिक्री कर लग जायेगा यहां १ जूते आजकल ८०-९० रुपये के मिलते हैं। इसलिए ५० रुपये की सीमा को हमने अव्यवहारिक पाया। कोई दिल्ली से घड़ी खरीद लाया तो हमारे नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए हमने ५० रुपये की सीमा को बढ़ाकर २५० रुपये कर दिया है।

मान्यवर, इसके साथ-साथ फा '२८३ जो यक्तिगत प्रयोग के लिए तैयार किये जाते हैं उसकी अवधि की सीमा ३० दिन थी जिसको हम बढ़ाकर ९० दिन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि इस सम्बन्ध में विधेयक तैयार हो रहा है और प्रयास करेंगे कि इसी सत्र में प्रस्तुत हो जाय। मान्यवर, प्रशासनिक आदेशों द्वारा जो संस्तुतियां लागू की जाने वाली हैं उसमें एक उदाहरण दिया जो स्वतः कर निर्धारण योजना है। दूसरी न्याय और विवेक की बात थी। इसमें अधिकारी मनमानी करते थे। इसलिए प्रशासनिक आदेशों द्वारा न्याय और विवेक पर अंकुश लगा दिया गया है। इस बात के निर्देश बिक्री कर अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि कर निर्धारण करते समय वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं उनके आधार पर ही अपने न्याय और विवेक का प्रयोग करें। इसलिए उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय-समय पर अपने नीचे के अधिकारियों के कर निर्धारण का परीक्षण कर लिया करें। जब यह पूरी तरह प्रभावी हो जायेगा तो जो न्याय को धक्का लग रहा था वह नहीं लगेगा।

मान्यवर, ५०० रुपये कर देने वाले व्यापारी छोटे व्यापारी होते हैं। उसे बिक्री कर कार्यालय में दौड़ने की अब आवश्यकता नहीं होगी। वह वर्ष में एक बार जायेगा। मान्यवर, अभिलेखों को अस्वीकार करने की प्रक्रिया अजीब थी। आपको पता नहीं और आपका हिसाब रद्द हो गया। इसलिए प्रशासनिक आदेश दे दिए गए हैं कि प्रत्येक व्यापारी को उसके हिसाब-किताब रद्द करने के पहले १५ दिन का कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा। उसमें लिखा रहेगा कि अमुक कारण से आपका हिसाब-किताब स्वीकार नहीं किया जा रहा है। आकर कारण बतायें कि क्यों न वह अस्वीकार कर दिया जाये? इसी प्रकार की एक और प्रवृत्ति देखने में आई थी कि पत्रावली में बिना किसी आधार के धारा २१ में कर निर्धारण खोलने का नोटिस जारी हो जाया करता था। इस चीज को रोकने के लिए इस बात की व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि कोई कर निर्धारण आदेश अब खोला जाय तो बिक्री कर अधिकारी पर यह लाजिमी होगा कि वह पत्रावली पर जिन

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—]

कारणों से कर निर्धारण आदेश खोलना चाहते हैं उन कारणों को लिखें । मामूली त्रुटि के आधार पर फार्म निरस्त कर दिए जाते थे अब इस बात के निर्देश दे दिये गये हैं कि मामूली त्रुटि के आधार पर फार्म निरस्त नहीं किये जायेंगे ।

मान्यवर, वसूली प्रमाण-पत्र अभी तक ऐसे होते थे कि कर निर्धारण के ३० दिन के अन्दर जारी हो जाते थे कानून के अन्दर एक असंगति थी । अपील तीस दिन में हो सकती थी कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध और अपीलकर्त्ता को यह छूट दी गयी थी कि ९० दिन के अन्दर स्थगन आदेश के लिए प्रार्थना-पत्र दे । हमें यह भी प्रतीत हुआ कि अपीलकर्ता कभी अपील पहले करता था स्थगन के लिए प्रार्थना-पत्र बाद में देता था और जब तक वसूली प्रमाण-पत्र जारी हो जाता था, उसमें कार्यवाही हो जाती थी कुड़की हो जाती थी, कुड़की हो गयी तो मालूम हुआ कि स्थगन आदेश पारित हो गया है । हमने तय किया है कि ९० दिन की अवधि निश्चित कर ली जाय । अपीलकर्त्ता को कानून के अन्दर छूट दे दी गयी है स्थगन आदेश लाने की । निर्देश दे दिए गए हैं कि सामान्यतः वसूली प्रमाण-पत्र कर निर्धारण आदेश के ९० दिन के बाद जारी किया जा सकेगा ।

हमने यह भी व्यवस्था की है कि वसूली प्रमाण-पत्र में किस प्रकार से धन को जमा किया जा सकेगा । उसकी वसूली होती है तो वह धन पहले मूल बिक्री-कर के हिसाब से मुजरा किया जायगा और उसके बाद में ब्याज को मुजरा किया जायगा । इसका प्रभाव यह होगा कि मुख्य रूप से व्यापारी ब्याज के अनावश्यक बोझ से लदेंगे नहीं ।

मान्यवर, अभी तक यह होता था कि व्यापारी को यह पता नहीं चलता था कि उसके ऊपर कितना कर बकाया है । इसके बारे में भी निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि कर निर्धारण आदेश पारित करते समय व्यापारी को तुरन्त बता दिया जाय कि तुम्हारे ऊपर पिछला इतना बकाया है । इसके साथ ही साथ वसूली प्रमाण-पत्र जारी होने के पहले उसको एक नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का भी प्रारम्भ कर दिया गया है ताकि उसे सूचना मिल जाय कि उसके ऊपर इतना रुपया बकाया है जा करके जमा कर दे समय के अन्दर वरना वसूली प्रमाण-पत्र जारी होगा, उत्पीड़न की कार्यवाही की जाएगी ।

मान्यवर, अर्थ दण्ड के बारे में समय की कोई सीमा नहीं थी । किसी भी समय अर्थ दण्ड लागू किया जा सकता था । उद्योग और व्यापार में लगे लोग अजीब सी अनिश्चितता की स्थिति में अपने आपको पाते थे कि जाने कब अर्थ दण्ड लगाया जाय । तो इसकी सीमा दो वर्ष की हो रही है । अपीलों की सुनवाई के लिए भी कभी-कभी यह देखा जाता था कि आदमी एक जिले का है अपील दूसरे जिले में होती है । वहां जाता है तो निर्णय नहीं होता है । समय का व्यय होता है । इसलिए इस बात के निर्देश दे दिये गये हैं कि जहां तक व्यावहारिक हो और संभव हो अपील सुनने वाले अधिकारी उसी जिले या शहर में जाकर निर्णय करेंगे जहां पर कर निर्धारण हुआ हो । इससे व्यापार और उद्योग के लोगों को राहत मिलेगी ।

मान्यवर, अपील के दौरान यह भी देखा गया है कि किसी छोटी सूचना की कमी हो गयी है या कोई छोटे से साक्ष्य की कमी हो गयी तो अपील सुनने वाला अधिकारी बजाय इसके कि स्वयं उस सूचना को पत्रावली में रख ले, स्वयं साक्ष्य ले ले, तुरन्त वादा प्रतिप्रेषित कर देता था । अब इस बात के निर्देश दे दिये गये

है नियम ६८ (८) के अन्तर्गत कि यदि इस प्रकार का कोई अतिरिक्त साक्ष्य या अतिरिक्त सूचना अपील के समय पर कही जाय तो अपील अधिकारी स्वयं उस साक्ष्य या सूचना को पत्रावली में रखकर निर्धारण निर्णय दे दे। उन्हें अब वाद प्रति प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

मान्यवर, एक चीज और देखी गयी थी। बहुत सी छोटी-छोटी विसंगतियां थी, जिनके कारण व्यापारियों को कष्ट होता था। मान लीजिये एक ही व्यापारी का एक ही वर्ष का अलग-अलग कर निर्धारण की कार्यवाही थी तो उससे कहा जाता था कि हरेक में अलग-अलग पावर आफ अटार्नी या वकालतनामा दे। इसमें क्यों नहीं एक ही वकालतनामा दिया जा सकता था तो यह किया गया है कि एक ही वर्ष के जितने कर निर्धारण एक व्यापारी के होंगे उनमें एक ही वकालतनामा पर्याप्त समझा जायगा। मान्यवर, इसके अतिरिक्त लिंक अधिकारियों की भी नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है। अगर किन्हीं कारणों से कर निर्धारण अधिकारी उपस्थित नहीं है तो लिंक अधिकारी उनकी जगह कार्य करेगा और इस प्रकार व्यापारियों को व्यर्थ की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। फार्म ३१ के बारे में एक कठिनाई थी। एक स्थान का नाम लिखा रहता था। उस स्थान के बाहर उसका प्रयोग नहीं हो सकता था। इससे व्यावहारिक कठिनाइयां आती थीं। इसलिए यह निर्देश दिये गये कि फार्म ३१ पर न केवल निर्दिष्ट स्थान पर बल्कि किसी अतिरिक्त स्थान पर भी उसी फार्म द्वारा माल भेजा जा सकेगा। शर्त केवल यह है कि सौदा वही हो। अगर बिक्री दूसरी हो गयी तो उ। फार्म का लाभ व्यापारी को नहीं मिल सकेगा। इसी प्रकार से और भी सुविधाएं दी गयी हैं जैसे एक ही वर्ष में पूरे सौदे का विवरण देने की सुविधा, पंजीकरण के सम्बन्ध में सुविधा दी गयी है। पंजीकरण का कागज मोटा हो तो उसको भी स्वीकार कर लिया गया है। शिकायती पत्र प्राप्त न होने की बात कही जाती थी तो उसके लिए रजिस्टर रखने की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार विशेष अनुसंधान शाखा में हिसाब-किताब की जांच एक पक्षीय होती थी तो हमने वहां भी प्राकृतिक न्याय लागू किया है। अब यह किया है कि व्यापारी को भी अपनी बात कहने का समुचित अवसर दिया जायगा। मान्यवर, इस प्रकार से बिक्री कर सरलीकरण समिति ने जो संस्तुतियां दी थीं और जिनको प्रशासनिक आदेशों द्वारा लागू किया जा सकता था आज की तिथि के पहले ऐसी सभी संस्तुतियां लागू कर दी गयी हैं।

अपील की स्थिति बड़ी चिन्ताजनक थी। पिछले पांच वर्षों में अपीलों की संख्या प्रतिवर्ष ७ हजार से लेकर २० हजार तक बढ़ती थी। १९७५-७६ में ७९ हजार, १९७६-७७ में ९९,६२७ हो गयी। इस वर्ष ३१ मार्च, १९७८ तक इनकी संख्या बढ़कर १ लाख १८ हजार तक हो गयी। जहां एक ओर हमने ढाई हजार रुपये तक वार्षिक कर दाता को स्वतः कर निर्धारण का लाभ दिया वहीं यह देखा कि १ लाख १८ हजार अपीलें ऐसी हैं, जो छोटे-छोटे व्यापारियों की अपीलें हैं जिनमें धन अधिक नहीं है और जिनमें डेढ़ दो वर्ष का समय लग जायगा और जिनमें व्यापारी कुछ जमा करने को तैयार है। जब इनका विश्लेषण हुआ तो यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के अन्दर औसतन ३७ प्रतिशत अपीलों में कर निर्धारण में संशोधन होते थे, कर में कमी होती थी, २० प्रतिशत अपीलें लगभग पूरी स्वीकृत हो जाती थीं, ९ प्रतिशत प्रतिप्रेषित होती थी और ३३ प्रतिशत अस्वीकृत होती थीं। ऐसी अपीलें जिनमें विवादित कर ५०० रुपये तक है, उनकी

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--]

संख्या ३३ हजार है और इसलिये यह निर्णय लिया गया कि ५०० रुपये तक जिन अपीलों की विवादग्रस्त धनराशि है ऐसे अपीलकर्ता व्यापारी अगर ५० प्रतिशत जमा कर देंगे तो उनकी अपील स्वीकार कर ली जायगी । इससे यह आशा की जाती है कि अपीलों की संख्या में भारी कमी होगी और क्योंकि ५० प्रतिशत धनराशि व्यापारी दे देगा इसलिए राजस्व में हानि होना भी संभव नहीं है । ६७ प्रतिशत मामलों में आम तौर से अपील में व्यापारी कर मुक्ति पा लेता था अथवा आंशिक कर मुक्ति पा लेता था । इसके साथ-साथ समय की भी बचत होगी और सरकारी वसूली भी हो जायगी ।

एक प्रश्न उठाया गया है बिक्रीकर के बकाये के बारे में । वर्ष ७१-७२ में उत्तर प्रदेश के अन्दर ३२ करोड़ रुपया बकाया था और बढ़ते-बढ़ते ७ वर्षों में वह ७३ करोड़ हो गया । हमने यह प्रयास किया है कि इस ७३ करोड़ के बकाये को वसूल किया जाय और इस वर्ष ९ करोड़ ६१ लाख रुपये की वसूली हुई है । इसके साथ-साथ अपील करने में कुछ छूट मिल गयी है, जिससे बकाये में कुछ कमी आई है । लेकिन बकाया धनराशि की वसूली के लिये हम प्रयास कर रहे हैं ।

विभाग में कार्यशीलता लाने के लिये कुछ आवश्यक कार्यवाही की गयी है । १-४-७७ को प्रतिप्रेषित वाद ६५५८ थे । नये वादों की संख्या ४४५४ हो गयी । कुल मिलाकर ११०१२ वाद थे, जिनमें ९०३९ वादों का निस्तारण कर दिया गया । पिछले वर्ष १-४-७७ को जहां ६५५८ वादों का निस्तारण होना था वहां इस समय हमारे पास १९७३ वाद ही हैं । विशेष अनुसंधान शाखा में १-४-७७ को ४५६९ वाद थे । नये वादों की संख्या ४७३३ हो गयी । कुल मिलाकर ९३२९ वाद हो गये । ३१-३-७८ तक ६८५६ का निस्तारण किया गया और शेष रह गये १-४-७८ तक २४७३ वाद । चेक पोस्टों के लाभ को देखते हुए इस प्रदेश के अन्दर ३ अन्य चेक पोस्टों की व्यवस्था की गयी है । विभागीय अधिकारियों की क्षमता को आंकने हेतु पिछले शासन ने कोई सेवा नियमावली नहीं बनाई थी । पहली बार इस शासन ने बिक्री कर अधिकारियों की सेवा नियमावली बनाई है और उसको अन्तिम रूप दे दिया गया है । अधिकारियों के स्थायीकरण का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है । पदोन्नति देने के अवसर के लिये ट्रायबुनल की स्थापना की जा रही है । पहली बार जनता पार्टी की सरकार ने यह कार्य किया है कि उत्तर प्रदेश के बिक्री कर अधिकारियों के आवास के लिये ७० लाख रुपये दिये हैं और इसके अन्तर्गत लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद और गाजियाबाद में आवास विकास निगम द्वारा निर्मित भवनों को क्रय किया गया है । अधिकारियों ने नई भावना तथा लगन से काम करना शुरू कर दिया है, जैसे-जैसे यह सब संस्तुतियां पूरी तरह से प्रभावी होंगी उनका निश्चित रूप से स्वस्थ तथा प्रभावी असर उत्तर प्रदेश के उद्योग तथा व्यवसाय पर पड़ेगा ।

दूसरी मांग मनोरंजन कर के बारे में है । उत्तर प्रदेश में स्थायी सिनेमा कुल मिलाकर ५६० हैं । कहा गया कि सिनेमा के टिकटों की चोरी होती है । इस सम्बन्ध में पहले मैं उत्तर दे चुका हूं कि शासन के द्वारा इस बात पर विचार किया जा रहा है कि हम सिनेमा के टिकटों को छपवाया करें । फिर भी १९७५-७६ में जहां केवल ३३ प्रतिशत अकुपेंसी रेट था वह बढ़ कर ४२ प्रतिशत हो गया, जिसके कारण डेढ़ करोड़ रुपये की वृद्धि आय में हुई ३१ मार्च, ७८ तक ।

मान्यवर, वृत्ति, व्यापार, आजीविका पर कर १९६५ में लगा था यद्यपि वह समाप्त हो चुका है फिर भी उसमें ५ करोड़ रुपया बकाया है इसमें से कुछ धनराशि तो छोड़ देनी होगी लेकिन शेष की वसूली के लिए जो आवश्यक धनराशि है उसके लिए मैंने मांग सदन में प्रस्तुत की है ।

स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन का जहां तक सम्बन्ध है उसकी आय में वृद्धि हुई है । स्टाम्प की बिक्री की आय में २३ प्रतिशत और रजिस्ट्रेशन शुल्क में ४३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । जहां तक स्टाम्प बेचने वालों का प्रश्न है वह सबसे गरीब तबके का माना जाता है उसके लिए ७५ रुपये तक की सीमा निर्धारित की है पर कुछ अधिक कमीशन देने की बात शासन के विचाराधीन है और जल्दी ही इस पर निर्णय ले लेंगे ।

इसके अलावा निम्न और कम आय के लोगों के लिए मकान बनाने वाली आवासीय सहकारी समितियों को रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प में छूट देने का निर्णय लिया गया है । इसी प्रकार औद्योगिक विकास के लिए लघु उद्योगों की नोयडा में उद्योग लगाने के लिए कोई लेखपत्र या करार-पत्र का निष्पादन होता है तो उस पर भी हमने छूट देने का निश्चय किया है ।

इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन में प्रशासनिक सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है और ऐसी आशा की जाती है कि वह समिति ३० सितम्बर, १९७८ तक अपनी रिपोर्ट दे देगी । इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर जो आवश्यक प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता होगी, किये जायेंगे । इसी प्रकार हमने लिपिक वर्ग सेवा नियमावली बनाई है तथा उत्तर प्रदेश मुख्यालय अधिष्ठान लिपिक वर्ग सेवा नियमावली बनाई है ।

जनता की सुविधा की दृष्टि से अनेक स्थानों पर नये रजिस्ट्रेशन कार्यालय खोलने का निर्णय किया है । इसमें पूरनपुर (पीलीभीत), दादरी, गढ़ मुक्तेश्वर (गाजियाबाद) है । इसके अलावा महमूदाबाद, मऊ आजमगढ़, भिनगा बहराइच, धौरहरा खीरी, सितखाज नैनीताल, मनकापुर आदि स्थानों पर रजिस्ट्रेशन कार्यालय खोलने का विचार है । इन शब्दों के साथ में निवेदन करता हूं कि इस सदन में जो मेरे द्वारा मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उनको स्वीकार करेंगे ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, कुल कितना समय है ?

श्री अध्यक्ष--

५ बजे तक इसको समाप्त किया जायेगा ।

श्री श्यामधर मिश्र--

माननीय मंत्री जी ने बड़ा अच्छा भाषण किया और करीब-करीब ५० मिनट लिए । उसके बाद कटौती का प्रस्ताव पेश करने वालों को २०, २५ मिनट आप देंगे । तो कम से कम एक घंटे का समय तो औरों के लिए होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि वैसे तो इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित था । माननीय मंत्री जी ने आप लोगों की शंकायें दूर कर दी हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, शंकायें आप दूर करेंगे या मंत्री जी दूर करेंगे लेकिन वह तो अभी शुरू नहीं हुई, अब शुरू होगी ।

श्री अध्यक्ष—

तो इसको ५ बजे के बजाय साढ़े ५ बजे तक ले लिया जाय ।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—६ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—८ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—११ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—१३ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, हमारे समक्ष वित्त मंत्री जी ने एक सुन्दर तकरीर पेश की है । असलियत यह है कि आज से पहले किसी एक उसूल पर वह खड़े थे और वह था इस प्रदेश से बिक्री-कर हटा दिया जाए और इसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाया जाए । किन्तु अब यह अपनी उस बात से अपने उसूल से हटकर दूसरी तरफ चले गये हैं । अब वह दूसरे स्थान पर जाकर सरलीकरण के लिए कोशिश कर रहे हैं जिससे वह सदस्यों और सदस्यों के द्वारा जनता को शान्ति और सन्तोष दे सकें कि हम इस विषय पर इस तरह से कोशिश कर रहे हैं । सच बात यह है कि कर प्रणाली प्रदेश के व्यक्तियों की चरित्र बनाती है । यह जब दूषित हो जाती है तो चरित्रहीन व्यक्ति पैदा हो जाते हैं । इसके साथ-साथ विकास का भी सुन्दर रूप नहीं रह पाता है ।

मैं प्रथम यह मानकर चलना चाहता हूं कि इस कर प्रणाली में, जिसको हम बिक्री-कर कहते हैं और जिसका बड़ा हिस्सा है विकास में और रेवेन्यू में, उसमें अब तक वांछित सुधार नहीं हुआ और न कभी इस पर सोचा ही गया है । पिछले दिनों में इस दिशा में कुछ नहीं किया गया और मैं समझता हूं कि एक कारण यह भी है हमारे शासन से हटने का । जनता की भावना थी, वह अपना जीवन सुन्दर बसर करना चाहती थी, अपने आपको चरित्रवान बनाना चाहती थी, किन्तु उसकी ओर हम ध्यान नहीं दे सके और जनता पार्टी की सरकार ने इस विषय को अपने घोषणा-पत्र में लेकर इस बात की कोशिश की कि वह नगरवासियों, व्यापारियों और इंडस्ट्रिलिस्ट्स को सबको अपने समीप ला सके । उस घोषणा-पत्र के आधार पर उन्होंने जीत हासिल कर ली । उन्होंने अपने घोषणा-पत्र में स्पष्ट कहा था कि हम बिक्री कर हटाकर उत्पादन शुल्क लगाएंगे और उसी का नतीजा रहा कि जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एलेक्शन हुए उसी आधार पर जनता पार्टी की जीत हुई और उसकी जीत के साथ प्रथम मंत्रिमंडल ने भी इस बात पर जोर दिया और जनता को आश्वासन दिया। साथ ही उसी के कारण राज्यपाल महोदय ने भी सन् ७७ के अपने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि "मेरी सरकार चाहती है कि व्यापार में अनावश्यक बाधाओं व परेशानियों को समाप्त करने हेतु बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाया जाय।" राज्यपाल ने यह उस आधार पर कहा कि उनकी सरकार यह चाहती थी और उन्होंने समय-समय पर जनता को, व्यापारियों को आश्वासन दिये थे। अब सवाल यह हुआ कि जब सरकार मिल गई, कुर्सी मिल गई तो इतने बड़े आय के साधन को कैसे छोड़ा जाए। कांग्रेस ने तो इसको महसूस किया था कि यह बहुत बड़ा अनुदान है इस प्रदेश का जिसमें से हम काफी विकास कार्यों पर खर्च कर लेते हैं, उसको किसी तरह नहीं छोड़ सकते हैं, भले ही शासन को छोड़ दें और उन्होंने शासन को छोड़ भी दिया। लेकिन इनकी सरकार ने इसको मान लिया, उसको मानकर चल पड़े, और फिर उसके बाद उससे यह हटना चाहते हैं। आप अपने वचन से हटना चाहते हैं, जो जनता को दिया है। इसका फल तो आपको तब मिलेगा जब आपको एलेक्शन में जनता के सामने जाना होगा, तब आप देखेंगे कि वह आपको किस कटघरे में खड़ा करती है। जनता चाहती है कि इस बिक्री-कर में तब्दीली हो और आज भी चाहती है, भले ही आप सरलीकरण में लाएं। इस दूषित प्रणाली के प्रति उनमें जो विरोध है, वह अपने आप में नहीं चाहती कि वह चोर कहलाए। मेरठ में अभी हमारे मंत्री महोदय गये थे, चेम्बर की मीटिंग थी उन्होंने खुद ऐड्रेस करते हुए कहा कि व्यापारी चोर है। तो जनता चोर नहीं बनना चाहती है, वह अपने चरित्र को बनाना चाहती है। वह यह नहीं चाहती कि जैसे वह ब्रिटिशकाल में बूचड़ खाने में जाया करती थी अब तो छोटे-छोटे व्यक्ति जो एस० टी० ओज० हैं इन छोटे बूचड़खानों से परेशान हैं। वह चाहते हैं कि इसको तुरन्त तब्दील किया जाय। जो जनता सरकार इसको तब्दील नहीं कर पा रही है, वह महसूस करती है, १९७७ के बजट में वित्त मंत्री ने इसके ऊपर कहा था कि दूसरे प्रदेशों की समानता के आधार पर यह महसूस किया था कि हम समानता कर दें ताकि बिक्रीकर ठीक हो जाय। ठीक कदम था, समानता लाने से बिक्री बढ़ जायगी, बिक्री बढ़ने से रेवेन्यू भी बढ़ेगा।

मान्यवर, मैं अब इसकी परफारमेंस पर आ रहा हूं १९७६-७७ में वास्तविक प्राप्ति थी २,४३,१७,२५,७२८ रु०। रिवाइज्ड १९७७-७८ में प्राप्ति बतायी गयी है २,३३,००,७८,१०० रु०, कुल १० करोड़ १६ लाख ४७ हजार ६२८ की कमी हुई। दूसरे कहा था कि समान दरों के होने से सेल्स टैक्स में और प्राविन्सेज के लिहाज से, उस तरह से बिक्री कर अधिक होना चाहिए, १.५ करोड़ अधिक मिलेगा। अधिक मिलने के बजाय १० करोड़ १६ लाख ४७ हजार ८२६ रु० कम मिला। यह हालत है, जो परफारमेंस बिक्री कर में किया १९७८-७९ का अनुमानित आय दिखायी है २,४५,००,९६,००० रु० जबकि १९७६-७७ की वास्तविक आय थी २,४३,१७,२५,७२८ रु०। जबकि डीजल पर बढ़ोत्तरी और पंजीकृत करने में दरों को बढ़ाया गया, इन दरों के साथ दो सालों में यह महकमा लगभग २ करोड़ के अपनी रेवेन्यू बढ़ा रहा है, जबकि इसकी उगाही करने पर एक करोड़ १५ लाख ३१ हजार और खर्च करना चाह रहे हैं और २३ लाख अपने स्टाफ पर खर्च करना चाह रहे हैं। यह परफारमेंस है बिक्री कर विभाग को जिसके आधार पर यह खुद परेशान हैं कि यह क्या करें। जनता के सामने मुंह

[श्री अजीत सिंह सेठी—]

भी नहीं दिखा सकते । बिक्री कर हटता नहीं । बिक्री कर को जिस तरह से चला रहे हैं इसको परफारमेंस का एक प्वाइंट बताया । । इस प्रदेश में बिक्रीकर के लिहाज से समानता करने के आधार पर बढ़ोत्तरी हुई लेकिन इस प्रदेश में मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर और बसों वगैरह पर दरें बहुत ऊंची हैं जिसके कारण हमारे प्रदेश में ये चीजें कम खरीदी जाती हैं । लोग दूसरे प्रदेशों से खरीद लेते हैं ।

जहां तक चेक पोस्ट का सवाल है, हमने अपनी दरें और प्राविन्सेज के लिहाज से ठीक कर दीं । तो चेक पोस्ट की कोई जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री ने कहा कि २५ हजार की बजाय ५० हजार की सीमा कर दी है । ५० हजार या एक लाख कर दें । जब तक चेक पोस्टें हैं, ५० लाख का अनरजिस्टर्ड व्यक्ति कोई सामान ला नहीं सकता । तो काम कैसे करेगा ? इसलिए यह जो चेक पोस्ट हैं, जब हमारे रेट नारमल हो गए हैं तो इन चेक पोस्टों को हटाना चाहिए। वहां का इन्चार्ज बिना कारण माल को रोकता है । फार्म ३१ और फार्म ३२ हैं । ये अजब फार्म हैं । फार्म ३२ इन्डिविजुअल के लिए है और फार्म ३१ व्यापारी के लिए है । दोनों फार्मों की प्राप्तियों में बड़ी दिक्कत होती है । माल लाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। जो लोग चेक पोस्ट पर होते हैं वह रसीदों की मांग करते हैं । चेक पोस्ट वाले इनके आधार पर माल नहीं पास करते हैं । चेक पोस्ट से बढ़ोत्तरी जरूर हुई है लेकिन इनसे कठिनाई भी बढ़ गई है । हमारे रेट्स दूसरे प्रान्तों के रेट्स से पहले बढ़े हुए थे और अब वह समान हो गए हैं । तो इनको अब हटा देना चाहिए । जो कर है इसमें किस तरह से बढ़ोत्तरी हो सकती है, इसके सम्बन्ध में भी मैं कुछ कह देना चाहता हूं ।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

सेठी जी कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

अभी स्टडी करो, तब समझ में आयेगा । कुछ चीजें जैसे गुड़, खांड, अलसी आदि पर परचेज टैक्स लगता है । सेक्शन ३ डी (२) में यह बताया गया है कि परचेज टैक्स लगे, गुड़, खांड, अनाज आदि पर । इसको देने की जिम्मेदारी परचेजर पर होगी । ३ डी (२) में है कि यदि कोई उत्पादक या इम्पोरटर टैक्स लगाने वाली चीजों में डील करता हो जैसे गुड़ आदि और वह अनरजिस्टर्ड डीलर को माल बेचे तो उसको टैक्स देना होगा । अगर किसान गुड़ बेचता है तो वह टैक्स नहीं देता है, आढ़ती जो माल खरीदता है वह टैक्स नहीं देता है । इस तरह से कोई टैक्स नहीं वसूल होता है । इसलिए इस सेक्शन को समाप्त कर दिया जाए ताकि टैक्स देने की जिम्मेदारी आढ़ती पर हो जायेगी और तमाम टैक्स वसूल होगा ।

अब मैं सरलीकरण के बारे में कहना चाहता हूं । २५०० रुपये वाले व्यापारी को टैक्स का असेसमेन्ट कराने के लिए प्रिजेन्ट नहीं होना होगा । जब रिटर्न ठीक भरा जायेगा और सालाना सेल बढ़ेगी और बैंक इन्ट्री नहीं होती है तो असेसमेंट में कुछ नहीं होगा । इसलिए यह कोई बहुत बड़ी सुविधा नहीं दी गयी है । यहां तक तैयार है कि जितना कर निर्धारित हो रहा है उससे ज्यादा ले लें लेकिन बिक्री कर की जो दिक्कतें हैं, उनके सामने, वे हट जायें । सरलीकरण

करके अगर बिक्री कर को डिटेन करना है तो इन संगठनों और एसोशिएशन्स ने जो लाइसेंसिंग का सुझाव दिया है, उसको मान लिया जाय। सरकार उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं होगी क्योंकि उन्होंने बिक्री कर को नौकरशाही के ऊपर छोड़ दिया है और वे उसको बिल्कुल चेन्ज नहीं करेंगे। जो फीगर्स माननीय मंत्री जी ने दी है उनसे हमारी इन्कम १० करोड़ नीचे गयी है, इसी साल में। मैं सरलीकरण को तो बहुत सुन्दर समझता हूं लेकिन आगे आने वाला जमाना बतायेगा कि इसकी हालत क्या होगी। इससे ज्यादा मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकूंगा।

अब मान्यवर, आपके सामने एन्टरटैनमेंट टैक्स के बारे में २ शब्द कहना चाहूंगा। इसका भी मैं अर्थात् एन्टरटैनमेन्ट टैक्स की परफारमेन्स पेश कर रहा हूं। यह आय-व्ययक अनुमानों पर स्मृति-पत्र के पृष्ठ १५ पर दिया हुआ है कि वर्ष १९७६-७७ की वास्तविक प्राप्तियां २० करोड़ १८ लाख १२ हजार ८३० रुपया थी और रिवाइज्ड १९७७-७८ में जो उन्होंने दिखाया है वह १९ करोड़, ९३ लाख ९८ हजार रुपया है। तो इसमें २४ लाख १४ हजार ८३० रुपया कम हो गया है। वर्ष १९७८-७९ में आमदनी २० करोड़, ६५ लाख ९९ हजार रुपया दिखायी है जिसका मतलब यह हुआ कि ४७ लाख की अनुमानित बढ़ोत्तरी दिखायी है। पता नहीं ये किस आधार पर कर रहे हैं। ये उस धन को खून पसीने से कमाई करने वाले गरीब से लेंगे। इन्होंने छोटी क्लासेज पर दर बढ़ायी है और उसके आधार पर ये ४७ लाख बढ़ाकर आमदनी करना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने सिनेमाज की सेवाओं के बारे में आज तक कुछ नहीं किया है। पेशाब घर में कोई सुधार नहीं कराया है, न बैठने वाली कुर्सियों का ठीक प्रबन्ध ही कराया है और उनकी हालत आज बहुत ही खराब है।

हमारी सरकार ने एक चल चित्र निगम बनाया है लेकिन आज तक उसकी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुयी है। न उनकी कोई संस्तुति ही है कि कितने सिनेमा घर बढ़े हैं, इस सम्बन्ध में भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारी सरकार का ध्यान इन सिनेमा घरों की ओर बिलकुल नहीं है। इनको नेशनलाइज ही कर देते। आज जिस तरह से दर बढ़ायी जा रही है, उससे सिनेमा वाले आन्दोलन कर रहे हैं। पहले कभी उन्होंने न आन्दोलन किया और न स्ट्राइक ही किया। आज वे सिनेमा बन्द करने का विचार कर रहे हैं कि शासन के समक्ष प्रदर्शन किया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि कौन इस उद्योग में इन्वेस्टमेंट करेगा? जनता जो घंटे २ घंटे के लिए सिनेमा घरों में जाकर आराम कर लेती थी उसकी ओर भी सरकार का ध्यान नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार ने जो दरें बढ़ाई हैं, उनको वे कम करें।

उत्तर प्रदेश में एक कराधान जांच समिति बनी थी जो श्री लकड़वाला के जेरे सदारत चली। उसने अपनी संस्तुतियां की थी कि जिन नीतियों के कारण छूट देने वाले हैं वहां पर मनोरंजन करों में भी अनुमानतः कमी की जानी चाहिए। इतनी बड़ी संस्तुति इस समिति ने की १९७५ में मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी ओर क्यों ध्यान नहीं दिया गया और वैसे ही कर बढ़ा दिए गए। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं कि ये जरूरी तौर से हटने चाहिए।

अब मान्यवर, मैं स्टाम्प के मुताल्लिक कुछ कहना चाहूंगा, मुझे पहले ही पता था कि संसदीय प्रणाली के अन्दर कोई यह नयी प्रथा नहीं है, एक सत्ताकड़

[श्री अजीत सिंह सेठी--]

दल और दूसरा विरोधी दल होता है। सत्तारूढ़ दल ज्यादा तदाद में होने के कारण होना चाहिए कि चूंकि हम निर्बल हैं हमको अधिक समय प्राप्त होता, हमको खुद करते कि जो रुपया देना है अगर नहीं दिया गया तो यही चीज प्रदर्शित होती है कि सत्तारूढ़ की अराजकता सिद्ध होती है। अगर वह समय हमें ही प्राप्त होता तो हमारे कहने से वह अराजकता नहीं थी, लेकिन उनके मुखारविन्द से कहने से जो चीज होती है वह अराजकता है। हमारे सामने तो लल बत्ती हो गयी। दो तीन मिनट समय लूंगा।

स्टाम्प रजिस्ट्रेशन के मुताल्लिक कहना जरूर चाहूंगा। इसके मुताल्लिक डिपार्टमेंटल एम्पलाईज ने एक स्कीम दी थी, पर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया आज तक। यहां तो बहुत अन्धेरगर्दी होती है। रजिस्ट्रेशन के आफिस में जिस तरह से फीस ली जाती है, तो जिस तरह से घर के गहने औरत के कोई ३-४ बार बेचे तो वह ३-४ बार में नदारद हो जाते हैं। इसी तरह से प्रापर्टी की सेल अगर ३-४ बार की जाय तो रजिस्ट्रेशन में ही सारी प्रापर्टी समाप्त हो जाती है। मैं समझता हूं कि इसका प्रभाव गरीब जनता पर भी है, किसानों पर भी है, तो मैं इसकी बढ़ोत्तरी उचित नहीं समझता। मकान रजिस्ट्रेशन के मुताल्लिक भी यही बात है कि ३-४ बार खरीदने बेचने के बाद मालिक को कोई कीमत ही नहीं मिलती, सब गवर्नमेन्ट ले लेती है। तो मैं चाहता हूं कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाय और रेट न बढ़ाया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः यह सदन में कहूंगा कि मंत्री महोदय ने जो विश्वास दिए थे और कहा था एक स्थान पर कि १-४-७९ से सेल्स टैक्स हटेगा और इसी तरह से औरों के जो वादे हुए हैं, जनता चाहती है कि आप अपने वचनों को निभायें और निभाने के लिए यह दूषित प्रणाली जिसका फायदा ले करके आप हाउस में कुर्सी पर बैठ गए, इसको तुरन्त तबदील करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

(श्री राम चरन शाह का नाम पुकारे जाने पर)।

संसदीय वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

यदि आप अनुमति दें तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि आधा घंटा सदन का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ६—वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवा योजन पर कर, अनुदान संख्या ८—स्टाम्प एवं पंजीकरण, अनुदान संख्या ११—बिक्री-कर तथा अनुदान संख्या १३—अन्य कर और शुल्क (क्रमागत)

* श्री राम चरन शाह (जिला खीरी)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्री जी ने जितनी सुविधायें देने का वचन दिया है या अभी तक किए हैं उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। और जो सुविधायें आज उन्होंने देने का प्राविधान किया है वह जब सुविधायें सब को प्राप्त हो जायंगी तो उससे व्यापारियों को काफी लाभ होगा।

दो तीन बातों का सुझाव देना चाहता हूं। कच्चे माल पर जो टैक्स देने की बात अभी मंत्री जी ने कही है, उसमें मेरा सुझाव है। कत्थे के जंगल, खैर के पेड़ जो नीलाम किए जाते हैं उन पर जंगल विभाग १२ परसेन्ट और १ परसेंट और कर लगा कर १३ परसेंट वसूल करता है। उसके बाद जो कत्थे का उत्पादन करते हैं चाई लोग या ठेकेदार लोग उनको भी कत्थे के कच्चे माल पर टैक्स देना पड़ता है। तो मेरा सुझाव है कि जब जंगल विभाग कच्चे माल पर १३ प्रतिशत टैक्स ले लेता है तो उत्पादित माल जो वही उत्पादन करता है जो ठेकेदार होता है, क्योंकि अगर फैक्टरी से लें तो कोई असुविधा नहीं, पर जिसने ठेका लिया है वह अगर उत्पादन करता है तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए।

दूसरी बात, बिक्री कर कार्यालय में व्यापारियों के बैठने के लिए उचित स्थान नहीं है। तो जहां पर, जिन कार्यालयों में बिक्री कर के करदाता जिनसे आप करोड़ों रुपया वसूल करते हैं, उनके लिए बैठने की सुविधाएं प्रदान की जायं।

तीसरी चीज में बिक्री-कर अधिकारियों को विवेक का जो अधिकार दे रखा है उस पर कहना चाहता हूं। उसके कारण व्यापारियों को बहुत परेशान किया जाता है। मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरजेंसी के काल में मैं नैपाल में भूमिगत रहा हूं और उस दौरान मेरे जितने भी केसेज थे सेल्सटैक्स के उनमें खूब मनमानी की है। मनमाना टैक्स लगाया है। मैं उस वक्त चूंकि विरोधी या कांग्रेस सरकार का, उस वक्त मेरे खिलाफ माननीय तिवारी जी ने व अन्य लोगों ने मेरे खिलाफ एक षड़यन्त्र रचा था और वे यह चाहते थे कि खीरी जिले से किसी तरह शाह को डाउन किया जाये। सन् ७४ में बहुगुणा जी जब मेरे क्षेत्र में गए थे तो उन्होंने भरी मीटिंग में कहा था कि मैं चुनाव के बाद शाह जी को २८ फरवरी के बाद जेल में देखना चाहता हूं। पर भगवान ने वह दिन आने नहीं दिया, मैं भारी बहुमत से विजयी हुआ। जब मैं आ गया तो मैंने कहा तिवारी जी, २८ फरवरी हो गयी, तो उन्होंने कहा भाई, यह राजनीतिक बातें हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बजट पर ही बोलिए।

श्री राम चरन शाह--

मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं। इमरजेंसी के दौरान मेरे साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। मेरे घर पर छापे डाले गये हैं। गलत ढंग से टैक्स लगाए गए हैं। मुझे राजनैतिक कारणों से उस वक्त परेशान किया गया है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अगर राजनैतिक कारणों से किसी को भी परेशान किया गया हो तो उनके मामलों में जांच होनी चाहिये और फिर से विचार होना चाहिये। मेरे साथ भी न्याय होना चाहिये। जो अन्य ऐसे लोग हों उनके साथ

[श्री राम चरन शाह—]

भी न्याय किया जाय। बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जिन्हें इसी तरह से परेशान किया गया है। उन सबके केसेज पर फिर से विचार हो और उनको राहत दी जाये। अगर वही अधिकारी फिर उनको परेशान करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होने वाला नहीं है।

स्टाम्प रजिस्ट्रेशन के बारे में भी एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारे यहां लोग ३ हजार रुपये एकड़ के हिसाब से जमीन खरीदते हैं या ५ हजार रुपये एकड़ के हिसाब से खरीदते हैं। मगर रजिस्ट्रेशन वाले ड्यूटी लगाते हैं स्टैम्प की १० हजार रुपये एकड़ के हिसाब से। इसमें बड़ा भारी घपला है। इनकम टैक्स वाले भी फिर परेशान करते हैं कि इतना रुपया कहां से आया। इसलिए आप किसी प्रकार का कोई संशोधन अवश्य करें जिससे जिस भाव पर लोग जमीन खरीदें उसी हिसाब से स्टैम्प शुल्क लिया जाय। जिस प्रकार से आपने बिक्री-कर नीति को सरलीकरण करके ठीक किया है, उसी प्रकार इसको भी सरलीकरण किया जाय। इसके अलावा आपने जो मिठाई, भोजनालय, ईंट के भट्ठों आदि की जो योजना बनायी है उसका मैं स्वागत करता हूं। उसे शीघ्र चालू किया जाये जिससे लोगों को राहत मिल सके।

सेल्स टैक्स अधिकारियों को विवेक का जो इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है उसे समाप्त कर देना चाहिए। तभी लोगों को राहत मिलेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इस ओर विशेष ध्यान दें। दूसरी ओर सिनेमा पर जो टैक्स लगाया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि गरीबों पर ही ज्यादा भार पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान रखा है वह ठीक है, उससे ज्यादा बचत हो सकती है। अगर आपके अधिकारी लोग सही प्रकार से टैक्स की जांच करें, तो इससे लाभ होगा। जो देहातों में सिनेमा चलते हैं, वहां पर छापे मारे जायं। बहुत से लोग टिकट ब्लैक करते हैं, टिकट बेचते हैं, उसकी भी जांच की जाय। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं बिक्री-कर के अनुदान का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि १९७९-८० में बिक्री कर समाप्त हो जायगा। इस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि बिक्री-कर उन्मूलन समिति का गठन किया जाय जैसे सरलीकरण समिति का गठन किया गया था, जिसमें ८७ सूत्र तय किए गए थे, कुछ लागू किए गए थे, कुछ अभी लागू नहीं किए गए, जो लागू नहीं किए गए हैं, मेरी प्रार्थना है कि उसे लागू किया जाय, जिससे अपने प्रदेश के एक करोड़ व्यवसायी सुख का अनुभव कर सकें, उनमें जो निराशा है, वह निराशा दूर हो सके। मेरी प्रार्थना है कि बिक्री-कर उन्मूलन समिति गठित की जाय, साथ ही साथ उसमें यह भी विचार किया जाय कि इस कर उन्मूलन से जो हानि होगी, उसकी पूर्ति कैसे की जाय, आय के स्रोतों को कैसे बढ़ाया जाय। उत्पादन शुल्क जो सामान कारखानों में पैदा होता है उन पर बढ़ाया जा सकता है। मगर जो चीज कारखानों में नहीं पैदा होता है जैसे भट्ठे का व्यापार, शर्राफे का व्यापार हलवाई का व्यापार आदि हैं, इन व्यापारियों को दृष्टि में रख कर सरलीकरण में हम लोगों ने कुछ विचार किया था, परन्तु वह पूर्णरूप से प्रस्थापित नहीं हो सका। उसमें जो हम लोगों ने विचार किया था कि उसमें स्लैब सिस्टम के आधार पर या लाइसेंसिंग प्रणाली के आधार पर सरलीकरण किया जाय एवं

छानबीन की जाय कि जिससे सरकार की आमदनी न घटे। ऐसी प्रक्रिया चालू की जाय कि जिससे व्यापारी भी संतुष्ट हो और हमारी आय का स्रोत भी न घटे क्योंकि हमारा चुनाव के समय सबसे बड़ा वादा पूरे भारत वर्ष में था कि हम सेल्स टैक्स हटायेंगे। आज भारतवर्ष के समस्त व्यवसायी इस ओर देख रहे हैं। मैं व्यवसायी हूं, जनरल गंज व्यापारी क्षेत्र है मैं उसका प्रतिनिधि हूं, वहां से चुनकर आया हूं। मेरा कर्त्तव्य है कि उनके हृदय के दर्द को आप तक पहुंचाऊं। आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। नारायण। नारायण।

*श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, जब मैं माननीय मंत्री जी को सुन रहा था तो मेरे मन में बात यह आ रही थी कि मैं संस्थागत वित मंत्री को सुन रहा हूं कि केवल बिक्री कर मंत्री को सुन रहा हूं। क्योंकि मैं देखता हूं, जब उन्होंने अनुदान उपस्थित किया मैं सोचता था कि अनुदान उपस्थित करने के बाद दूसरी बात जब आयेगी, तब मैं कुछ ऐसी बात कहूंगा संस्थागत के बारे में कि कम से कम वह अपने मंत्रालय के अस्तित्व के बारे में कुछ कह डालेंगे।

श्री अध्यक्ष--

तो यह आपके लिए छोड़ दिया।

श्री श्याम धर मिश्र--

श्रीमन्, आप देखें कि ३०० करोड़ रुपये इस मंत्रालय के द्वारा इस साल उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहा है जो कि कम नहीं है। इनके काम को देखिये तो केवल अधिकतर इसमें २.४० करोड़ का सेल्स टैक्स है और ४०-५० करोड़ स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन का है और बकिया इन्टरटेनमेन्ट टैक्स अगर जोड़ दिया जाय, तो मोटे तौर पर ३०० करोड़ इनकी आमदनी है। श्रीमन्, खर्च के लिए इनके पास यह पैम्पलेट्स है। इसे विभाग ने दिया है।

श्री अध्यक्ष--

यह मितव्ययिता करना चाहते हैं।

श्री श्याम धर मिश्र--

श्रीमन्, इनको खर्च करने का अधिकार भी नहीं है। इनको इसमें जिल्द भी नहीं मिली है, यह पैम्पलेट्स दो पन्ने का है। मैं यह क्यों कह रहा हूं। मान्यवर, यह मंत्रालय बन गया और ऐसा मंत्रालय बन गया, मैं तो आशा करता था कि इस मंत्रालय के जरिये इस प्रदेश में वित्त कायम किया जायगा और आय के श्रोत कायम किये जायेंगे। इन श्रोतों में केवल सेल्स टैक्स को मैं नहीं मानता। मैं सेल्स टैक्स की बात सबसे कम करूंगा। बरना लाल बत्ती मुझे परेशान करेगी।

श्री अध्यक्ष--

आपको तो काफी राहत मिल गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम धर मिश्र—

सेल्स टैक्स के संबन्ध में इतना ही कहना है कि मंत्री जी ने कहा कि केवल २१ रुपये प्रति व्यक्ति यहां पड़ता है। महाराष्ट्र वगैरह की संख्या भी उन्होंने बता दी। क्यों पड़ता है इसका इतिहास है मैं यह यह समझता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेसी सरकार ने किया था और आप बुनियादी तब्दीली ला रहे हैं और केवल उद्योगों की बात कर रहे हैं गृह उद्योगों की बात कर रहे जिसमें ज्यादातर सेल्सटैक्स माफ होता है और ज्यादातर अनुदान दिए जाते हैं। तो इन गृह उद्योगों से सेल्सटैक्स नहीं बढ़ने वाला है। आपने केरल की मिसाल दी, पंजाब, हरियाणा, बम्बई की मिसाल दी। मंत्री जी बम्बई में जायं और देखें। एक साल में ६५० करोड़ रुपये बम्बई से सेल्स टैक्स आता है तो क्या इसको लघु उद्योग देते हैं, नहीं। इसमें बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग शामिल हैं। इस सबका एक संतुलन है। अगर यह संतुलन नहीं किया जायगा और लघु उद्योगों को अधिकता होगी तो १०० करोड़ से ज्यादा आने वाला नहीं है।

श्रीमन्, मैं संस्थागत वित्त की बात कर रहा हूं मैं तो सोचता था कि तमाम इंस्टीट्यूशनल फाइनेन्स जिसमें कारपोरेशन के फाइनेंसेज इंडस्ट्रियल फाइनेंसेज आते हैं, इंडस्ट्रियल कारपोरेशन आते हैं और रिजर्व बैंक के फाइनेंसेज आते हैं। श्रीमन्, आप जानते हैं कि और प्रदेशों को रिजर्व बैंक का फाइनेंस ज्यादा मिलता है लेकिन उत्तर प्रदेश को कम मिलता है। क्योंकि आपकी पैरवी कम होती है। पिछले साल यह संस्थागत वित्त मंत्रालय खोला गया है, इसके अनुदानों के बारे में यहां मांग नहीं की जाती है, किन्हीं और मंत्रालय में मांग की जाती है तो फिर इसका नाम बदलना चाहिए। वित्त संस्थागत मंत्रालय नहीं होना चाहिए कोई दूसरा नाम होना चाहिए। वह सेल्स टैक्स मंत्री हैं यह वित्त मंत्री नहीं हैं।

दूसरी बात स्टैम्प्स के बारे में है और रजिस्ट्रेशन के बारे में हैं। श्रीमन्, अभी डेढ़ दो साल पहले की बात कह रहा हूं। स्टैम्प में जिले जिले में जो डिस्ट्रक्ट जज थे वह रजिस्ट्रार होते थे स्टैम्प्स के। क्या हो गया, पता नहीं हर जिले में वित्तीय अधिकारी लगा दिए गए। इस तरह से खर्च और बढ़ा दिया गया। उन्होंने रजिस्ट्रार आफिस से बांध रखा है। एक एक जिले में ५-५ रजिस्ट्रार आफिस हैं। पिछले सालों में जब तक डिस्ट्रक्ट जजेज के अन्दर यह काम था तबतक भ्रष्टाचार ऊपर नहीं था लेकिन आज यह हो रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात देखें तो आज किसानों की बड़ी दुर्दशा इस बात में है कि ४ हजार, ५ हजार और ७-८ हजार रुपये एकड़ की जमीन, वास्तव में सिंचित और असिंचित भूमि की कीमत जगह-जगह पर अलग अलग होती है लेकिन यहां से आज्ञा गयी है, पहले भी गयी है, वह गलत है। इसलिए निवेदन है कि उनको इस साल बदले और जो जमीन की कीमत हो उसको लेकर दें तो इससे किसान परेशान नहीं होगा।

मान्यवर, यहां ५६० सिनेमा घर हैं। यहां की आबादी को देखा जाय तो सबसे कम सिनेमाघर उत्तर प्रदेश में हैं और प्रति व्यक्ति या प्रति हजार हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स यहां है। अभी छोटे लोगों पर टैक्स लगाया है। उस पर भी सोचना चाहिए। अखबार से मालूम हुआ कि छोटे लोगों पर टैक्स लगने वाले हैं इस लिए आन्दोलन होने वाला है। अतः इस पर आपको विचार करना चाहिए।

मान्यवर, अंतिम बात इक्सपोर्ट टैक्स की है। श्रीमन्, कभी इक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगा। केन्द्रीय सरकार की आज्ञा है कि जो चीज खरीदी जाय और ६

महीने में निर्यात हो जाय तो उसपर सेल्स टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इस सरकार की आज्ञा ऐसी हुई कि ६ महीने से २ या १० दिन व्यतीत हो गये तो इस पर पेनाल्टी नहीं देते हैं, पूरे टैक्स की नोटिस देकर ६० या ५० हजार रुपये कम से कम वसूल करते हैं। हमारे इलाके में तीन गलीचे वाले हमसे मिले तो हमने उनसे कहा कि आप मुख्य मंत्री के वहां बैठे और रोयें। इस लिए इस पर मंत्री जी को देखना चाहिए।

*श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संस्थागत वित्त मंत्री ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, व्यापारी जो है वह उपभोक्ता और उत्पादक के बीच की एक संतुलन की कड़ी रखने वाला है। पिछले ३० साल में जो उत्पादन करने वाला किसान या मजदूर या कर्मचारी अर्थात् समाज के सभी वर्गों की सुख सुविधा पर ध्यान दिया गया है परन्तु सही माने में जो सरकार का कमाऊ पूत व्यापारी वर्ग है उसकी उपेक्षा की गयी है। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि देश के अन्दर महंगाई का कारण एक चीज है और वह यह है कि हमारे व्यापारी ऐसा समझ कर चले हैं। मैं जानता हूं कि आज यदि सही मानों में हमारी जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह तय किया था कि उत्पादन शुल्क के रूप में यह कर लिया जायगा वह उत्पादन शुल्क के रूप में कर लिया जाय तो जो उपभोक्ता है और जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति है उसके बीच की कड़ी को यदि इस प्रकार से मजबूर किया तो देश के अन्दर जो महंगाई है वह बहुत बड़ी मात्रा में घट सकती है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र को जो अन्न यहां से जाता है, हमारा पूरा पर्वतीय क्षेत्र कर्म का इलाका है, जो उपभोग की वस्तुएं यहां से जाती हैं जो वहां पर एक रुपये के किलो के हिसाब से बिकती है वह हमारे यहां पहुंचते पहुंचते पांच पांच, छः छः रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। जो अन्न पैदा करने वाला किसान है उसे आढ़तिये के यहां टैक्स देना पड़ता है, परचून के व्यापारी के यहां टैक्स देना पड़ता है और परिणाम यह होता है कि वही चीज ६ रुपये में बिकती है।

मेरे पर्वतीय क्षेत्र में खास कर देहरादून में लकड़ी का व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में होता है। जो ठेकेदार हैं उनको आढ़तियों को टैक्स देना पड़ता है जिसका असर आम जनता पर पड़ता है। मैं जानता हूं कि यदि जो उत्पादन करने वाले किसान हैं, मजदूर हैं और अन्य लोग हैं उनके और व्यापारियों के अन्दर सही संचालन बनाये रखा जाय, सही मानों में सरकार कानून को लागू करे तो उपभोक्ता को राहत मिलेगी। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में एक खाद्य वस्तु होती है पाफर और चौलाई जिसे यहां मैदान के इलाकों में व्रत के दिन खाते हैं उस पर भी टैक्स लगा है। पहाड़ में सिर्फ यही एक खाद्य वस्तु पैदा होती है मैदानों में भेजने के लिए उस पर भी टैक्स है जिसके कारण उसका उत्पादन भी घटता जा रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने जो नारा दिया था अपने घोषणा पत्र में तय किया था कि उत्पादन शुल्क के रूप में कर होना चाहिए हमें अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्र सरकार को इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री—]

बात के लिए मजबूर करना चाहिए कि उस वायदे को पूरा किया जाय ताकि उपभोक्ता को भी राहत मिले । इसी के साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो कमी वाले इलाके हैं जहां ६ रुपये किलो के हिसाब से चीजें बिकती हैं जैसे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, बुन्देलखंड का इलाका है इन क्षेत्रों में जो कर लगाया जाता है इनको कर से मुक्त किया जाय कम से कम खाद्य वस्तुओं को कर से मुक्त किया जाय ।

इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि उत्पादन और टैक्स के बीच की जो कड़ी है उसे हम अच्छी तरह संचालित करें करोड़ों लोग जो व्यापार में लगे हुए हैं और ईमानदारी के साथ व्यापार करना चाहते हैं हमें उनको सही मानों में ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करने का अवसर देना चाहिए । इन शब्दों के साथ में जो बजट अनुदान पेश किए गये हैं उनका समर्थन करता हूं ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर...

श्री अध्यक्ष—

आप दोहरायेंगे नहीं ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, मैं आपके विचार के मुताबिक बोलूंगा । मेरे चार मित्रों ने, सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रगट किए और तीनों ने तो कहा है कि....

श्री जय राम (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, इस ओर के लोगों को अवसर दिया जाय । मान्यवर, मुझे भी मौका दें ।

श्री अध्यक्ष—

आपको पहले खड़ा होना चाहिए था । अब नहीं अब मैंने सेठी जी को बुला लिया है ।

श्री जयराम—

मैं सोच रहा था कि उधर से तीन बोल लेंगे तब इधर अवसर देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप बोल लीजिये ।

श्री जय राम—

जो बहस चल रही है सदन में तो मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि सचमुच में अगर उन गरीबों तक उन सुविधाओं को ले जाना चाहते हैं जिनका प्रदर्शन यहां सदन में कर रहे हैं तो कुछ बुनियादी चीजों पर सोचना होगा । गरीब आदमी को ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कर देना पड़ता है । अभी अभी माननीय सदस्य ने इशारा किया कि किसान जो वस्तुएं उत्पादित करता है उस पर

टैक्स लगते-लगते उसकी कीमत निर्धारित होती है और वह उन्हीं लोगों को देनी पड़ती है जो उसका उपभोग करते हैं। इसी तरह से कल कारखाने में जो चीजें बनती हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है उसका भार भी उन लोगों के ऊपर आ जाता है जो चाहे वहां उत्पादन करते हों या यहां उत्पादन करते हों। इसके बारे में पिछली सरकार ने भी नहीं सोचा और यह सरकार भी नहीं सोच रही है। हमारा विभाग तो इसमें साफ है। यह दोनों सरकार पूंजीवादी सरकार हैं। इनकी व्यवस्था में हमेशा सत्ता और सम्पत्ति की सुरक्षा होगी। हमारे माननीय सदस्य इशारा कर रहे थे कि स्टाम्प के बारे में कहिए। पहले स्टाम्प स्टाम्प फरोख्त से मिल जाता था। दो एक रुपया वह ले लेता था। अब कचहरियों के अन्दर ५ रुपया नेशनल सेविंग्स के नाम पर लिया जाता है। इसके बाद शाम तक उसको इन्तजार करना पड़ता है और जब रजिस्टरी का समय निकलने को होता है तो जो दलाल वहां रहते हैं वह उससे नाजायज रूप से पैसा लेकर काम कराते हैं। इस तरह से कदम कदम पर उसकी लूट होती है। कचहरियों में, सरकारी दफ्तरों में वही गरीब आदमी लूटा जाता है। आज उत्पादन का साधन पूंजीपतियों के हाथ में है और उत्पादित वस्तुओं पर कर का जो भार पड़ता है वह उसी गरीब आदमी को उठाना पड़ता है जो फैक्ट्रियों में या खेतों में उत्पादन करता है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पूंजीवादी व्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए कुछ सोचें और कदम उठायें जिससे उत्पादन करने वाला व्यक्ति उन वस्तुओं का उपभोग कर सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उनके प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री अजीत सिंह सेठी--

अध्यक्ष जी, जो कटौती का प्रस्ताव मैंने पेश किया है उस पर सर्वश्री रम चरन, रेवती रमण रस्तोगी, श्यामधर मिश्र, शास्त्री जी तथा जयराम जी ने अपने विचार व्यक्त किए और वे भी इस बात से चिन्तित दिखाई दिए की सरकार की नीति यह स्पष्ट नहीं है कि सरलीकरण करने के बाद वह बिक्रीकर को हटायेगी या नहीं? जो उसके आगे आश्वासन हैं उनको वह पूरा करेगी या नहीं? सरलीकरण के बावजूद भी सेल्स टैक्स में अब भी अनेक असंगतियां पाई जा रही हैं और उसके दोष समाप्त नहीं हो सकेंगे। लिहाजा मंत्री महोदय स्पष्ट तौर से आश्वासन दें कि सरलीकरण के बाद वह सेल्स टैक्स को हटा देंगे। खास कर व्यापारी वर्ग इस चीज को लेकर बहुत चिन्तित है। सरलीकरण को वह इतना महत्व नहीं दे रहे हैं और वह समझते हैं कि आश्वासन तो सदन में बहुत से दिये जाते हैं लेकिन प्रैक्टिस में कुछ नहीं किया जाता। उनका दुख वैसा ही रहता है और दिन में भी उनको तारे नजर आते हैं। इसलिए सरकार इस पर स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त करें।

श्यामधर जी ने सिनेमा घरों के बारे में भी चर्चा की। ५६० सिनेमा कुल इस प्रदेश में हैं जब कि आबादी १० करोड़ की है। मनोरंजन का साधन केवल सिनेमा है चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, क्लर्क हो अथवा रिक्शे वाला हो, जवान हो अथवा बूढ़ा हो। सरकार जो मनोरंजन कर में वृद्धि करने जा रही है इस पर वह पुनः विचार करे वर्ना कोई भी भविष्य में इस पर इनवेस्ट करने वाला नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीत सिंह सेठी--]

जहां तक स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन की बात है यह सही है कि जमीन में आगे का रेट कुछ होगा, साइड का कुछ, पीछे का कुछ। यह जो दुविधा है अपनी जगह सही है और इसके सरलीकरण के लिए एक कमेटी सरकार बना दे। यह इतनी बड़ी समस्या है कि रजिस्ट्रेशन आफिस की धांधलीबाजी को खत्म करने के लिए सरकार को कुछ सक्रिय कदम उठाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से पुनः प्रार्थना करूंगा कि वह अपने उत्तर में सब बातों को स्पष्ट करें ताकि प्रदेश की जनता संतुष्ट हो सके।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, श्री सेठी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है यदि उसकी भाषा को देखा जाय तो उससे लगता है कि वास्तव में सेठी जी का इरादा उसे सीरियसली प्रेस करने का नहीं है क्योंकि उद्देश्य में यह लिखा है कि विभाग की समालोचना करना और सुझाव देना चाहूंगा और मुझे विश्वास है कि उनसे संतुष्ट हो कर वह प्रस्ताव वापस लेंगे।

मान्यवर, श्री सेठी ने सबसे पहले यह कहा कि जनता पार्टी ने वायदा किया था कि बिक्री कर हटायेंगे लेकिन अब सरलीकरण पर आ गये। मुझे शंका लगती है कि माननीय सदस्य ने शायद मेरी बात नहीं सुनी। मैंने पहले ही कहा कि केन्द्र और राज्य के स्तर पर बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन कर लगाने पर विचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की एक उपसमिति भी इसके लिए बनाई गई है। एक विशेषज्ञ समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है जिसकी रिपोर्ट शीघ्र आने की आशा है। उस रिपोर्ट के आने के बाद हम विचार करेंगे कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाय। जैसा माननीय रस्तोगी जी ने कहा मैंने घोषणा की है जरूर कि पहली अप्रैल, १९७९ तक--बिक्री कर की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में निर्णय लिया जायेगा। वह निर्णय ले लिया जायेगा इसमें भ्रम नहीं करना चाहिये।

माननीय सदस्य ने परफारमेंस की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया तो जो १० महीने के अन्दर उपलब्धियां इस विभाग द्वारा हुईं अगर उसे परफारमेंस नहीं कहा जा सकता है तो फिर परफारमेंस की परिभाषा बदल देनी पड़ेगी। इसके बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

चेकपोस्ट और फार्म ३१ के बारे में जो सुझाव दिये हैं वह पहले भी आ चुके हैं उसको देखते हुए सरलीकरण समिति ने संस्तुति की है।

एक और सुझाव दिया कि मोटर कार और स्कूटर आदि पर से करों की दरों में कमी की जाय। मैंने भी प्रारम्भ में कहा कि सरलीकरण समिति ने जो संस्तुति की है उन विभिन्न संस्तुतियों में एक संस्तुति यह भी है कि मोटर गाड़ियों और स्कूटरों में करों की दर में कमी की जाय। मैंने कहा कि अभी इस पर विचार हो रहा है और निराश होने की अभी आवश्यकता नहीं है। जो कुछ परिणाम होगा सामने आयेगा।

सेक्शन ३-डी (२) के बारे में जो कहा है कि कर वंचन रोकने के लिए बनाया गया है। उसमें यदि कोई आदमी जेन्यून सामान की बिक्री करेगा तो वह बिक्री-कर देने का जिम्मेवार होगा। इस धारा को समाप्त करने का अभिप्राय

यह होगा कि भारी संख्या में ऐसे लोग जिन पर कर देने की जिम्मेदारी है वह कहेंगे कि हमने सारा सामान कंजूमर को दे दिया है इसलिए मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं है ।

इसके साथ ही श्री शाह जी ने सुझाव दिया और कहा कि कच्चे माल पर तथा कत्थे के पेड़ पर बिक्री कर की बड़ी समस्या है । इस समस्या पर हम विचार कर रहे हैं और जो निर्णय होगा उससे माननीय सदस्य को अवगत कराया जायेगा ।

इसके साथ ही बिक्री-कर कार्यालय में बैठने के स्थान की सुविधा के बारे में कहा गया । जहां-जहां हो सकता है हमने सुविधा दी है और देने का प्रयत्न किया जायेगा ।

एक बात भूमि के रजिस्ट्रेशन में उसके मूल्य के बारे में आई । यह वास्तव में महत्वपूर्ण मसला है । इसके नियम हैं उस पर न्यूनतम कर निर्धारित कर दिया गया है और इस बात का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है और कहा गया है कि भूमि की सिचुयेशन को देखते हुए मूल्य निर्धारित करें । जहां-जहां इस बात की शिकायतें आती हैं कि अधिक कर निर्धारण हुआ है उसमें विभाग द्वारा निर्णय लिया जाता है । यदि माननीय सदस्यों को कहीं इसमें शिकायत हो तो वह बतायें उस पर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री श्यामधर मिश्र जी ने संस्थागत वित मंत्रालय के बारे में बड़ी संतुलित भाषा में कहा । मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जब उस विभाग की मांगें प्रस्तुत हुई थी उस पर जरूर उनको कहना चाहिये । लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस विभाग के मुख्य साधन संस्थागत वित्त और बिक्री कर ही मुख्य हैं । मिश्रा जी ने कहा कि केवल कुटीर उद्योगों से ही बिक्री कर की आय नहीं बढ़ेगी । हर आय की एक सीमा होती है इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शासन की नीति केवल राजस्व पैदा करने की है या शासन की नीति व्यापार को संतुलित रूप देने के लिए भी है । उत्तर प्रदेश में व्यापार को संतुलित रूप देने के लिए और अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए हमने तय किया है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे । इसलिए जरूरी है कि लघु उद्योगों पर जोर दिया जाय, लेकिन इसके माने यह नहीं है कि बड़े उद्योगों के लिए हम उदासीन हैं । जैसे-जैसे बड़े उद्योगों की स्थापना होगी उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और वैसे-वैसे बिक्री-कर में वृद्धि होगी । मान्यवर, श्री देवेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उत्पादन शुल्क लगाया जाए, इसका उत्तर तो दे दिया । खाद्य वस्तुओं पर जहां तक बिक्री-कर का प्रश्न है, जो ५० हजार रुपये तक की छूट दी गई है, उससे गरीबों और छोटे व्यापारियों सभी को सुविधा मिलेगी, लाभ पहुंचेगा । अब मैं समझता हूं मेरे उत्तर से सदन के सम्मानित सदस्य संतुष्ट होंगे ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण . . .

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं, अब समय नहीं है, आप बैठें ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

श्रीमन्, सिर्फ एक प्वाइन्ट पर..

श्री अध्यक्ष--

आप यह बताएं कि वापस लेते हैं या नहीं और कुछ नहीं ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

मंत्री जी ने दुबारा भी कहा, लेकिन उसमें भी .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप वापस नहीं ले रहे हैं ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

इसमें साफ है कि वित्त आयोग के सामने भी ५ साल का कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिए मैं इसे वापस नहीं लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६-वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,१२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८--स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,४०,६५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११—बिक्रीकर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,५८,८२,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १३—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४५,६४,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, इनकी हां बड़ी धीमी है। न बड़ी तेज है।

श्री अध्यक्ष—

आप जानते हैं, धीमी आवाज में ताकत है।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राघवराम मिश्र, श्री श्री-नारायण, मुकीमुर्रहमान की सूचना जो दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ को काशीपुर जिला नैनीताल में नगर के मुख्य बाजार के बीच दूकान पर बैठे श्री तुला-राम तथा उनके पुत्र को लुटेरों द्वारा गोली मार कर हत्या होने के सम्बन्ध में है, को मैंने स्वीकार किया है।

[श्री अध्यक्ष—]

माननीय मुख्य मंत्री, कब इस पर वक्तव्य दिया जायगा ?

पर्वतीय विकास उपमंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

२८ के लिए।

श्री अध्यक्ष—

श्री उदय नारायण सिंह, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री शंकर सिंह, श्री मलखान सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री अवधेश कुमार तथा श्री राज नाथ सिंह की जो सूचना—वाराणसी नगर में २२/२३ अप्रैल, १९७८ की रात को भूतपूर्व सभासद, श्री रमाशंकर उर्फ लल्लू सिंह की पुलिस द्वारा हत्या के सम्बन्ध में है, इसके बारे में मैंने वक्तव्य देने का निर्देश किया है।

फतेहपुर में छात्रों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब दिनांक १५ अप्रैल, १९७८ को फतेहपुर में पुलिस द्वारा छात्रों पर गोली चलाये जाने से ७ छात्रों के गम्भीर रूप से घायल होने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम ५१ के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा।

राजनैतिक पेन्शन उपमंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

मान्यवर, अप्रैल १५, १९७८ को जब नागा निरंकारी बालिका इंटर कालेज, फतेहपुर में, जो लड़कों के हाई स्कूल परीक्षा का केन्द्र था, जब इम्तहान हो रहा था तो परीक्षा केन्द्र के बाहर लगभग २५० व्यक्तियों की भीड़ जमा थी जिसमें परीक्षार्थियों के अभिभावक, मित्र तथा समीपवर्ती महात्मा गांधी डिग्री कालेज के छात्रगण भी उपस्थित थे। उक्त भीड़ द्वारा यह प्रयास किया जा रहा था कि कालेज में हो रही गणित की परीक्षा में प्रश्न-पत्र हल करके अंदर परीक्षार्थियों को सुलभ कर दिया जाये ताकि परीक्षार्थी नकल कर सकें। परीक्षा केन्द्र में तैनात इन्विजीलेटरी की सतर्कता तथा पुलिस व्यवस्था के कारण उक्त भीड़ ऐसा करने में असफल रही। १० बजे परीक्षा समाप्त होने पर परीक्षा केन्द्र का गेट खोल दिया गया तथा परीक्षार्थी बाहर आने लगे। इसी समय दो परीक्षार्थियों के बीच इस बात पर झगड़ा होने लगा कि एक ने दूसरे को नकल करने की सुविधा नहीं दी। इस झगड़े को दोनों ओर के समर्थकों से बढ़ावा मिला। मारपीट को देखकर परीक्षा के संबंध में ड्यूटी पर तैनात निरीक्षकों में भय व्याप्त हो गया। स्थिति को नियन्त्रित करने के लिये परीक्षा केन्द्र पर तैनात एक पुलिस सब इन्सपेक्टर ६ सिपाही तथा १३ होमगार्ड्स के कर्मचारियों ने भीड़ को लाठियों से खदेड़ कर तितर-बितर कर दिया किन्तु थोड़ी देर बाद ही उक्त भीड़ तथा कुछ असामाजिक तत्व पुनः उत्तेजित होकर कालेज के अंदर घुस आए तथा पुलिस दल व निरीक्षकों पर भारी पथराव शुरू कर दिया। भीड़ में कुछ व्यक्ति पुलिस सब इन्सपेक्टर के सरकारी रिवालवर को छीनने को बढ़े तथा परीक्षा केन्द्र पर सील हो रही उत्तर पुस्तिकाओं को छीनने तथा क्षति पहुचाने की चेष्टा की। हिंसा पर उतारू आक्रमक भीड़ की उत्तेजना, भारी पथराव तथा पुलिस की संख्या कम देखते हुये पुलिस सब इन्सपेक्टर ने आत्म रक्षार्थ अपने सरकारी रिवाल्वर से दो राउन्ड हवाई

फायर किये तथा एक सिपाही ने अपने मस्केट से हवाई फायर किया एवं होम गार्ड्स के जवानों तथा अन्य सिपाहियों ने जिनके पास लाठियां थीं, आत्मरक्षार्थ उनका प्रयोग किया, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई। घटनास्थल पर एक देशी तमंचा बरामद हुआ जो भीड़ में से किसी के पास से गिर गया था। उक्त तमंचे की नाल से एक प्रयुक्त कारतूस भी बरामद हुआ। उक्त घटना में पुलिस होमगार्ड्स के १४ व्यक्तियों, जिनमे पुलिस सब इन्सपेक्टर भी सम्मिलित हैं, ८ छात्रों तथा एक अन्य व्यक्ति को चोटें आई। इन सभी व्यक्तियों को तुरन्त जिला चिकित्सालय में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई तथा उनका डाक्टरी मुआयना किया गया। एक छात्र जिसका नाम सत्य प्रकाश था तथा जो हाई स्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत अभ्यर्थी था, के दाहिने हाथ की हथेली में छर्रे की चोट आई, जिसका उपचार हो रहा है तथा शीघ्र ही अवमुक्त होने वाला है। शेष सभी व्यक्तियों को उसी दिन अवमुक्त कर दिया गया था।

इस घटना के संबंध में कोतवाली फतेहपुर में अपराध संख्या १८७ धारा १४७/३३२/३०७/३३६/१४८ भा० द० वि० का मुकदमा कायम किया गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस सब इन्सपेक्टर को कोतवाली से हटा कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा घटना की मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दे दिये गये हैं। अब फतेहपुर नगर क्षेत्र के सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षायें सुचारु रूप से चल रही हैं तथा स्थिति पर सतर्कता पूर्वक देख-रेख की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

समय पौने ६ तक बढ़ा दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

भीड़ के साथ कुछ असामाजिक तत्व भी आ गये पुलिस ने उनको देखा भी। तो मैं जानना चाहता हूं कि उन असामाजिक तत्वों में कौन-कौन व्यक्ति थे और अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

एक मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया है और उसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष--

कौन असामाजिक तत्व थे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

उनकी नामावली मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह कैसे पता चला कि वह असामाजिक तत्व हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

पुलिस ने पहले तो उनको अलग किया। जो परीक्षा भवन में घुसना चाहते थे लोकल पुलिस इतना तो जानती ही है कि कौन कैसे व्यक्ति हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वहां पर जो भीड़ थी उसकी गलती थी या नहीं, असामाजिक तत्वों का नाम लगा दिया गया लेकिन यह नहीं बताया कि कौन व्यक्ति हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। अगर नाम नहीं बताया जाता है तो मेरा प्रश्न है कि जब भीड़ आगे बढ़ी तो पथराव करना शुरू कर दिया। उस भीड़ में जिसमें छात्र थे तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों ने उस भीड़ को नियंत्रित करने का क्या प्रयास किया और जब वह असफल हुए तब पुलिस से गोली चलाने के लिए कहा या पुलिस ने स्वाभाविक रूप से ही गोली चला दी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

छात्रों के अभिभावक थे, उनके शुभ चिन्तक थे जो परीक्षा के समय बाहर खड़े थे। पुलिस ने आत्म रक्षार्थ गोली चलाई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

केन्द्र व्यवस्थापकों को मजिस्ट्रेट के अधिकार दे दिये जाते हैं। क्या वहां पर कोई मजिस्ट्रेट उपलब्ध था जिसने निर्देश दिया ?

श्री अध्यक्ष --

यह लिखा है कि अध्यापक भयभीत हो गये थे। यह कहां है कि नियन्त्रण कर रहे थे। वह तो भयभीत थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जब यह हुआ तो अध्यापकों का प्राथमिक दायित्व था कि वह नियंत्रित करते।

मान्यवर, जो प्रधानाध्यापक होता है उसको मैजिस्ट्रेट का पावर्स होता है टेम्पोरेरोली। निरीक्षक जितने भी होते हैं वे गवर्नमेंट सरवेन्ट्स होते हैं।

श्री अध्यक्ष --

यह तो उत्तर में दिया हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वक्तव्य में कहा गया है कि भीड़ ने किताबों के बन्डल को छीनने की कोशिश की। इसका मतलब है कि परीक्षा केन्द्र पर प्रधानाध्यापक अपने कक्ष में थे।

श्री अध्यक्ष--

इससे यह प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट है कि परीक्षा के दौरान कुछ बाहरी लोगों ने वहां पर जहां कापियां सील हो रही थीं, पहुंचने का असफल प्रयास किया। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस भीड़ को जो बाहर इकट्ठी थी उसको हटाने की क्या कार्यवाही की ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, परीक्षा चल रही थी और परीक्षा हाल के बाहर जो विद्यार्थियों के मित्र, सहयोगी और अभिभावक लोग थे वे नकल कराने का प्रयास कर रहे थे लेकिन चूंकि वहां पर पुलिस के लोग और निरीक्षक घूम रहे थे तो जब वे परीक्षा हाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उनको खदेड़ दिया। तो जब भीड़ आयी, वहां पर ऐसी स्थिति थी।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

वक्तव्य से ऐसा लगता है कि पुलिस ने कोई गल्ती नहीं की तो फिर पुलिस इन्सपेक्टर को क्यों कोतवाली से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया गया है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मैंने वक्तव्य में कहा है कि एक परीक्षार्थी की हथेली में छर्रे की चोट आयी, जो कि अस्पताल से मुक्त कर दिया गया है।

श्री रमाशंकर कौशिक--

जब किसी पुलिस वाले को चोट नहीं आयी तो दफा ३०७ में क्यों मुकदमा कायम किया गया है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

यह पुलिस की गल्ती थी कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई, यह नहीं करना चाहिए था। इन सारे प्रश्नों पर मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो रही है। लाइन हाजिर इसलिए किया गया कि पुलिस ने सिचुएशन को बिगड़ने में कोई सही कदम नहीं उठाया। उसको सस्पेन्ड कर दिया गया है। जब फायर आर्म का इस्तेमाल हुआ और छर्रे लगे तो इस ३०७ दफा का मुकदमा बायर हुआ है।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जितना बयान दिया है उसमें कहा है कि असामाजिक तत्वों का हाथ मालूम होता है। उन्होंने बड़ी नपी तुली भाषा का प्रयोग किया है और उनके द्वारा तथ्यों को छुपाया जाता है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र पर गोली किसके आदेश से चली, व्यवस्थापक के आदेश से या और किसी के आदेश से ? दूसरे मंत्री जी का यह कहना कि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, मुल्जिमों को गिरफ्तार करने की कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

अपनी आत्मरक्षा में रिवाल्वर से गोली चलाई गयी, किसी के आदेश से गोली नहीं चलाई गयी, यह वक्तव्य में स्पष्ट है। जो अभियुक्त है, पुलिस उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और दफा ८२-८३ की कार्यवाही हो रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वक्तव्य में स्पष्ट है कि वह भीड़ आयी और परीक्षा केन्द्र पर जहां कापियां सील की जा रही थी कापियों को छीनने और क्षति पहुंचाने की चेष्टा की। तो

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

भीड़ उस कमरे में गयी जिसमें इन्वीजिलेटर्स थे और अपनी कापियां जमा कर रहे थ और व्यवस्थापक सील करा रहे थे। तो यह मान्यवर, अनिवार्य है कि वहां पर केन्द्र निदेशक अवश्य होगा, इसलिए मैं फिर प्रश्न दोहराता हूं कि जब केन्द्र व्यवस्थापक खड़े थे और पुलिस वहां मौजूद थी तो क्या पुलिस ने स्वयं गोली चला दी या उनको आदेश दिये गये और किसने आदेश दिये ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

यह तो बहुत स्पष्ट है कि सब-इंसपेक्टर ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, उसको किसी न आदेश नहीं दिया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एक साथ सब लोग नहीं ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में । यहां वक्तव्य में जो बात कही गयी है कि सरकारी रिवाल्वर से दो राउन्ड गोलियां चलाई गयी और होमगार्ड्स ने मस्केट से गोलियां चलाई, यह भी लिखा है कि हवाई फायर किये गये । तो सबसे पहली बात तो यह कि इन दोनों में, रिवाल्वर में और मस्केट में छर्रे नहीं होते जब छर्रे नही होते तो छात्र के छर्रे कसे लगे । दूसरी बात यह कि हवाई फायर किया गया । तो हवाई फायर से हाथ में हथेली पर कैसे छर्रा लगा, वह कहां से आया ?

श्री अध्यक्ष --

अब समय समाप्त हुआ ।

अब हम उठते हैं कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ ;
२६ अप्रैल, १९७८ ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

अविकल सभा

नत्थी 'क'

(देखिय तारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०९ पर)

गोरखपुर शहर में लीज काण्ट्रेक्ट के अन्तर्गत बने मकानों के आपात स्थिति के दौरान आवंटन की सूची

क्रम संख्या	मकान मालिक का नाम	आवास का विवरण	एलाटी का नाम
१	२	३	४
१	श्री काजिम अली सब्जतोश	फ्लेट नं० १, जाहिद बिल्डिंग, गोलघर	श्री वी० के० वर्मा, उप–मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
२	चौधरी राम हरष चन्द	सेन्ट एन्ड्यूज कालिज के सामने भवन का पूर्वी भाग	श्री आर० बी० तिवारी, विजिलेन्स इन्सपेक्टर।
३	सर्वश्री हरी राम कमानी, आत्मा राम अग्रवाल	बंगला नं० २४, सिविल लाइंस का दक्षिणी भाग	श्री आर० के० मिश्र, अधिशासी अभियन्ता, एल० एस० जी० डी०।
४	सर्वश्री हरी राम कमानी, आत्मा राम अग्रवाल	बंगला नं० २४, सिविल लाइन्स का उत्तरी भाग	श्री आर० बी० राव, डिप्टी कलेक्टर।
५	श्री काजिम अली सब्जपोश	फ्लैट नं० ८, जाहिद बिल्डिंग, गोलघर	श्री जमाल अशरफ, उप पुलिस अधीक्षक।
६	श्री मदन लाल टेकरीवाल	बंगला नं० ७, सिविल लाइन्स का दक्षिणी भाग	श्री ए० बी० श्रीवास्तवा, आयकर अधिकारी।
७	श्री मुकुन्द लाल	बंगला नं० २३, सिविल लाईन्स का दक्षिणी भाग	श्री आई० पी० मित्तल, अतिरिक्त जिला जज।
८	श्रीमती प्रभावती देवी शर्मा	बंगला नं० १८, सिविल लाइन्स	श्री डी०पी० श्रीवास्तवा, अतिरिक्त जिला अधि–कारी नियोजन।
९	श्री गिरधर	बंगला नं० ४, सिविल लाइन्स	श्री एम० डी० पाठक, उप पुलिस अधीक्षक।

१	२	३	४
१०	श्री ओम प्रकाश टेकरीवाल	बंगला नं० ६, पार्क रोड, सिविल लाइन्स का पूर्वी भाग	श्री आर० बी० सिंह, कमान्डेन्ट, पी० ए० सी० ।
११	श्री पुरुषोत्तम दास	बंगला नं० ३, पार्क रोड, सिविल लाइन्स का पश्चिमी भाग	श्री धीरेन्द्र मोहन गुप्त, व्यवस्थापक, दैनिक जागरण ।
१२	श्री काजिम अली सज्जपोश	फ्लैट नं० ३, जाहिद बिल्डिंग, गोलघर	श्री बलराज उमेराय, न्यायिक अधिकारी ।
१३	श्री मुकुन्द लाल	सिविल लाईन्स स्थित बंगला	श्री आर० सी० शुक्ल, न्यायिक अधिकारी ।
१४	ठाकुर इन्द्रजीत प्रताप बहादुर	बंगला नं० २०, सिविल लाइन्स का दक्षिणी भाग	श्री एम० ए० फारूकी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, विकास ।
१५	सर्वश्री हरी राम कमानी, आत्मा राम अग्रवाल	बंगला नं० २४, सिविल लाइन्स का दक्षिणी भाग	श्री सुशील चन्द्र श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, एल० एस० जी० डी० ।
१६	श्री मदन लाल टेकरीवाल	बंगला नं० ७, सिविल लाइन्स का दक्षिणी भाग	श्री ए० के० बरत्याल, सहायक आयुक्त, आयकर निरीक्षण ।
१७	श्री गिरधर दास	बंगला नं० ४, सिविल लाईन्स	श्री वाई० एन० चतुर्वेदी, उप पुलिस अधीक्षक ।
१८	श्री काजिम अली सज्जपोश	फ्लैट नं० ६, जाहिद बिल्डिंग गोलघर	श्री शाहिद हुसैन, सहायक अभियन्ता, पी० डब्लू० डी० ।
१९	श्री ब्रज मोहन सहाय	मकान नं० १३-ए, सिविल लाइन्स का उत्तरी भाग	श्री वीर बहादुर सिंह, भूतपूर्व विधायक ।
२०	श्रीमती जाहिद अहमद सज्जपोश	पार्क रोड स्थित आंख अस्पताल के बगल का बंगला	श्रीमती मंजु, मालिक पूर्वी संदेश, प्रेस व साप्ताहिक ।
२१	चौधरी राम हरष चन्द्र	सेन्ट एन्ड्रयूज कालेज के सामने भवन का पश्चिमी भाग	श्रीमती चन्द्र ज्योति देवी पत्नी श्री भगवती प्रसाद सिंह, अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् ।
२२	श्री मुकुन्द लाल	सिविल लाइन्स स्थित बंगला	श्री सी० पी० श्रीवास्तव, जिलापूर्ति अधिकारी ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१४ पर)

संलग्नक—१

उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा नलकूप पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न पम्पसेटों के कुछ मुख्य पुर्जों की सूची जिनके लिये वर अनुबन्ध किया गया।

(अ) ज्योति टरबाइन पम्प के पुर्जे

१—इम्पैलर शाफ्ट पैकिंग और प्रेसिंग रिंग रिंग्स	८ एस (रे०/क० स० १८८, दिनांक २९-१-१९६९)
२— तदेव	९ एस (रे०/क० स० १८८, दिनांक २९-१-१९६९)

३—शाफ्ट ट्यूब पैकिंग ग्लैंड ६" × ६"

४—वाल्व बाडी

५—कन्ट्रोल नीडिल वाल्व

६—कन्ट्रोल नीडिल वाल्व गाइड

७—कन्ट्रोल नीडिल वाल्व नट

८—साइड ग्लास

९—साइड होल्डर

१०—मग्नेटिक कोइल सपोर्ट

११—कालम पाइप कुलथेडेड (विभिन्न साइजों के)

१२—इम्पैलन ब्रोन्ज ८ एस व ९ एस

१३—सेफ्टी क्लच टाप हाफ

१४—लाइन शाफ्ट (विभिन्न साइजों के)

१५—लाइन शाफ्ट बियरिंग (विभिन्न साइजों के)

१६—बाउल एसेम्बली कम्पलीट (विभिन्न स्टेजों की)

(ब) जान्स्टन टरबाइन पम्प के पुर्जे—

१—टाप कालम फ्लेज	(सं० १८८, दिनांक २९-१-१९६९)
२—इम्पैलर सील रिंग आनली	तदेव
३—'ओ' रिंग	तदेव
४— कापर कनेक्टिंग ओइल लाइन असेम्बली	तदेव

५--डिस्चार्ज हिड एसेम्बली	(सं० १८८, दिनांक २९-१-१९६९)
६--टाप कलम पाइप आनली ६ × ५ लम्बा	तदेव
७--बाटम कालम पाइप आनली ६ × ५, लम्बा	तदेव
८--इंटरमीडिएट कालम पाइप आनली ६" × १०	तदेव
९--इम्पलर होन्ज	(सं० ३२ दिनांक ३-६-१९६९)
१०--बाउल टाप	तदेव
११--इंटरमीडिएट बाउल	तदेव
१२--सक्साकशन केस आनला	तदेव
१३--बाउल एसेम्बली कम्पलीट	तदेव
१४--इम्पैलर लाक कालेट	तदेव
१५--लाइन शाफ्ट (विभिन्न साइजों के)	तदेव
१६--पम्प शाफ्ट (विभिन्न साइजों के)	तदेव
१७--१ १/२ १ × लाइन शाफ--ट्र वियरिंग	तदेव

(स) के० एस० बी० पम्प के पुर्जे

१--सैट आफ वुडन नाच कीज	(रे०/क० सं० १५८ दिनांक ३१-१२-१९७०)
२--सैट आफ थ्रस्ट पैड ९६२	
३--काउन्टर थ्रस्ट फलैट ९४२	
४--सरकीलप फार थ्रस्ट कलेट	
५--सैट स्टील बाल १६४	
६--बौल रिटेनर ९६३	
७--रबर रिंग	
८--सेल्फ एलाइनिग थ्रस्ट फलेट ९६५	
९--स्फैरिकल कैप	
१०--बियरिंग बुश इन अपर वियरिंग हाउसिग (९६५)	
११--बियरिंग बुश इन लोअर बियरिंग हाउसिग (९४६)	
१२--डाईफ्राम ९७४	
१३--स्प्रिंग इन डाइफ्राम	
१४--रोटर कम्पलीट	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१५—रनिंग ब्रश/लोअर पार्ट ९०२

१६—रनिंग ब्रश/अपर पार्ट ९०३

१७—केबिल

१८—केबिल कनेक्टर किट

१९—पम्प शाफ्ट

२०—बियरिंग रिंग

२१—स्टेज बाउल

२२—इम्पेलर आफ ब्रान्ज

२३—बियरिंग ब्रश/मेटल बियरिंग

२४—एन० आर० पी० सीट

२५—बियरिंग बुश/डिस्चार्ज केसिंग

संलग्नक—२

उपलब्ध नोटिफिकेशन का विवरण

संख्या		दिनांक
१	३	४—४—७५
२	१४	२—५—७५

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२२ पर)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, २ पुराना चिकित्सक निवास, लखनऊ द्वारा ९ अगस्त, १९७७ को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में उल्लिखित मांगें

१—व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था समाप्त कर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय ।

२—शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची से न हटाया जाय ।

३—शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय वेतनमान निर्धारित किए जायं तथा अन्तरिम अवधि में १५०.०० रु० तदर्थ बढ़ोत्तरी की जाय ।

४—मानक एवम् समायोजन के नाम पर की जाने वाली छटनी बन्द की जाय ।

५—समझौता के अनुसार पेंशन समानताओं को ३० जून, १९७४ तथा उसके पश्चात् अवकाश ग्रहण करने वाले शिक्षकों पर लागू किया जाय तथा ग्रेच्युटी भी दी जाय इसके पूर्व अवकाश ग्रहण किए हुए शिक्षकों को भी इसी दर से पेंशन दी जाय ।

६—शिक्षकों के लिए वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत सेलेक्शन ग्रेड के आदेश तुरन्त निर्गत किए जायं ।

७—वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय समस्त अवशेषों को तुरन्त भुगतान किया जाय ।

८—अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत शिक्षकों के वेतन से की गई कटौतियों को नगद रूप में भुगतान किया जाय तथा यह योजना समाप्त की जाय । उन विद्यालयों के अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय जिन्होंने इस मद में काटे गए धन को नियमानुसार जमा नहीं किया ।

९—उपभोक्ताकारी मूल्य सूचकांक के दोष दूर कर महंगाई भत्ते को मूल्य-स्तर को वास्तविक वृद्धि से सम्बद्ध किया जाय ।

१०—मनमाने ढंग से विद्यालयों को अल्प संख्यक घोषित करने की प्रक्रिया समाप्त की जाय । इस प्रकार अब तक की गई घोषणाओं को निरस्त किया जाय तथा वास्तविक अल्पसंख्यक विद्यालयों के कर्मचारियों पर अन्य विद्यालयों के समान सेवा दशाएं लागू की जाय ।

११—२० मई, १९७७ तक कार्यरत सभी शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की तदर्थ नियुक्तियां नियमित मानी जायं तथा जूनियर हाई स्कूल होने वाले विद्यालयों के अर्हता सम्पन्न प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति का अवसर दिया जाय ।

१२—शिक्षकों, प्रधानाचार्यों तथा शिक्षा अधिकारियों के चयन हेतु एक शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जाय ।

१३—व्यायाम, आशुलिपि, सिलाई, कामर्श तथा क्राफ्ट—टेक्निकल शिक्षकों का वेतन-मान तुरन्त संशोधित किया जाय तथा विज्ञान प्रदर्शकों की काटी गई वृद्धियों तथा सेवा अवधि का लाभ दिया जाय ।

१४—समस्त असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर अविलम्ब लाया जाय ।

१५—शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया जाय तथा जनपद मंडल एवं प्रदेश स्तर पर शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की संयुक्त परामर्शदात्री समितियां बनाई जायं ।

१६—शिक्षकों का कार्यभार कम किया जाय ।

१७—कार्यरत अनुभवी शिक्षकों को प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति के अवसर प्रदान किए जायं ।

१८—शिक्षकों के लिए निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाय ।

१९—वर्ष १९७२ के बाद अनुदान सूची पर लाए गए विद्यालयों के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन निर्धारण भी अन्य शिक्षकों की भांति सेवा-काल के आधार पर अर्जित वेतन वृद्धियों को सम्मिलित करके किया जाय ।

२०—लघु माध्यमिक विद्यालयों के समकक्षीय अध्यापकों को समान वेतन दिए जायं।

२१—शिक्षक पाल्यों के लिए सभी स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय ।

२२—जिला परिषदों के सम्पत्ति कर से शिक्षकों को मुक्त किया जाय ।

२३—अप्रैल, १९७१ से पूर्व का अध्यापकों के देय वेतन का भुगतान किया जाय ।

२४—राज्य कर्मचारियों की भांति शिक्षकों के लिए आवासीय एवं पर्वतीय, सीमान्त भत्ता दिया जाय ।

२५—लिपिक एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को पेंशन एवं भविष्य निधि की सुविधा प्रदान की जाय तथा उनकी सेवा दशा को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की परिधि में लाकर सेवा सुरक्षा प्रदान की जाय ।

परिशिष्ट 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२३ पर)

तालिका

देवरिया जनपद में वर्ष १९७६-७७ में निम्न मार्ग विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण के हेतु स्वीकृत हुए

क्रम-संख्या	योजना एवं मार्ग का नाम	मार्ग की स्वीकृत लम्बाई कि० मी० में	वर्ष १९७६-७७ के अन्त तक पूर्ण हुए मार्ग की लम्बाई कि०मी० मे
१	२	३	४
१	मंत्री परिषद् की उप समिति द्वारा स्वीकृत कार्य--		
	१--रुद्रपुर नारायण पुर मार्ग	७-००	..
२	संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मार्ग--		
	१--बौंदरबार मंसूर गंज मार्ग	६-७०	४-७
	२--बरवा बाजार पकरियार मार्ग	१-८६	..
	३--पिपरा बाजार बलकुड़िया मार्ग	२-९०	.
	४--टेढ़ी रामपुर खुर्द मार्ग	२-२२	.
	५--तमकुही सिसवानहर मार्ग	३-००	.
	६--फाजिल नगर बघोच घाट मार्ग	२-००	.
	७--फाजिल नगर तुर्क पट्टी मार्ग	२-००	१-५
	८--देवरिया धूस बजरिया नरायन मार्ग	२-००	..
	९--भलुअनी पकरी बाजार मार्ग	२-००	..
	१०--बेरिया-फतेहपुर मार्ग	०-८०	..
	११--देसई देवरिया भुटनी दाबन मार्ग	२-५०	..

१	२	३	४
	१२—बरेठी बरेजी मार्ग	४—००	..
	१३—तिवारीपुर मझवलिया मार्ग	२—००	..
	१४—महदहा डोमबलिया मार्ग	१—५०	..
	१५—सोहनपुर रामपुर बुजुर्ग मार्ग	४—००	.
	योग ..	३९—४८	६—२
३	त्वरित योजना के मार्ग—		
	१—मुसैला भागलपुर मार्ग	१०—७४	.
	२—सलेमपुर बरेजी मार्ग	९—८६	?—००
	३—पडरौना कुबेरनाथ मार्ग	९—५०	..
	४—भिगारी भवानी छापर मार्ग	१०—००	१—५
	५—पखरा बरकोलघाट मार्ग	६—००	..
	६—बेसई देवरिया भटनीबादन मार्ग	२—७४	..
	७—फाजिल नगर बघौच घाट मार्ग	९—००	..
	८—तमकुही सिसवा माहर मार्ग	१—७०	..
	९—जोलह पुरवा—अहिरौला मार्ग	४—५०	३—००
	१०—महेन महेन घाट मार्ग	०—५०	..
	योग ..	६४—५४	६—५

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२७ पर)

शिकायतों की सूची

१--बिल्डिंग व एडमीसन फीस दोनों मिलाकर कक्षा ६, ९ व ११ से क्रमशः २०.०० रु०, ४२.०० रु० व ५२.०० रु० लिया जाना।

२--प्राइवेट गरीब छात्रों से ७५.०० रु० कमीशन का लिया जाना।

३--प्रधानाचार्य द्वारा होम इक्जामिनेशन में छात्रों को पास करने हेतु प्रति छात्र १०१.०० रु० या ५१.०० रु० घूस लिया जाना।

४--फीस माफ करने वाले फार्मों का दाम १० पैसे के स्थान पर एक रुपया का लिया जाना।

५--प्रधानाचार्य के भाई, जो बखरन कालेज में मार डाले गए थे, की स्मारक बनवाने हेतु २.०० रु० प्रति छात्र से लिया जाना।

६--प्रधानाचार्य द्वारा एक लाख रुपये की अवैध जायदाद का बनाया जाना।

७--छात्रों से अवैध चन्दा लेकर जीप का खरीदा जाना।

८--छात्रों की फीस माफी में अनियमिततायें।

९--अर्ध वार्षिक परीक्षाओं में ४.०० रु० प्रति छात्र से लिया जाना।

१०--प्रधानाचार्य द्वारा ग्राम के गुंडों को बिना ब्याज के कर्ज देना तथा उनके द्वारा छात्रों पर अत्याचार कराना।

११--छात्रों से ११.०० रु० लेकर टी० सी० का दिया जाना।

१२--काशन मनी का १० रु० वापस न किया जाना।

१३--बिना पैसे के छात्रों से बात न करना तथा मार्कशीट की डू कापी कराने के ५० पैसे लेना।

१४--चपरासियों से बेगार लेना।

१५--लिपिकों के माध्यम से सम्पूर्ण कार्य का कराया जाना।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२९ पर)

उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ की मांगें

मांग	शासन द्वारा की गई कार्यवाही
१—अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों की सेवा सुरक्षा प्रदान कर संस्थागत प्रबंधतंत्र द्वारा उनका शोषण समाप्त किया जाय।	जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली १३-३-१९७८ के गजट में प्रकाशित की जा चुकी है।
२—अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को निर्धारित वेतन दिलवाये जाने की व्यवस्था की जाय। इन अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की रीति-नीति से वेतन भुगतान किया जाय।	इस सम्बन्ध में उ० प्र० जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, प्रस्तुत किया जा रहा है।
३—प्रदेश में दो प्रकार के जूनियर हाई स्कूल चलते हैं, एक प्रकार के जूनियर हाई स्कूल जिनका संचालन व प्रबंध बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा होता है। वह सर्वत्र जूनियर हाई स्कूल ही बने रहते हैं। दूसरे प्रकार के जूनियर हाई स्कूल वे होते हैं जिनका संचालन व प्रबन्ध व्यक्तिगत प्रबंध समितियों द्वारा होता है तथा जो हाई स्कूल होने के लिए खोले जाते हैं, ये अशासकीय मान्यता प्राप्त जू० हा० स्कूल कहलाते हैं। ये अशासकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शर्तों की पूर्ति करके भविष्य में हाई स्कूल/इन्टर कालेज हो जाते हैं। विद्यालय को हाई स्कूल की मान्यता दिलाने एवं विद्यालय की उन्नति में कार्यरत प्रधान अध्यापक का अकथनीय प्रयास रहता है।	इस मांग को विचारोपरांत अस्वीकार कर दिया गया है।
प्रधानाचार्य की नवीन चयन प्रक्रिया के पूर्व प्रबंध समिति के द्वारा विज्ञापन देकर एक पेनल बुलाकर प्रधानाचार्य का चयन किया जाता था, जिसमें प्रधाना-	

मांग	शासन द्वारा की गई कार्यवाही
ध्यापक की सेवाओं का मूल्यांकन कर प्रबंध समिति न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव के आधार पर प्रधानाध्यापक को प्रधानाचार्य पद पर चयन करती थी, लेकिन आपत्तिकाल में, जो प्रधानाचार्य चयन की नवीन पद्धति बनाई गई है, उसमें प्रधानाध्यापक की पूर्ण उपेक्षा की गई है। नवीन विधि के अनुसार वह चयन समिति के सम्मुख उपस्थित होने से भी वंचित हो सकता है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल होने पर उन कार्यरत प्रधानाध्यापकों को, जो शिक्षा विभाग द्वारा न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव रखते हों, उनको प्रधानाध्यापक से हाई स्कूल के प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति की जाय। जैसा कि हाई स्कूल से इन्टर कालेज होने पर हाई स्कूल का प्रधानाचार्य इंटर कालेज का प्रधानाचार्य होने का प्राविधान शासन ने बनाया है।	
४—विगत वर्षों तक शासन लगभग २०० अशासकीय स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को प्रति वर्ष अनुदान सूची पर लाती रही है। परन्तु गत वर्ष केवल १२ जूनियर हाई स्कूलों को ही अनुदान सूची पर लाया गया। प्रदेश में अभी ८१४ असहायिक जूनियर हाई स्कूल हैं यदि यही क्रम रहा तो यह बीस वर्ष में भी अनुदान सूची पर नहीं आ पायेंगे। अतः हमारी मांग है कि इन ८१४ जूनियर हाई स्कूलों को तीन वर्षों में मान्यता के वरिष्ठता के आधार पर अनुदान सूची पर लाया जाय।	वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में ७० विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने का निर्णय लिया गया तथा १९७८-७९ की संख्या निर्धारित की जा रही है।
५—शिक्षा विभाग ने उ० मा० विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है, बेसिक परिषदीय विद्यालयों के अप्रशिक्षित	बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों के अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए की गई व्यवस्था के अनुरूप ही इन विद्यालयों के अप्रशिक्षित अध्यापकों के

मांग	शासन द्वारा की गई कार्यवाही
शिक्षकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है। अशासकीय मान्यताप्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में १० वर्षों से भी अधिक समय में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित कराने का आश्वासन शासन ने दिया था और शिक्षा निदेशक से उनकी सेवा समाप्ति न करने के आदेश भी मई, ७५ में कराए थे परन्तु अभी तक उनके प्रशिक्षण दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं की।	लिए भी व्यवस्था करने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।
अतः हमारी मांग है कि जू० हा० स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षत शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाय।	
६—कन्या जू० हा० स्कूलों से संलग्न प्राथमिक विभाग की अध्यापिकाओं को अभी तक आय-व्यय मानक में सम्मिलित किया जाता रहा है और शासन उनके वेतन पर अनुदान देता रहा है परन्तु नए वेतनमान में उनका वेतन पुनरीक्षण नहीं किया गया है उनका भी वेतन पुनरीक्षण अविलम्ब कराया जाय।	यह प्रकरण शासन के विचाराधीन है।
७—जू० हा० स्कूलों से संलग्न प्राथमिक विभाग को शुल्क की क्षतिपूर्ति अनुदान न देकर अनुरक्षण अनुदान दिया जाय।	इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ४९

मासिक प्रगति आख्या

क्रम सं०	योजनावार कार्य का नाम	स्वीकृत लागत लाख में	स्वीकृत लम्बाई कि० मी० में
१	२	३	४
	आयोजनागत नव निर्माण न्यूनतम आवश्यकता के अन्तर्गत (स्वीकृत कार्य का वर्ष जनवरी, १९७२)		
१	मिल्कीपुर–अमानीगंज मार्ग, मार्च, १९७७ तक किया गया कार्य	७.४२३	१०.००
	शेष कार्य—		
	लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण (स्वीकृत कार्य का वर्ष दिसम्बर, १९७६)		
२	खंड़वारिया–अहरन सुबंश–मार्ग मार्च, १९७७ तक किया गया कार्य	२.४०	३.००
	शेष कार्य—		
	त्वरित योजना (स्वीकृत कार्य का वर्ष फरवरी, १९७७)		
३	कुमारगंज खंडासा–मार्ग, मार्च, १९७७ तक किया गया कार्य	१०.८५	१०.१०
	शेष कार्य—		

'छ'

का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३६ पर)

माह मार्च, १९७७

भूमि अध्यापित	(भौतिक प्रगति कि० मी०)			
			निचली सतह	
	मिट्टी का कार्य	पुल व पुलिया	एकत्रीकरण	कुटाई
५	६	७	८	९
भूमि अध्यापित हो गई है	९.००	१५/२०	४.००	४.००
	१.००	५/२०	६.००	६.००
प्रश्न नहीं उठता है	२.००	..	२.००	२.००
	१.००	..	१.००	१.००
तदेव	८.००	..	५.००	५.००
	२.१०	..	५.१०	५.१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	योजनावार कार्य का नाम	भौतिक प्रगति		
		मध्य सतह		ऊपरी
		एकत्रीकरण	कुटाई	एकत्रीकरण
१	२	१०	११	१२
	आयोजनागत नव निर्माण न्यूनतम आवश्यकता के अन्तर्गत (स्वीकृत कार्य का वर्ष जनवरी, ७२)			
१	मिल्कीपुर–अमानीगंज मार्ग, मार्च, १९७७ तक किया गया कार्य	५.१	४.६	७.६
		४.००	५.४०	२.४०
	शेष कार्य—			
	लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण (स्वीकृत कार्य का वर्ष दिसम्बर, ७६)			
२	खंड़वारिया–अहरन सुबंश–मार्ग, मार्च, १९७७ तक किया गया कार्य	१.००	..	..
		२.००	३.००	३.००
	शेष कार्य—			
	त्वरित योजना (स्वीकृत कार्य का वर्ष फरवरी, ७७)			
३	कुमारगंज खंडासा–मार्ग, मार्च, १९७७ तक किया गया कार्य	४.००	४.००	..
		६.१०	६.१०	१०.१०
	शेष कार्य—			

कि० मी०)

सतह	लेपन सतह		वित्तीय प्रगति			
कुटाई	प्रथम	द्वितीय	मास में रुपए	चालू वित्तीय वर्ष ७६–७७	प्रारम्भ से अब तक	विवरण
१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
३.६	..	..	३८,३४२.००	१.३९ लाख	६.८६ लाख	..
६.४०	१०.००	१०.००				
..	..	..	८३,३४०.००	०.८३ लाख	०.८५ लाख	..
३.००	३.००	..				
..	..	..	१.३६ लाख	१.३६ लाख	१.३६ लाख	..
१०.१०	१०.१०	..				